VISIONIAS

www.visionias.in

समसामयिकी

जनवरी - 2018

Copyright © by Vision IAS

All rights are reserved. No part of this document may be reproduced, stored in a retrieval system or transmitted in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise, without prior permission of Vision IAS

विषय सूची

1. राजव्यवस्था और संविधान....5

1.1. राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग विधेयक....5

1.2. चुनावी बॉन्ड 7

1.3. लाभ का पद 9

1.4. टोटलाइजर मशीनें 10

1.5. आपराधिक न्याय प्रणाली....11

1.6. राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर 13

2. अंतर्राष्ट्रीय संबंध....15

2.1. निर्धनों के लिए विदेशी सहायता....15

2.2. भारत-आसियान 16

2.3. ऑस्ट्रेलिया ग्रुप में भारत का प्रवेश 18

2.4. भारत-इजराइल सम्बन्ध 19

2.5. भारत-म्यांमार 21

2.6. पोलर सिल्क रोड 22

2.7. ईरानी नागरिकों द्वारा विरोध प्रदर्शन....22

2.8. अमेरिका की विशेष निगरानी सूची 23

2.9. नेशनल नॉलेज नेटवर्क 23

2.10. रायसीना डायलॉग....24

3. अर्थव्यवस्था....25

3.1. बैंकिंग क्षेत्रक सुधार हेतु रोडमैप....25

3.2. कृषि क्षेत्र में NPAs में तीव्र वृद्धि 27

3.3. किसानों की आय दोगुना करने पर समिति की रिपोर्ट 28

3.4. प्राइस डेफिशियेंसी पेमेंट (मूल्य अन्तराल भुगतान) योजना 29

3.5. FSSAI पर CAG की रिपोर्ट 30

3.6. जैविक खाद्य पदार्थ....31

3.7. राष्ट्रीय मोटा अनाज वर्ष....33

3.8. कपास पर पिंक बॉलवर्म का संक्रमण 34

3.9. लैंड होर्डिंग की समस्या....35

3.10. फ्लोर स्पेस इंडेक्स....36

3.11. समावेशी विकास सूचकांक 36

3.12. वर्ल्ड एम्प्लॉयमेंट एंड सोशल आउटलुक 2018 37

3.13. वैश्विक प्रतिभा प्रतिस्पर्धा सूचकांक 38

VISION IAS

3.14. वैश्विक विनिर्माण सूचकांक 39

3.15. भारत में इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण 39

3.16.गवर्नमेंट ई-मार्केटप्लेस 3.0 41

3.17. GST ई-वे बिल 42

3.18. पत्तन विकास के लिए मॉडल रियायत समझौता 43

3.19. उड़ान 2 44

3.20. जल मार्ग विकास परियोजना 46

3.21. लॉजिस्टिक्स ईज़ अक्रॉस डिफरेंट स्टेट्स 46

3.22. प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) नीति में संशोधन 47

3.23. यूनिवर्सल एक्सचेंज 48

3.24. भारत BPO संवर्धन योजना एवं पूर्वोत्तर BPO संवर्धन योजना 48

3.25. राष्ट्रीय निवेश और अवसंरचना निधि 49

3.26. IRFC का पहला ग्रीन बॉन्ड 50

4. सुरक्षा 52

4.1. साइबर सुरक्षा 52

4.2. आधार सुरक्षा 53

4.3. रक्षा क्षेत्र में निजी भागीदारी 54

4.4. अग्नि-V 56

4.5. INS करंज 56

5. पर्यावरण 57

5.1 आपदा प्रतिरोधी अवसंरचना 57

5.2. भारतीय सुनामी पूर्व चेतावनी प्रणाली 58

5.3 शहरी ऊष्मा द्वीप 58

5.4 कार्बन सिंक 59

5.5. शहरों हेतु लीडरशिप इन एनर्जी एंड एन्वायरमेंटल डिज़ाइन (LEED) 60

5.6. पर्यावरण निष्पादन सूचकांक 61

5.7 हिमालयन रिसर्च फेलोशिप स्कीम 61

5.8 शून्य बजट प्राकृतिक कृषि 63

5.9 मंगलजोड़ी इकोटूरिज्म ट्रस्ट 63

5.10 सिक्किम द्वारा वृक्षों के साथ सम्बन्ध स्थापित करने की अनुमति 64

5.11 मॉथ की नयी प्रजाति 64

6. विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी 66

6.1. सुपर कंप्यूटर प्रत्यूष तथा मिहिर 66

6.2. PSLV C40 66

VISION IAS

6.3. 2018 के लिए NASA अभियान 67
6.4 ब्लू मून 68
6.5. रिमूव डेब्री मिशन 69
7. सामाजिक मुद्दे 70
7.1. सामाजिक संरक्षण (Social Protection) 70
7.2. उच्च शिक्षा पर अखिल भारतीय सर्वेक्षण 71
7.3. 'असर' वार्षिक रिपोर्ट 73
7.4. भारत में प्रजनन दर की प्रवृत्ति 74
7.5. तम्बाकू उत्पादों पर सचित्र चेतावनी 75
7.6. भारत द्वारा विकसित प्रथम वैक्सीन, WHO के परीक्षणों में सफल 76
7.7. भारत समय सीमा के भीतर काला अज़ार का उन्मूलन करने में विफल 77
7.8. खाद्य विषाक्तता 78
7.9.अनुसंधान एवं विकास पर भारत का व्यय 79
7.10. प्रादेशिक सेना (TA) में महिलाओं का प्रवेश 80
7.11. स्त्री स्वाभिमान परियोजना 81
7.12. ऑनलाइन पोर्टल्स 'नारी' और 'ई-संवाद' 82
7.13. PVTGS के लिए आवासीय अधिकार 82
7.14. घुमंतू जनजातियों के लिए राष्ट्रीय आयोग की रिपोर्ट 84
8. संस्कृति 86
8.1. संगराई नृत्य 86
8.2 कोरेगाँव की लड़ाई 86
8.3 मेडारम का जातरा 87
9. नैतिकता 88
9.1 नैतिकता और नैदानिक परीक्षण 88
10. विविध 90
10.1 महाराष्ट्र की सार्वजनिक क्लॉउड नीति 90
10.2 ऑपरेशन डिजिटल बोर्ड 90
10.3 स्फूर्ति एप 90
10.4 नीलांबुर सागौन के लिए भौगोलिक संकेतक (GI) 91
10.5 लिवेबिलिटी इंडेक्स 91
10.6 भारत के प्रथम समाचार पत्र की वर्षगाँठ 92

VISION IAS

1. राजव्यवस्था और संविधान

(POLITY AND CONSTITUTION)

1.1. राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग विधेयक

(National Medical Commission Bill)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, लोकसभा में राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग विधेयक, 2017 (National Medical Commission Bill, 2017) प्रस्तुत किया गया।

भारतीय चिकित्सा परिषद (MCI)

- यह एक सांविधिक निकाय है। इसकी स्थापना भारतीय चिकित्सा परिषद अधिनियम, 1956 के अंतर्गत की गई है।
- यह निम्नलिखित का विनियमन करती है-
    - चिकित्सा शिक्षा के मानक।
    - महाविद्यालयों या पाठ्यक्रमों को आरंभ करने अथवा सीटों की संख्या बढ़ाने की अनुमति प्रदान करना।
    - चिकित्सकों के पेशेवर आचार-मानकों, जैसे चिकित्सकों का पंजीकरण इत्यादि का निर्धारण।

MCI से सम्बंधित मुद्दे

वर्ष 2016 में, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण पर गठित संसदीय स्थायी समिति ने निम्नलिखित मुद्दों को चिह्नित किया:

- यह परिषद पर्याप्त संख्या में चिकित्सकों की उपलब्धता सुनिश्चित करने में विफल रही है। उदाहरण के लिए, भारत में प्रति 1,674 व्यक्तियों पर एक डॉक्टर उपलब्ध है जबकि WHO के मानकों के अनुसार प्रति 1000 व्यक्तियों पर एक डॉक्टर उपलब्ध होना चाहिए।
- मेडिकल कॉलेजों में शिक्षकों की कमी एवं स्नातक व स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों का निम्नस्तरीय विनियमन।
- जवाबदेही की कमी, भ्रष्टाचार के आरोप एवं सौंपे गए उत्तरदायित्वों के सफलतापूर्वक निर्वहन में विफलता।

पृष्ठभूमि

- प्रो. रंजीत रॉय चौधरी समिति (2015) ने भारतीय चिकित्सा परिषद (MCI) के कार्यों में संरचनात्मक सुधार करने की अनुशंसा की और एक **राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग** की स्थापना का सुझाव दिया।
- MCI की कार्यप्रणाली एवं इसके नीतिगत निर्णय-निर्माण के निरीक्षण हेतु वर्ष 2016 में उच्चतम न्यायालय द्वारा **लोढ़ा पैनल** का गठन किया गया था। हालांकि, इसकी अनुशंसाओं का क्रियान्वयन नहीं किया गया।
- चिकित्सा शिक्षा की गुणवत्ता संबंधी समस्याओं के समाधान के लिए **डॉ. अरविंद पनगढ़िया की अध्यक्षता में एक समिति** का गठन किया गया था। इसने भारतीय चिकित्सा परिषद अधिनियम, 1956 के निरसन का **सुझाव** दिया।

विधेयक की मुख्य विशेषताएं

- **राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग (NMC) की स्थापना:** यह एक अम्ब्रेला निकाय होगा, जो MCI को अपने अंतर्गत समाहित कर लेगा और भारत में चिकित्सा शिक्षा एवं व्यवसाय को विनियमित करेगा।
    - इसमें 25 सदस्य होंगे जिनकी नियुक्ति केंद्र सरकार द्वारा की जाएगी। इन सदस्यों में भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद् एवं स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय के प्रतिनिधि भी सम्मिलित होंगे।
    - इसके सदस्यों का **कार्यकाल चार वर्षों का होगा** और वे कार्यकाल के विस्तार अथवा पुनर्नियुक्ति के पात्र नहीं होंगे।
- **राज्य चिकित्सा परिषद् (SMC):** प्रत्येक राज्य अपने यहाँ तीन वर्षों के भीतर SMC की स्थापना करेगा जिसकी राज्य स्तर पर भूमिका NMC के समान ही होगी।
- **चिकित्सा परामर्श परिषद् (MAC):**
    - यह राज्यों/संघ शासित राज्यों को NMC के समक्ष अपने मतों और समस्याओं को व्यक्त करने हेतु एक मंच प्रदान करेगी। इससे चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण से संबंधित संपूर्ण कार्यसूची (agenda), नीति व कार्रवाई को स्वरूप प्रदान करने में सहायता मिलेगी।
    - यह NMC को चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान का न्यूनतम मानक स्तर बनाए रखने के संबंध में सुझाव देगी तथा चिकित्सा शिक्षा तक समान पहुँच प्रदान करने में सक्षम बनाएगी।
    - **संघटन:** यह एक 67 सदस्यीय निकाय है। इसमें राज्यों/केंद्र-शासित प्रदेशों एवं UGC जैसे अन्य सरकारी निकायों द्वारा नामित सदस्यों के साथ NMC के सभी सदस्य, पदेन सदस्यों के रूप में शामिल हैं।
- NMC के पर्यवेक्षण के अंतर्गत **चार स्वायत्त बोर्ड** शामिल हैं:
    - **अंडर-ग्रेजुएट मेडिकल एजुकेशन बोर्ड (UGMEB) एवं पोस्ट-ग्रेजुएट मेडिकल एजुकेशन बोर्ड (PGMEB)-** ये मानकों, पाठ्यक्रमों तथा दिशा-निर्देशों के निर्माण के लिए उत्तरदायी होंगे। साथ ही ये क्रमश: स्नातक एवं परास्नातक स्तरों पर प्राप्त चिकित्सा योग्यताओं को मान्यता प्रदान करेंगे।

VISIONIAS

- **मेडिकल असेसमेंट एंड रेटिंग बोर्ड (MARB):** इसके पास UGMEB व PGMEB द्वारा नियत मानकों को बनाये रखने में विफल होने वाले चिकित्सा संस्थानों पर **मौद्रिक दंड** (जो कि उनके द्वारा ली गई वार्षिक ट्यूशन फीस का 1.5 से 10 गुना हो सकता है) आरोपित करने की शक्ति होगी। यह नए मेडिकल कॉलेज की स्थापना की अनुमति भी प्रदान करेगा।
- **एथिक्स एंड मेडिकल रजिस्ट्रेशन बोर्ड-** यह **सभी लाइसेंस धारक चिकित्सा पेशेवरों के एक राष्ट्रीय रजिस्टर** का निर्माण करेगा तथा पेशेवर आचरण को विनियमित करेगा। केवल उन्हीं लोगों को चिकित्सा कार्य करने की अनुमति होगी जिनका नाम रजिस्टर में दर्ज होगा।

- विधेयक के माध्यम से विनियमित किए जा रहे सभी चिकित्सा संस्थानों में चिकित्सा शिक्षा के स्नातक पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु एकसमान **राष्ट्रीय पात्रता व प्रवेश परीक्षा (NEET)** का आयोजन किया जाएगा।
- चिकित्सा संस्थानों से स्नातक शिक्षा ग्रहण कर रहे छात्रों को चिकित्सा व्यवसाय के लिए लाइसेंस प्राप्त करने और चिकित्सा संस्थानों में परास्नातक कोर्स में प्रवेश हेतु **नेशनल लाइसेंशिएट इग्ज़ैमिनेशन** का आयोजन किया जायेगा।
- **ब्रिज कोर्स-** यह होम्योपैथी व चिकित्सा की भारतीय प्रणालियों के पेशेवरों को इस कोर्स को पूरा कर लेने के पश्चात् एलोपैथिक दवाएं लिखने (prescribe) की अनुमति देता है।
- **विनियमन को सरल करना:** मेडिकल कॉलेजों को केवल स्थापना करने एवं मान्यता प्राप्त करने के समय एक बार अनुमति की आवश्यकता होगी तथा वार्षिक नवीनीकरण की आवश्यकता नहीं होगी। कॉलेज अपनी स्नातक सीटों की संख्या में स्वयं वृद्धि भी कर सकेंगे। साथ ही वे परास्नातक पाठ्यक्रमों को आरंभ कर सकेंगे।

NMC के कार्य

1. चिकित्सा संस्थानों एवं चिकित्सा पेशेवरों को विनियमित करने के लिए नीतियों का निर्माण करना।
2. स्वास्थ्य देखभाल से संबंधित मानव संसाधन व अवसंरचना संबंधी आवश्यकताओं का मूल्यांकन करना।
3. राज्य चिकित्सा परिषदों द्वारा अनुपालन सुनिश्चित करना।
4. निजी चिकित्सा संस्थानों एवं डीम्ड विश्वविद्यालयों की 40% सीटों की फीस के निर्धारण हेतु दिशा-निर्देश तैयार करना।
5. भारत एवं भारत के बाहर के विश्वविद्यालयों एवं चिकित्सा संस्थानों द्वारा प्रदत्त चिकित्सा योग्यताओं तथा भारत के सांविधिक व अन्य निकायों द्वारा प्रदत्त योग्यताओं को मान्यता प्रदान करना।

महत्व

- इस विधेयक का उद्देश्य **भारतीय चिकित्सा परिषद अधिनियम, 1956 का निरसन करना** तथा वर्तमान भारतीय चिकित्सा परिषद (MCI) को समाप्त करना है। साथ ही यह एक ऐसी चिकित्सा शिक्षा व्यवस्था प्रदान करने का उद्देश्य रखता है जो निम्नलिखित कार्यों को सुनिश्चित कर सके:
  - विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में **पर्याप्त एवं उच्च गुणवत्ता वाले चिकित्सा पेशेवरों** की उपलब्धता।
  - चिकित्सा पेशेवरों द्वारा नवीनतम चिकित्सा अनुसंधान को अपनाना।
  - एक प्रभावी शिकायत निवारण तंत्र की स्थापना करना।
- **जवाबदेहिता एवं पारदर्शिता में सुधार:** मेडिकल कॉलेजों का वार्षिक आधार पर अनिवार्य मूल्यांकन तथा रेटिंग, उनकी परिणाम-आधारित निगरानी में सहायक होगा।
- **चिकित्सा अभ्यासों का समेकन:** यह **राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग (NMC)**, **केंद्रीय होम्योपैथी परिषद** एवं **भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद** की वर्ष में कम से कम एक बार **संयुक्त बैठक** का प्रावधान करता है। इससे होम्योपैथी, चिकित्सा की भारतीय पद्धतियों एवं चिकित्सा की आधुनिक पद्धतियों के मध्य समन्वय बढ़ाया जा सकेगा।
- **आपातकालीन प्रावधान-** आकस्मिक परिस्थितियों में NMC किसी चिकित्सा पेशेवर को बिना नेशनल लाइसेंशिएट परीक्षा उत्तीर्ण किए शल्य चिकित्सा करने तथा मेडिसिन संबंधी कार्य करने की अनुमति प्रदान कर सकता है।

चिंताएं

- **NMC का अति-केंद्रीकरण:** भारतीय चिकित्सा संघ (IMA) के अनुसार, NMC चिकित्सा व्यवसाय को नौकरशाही एवं गैर-चिकित्सा क्षेत्र के प्रशासकों के प्रति पूर्ण रूप से जवाबदेह बनाकर इसकी कार्यप्रणाली को कमजोर बनाएगा।
- **संघीय व्यवस्था के विरुद्ध:** इससे पूर्व में सभी राज्य सरकारों को MCI में प्रतिनिधित्व प्रदान किया गया था, जबकि प्रस्तावित व्यवस्था में चक्रीय आधार पर एक समय में केवल पाँच राज्यों को ही NMC में प्रतिनिधित्व प्राप्त होगा।
- **ब्रिज कोर्सों के साथ समस्याएं:**
  - यह भारतीय चिकित्सा पद्धति के पेशेवरों को लाइसेंशिएट परीक्षा उत्तीर्ण किए बिना ही एलोपैथिक दवाओं का परामर्श लिखने(prescribe) की अनुमति देता है।
  - यह अनेक परंपरागत पेशेवरों को एलोपैथी की ओर बढ़ने के लिए प्रोत्साहित कर सकता है जो सरकार द्वारा देश में परंपरागत दवाओं को लोकप्रिय बनाने के प्रयासों के लिए अहितकर होगा।
- NEET को लागू करना, महंगे कोचिंग सेंटरों के उभरने का कारण बन सकता है जिससे चिकित्सा शिक्षा वित्तीय रूप से कमजोर छात्रों की पहुँच से दूर हो जाएगी।

VISION IAS

- **यह विधेयक 60% सीटें प्रबंधन के अधीन रखे जाने की अनुमति देता है**। इसके परिणामस्वरुप रेंट सीकिंग की गतिविधियों में वृद्धि, चिकित्सा शिक्षा की लागत में वृद्धि तथा चिकित्सा शिक्षा को केवल संपन्न व अमीर छात्रों के लिए सीमित करने के रूप में सामने आएँगे।

आगे की राह

- वर्तमान में पूर्णकालिक चिकित्सकों से अधिक सामुदायिक-स्तर पर हज़ारों अधिकृत चिकित्सकों (practitioners) की आवश्यकता है। ये इस योग्य होने चाहिए कि उचित प्रशिक्षण के पश्चात् गंभीर परिस्थितियों में प्राथमिक देखभाल उपलब्ध करा सकें एवं GPS द्वारा निगरानी की जा रही प्रणाली के तहत रोगी को एक नियमित डॉक्टर के पास भेज सकें। इस विधेयक द्वारा कुछ सीमा तक इस मुद्दे का समाधान कर दिया गया है।
- साथ ही कई अन्य ऐसे कदम हैं जो देश में स्वास्थ्य देखभाल क्षेत्र के सुधार में सहायक हो सकते हैं-
    - ग्रामीण चिकित्सा देखभाल प्रदाताओं के लिए एक **3 वर्षीय डिप्लोमा कोर्स** प्रारम्भ करना। भारत में 1946 तक, **लाइसेंशिएट मेडिकल प्रैक्टिशनर (LMP)** योजना के अंतर्गत ऐसा किया जाता था।
    - नर्स प्रैक्टिशनर, नर्स एनेस्थेटिस्ट, फिजिशियन असिस्टेंट आदि को तैयार करने के लिए, मेडिसिन, नर्सिंग एवं एलाईड हेल्थ प्रोफेशनल ट्रेनिंग के मध्य **इंटर-प्रोफ़ेशनल एजुकेशन को प्रोत्साहित** करना चाहिए।
    - विधेयक में ब्रिज कोर्सों के माध्यम से चिकित्सा प्रणालियों एवं चिकित्सक को मिश्रित किए बिना **इंटिग्रेटिव मेडिसिन** के महत्व को पहचाना जाना चाहिए।
- यह विधेयक एक सकारात्मक उद्देश्य के लिए लाया गया है। हालाँकि जब तक यह उपभोक्ताओं के हितों को सर्वोच्च मानते हुए वास्तविक समस्याओं का सामना और इनका समाधान नहीं करेगा, तब तक इस नए कानून से लोगों के जीवन में अधिक अंतर नहीं लाया जा सकेगा।
- वर्तमान में, विधेयक को लोकसभा की **स्थायी समिति को संदर्भित** किया गया है। यह **सभी हितधारकों** को इसमें सम्मिलित करने का अवसर उपलब्ध कराते हुए इसके समग्र एवं व्यापक परीक्षण में सहायक होगा।

1.2. चुनावी बॉन्ड

(Electoral Bonds)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, सरकार द्वारा बजट 2017-18 में घोषित की गयी **चुनावी बॉन्ड योजना (Electoral Bonds Scheme) को अधिसूचित** किया गया है। इसका उद्देश्य राजनीतिक वित्तपोषण में पारदर्शिता को बढ़ाना है।

पृष्ठभूमि

- एसोसिएशन ऑफ़ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स (ADR) के एक विश्लेषण के अनुसार, 2004-05 से 2014-15 के मध्य राष्ट्रीय एवं क्षेत्रीय दलों को प्राप्त कुल आय का 69% भाग **अज्ञात स्रोतों से चंदे के रूप** में प्राप्त हुआ था।
- चुनाव सुधारों पर **विधि आयोग की 255वीं रिपोर्ट** के अनुसार राजनीतिक **वित्तपोषण में अपारदर्शिता** का परिणाम बड़े दानदाताओं द्वारा सरकार को "अपने पक्ष में करने (लॉबिंग) एवं उस पर प्रभाव स्थापित करने" के रूप में सामने आता है।
- चुनावी बॉन्ड की घोषणा 2017-18 के बजट में की गई थी। इसके लिए, वित्त विधेयक, 2017 की धारा 133 से 136 के माध्यम से रिज़र्व बैंक ऑफ़ इंडिया एक्ट, 1934 {धारा 31(3)} एवं जन-प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 में आवश्यक संशोधन किए गए।

चुनावी बॉन्ड के लाभ

- **राजनीतिक वित्तपोषण में काले धन पर रोक:** चूँकि चुनावी बॉन्ड की खरीद KYC अनुपालन के माध्यम से की जाएगी, अत: इससे 'क्लीन मनी' द्वारा वित्तपोषण को प्रोत्साहन मिलेगा।
- **पारदर्शिता एवं जवाबदेहिता को बढ़ावा-** आयकर रिटर्न भरना एक स्वागत योग्य कदम है क्योंकि इससे राजनीतिक दलों को चंदे के रूप में प्राप्त राशि का मूल्यांकन संभव होगा।
- **अनामिकता(Anonymity)–** अनामिकता, भारत की "प्रतिशोधपूर्ण" राजनीतिक संस्कृति (जिससे तहत कोई दल किसी विरोधी दल को चंदा देने पर दानकर्ता को दंडित कर सकता है) के विरुद्ध सुरक्षा प्रदान करेगी।
- चुनावी बॉन्ड को 15 दिनों के भीतर भुनाया जाना आवश्यक है। यह संक्षिप्त अवधि इसे **समानांतर मुद्रा** बनने से रोकेगी।
- **पात्रता हेतु कड़े मानदंड** उन राजनीतिक दलों को हतोत्साहित करेंगे, जिनकी स्थापना का उद्देश्य मात्र कर अपवंचन है।

चुनावी बॉन्ड की सीमाएँ

- **अपारदर्शिता-** किस दल को, किसके द्वारा, कितनी धनराशि दान की गयी है; यह जानकारी केवल निश्चित निकायों को ही रहेगी। इस प्रकार जनता के लिए अपारदर्शिता का तत्व बना रहेगा।
    - जन प्रतिनिधित्व अधिनियम,1951 की धारा 29C के तहत प्रावधान किया गया है कि सभी राजनीतिक दलों को 20,000 रुपए से अधिक के चंदे की सूचना चुनाव आयोग को देनी होगी। परन्तु वित्त विधेयक में किए गए संशोधन में चुनावी बॉन्ड को इस धारा के दायरे से बाहर रखा गया है। अत: दलों को चुनावी बॉन्ड के रिकाड्र्स, जांच हेतु चुनाव आयोग के समक्ष प्रस्तुत नहीं करने होंगे।

VISION IAS

- आयकर अधिनियम 1961 की धारा 13A के अंतर्गत राजनीतिक दलों द्वारा वार्षिक टैक्स-रिटर्न दाखिल करना अनिवार्य बनाया गया है। किन्तु वित्त विधेयक में **चुनावी बॉन्ड को आयकर अधिनियम के दायरे से बाहर** रखे जाने संबंधी प्रावधान भी किये गये है। इस प्रकार, 20,000 रुपए से अधिक का चंदा देने वालों के नाम, पतों आदि का ब्यौरा रखने की आवश्यकता भी समाप्त हो जाएगी।

- **सत्ताधारी दल के प्रति पक्षपाती होना–** एक सरकारी बैंक होने के नाते SBI सभी दानदाताओं की सूचना रखेगा जिससे सत्ताधारी दल को लाभ पहुँच सकता है। साथ ही, इससे विपक्षी दल को दान देने वाले व्यक्तियों के लिए दंड का भय उत्पन्न होगा।
- **कॉर्पोरेट क्षेत्र पर नियन्त्रण की अनुपस्थिति -**
  - कंपनी अधिनियम के अंतर्गत, एक प्रस्ताव के माध्यम से निदेशक मंडल द्वारा दिए गए स्पष्ट अनुमोदन के बिना कोई भी राजनीतिक चंदा नहीं दिया जा सकता।
  - साथ ही, कम्पनियां पिछले तीन वित्त वर्षों में अर्जित सकल लाभ की औसत राशि का अधिकतम 7.5% ही चंदे के रूप में दे सकती हैं। **वित्त विधेयक 2017 के माध्यम से चुनावी बॉन्ड से इस सीमा को हटा दिया गया है।**
  - कंपनी अधिनियम में किए गए संशोधनों से कम्पनियां अपनी इच्छानुसार कितनी भी राशि चंदे के रूप में दान करने में सक्षम होंगी। इससे राजनीतिक पार्टियों का कॉर्पोरेट **कंपनियों के साथ एक ऐसे अनैतिक गठजोड़** का जन्म होगा जिस पर कोई विनियामकीय निगरानी नहीं होगी।
  - इसका परिणाम **छद्म कंपनियों के निर्माण** के रूप में भी सामने आ सकता है जिससे राजनीतिक वित्तपोषण में काले धन के प्रवेश का मार्ग प्रशस्त होगा।
  - कंपनियों के लिए अब उन राजनीतिक दलों के नामों का खुलासा करने की बाध्यता नहीं होगी जिन्हें उन्होंने चंदा दिया है। इसका परिणाम होगा कि **अंशधारियों(shareholders) को इस तथ्य की जानकारी नहीं** रहेगी कि धन किस दल को दिया जा रहा है।
  - इस विधेयक द्वारा दानकर्ता कॉर्पोरेट द्वारा औपचारिक रूप से दान संबंधी सूचनाओं के प्रकटीकरण पर प्रतिबंध आरोपित किये गये हैं जबकि ये कॉर्पोरेट अनौपचारिक रूप से चंदे की सुचना प्राप्तकर्ता दल को प्रदान करने हेतु स्वतंत्र हैं।

आगे की राह

राजनीतिक वित्तपोषण में अधिक पारदर्शिता सुनिश्चित करने हेतु आवश्यक उपाय निम्नलिखित हो सकते है-

- **पूर्णतः डिजिटल लेन-देन पद्धति** को अपनाना।
- कॉर्पोरेट-राजनीतिक दलों के मध्य बनने वाले गठजोड़ को समाप्त करने के लिए एक निर्धारित सीमा से अधिक दी गई चंदे की राशि को सार्वजनिक करना।
- **राजनीतिक दलों को सूचना का अधिकार (RTI) के दायरे में लाया जाना चाहिए** जैसा कि भूटान व जर्मनी जैसे देशों द्वारा किया गया है।
- एक राष्ट्रीय चुनाव निधि (**नेशनल इलेक्टोरल फण्ड**) बनायी जानी चाहिए जहाँ दानदाता चंदा दे सकें तथा इस प्रकार एकत्रित कोष को विभिन्न राजनीतिक दलों के मध्य पिछले चुनावों में उनके प्रदर्शन के आधार पर बाँट दिया जाना चाहिए। इससे काले धन पर लगाम लगेगी एवं दान देने वालों की गोपनीयता भी बनी रहेगी।
- **दिनेश गोस्वामी समिति**(1990) की अनुशंसा के अनुसार, 'समुचित लेखा परीक्षण के साथ चुनावी खर्चे को भी सरकार द्वारा वहन किया जाना चाहिए'।

VISION

1.3. लाभ का पद

(Office of Profit)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, लाभ का पद धारण करने के कारण राष्ट्रपति द्वारा दिल्ली विधानसभा के 20 विधायकों को अयोग्य घोषित कर दिया गया।

अनुच्छेद 102(1)(a): सदस्यों की निरर्हता

एक व्यक्ति निम्नलिखित परिस्थितियों में संसद का सदस्य होने के लिए अनर्ह होगा-

(a) भारत सरकार अथवा राज्य सरकार के अंतर्गत लाभ का पद धारण करने पर

(b) विकृतचित्त होने पर

(c) अनुन्मोचित दिवालिया होने पर

(d) भारत का नागरिक न रहने पर अथवा किसी अन्य देश की नागरिकता प्राप्त कर लेने पर

अनुच्छेद 191(1)(a)

लाभ का पद धारण करने एवं उपरोक्त वर्णित अन्य निरर्हताओं को धारण करने वाले राज्य विधानसभा के सदस्यों की निरर्हता के संदर्भ में

गवर्नमेंट ऑफ़ नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ़ दिल्ली (GNCTD) एक्ट, 1991 की धारा 15(1)(a)

एक व्यक्ति विधानसभा का सदस्य चुने जाने एवं होने के लिए अनर्ह होगा यदि वह "भारत सरकार, राज्य सरकार अथवा संघ शासित क्षेत्र के अधीन" लाभ का ऐसा कोई पद धारण करता है जिसे विधि द्वारा सुरक्षा प्राप्त नहीं है।

अन्य संबंधित तथ्य

- 2015 में, दिल्ली सरकार ने अपने 21 विधायकों को **संसदीय सचिव** के रूप में नियुक्त किया था।
- इसके पश्चात्, दिल्ली विधानसभा सदस्य (अयोग्यताओं का उन्मूलन) अधिनियम, 1997 में भूतलक्षी प्रभाव से संशोधन किया गया ताकि संसदीय सचिवों को "लाभ के पद" की परिभाषा से बाहर रखा जा सके।
- हालांकि इस संशोधन विधेयक को उप-राज्यपाल की सहमति नहीं मिली थी, जिससे विधायकों के अयोग्य ठहराए जाने का मार्ग खुला रहा।
- भारतीय निर्वाचन आयोग (ECI) ने निम्नलिखित कारणों से राष्ट्रपति को अयोग्यता संबंधी अनुशंसा की:
  - संसदीय सचिवों के रूप में उन विधायकों का पद एक सरकारी पद था।
  - इस पद में लाभ प्रदान करने की संभावनाएं विद्यमान थी और इसके कार्यकारी दायित्व एक मंत्री के समान थे।
- अनुच्छेद 102 व अनुच्छेद 191 से संबंधित मुद्दों पर राष्ट्रपति अथवा राज्यपाल को ECI द्वारा दी गई सलाह के अनुसार कार्य करना अनिवार्य होता है।

संसदीय सचिव

- यह संसद का एक सदस्य होता है जो वरिष्ठ मंत्रियों को उनके दायित्वों के निर्वहन में सहायता करता है।
- इनका **दर्जा सामान्यत: राज्यमंत्री का** होता है और इन्हें मिलने वाली सुविधाएं भी राज्यमंत्री के समान होती हैं। उन्हें एक सरकारी विभाग का दायित्व दिया जाता है।
- मणिपुर, हिमाचल प्रदेश, मिजोरम, असम, राजस्थान, पंजाब, गोवा आदि कुछ अन्य राज्य हैं जहाँ विधायकों को सरकार द्वारा संसदीय सचिवों के रूप में नियुक्त किया गया है।

लाभ का पद क्या है?

- **अनुच्छेद 102(1)(a) एवं 191(1)(a)** में लाभ के पद के आधार पर निरर्हताओं का उल्लेख है, किंतु लाभ के पद को न तो संविधान में परिभाषित किया गया है और न ही जन-प्रतिनिधित्व अधिनियम में।
- ***प्रद्युत बारदोलाई बनाम स्वप्न रॉय वाद* (2001) में उच्चतम न्यायालय ने** लाभ के पद की जांच के लिए निम्नलिखित प्रश्नों को रेखांकित किया:
  - क्या वह नियुक्ति सरकार द्वारा की गई है;
  - क्या पदस्थ व्यक्ति को हटाने अथवा बर्खास्त करने का अधिकार सरकार के पास है;
  - क्या सरकार किसी पारिश्रमिक का भुगतान कर रही है;
  - पदस्थ व्यक्ति के कार्य क्या हैं एवं क्या वह ये कार्य सरकार के लिए कर रहा है; तथा
  - क्या किए जा रहे इन कार्यों के निष्पादन पर सरकार का कोई नियंत्रण है।
- कालांतर में, ***जया बच्चन बनाम भारत संघ वाद*** में उच्चतम न्यायालय ने इसे अग्रलिखित प्रकार से परिभाषित किया- **"ऐसा पद जो कोई लाभ अथवा मौद्रिक अनुलाभ प्रदान करने में सक्षम हो।"** इस प्रकार "लाभ के पद" वाले मामले में लाभ का वास्तव में 'प्राप्त होना' नहीं अपितु लाभ 'प्राप्ति की संभावना' एक निर्णायक कारक है।

लाभ के पदों पर संयुक्त समिति

- इसमें 15 सदस्य होते हैं जो संसद के दोनों सदनों से लिए जाते हैं।
- यह केंद्र एवं राज्य सरकारों द्वारा नियुक्त समितियों की संरचना व प्रकृति की जांच करती है तथा अनुशंसा करती है कि किन-किन पदों पर आसीन व्यक्तियों को संसद के किसी सदन का सदस्य बनने के लिए अर्ह अथवा अनर्ह माना जाए।
- **इसने लाभ के पद को निम्न प्रकार परिभाषित किया है:**
    - यदि पदस्थ व्यक्ति को क्षतिपूर्ति भत्ते के अतिरिक्त कोई पारिश्रमिक जैसे उपस्थिति शुल्क, मानदेय, वेतन आदि प्राप्त होता है।
    - यदि वह निकाय जिसमें व्यक्ति को पद प्राप्त है;
        - कार्यकारी, विधायी अथवा न्यायिक शक्तियों का प्रयोग कर रहा है; अथवा
        - उसे निधियों के वितरण, भूमि के आवंटन, लाइसेंस जारी करने आदि की शक्तियाँ प्राप्त हैं; अथवा
        - वह नियुक्ति, छात्रवृत्ति आदि प्रदान करने की शक्ति रखता है।
    - यदि वह निकाय जिसमें व्यक्ति को पद प्राप्त है, संरक्षण के माध्यम से प्रभाव अथवा शक्तियों का प्रयोग करता है।

निरर्हताओं के पक्ष में तर्क

- **शक्ति-पृथक्करण के विरुद्ध:** लाभ का पद धारण करके कोई विधायक, कार्यपालिका (जिनका वह भाग बन गया है) से स्वतंत्र होकर अपने कार्यों का निर्वहन नहीं कर सकता।
- **संवैधानिक प्रावधानों की अवहेलना:** संसदीय सचिवों के पद अथवा ऐसे ही अन्य पदों का प्रयोग राज्य सरकारों द्वारा संविधान द्वारा निर्धारित मंत्रियों की अधिकतम 15% (दिल्ली के मामले में 10%) की सीमा से बचने के साधन के रूप में किया जाता है।
- **संरक्षण के माध्यम से शक्ति का प्रयोग:** संसदीय सचिव सरकारों की उच्च स्तरीय बैठकों में भागीदारी करते हैं। साथ ही उनकी मंत्रियों व मंत्रालयों की फाइलों तक पहुँच हर समय बनी रहती है तथा यह पहुँच उन्हें संरक्षण के माध्यम(way of patronage) से शक्ति का प्रयोग करने में सक्षम बनाती है।
- राजनीतिक समर्थन जुटाने के लिए तथा गठबंधन की राजनीति के दौर में **मंत्री पदों के विकल्प** के रूप में भी इन पदों का दुरूपयोग किया जाता है।
- **जनहित के लिए खतरा:** मंत्रियों के विपरीत संसदीय सचिवों को गोपनीयता की शपथ {अनुच्छेद 239 AA(4)} नहीं दिलाई जाती। तथापि उन्हें उन सूचनाओं की जानकारी हो सकती है जिनका प्रकटीकरण जनहित के लिए हानिकारक हो, भ्रष्टाचार को बढ़ावा दे सकता हो और यहाँ तक कि राष्ट्रीय सुरक्षा के समक्ष भी खतरा उत्पन्न कर सकता हो।
- लाभ के पद से संबंधित **अन्य मुद्दों** में विधियों में संशोधन के माध्यम से विधायी शक्ति का स्वेच्छाचारी उपयोग, बड़े आकार के मंत्रिमंडल के कारण सार्वजनिक धन का दुरूपयोग तथा संशोधन की शक्ति के स्वेच्छाचारी प्रयोग के माध्यम से राजनीतिक अवसरवादिता सम्मिलित हैं। साथ ही विभिन्न राज्यों में इनकी भिन्न-भिन्न प्रस्थिति भी एक महत्त्वपूर्ण मुद्दा है।

निष्कर्ष

- लाभ का पद **ब्रिटेन से प्रेरित** है किंतु ब्रिटेन में **निरर्हताओं का न तो कोई सामान्य सिद्धांत** है और न ही कानून के अंतर्गत ऐसे पदों की कोई विशेष सूची दी गई है। दूसरी ओर भारत में, संविधान के अंतर्गत **सामान्य निरर्हताओं** का उल्लेख है, जबकि संसद कानून बनाकर कुछ विशेष अपवादों को भी शामिल कर सकती है।
- चूँकि लाभ के पद की न्यायिक व्याख्याएं अलग-अलग रही हैं, अत: यह मामला संसद की संयुक्त समिति को संदर्भित कर दिया जाना चाहिए ताकि वह इस बात का निर्धारण कर सके कि कौन-कौन से पद निरर्हता का आधार होंगे।

1.4. टोटलाइजर मशीनें

(Totalizer Machines)

सुर्ख़ियों में क्यों ?

हाल ही में, केंद्र सरकार द्वारा चुनावों के पश्चात् गणना हेतु मतों की 'टोटलाइजिंग' किए जाने को नामंज़ूर कर दिया गया है। अटॉर्नी जनरल और निर्वाचन आयोग द्वारा सरकार के इस कदम का विरोध किया गया है।

पृष्ठभूमि

- सर्वप्रथम **2008 में भारतीय निर्वाचन आयोग (ECI) द्वारा** टोटलाइजर मशीन का प्रयोग करने के लिए निर्वाचन नियमों में संशोधन करने की अनुशंसा की गयी थी।
- **विधि आयोग ने 2015 में जारी अपनी 255वीं रिपोर्ट** में भी इसकी सिफारिश की थी।

टोटलाइजर मशीन

- यह एक इंटरफ़ेस है, जिसमें इलेक्ट्रोनिक वोटिंग मशीनों के समूह को जोड़ा जा सकता है। इससे किसी उम्मीदवार के मतदान केंद्र आधारित मतों को उजागर किए बिना, EVMs के समूह के समेकित परिणाम प्राप्त किए जा सकते हैं।

VISION IAS

- मतदान केंद्र आधारित मतगणना प्रत्येक मतदान केंद्र के मत रुझानों (वोटिंग ट्रेंड्स) को प्रदर्शित करती है। इससे **मतदान से पूर्व या पश्चात्** मतदाताओं को राजनीतिक दलों की धमकी, उत्पीड़न और अत्याचार के लिए खुला छोड़ दिया जाता है (उदाहरण के लिए, अवसंरचना विकास या अन्य कल्याणकारी गतिविधियों में विलंब)।
- यह मतदान प्रक्रिया में **सुरक्षा के एक अतिरिक्त स्तर** को जोड़ता है। इस प्रकार, यह **गुप्त मतदान के मूलभूत सिद्धांत** को बनाये रखेगा क्योंकि वर्तमान EVMs मतों के मिश्रण की कोई विधि प्रदान नहीं करती हैं। मतों का मिश्रण, मतों के भौतिक मिश्रण के समान है जिन्हें **निर्वाचन नियमावली की नियम संख्या 59A** में अधिदेशित किया गया है। इसके अनुसार, कुछ मामलों में 'पूर्णतः आवश्यक(absolutely necessary)' होने पर मतों का मिश्रण किया जायेगा।
- इसके विरोध में यह तर्क दिया जाता है कि यह उम्मीदवारों के **मतदान केंद्र आधारित प्रदर्शन को गुप्त** रखता है। जबकि मतदान केंद्र आधारित प्रदर्शन दलों द्वारा **"मतदान केंद्र प्रबंधन"** रणनीतियों (मतदाताओं को जुटाने के लिए मतदान केंद्र स्तर पर कार्य करना) के निर्माण हेतु आवश्यक है।

आगे की राह

- इसे **निर्वाचन नियमावली के नियम 66A** (यह ऐसे क्षेत्रों में मतगणना से संबंधित है जहाँ इलेक्ट्रॉनिक मशीन का उपयोग किया जा रहा है) में संशोधन करके शामिल किया जा सकता है। इससे निर्वाचन आयोग यह निर्णय लेने में सक्षम होगा कि चुनाव के संदर्भ और किसी धमकी या अत्याचार के खतरे को ध्यान में रखते हुए, कब और कहाँ टोटलाइजर का प्रयोग किया जाए।
- इसके अतिरिक्त, मतदान केंद्र प्रबंधन रणनीति, जो कि राजनीतिक दलों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, मतदान के परिणाम पर निर्भर होने की बजाए दलों के कार्यकर्ताओं की सहायता से संचालित की जा सकती है।

1.5. आपराधिक न्याय प्रणाली

(Criminal Justice System)

सुर्ख़ियों में क्यों ?

सरकार द्वारा आपराधिक न्याय प्रणाली (CJS) में सुधारों से संबंधित **मलिमथ समिति की रिपोर्ट** पर पुनर्विचार की आवश्यकता पर विचार किया जा रहा है।

इस समिति से संबंधित तथ्य

- वर्ष 2000 में सरकार द्वारा मौजूदा आपराधिक न्याय प्रणाली में सुधार संबंधी सुझाव देने के लिए केरल और कर्नाटक के पूर्व मुख्य न्यायाधीश वी.एस. मलिमथ की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया।
- यह प्रथम अवसर था जब सरकार द्वारा देश में मौजूद समग्र आपराधिक न्याय प्रणाली की संपूर्ण और व्यापक समीक्षा हेतु ऐसी समिति का गठन किया गया।
- समिति ने वर्ष 2003 में अपनी 158 अनुशंसाएं प्रस्तुत कीं।
- हालांकि, इसकी अनुशंसाओं पर कोई कार्यवाही नहीं की गयी।

आपराधिक न्याय प्रणाली (CJS)

- आपराधिक न्याय प्रणाली से आशय सरकार की उन संस्थाओं से है जो कानून का प्रवर्तन करने, आपराधिक मामलों पर निर्णय देने और आपराधिक आचरण में सुधार करने हेतु कार्यरत हैं।
- इसके **तीन घटक** पुलिस, न्यायालय और कारागार हैं। ये एक एकीकृत लक्ष्य की प्राप्ति हेतु परस्पर सम्बद्ध, परस्पर निर्भर और प्रयासरत हैं।
- **भारतीय आपराधिक विधि** के अंतर्गत भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 के कुछ भागों सहित भारतीय दंड संहिता (IPC) 1860 एवं दंड प्रक्रिया संहिता (CrPC) 1973 सम्मिलित है। इसके साथ ही बड़ी संख्या में मौजूद विशेष और स्थानीय कानून, विभिन्न अन्य असामाजिक गतिविधियों को नियंत्रित करते हैं।

CJS की समीक्षा की आवश्यकता

- IPC और CrPC को अपनाये जाने के बाद से **देश में अपराधों की प्रकृति और स्थितियों में अनेक परिवर्तन** हुए हैं।
- देश में होने वाले तथा दर्ज किए गए **अपराधों की संख्या में वृद्धि** हुई है, जिनका भार स्पष्ट रूप से पुलिस पर है।
- राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अनुसार प्रति वर्ष की गयी लगभग 60 प्रतिशत गिरफ्तारियाँ **अनावश्यक और अनुचित** होती हैं, जिसका मुख्य कारण जमानती न्याय एवं कारावास संबंधी न्याय प्रणाली है।
- वर्तमान न्यायिक प्रणाली **आपराधिक मामलों के लंबित होने** एवं दोषसिद्धि की दर अत्यधिक कम होने जैसी समस्याओं का सामना कर रही है। इससे न्यायिक प्रणाली की विश्वसनीयता में कमी आती है।
- आपराधिक न्याय प्रणाली के व्यापक उद्देश्यों को कहीं भी संहिताबद्ध नहीं किया गया है। हालांकि इन्हें संविधान और न्यायिक निर्णयों सहित विभिन्न विधियों के आधार पर निर्धारित किया जा सकता है।

VISION IAS

- इस प्रकार इन सभी तत्वों के कारण न्यायिक प्रणाली की क्षमता में कमी हुई है। यह न केवल **इस प्रणाली के औचित्य के लिए गंभीर चुनौती** है, बल्कि सामाजिक व्यवस्था पर भी प्रतिकूल प्रभाव डालती है।
- **अन्य मुद्दों** में, जांच और अभियोजन के मध्य समन्वय की कमी, गवाह की अपर्याप्त सुरक्षा, पीड़ितों के अधिकारों के प्रति असंवेदनशीलता आदि शामिल हैं।

इन्क्विज़िटोरीअल सिस्टम (Inquisitorial System)

- यह **एक कानूनी प्रणाली** है, जहां न्यायालय या न्यायालय का एक भाग किसी वाद के तथ्यों की जांच में सक्रिय रूप से शामिल होता है।
- यह एडवर्सेरियल सिस्टम (सामान्यतः भारत में लागू) के विपरीत है, जिसमें न्यायालय की भूमिका मुख्य रूप से अभियोजन पक्ष और बचाव पक्ष के मध्य एक निष्पक्ष निर्णयकर्ता की होती है।

रिपोर्ट की कुछ महत्वपूर्ण अनुसंशाएं

- जर्मनी और फ्रांस जैसे देशों से **इन्क्विज़िटोरीअल सिस्टम** को ग्रहण किया जाना चाहिए। इसके अतिरिक्त, यदि आवश्यक हो तो न्यायालयों को किसी भी व्यक्ति को समन करने की शक्ति प्रदान की जानी चाहिए, चाहे वह जाँच हेतु साक्षी के तौर पर सूचीबद्ध हो या न हो।
- **चुप रहने का अधिकार(राइट टू साइलेंस)-** संविधान के अनुच्छेद 20(3) में सुधार किया जा सकता है। अनुच्छेद 20(3), स्वयं के विरुद्ध गवाही देने के लिए विवश करने से अभियुक्त की रक्षा करता है। यदि अभियुक्त बाद में उत्तर देने से मना कर देता है तो इस मामले में न्यायालय को उससे जानकारी प्राप्त करने और उसके विरुद्ध प्रतिकूल निष्कर्ष निकालने के लिए स्वतंत्रता प्रदान की जानी चाहिए।
- **अभियुक्त के अधिकार-** संहिता की एक सूची, सभी क्षेत्रीय भाषाओं में प्रस्तुत की जानी चाहिए ताकि अभियुक्त अपने अधिकारों के साथ-साथ, यह भी जान सकें कि उन्हें कैसे लागू किया जाये और उन अधिकारों के हनन की स्थिति में किससे संपर्क करें।
- **अपराध पीड़ित को न्याय -**
  - गंभीर अपराधों से संबंधित मामलों में, पीड़ित को कार्यवाही में भाग लेने की अनुमति और पर्याप्त क्षतिपूर्ति प्रदान की जानी चाहिए।
  - गंभीर अपराधों के मामलों में, पीड़ित की मृत्यु हो जाने पर **कानूनी प्रतिनिधि** को स्वयं को एक पक्षकार के रूप में प्रस्तुत करने का अधिकार हो।
  - राज्य को, पीड़ित का पक्ष रखने के लिए, **उसकी रूचि के अनुरूप अधिवक्ता** उपलब्ध करवाना चाहिए। साथ ही यदि पीड़ित उसका शुल्क देने में सक्षम नहीं है तो उसे राज्य द्वारा वहन किया जाना चाहिए।
  - सभी गंभीर अपराधों में **पीड़ित की क्षतिपूर्ति,** राज्य का दायित्व है, चाहे अपराधी को गिरफ्तार किया गया हो या नहीं या चाहे आरोपी दोषी हो या निर्दोष।
  - पीड़ित क्षतिपूर्ति कानून के अंतर्गत एक **पीड़ित क्षतिपूर्ति कोष** बनाया जा सकता है और संगठित अपराधों में जब्त संपत्ति को कोष का एक भाग बनाया जा सकता है।
- **पुलिस जांच-** जांच की गुणवत्ता में सुधार करने के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा आयोग और राज्य सुरक्षा आयोग का गठन किया जा सकता है। संगठित अपराधों से निपटने हेतु विशेषीकृत दस्तों का गठन और आपराधिक आंकड़ों का अनुरक्षण करने के लिए प्रत्येक जिले में एक अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को नियुक्त किया जाना चाहिए।
- **न्यायालय और न्यायाधीश-** यह भारतीय न्यायिक प्रणाली में और अधिक न्यायाधीशों की आवश्यकता को विनिर्दिष्ट करता है।
  - इसके अतिरिक्त, उच्चतर न्यायालयों में ऐसे न्यायाधीशों से गठित एक पृथक आपराधिक विभाग होने चाहिए, जो आपराधिक कानूनों के विशेषज्ञ हों।
  - राष्ट्रीय न्यायिक आयोग का गठन किया जाना चाहिए और न्यायाधीशों के महाभियोग की प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए अनुच्छेद 124 में संशोधन किया जाना चाहिए।
- **गवाह की सुरक्षा-** समिति ने एक सुदृढ गवाह सुरक्षा तंत्र के प्रावधान पर बल दिया है। इसने कहा है कि यदि क़ानूनी पूछताछ (cross-examination) के दौरान गवाह को परेशान किया जाता है तो न्यायाधीश द्वारा आवश्यक कदम उठाये जाने चाहिए।
- **महिलाओं के विरुद्ध अपराध-** महिलाओं के विरुद्ध अपराध के संदर्भ में, इसने विभिन्न परिवर्तनों की अनुशंसा की है। उदाहरण के लिए- यह अनुच्छेद 498A (दहेज उत्पीड़न) को जमानती और प्रशमनीय (compoundable) अपराध बनाने का समर्थन करती है।
- **संगठित अपराध और आतंकवाद-** यद्यपि कानून एवं व्यवस्था एक राज्य सूची का विषय है, तथापि संगठित अपराध, संघीय अपराध और आतंकवाद से निपटने हेतु एक केंद्रीय कानून लागू किया जाना चाहिए।
- **आवधिक समीक्षा-** आपराधिक न्याय प्रणाली की कार्यपद्धति की समय-समय पर समीक्षा हेतु प्रेजिडेंशल कमीशन (Presidential Commission) की नियुक्ति की जानी चाहिए।

VISION IAS

1.6. राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर

(National Register of Citizen)

सुर्ख़ियों में क्यों ?

असम राज्य ने अपडेटेड राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर (NRC) का प्रथम प्रारूप प्रकाशित किया।

राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर से संबंधित तथ्य

- NRC में पंजीकृत भारतीय नागरिकों (असम के) के नाम शामिल हैं, जो उन्हें विदेशियों से पृथक करते हैं। इसे समय-समय पर अपडेट किया जाता है।
- हालांकि, असम में विभिन्न राजनीतिक तनावों जैसे 1980 का असम आंदोलन, भाषा आंदोलन और अन्य नृजातीय आंदोलनों के कारण 1951 के बाद से इसे अपडेट नहीं किया जा सका।
- किंतु उच्चतम् न्यायालय के निर्णय (2014) के पश्चात्, NRC को अब समयबद्ध रूप से अपडेट किया जा रहा है। इसका उद्देश्य **बांग्लादेश से अवैध आप्रवास के मुद्दे से निपटने के लिए** 1985 के असम समझौते को निगमित करना है।
- NRC में उस व्यक्ति या वंश का नाम सम्मिलित होगा, जिसका नाम NRC 1951 में या 24 मार्च 1971 की अर्द्धरात्रि तक मतदाता सूची में शामिल था।

असम आंदोलन (1979-1985)

- यह आल असम स्टूडेंट यूनियन (AASU) के नेतृत्व में एक प्रतिक्रियावादी आंदोलन था। ये छात्र विभिन्न सांस्कृतिक, राजनीतिक और आर्थिक खतरों, जैसे आप्रवासियों के कारण क्षेत्र में रोज़गार की कमी होना आदि से उत्तेजित हो गए थे।
- छह वर्ष पश्चात्, केंद्र सरकार और AASU के मध्य 'असम समझौता' नामक एक समझौता ज्ञापन(MoUs) पर हस्ताक्षर किए गए।

अपडेटेड NRC का महत्व

- **पहचान का मुद्दा-** यह कदम बांग्लादेश और नेपाल से आये प्रवासियों की बड़ी संख्या के कारण, असम की स्थानीय जनसंख्या के समक्ष उत्पन्न पहचान के संकट की समस्या का समाधान कर सकता है।
- **संसाधनों पर दबाव कम करना-** इसके द्वारा चिह्नित किये गए अवैध अप्रवासियों को उनके देश वापस भेजा जा सकता है। इससे राज्य के प्राकृतिक और आर्थिक संसाधनों पर दबाव कम हो सकता है।
- **राजनीतिक स्थिरता-** अपडेटेड NRC द्वारा AASU और अन्य समूहों द्वारा उठाए गए मुद्दों का समाधान भी हो सकेगा। इससे राज्य में शांतिपूर्ण राजनीतिक परिस्थितियों का मार्ग प्रशस्त होगा।
- **सुरक्षा मुद्दे-** अवैध प्रवास से सुरक्षा संबंधी समस्याएं भी उत्पन्न होती हैं जो NRC को अपडेट करने की प्रक्रिया पूर्ण होने के पश्चात् हल हो जायेंगी।

NRC को अपडेट करने में चुनौतियां

- **जटिल प्रक्रिया-** जिन लोगों के नाम इसमें शामिल नहीं होते हैं उन्हें राष्ट्रीयता का प्रमाण प्रस्तुत करना पड़ता है। इसके लिए उन्हें विरासत से सम्बंधित जानकारियाँ अथवा सूची B में वर्णित दस्तावेजों के सत्यापन की जटिल प्रक्रिया से होकर गुज़रना पड़ता है।
- **नागरिकता अधिनियम 1955 की धारा 6a** पर असमानता और भेदभाव के आधार पर प्रश्न उठाये गए हैं। उच्चतम न्यायालय में अभी भी यह मुद्दा लंबित है।
- **नागरिकता संशोधन विधेयक** में हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन आदि धर्मों से संबंधित अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश से आए अवैध प्रवासियों को भारतीय नागरिकता के लिए पात्र माना गया है। यह NRC को अपडेट करने के उद्देश्य को पूरा करने में अवरोधक है और असम की स्थानीय जनसंख्या की मांगों के विरुद्ध है।
- **मानवीय संकट-** बांग्लादेश के सहयोग और एक सुपरिभाषित प्रत्यर्पण नीति के अभाव में निर्वासन मानवीय संकट उत्पन्न कर सकता है। इसका कारण यह है कि एक लंबे समय से असम में रहने वाले प्रवासियों ने यहाँ परिवारों को बसाया और उनका विस्तार किया है। इसके साथ ही यह कदम विवाद-ग्रस्त भारत-बांग्लादेश संबंधों को और बिगाड़ सकता है।
- **प्रक्रिया की प्रामाणिकता पर प्रश्न-** अपडेशन प्रक्रिया की प्रमाणिकता पर प्रश्न उठ रहे हैं क्योंकि यह प्रारूप अवैध प्रवासियों की संख्या को प्रदर्शित नहीं करता है। इस प्रक्रिया पर पारदर्शिता और इसमें समाहित संभावित राजनीतिक लाभों के आधार पर भी संदेह किया जा रहा है।

असम समझौते को समायोजित करने के लिए **नागरिकता अधिनियम, 1955 की धारा 6a** को 1985 में संशोधन के माध्यम से अंतःस्थापित किया गया। यह धारा 24 मार्च 1971 की मध्यरात्रि तक बांग्लादेश से असम में आए, सभी प्रवासियों को नागरिकता प्रदान करती है। ध्यातव्य है कि शेष देश के लिए निर्दिष्ट तिथि 19 जुलाई 1948 है।

आगे की राह

- जब तक दोनों देशों द्वारा द्विपक्षीय प्रत्यर्पण नीति को लागू नहीं किया जाता, तब तक अस्थायी विकल्प के रूप में, चिह्नित गैर-नागरिकों को अल्पावधि के लिए वर्क-परमिट प्रदान किया जाना चाहिए।
- जिन लोगों के नाम प्रथम प्रारूप में शामिल नहीं हैं, उनके सरल और कठिनाई रहित दस्तावेज सत्यापन में सहयोग हेतु स्थानीय नेताओं और विभिन्न दलों के कार्यकर्ताओं को शामिल किया जाना चाहिए।
- बांग्लादेश के राजनयिकों को प्रक्रिया की पुष्टि करने और किसी मानवीय संकट एवं द्विपक्षीय संबंधों में तनाव से बचने हेतु आगे की राह पर चर्चा करने के लिए आमंत्रित किया जाना चाहिए।
- सीमावर्ती क्षेत्रों की सुरक्षा बढ़ाने के उपाय के रूप में, सीमा पर बाड़ लगाने की प्रक्रिया को पूरा किया जाना चाहिए। आधुनिक इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के माध्यम से फिजिकल फेंसिंग लगाने के कार्य को आगे बढ़ाया जाना चाहिए।
- व्यापार और व्यक्तिगत संपर्कों के संचालन हेतु सीमा क्षेत्रों के नागरिकों को परमिट और बहुउद्देशीय पहचान प्रदान करने जैसे उपायों को भी शामिल किया जाना चाहिए। भारत और म्यांमार के मध्य ऐसे उपायों को अपनाया गया है।

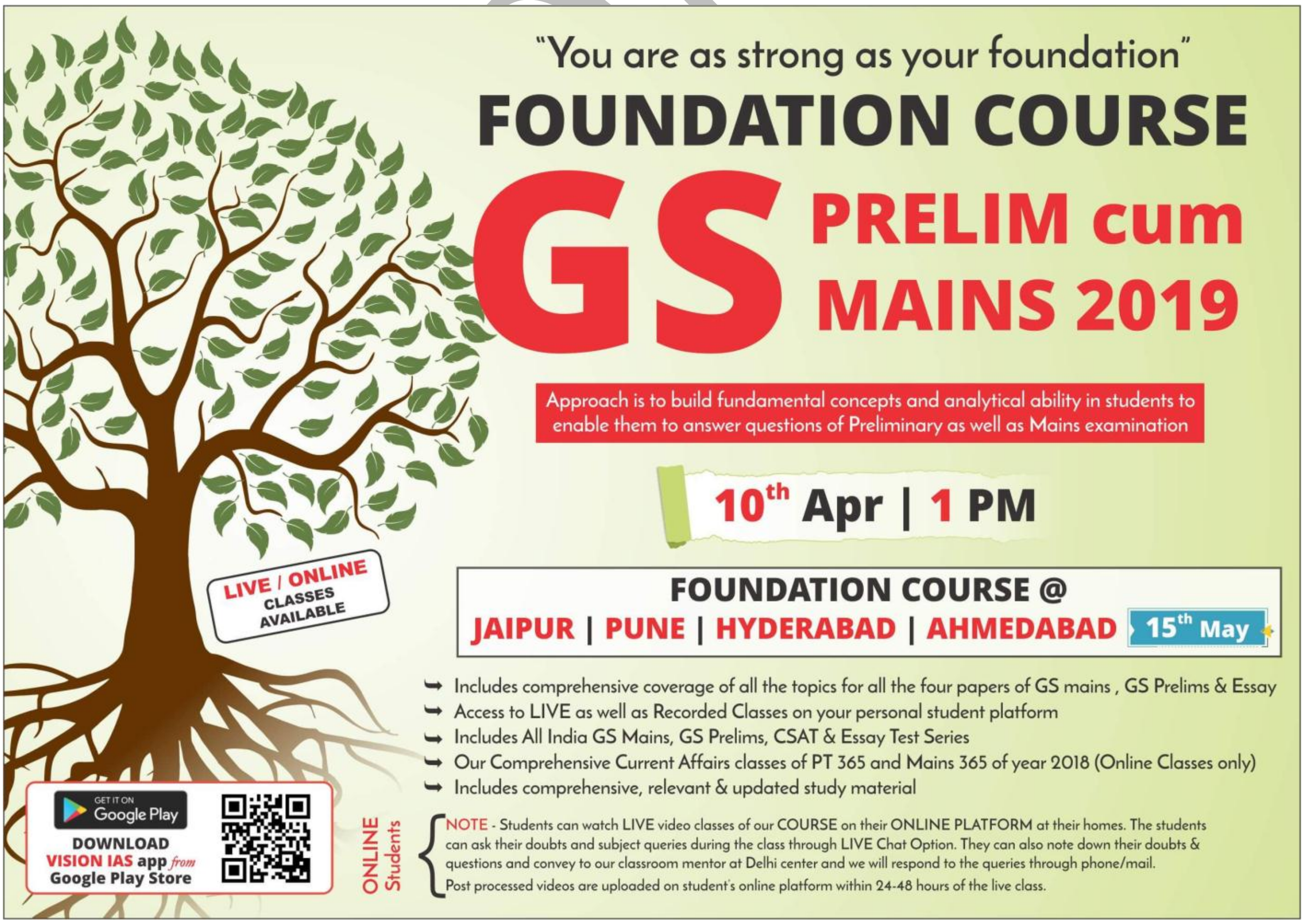

2. अंतर्राष्ट्रीय संबंध

(INTERNATIONAL RELATIONS)

2.1. निर्धनों के लिए विदेशी सहायता

(Foreign Aid to Poor)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, "डज़ फॉरेन एड टारगेट द पुअरेस्ट(Does foreign aid target the poorest)" नामक एक पेपर प्रकाशित किया गया।

ऑफिशियल डेवलपमेंट असिस्टेंस (ODA) से सम्बंधित प्रवृत्तियाँ

- वर्ष 1970 में, संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा इस बात पर सहमति व्यक्त की गयी कि, आर्थिक रूप से सम्पन्न देशों को अपनी सकल राष्ट्रीय आय (GNI) का 0.7% ODA के रूप में प्रदान करना चाहिए।
- इस प्रतिबद्धता को वर्ष 2000 में मिलेनियम डेवलपमेंट गोल तथा वर्ष 2015 में सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल में दोहराया गया (SDG 1- सम्पूर्ण विश्व से निर्धनता के सभी रूपों का उन्मूलन) है।
- 1960 के दशक में वैश्विक स्तर पर ODA लगभग 40 बिलियन अमरीकी डॉलर था जो वर्ष 2012 में बढ़कर 128 बिलियन अमरीकी डॉलर हो गया। ODA का लगभग दो-तिहाई हिस्सा जी-8 के पांच देशों से आता है। मात्रात्मक दृष्टि से भी इनका अंशदान सर्वाधिक है। ये देश हैं: अमेरिका, ब्रिटेन, जर्मनी, फ्रांस और जापान।
- अफ्रीका का उप-सहारा क्षेत्र ODA का सर्वाधिक प्रतिशत भाग (2011 में 35%) प्राप्त करता है जबकि द्वितीय सर्वाधिक भाग दक्षिण एशिया (17%) को प्राप्त होता है।
- यद्यपि, प्रश्न यह भी उठता है कि क्या यह सहायता वास्तव में विश्व के निर्धन व्यक्तियों तक पहुँचती है?

ऑफिशियल डेवलपमेंट असिस्टेंस (ODA) क्या है?

- यह किसी देश द्वारा अन्य देश को उसके सामाजिक एवं आर्थिक विकास या किसी आपदा के प्रबंधन हेतु प्रदान की जाने वाली आर्थिक एवं तकनीकी सहायता है।
- इसमें विभिन्न प्रकार के अनुदान, ऋण, तकनीकी सलाह, प्रशिक्षण, उपकरण एवं वस्तुएँ (जैसे भोजन-सामग्री), स्वास्थ्य, अवसंरचना और परिवहन आदि के लिए सहायता प्रदान करना शामिल हो सकता है।
- सैन्य उद्देश्य हेतु ऋण और साख को इसमें शामिल नहीं किया जाता है।

विदेशी सहायता की आवश्यकता क्यों है?

विकासशील देशों को मुख्यतः निम्नलिखित मदों के वित्तपोषण हेतु विदेशी सहायता की आवयश्कता होती है:

- **अवसंरचना-** सड़क, क्लासरूम, बुनियादी स्वच्छता आदि।
- **मानवता से सम्बंधित मुद्दे और प्राकृतिक आपदाओं से उत्पन्न संकट -** आपातकालीन आश्रयस्थलों का निर्माण, परामर्श सम्बन्धी सेवाएँ प्रदान करना आदि।
- **राष्ट्रीय सुरक्षा-** विदेशी सहायता प्राप्त करने वाले देश प्राप्त धन का प्रयोग आतंकी गतिविधियों पर नियंत्रण स्थापित करने हेतु कर सकते हैं। इसके साथ ही वे इस धन का प्रयोग निर्धनता में कमी, कमज़ोर संस्थाओं के सशक्तिकरण, भ्रष्टाचार के उन्मूलन तथा एक पारदर्शी व्यवस्था एवं सुशासन की स्थापना हेतु भी कर सकते हैं।

विदेशी सहायता तक निर्धनों की पहुँच न होने के कारण

- **विदेशी सहायता, विभिन्न उद्देश्यों को लक्षित करती है।** इसे प्रभावी बनाने के लिए कुछ सहायता अपेक्षाकृत समृद्ध स्थानों को दी जानी चाहिए भले ही वे वैश्विक मानक पर निर्धन न हों। उदाहरणस्वरुप पत्तन सुविधा विकास हेतु प्रदत्त सहायता तटवर्ती नगर को ही दी जाए, भले ही वह नगर आर्थिक रूप से समृद्ध हो।
- **आर्थिक कारण**: सुदूरवर्ती क्षेत्रों में आपूर्ति और उपकरणों को उपलब्ध कराने की लागत अधिक होती है। अतः इस निधि का उपयोग सुदूरवर्ती ग्रामीण क्षेत्रों की अपेक्षा विकसित क्षेत्रों के समीपवर्ती स्थानों पर किया जाता है।
- ऐसे अनेक उदाहरण हैं, जहाँ सहायता का प्रयोग **निरंकुश व्यवस्था** को समर्थन देने के लिए किया गया। उदाहरण के लिए- जायरे, रवांडा, इथियोपिया आदि जहां प्रदाता देश राजनैतिक समर्थन या अपने हितों की पूर्ति हेतु सहायता प्रदान करता है।

VISION IAS

- कई मामलों में स्थानीय लोगों के हितों की पूर्ति के बजाय **सामरिक सहयोग**, वाणिज्यिक हित या राजनीतिक विचारधारा के समर्थन में सहायता प्रदान की जाती है।
- अधिकांश प्राप्तकर्ता देशों के पास अपनी आर्थिक परिस्थितियों में सुधार लाने के लिए प्राप्त सहायता के प्रभावी एवं कुशल उपयोग हेतु उपयुक्त तंत्र का अभाव होता है।
- भ्रष्ट सरकारें अपने बजट राजस्व का एक बड़ा हिस्सा, विदेशी सहायता से प्राप्त करती हैं। किन्तु इस सहायता का उपयोग राष्ट्र के आर्थिक विकास एवं जन कल्याण को बढ़ावा देने हेतु नहीं किया जाता है।

निष्कर्ष

केवल यह सहायता संवृद्धि को प्रोत्साहित करने हेतु पर्याप्त नहीं है। इसे सफलतापूर्वक उपयोग करने हेतु निम्नलिखित विभिन्न उपायों द्वारा समर्थन प्रदान करने की आवश्यकता होती है-

- सहायता प्राप्तकर्ता देशों की सरकारों को सहायता उपयोग हेतु **जवाबदेह** होना आवश्यक है। अपनी संस्थागत संरचनाओं और नीतियों को सुधारने के लिए प्राप्तकर्ता सरकार की राजनीतिक इच्छाशक्ति इस सहायता के प्रभावी होने के लिए एक आवश्यक शर्त है।
- दाता देश **सशर्त सहायता नीति** अपना सकते हैं, जिसके अनुसार **प्राप्तकर्ता देशों को सहमति प्राप्त सहायता अनुबंधों के अनुपालन में असफल होने की स्थिति में दंडित किया जा सकता है**। दंडात्मक उपायों में अनेक नीतियां अपनाई जा सकती है, जैसे कि- समग्र सहायता राशि को कम करना जिससे सरकार पर कार्य करने के लिए दबाव डाला जा सके।
- प्रदाता देश सीधे विकास परियोजनाओं के लिए अनुदान देकर प्राप्तकर्ता देश की **भ्रष्ट सरकारों की भूमिका को सीमित** कर सकते हैं।

2.2. भारत-आसियान

(India-ASEAN)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, ASEAN-भारत संवाद संबंध की 25वीं वर्षगांठ के अवसर पर एक शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस सम्मेलन में दिल्ली घोषणापत्र पर हस्ताक्षर किए गये।

क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक भागीदारी (रीजनल कॉम्प्रीहेन्सिव इकनोमिक पार्टनरशिप: RCEP)

- यह ASEAN के सदस्य देशों और आसियान के साथ मुक्त व्यापार समझौता करने वाले छह देशों (ऑस्ट्रेलिया, चीन, भारत, जापान, कोरिया गणराज्य, और न्यूजीलैंड) के मध्य प्रस्तावित एक मुक्त व्यापार समझौता है।
- इस वार्ता का प्रारंभ नवंबर 2012 में कंबोडिया में आयोजित आसियान शिखर सम्मेलन में हुआ।

मास्टर प्लान ऑन आसियान कनेक्टिविटी 2025

- इसे समेकित एवं व्यापक रूप से कनेक्टेड ASEAN' दृष्टिकोण के साथ वियतनाम घोषणा, 2016 में अपनाया गया। इसके माध्यम से इस क्षेत्र में प्रतिस्पर्धा, समावेशन और सामुदायिक भावना को प्रोत्साहन प्राप्त होगा।
- यह इस दृष्टिकोण की प्राप्ति हेतु पांच सामरिक बिन्दुओं पर केन्द्रित होगा-
  - संधारणीय अवसंरचना (सस्टेनेबल इन्फ्रास्ट्रक्चर)
  - डिजिटल नवोन्मेष (डिजिटल इनोवेशन)
  - समेकित लोजिस्टिक (सीमलेस लोजिस्टिक)
  - विनियामकीय उत्कृष्टता (रेगुलेटरी एक्सीलेंस)
  - नागरिक गतिशीलता (पीपुल मोबिलिटी)

आसियान ICT मास्टर प्लान

- इसे 2015 में प्रारम्भ किया गया था। इसका उद्देश्य ASEAN को एक डिजिटल अर्थव्यवस्था बनाना है, जो सुरक्षित, संधारणीय तथा परिवर्तनशील हो। इसके साथ ही इसका लक्ष्य एक अभिनव, समावेशी और एकीकृत ASEAN समुदाय की स्थापना करना है।

- हाल ही में चौथा अंतर्राष्ट्रीय धर्म-धम्म सम्मेलन बिहार राज्य के नालंदा जिले में संपन्न हुआ। इसे भारत-आसियान वार्ता के 25 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में आयोजित किया गया।
- इस सम्मेलन का मूल विषय था " धर्म-धम्म संस्कृति में राज्य और सामाजिक व्यवस्था"।
- इसका आयोजन नालंदा विश्वविद्यालय द्वारा सेंटर फॉर स्टडी ऑफ रिलिजन एंड सोसाइटी, इंडिया फाउंडेशन, विदेश मंत्रालय और वियतनाम बौद्ध विश्वविद्यालय के सहयोग से किया गया।

VISION IAS

घोषणापत्र की मुख्य विशेषताएं

- **आतंकवाद के संबंध में-** यह प्रथम अवसर था जब दोनों पक्षों ने स्पष्ट रूप से सीमापार आतंकवाद का उल्लेख करते हुए आतंकवाद के वित्तपोषण, मानव-तस्करी, अवैध व्यापार आदि मुद्दों पर परस्पर घनिष्ठ सहयोग के लिए प्रतिबद्धता व्यक्त की।
- **क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक भागीदारी (RCEP) के संबंध में-** दोनों पक्षों द्वारा 2018 में, व्यापक एवं परस्पर लाभप्रद RCEP के तीव्रतम सकारात्मक परिणाम प्राप्त करने के लक्ष्य पर सहमति व्यक्त की गयी ।
- **आर्थिक सहायता-** दोनों पक्ष आसियान-भारत मुक्त व्यापार क्षेत्र के पूर्ण उपयोग और प्रभावी कार्यान्वयन के माध्यम से आसियान-भारत आर्थिक संबंधों को और अधिक सशक्त बनाने के लिए कार्य करेंगे।
    - सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (MSMEs) के स्थिर और संधारणीय विकास के प्रोत्साहन पर भी सहमति व्यक्त की गई।
- **भौतिक और डिजिटल कनेक्टिविटी-** दोनों पक्षों द्वारा मास्टर प्लान ऑन आसियान कनेक्टिविटी 2025 और आसियान ICT मास्टर प्लान (AIMS 2020) के अनुरूप भौतिक और डिजिटल कनेक्टिविटी बढ़ाने की अपनी प्रतिबद्धता की पुनःपुष्टि की गयी।
- **समुद्री परिवहन में सहयोग** तथा बंदरगाहों, मेरीटाइम लॉजिस्टिक्स नेटवर्क और समुद्री सेवाओं के विकास में निजी क्षेत्र की सम्भाव्य भागीदारी को प्रोत्साहित करना।
- **विमानन क्षेत्र में सहयोग-** आसियान-भारत विमानन सहयोग फ्रेमवर्क के अंतर्गत आसियान और भारत के मध्य तकनीकी, आर्थिक और नियामक विषयों पर सहयोग करना।
- हिन्द और प्रशांत महासागरों में संरक्षण और संधारणीय उपयोग के माध्यम से **समुद्री संसाधनों की सुरक्षा** करना तथा इन संसाधनों के समक्ष विद्यमान अवैध, असूचित और अनियंत्रित मत्स्यन, तटीय पारिस्थितिकी तंत्रों के क्षरण इत्यादि चुनौतियों का निवारण करना।
- आसियान-भारत अंतरिक्ष सहयोग कार्यक्रम के माध्यम से बाह्य अंतरिक्ष से सम्बंधित मुद्दों पर सहयोग करने पर सहमति व्यक्त की गई।

भारत और आसियान के मध्य विद्यमान विभिन्न मुद्दे

- **अधिकांश आसियान देशों और भारत के मध्य व्यापार असंतुलन विद्यमान है** क्योंकि उनमें से अधिकांश देश निर्यात उन्मुख विनिर्माण क्षेत्र में औद्योगीकृत हैं, जबकि भारत का निर्यात क्षेत्र कमजोर है। भारत सरकार का फोकस विनिर्माण को घरेलू स्तर पर प्रोत्साहित करने पर स्थानांतरित हो गया है ।
- आसियान के सदस्य देशों द्वारा आपत्ति की गयी है कि भारत ने इस क्षेत्र में सक्रिय भूमिका नहीं निभाई है। यद्यपि क्षेत्रीय पहुंच के लिए अधिक सशक्त सहयोग संबंधी भारत की अपेक्षाएँ भी पूरी नहीं हुयी हैं।
- भारत द्वारा बहुपक्षीय मंच के रूप में आसियान के साथ सहयोग के बजाय **द्विपक्षीय भागीदारी को अधिक वरीयता** दी जाती है।
- विकास सहायता प्रदान करने, बाजार पहुँच सुनिश्चित कराने और सुरक्षात्मक गारंटी प्रदान कराने में **भारत की क्षमता** सीमित है। साथ ही क्षेत्रीय स्थिरता हेतु भारतीय क्षमताओं के उपयोग करने के प्रति आसियान का झुकाव चीन जैसे देशों के प्रति इसकी संवेदनशीलता के कारण सीमित हुआ है।

इस क्षेत्र में बेहतर संबंधों की स्थापना हेतु भारत को कौन से कदम उठाने चाहिए?

- दोनों पक्षों की अन्तर्निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए **सेवा और विनिर्माण क्षेत्रों** के माध्यम से व्यापार और निवेश संबंधों को संतुलित किया जा सकता है।
    - वियतनाम जैसे आसियान देश वैश्विक मूल्य श्रृंखला में अत्यधिक एकीकृत हैं। भारत द्वारा इस स्थिति का उपयोग अपने विनिर्माण क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए किया जा सकता है।
    - भारत का सेवा क्षेत्र अधिक विकसित है, जिससे भारत आसियान देशों को सेवा निर्यात की सुविधा प्रदान कर सकता है और साथ ही लोगों के मुक्त आवागमन का समर्थन प्रदान कर सकता है।
- **डिजिटल प्रौद्योगिकियाँ-** आसियान देशों की चीन की कम्पनियों से सहायता लेने की अनिच्छा (डेटा के स्वामित्व की चीन की क्षमता के बारे में चिंताओं के कारण) का लाभ भारतीय आईटी सेक्टर द्वारा प्राप्त किया जा सकता है।
- **परियोजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन-** भारत को पहले से संचालित परियोजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन पर ध्यान केन्द्रित करने की आवश्यकता है। उदाहरणार्थ, भारत-म्यांमार-थाईलैंड त्रिकोणीय राजमार्ग (इस परियोजना को कंबोडिया, लाओस और वियतनाम तक विस्तारित करने का लक्ष्य भारत की उभरती परिवहन अवसंरचना को प्रदर्शित करता है।)
- **कनेक्टिविटी में सुधार-** दक्षिण पूर्व एशिया के लिए, भारत की तुलना में चीन की व्यापारिक उड़ानों की संख्या तीन गुना अधिक है। अतः भारत और आसियान देशों के मध्य हवाई संपर्क में सुधार करना भारत के लिए मुख्य एजेंडा होना चाहिए। इसके अतिरिक्त, इंडिया-आसियान मेरीटाइम फ्रेमवर्क के विकास हेतु बंगाल की खाड़ी का उपयोग एक अन्वेषी-आधार के रूप में किया जा सकता है।
- **सांस्कृतिक संबंधों को सुदृढ़ करना-** दोनों पक्षों द्वारा कुछ रचनात्मक कार्यक्रमों के माध्यम से भारत और आसियान के मध्य सांस्कृतिक पर्यटन को भी प्रोत्साहित किया जा सकता है।

VISION IAS

2.3. ऑस्ट्रेलिया ग्रुप में भारत का प्रवेश

(India Gets Entry into Australia Group)

सुर्ख़ियों में क्यों ?

भारत को ऑस्ट्रेलिया ग्रुप में **43वें** सदस्य के रूप में शामिल किया गया है।

ऑस्ट्रेलिया ग्रुप (Australia Group) क्या है ?

- इसकी स्थापना 1985 में, ईरान-इराक युद्ध (1980-1988) के दौरान इराक़ द्वारा किये गए रासायनिक हथियारों के प्रयोग के पश्चात की गई।
- यह **बहुपक्षीय निर्यात नियंत्रण व्यवस्था** है। यह 43 देशों (यूरोपीय संघ सहित) का एक अनौपचारिक मंच है। यह निर्यात नियंत्रण में सामंजस्य स्थापित कर यह सुनिश्चित करने का प्रयास करता है कि **रासायनिक या जैविक हथियारों के विकास में निर्यात के माध्यम से योगदान न दिया जाए।**
- यह राष्ट्रीय निर्यात नियंत्रण उपायों में समन्वय स्थापित करता है। साथ ही यह सदस्य देशों द्वारा **केमिकल वीपन कन्वेंशन तथा बायोलॉजिकल एंड टॉक्सिन वीपन कन्वेंशन** में निर्धारित उनके दायित्वों की पूर्ति में सहायता प्रदान करता है।
- यह **ऑस्ट्रेलिया ग्रुप की सामान्य नियंत्रण सूची** जारी करता है। यह सूची रासायनिक हथियारों की पूर्वगामी तकनीकों, रासायनिक और जैविक तकनीकों के दोहरे प्रयोगों, मनुष्यों या जंतुओं के रोगाणु आदि से संबंधित होती है।

केमिकल वीपन कन्वेंशन (Chemical Weapons Convention:CWC)

- यह एक बहुपक्षीय संधि है जो रासायनिक हथियारों के प्रयोग को प्रतिबंधित करती है तथा हथियारों को नष्ट करने के लिए एक नियत समय सीमा निर्धारित करती है।
- इसे 1992 में, **संयुक्त राष्ट्र निरस्त्रीकरण सम्मेलन** में अंगीकृत किया गया तथा यह 1997 से प्रभावी हुआ।
- इसका क्रियान्वयन **आर्गेनाईजेशन फॉर द प्रोहिबिशन ऑफ़ केमिकल वीपन्स (OPCW) द्वारा होता है।** OPCW का मुख्यालय हेग (स्विट्ज़रलैंड) में है।
- **भारत द्वारा CWC पर 1993 में हस्ताक्षर किये गये** तथा यह 2009 तक अपने सभी रासायनिक हथियारों को नष्ट करने वाला विश्व का तीसरा देश (दक्षिण कोरिया और अल्बानिया के बाद) बन गया।
- **मिस्र, उत्तर कोरिया, फिलिस्तीन और सूडान** ही ऐसे देश हैं जिन्होंने इस संधि पर हस्ताक्षर नहीं किया है।
- **CWC निषिद्ध करता है :**
    - रासायनिक हथियारों का विकास, भण्डारण, प्राप्ति, संचयन, एकत्रीकरण इत्यादि।
    - प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से रासायनिक हथियारों का हस्तांतरण।
    - रासायनिक हथियारों का प्रयोग या सैन्य तैयारियों में इसका प्रयोग करना।
    - cwc की प्रतिबंधित गतिविधियों में अन्य देशों को संलग्न करने हेतु प्रेरित करना और सहायता प्रदान करना।
    - दंगा नियंत्रण अभिकारकों (riot control agents) का "युद्ध की पद्धति के तौर पर" प्रयोग करना।

बायोलॉजिकल एंड टॉक्सिन वीपन्स कन्वेंशन [Bilological and Toxin Weapons Convention (BTWC, BWC)]

- **यह कानूनी रूप से बाध्यकारी संधि है** जो जैविक हथियारों को गैर-कानूनी घोषित करती है।
- इसे संयुक्त राष्ट्र द्वारा 1972 में अंगीकृत और 1975 में लागू किया गया।
- **यह प्रतिबंधित करती है:**
    - निम्नलिखित का विकास, एकत्रीकरण, प्राप्ति, संचयन और उत्पादन:
- जैविक अभिकर्ताओं तथा विषाक्त पदार्थों के उतने प्रकार तथा उतनी मात्रा जिन्हें रोग प्रतिरोधकता, संरक्षण अथवा अन्य शांतिपूर्ण कार्यों के लिए न्यायोचित न ठहराया जा सके।
- ऐसे हथियार, उपकरण और वाहक जिनमे जैविक अभिकर्ताओं तथा विषाक्त पदार्थों का प्रयोग किया गया हो तथा जिनका निर्माण सशस्त्र संघर्ष या शत्रुतापूर्ण उद्दश्यों हेतु किया गया हो।
    - उपर्युक्त वर्णित हथियारों, विषैले तत्वों, इसके एजेंट्स, और वाहकों के हस्तांतरण और विकास में सहायता करना।
- भारत द्वारा इस अभिसमय पर 1973 में, हस्ताक्षर किये गये, जिसकी अभिपुष्टि 1974 में हुई।

भारत के लिए निहितार्थ

- **भारत की स्थिति में सुधार- MTCR और वासेनार व्यवस्था** के बाद अब ऑस्ट्रेलिया ग्रुप में सम्मिलित होने से **भारत 4 मल्टीलेटरल एक्सपोर्ट कण्ट्रोल रिजीम्स में से 3 संस्थाओं का सदस्य बन चुका है।** यह चीन {जो केवल परमाणु आपूर्तिकर्ता समूह (NSG) का सदस्य है} की तुलना में भारत को मजबूत स्थिति प्रदान करेगा।

VISION IAS

- **अन्य समूहों की सदस्यता ग्रहण करने को प्रोत्साहन-** भारत के ऑस्ट्रेलिया ग्रुप में शामिल होने से NSG और संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद् में भारत के प्रवेश का मार्ग प्रशस्त होगा।
- **आपूर्ति श्रृंखला सुरक्षा में सुधार-** इससे जैव प्रौद्योगिकी और रसायनों के गतिशील औद्योगिक क्षेत्रों की आपूर्ति श्रृंखला सुरक्षा में सुधार होगा।
- **भारत की विश्वसनीयता में वृद्धि-** यह इस तथ्य को अंतर्राष्ट्रीय मान्यता प्रदान करता है कि जैविक और रासायनिक अभिकारकों, उपकरणों और प्रौद्योगिकियों से संबंधित भारतीय निर्यात नियंत्रण और सुरक्षा प्रणाली अंतर्राष्ट्रीय समूहों के मानकों के अनुरूप है।

2.4. भारत-इजराइल सम्बन्ध

(India Israel)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू द्वारा भारत की यात्रा की गई।

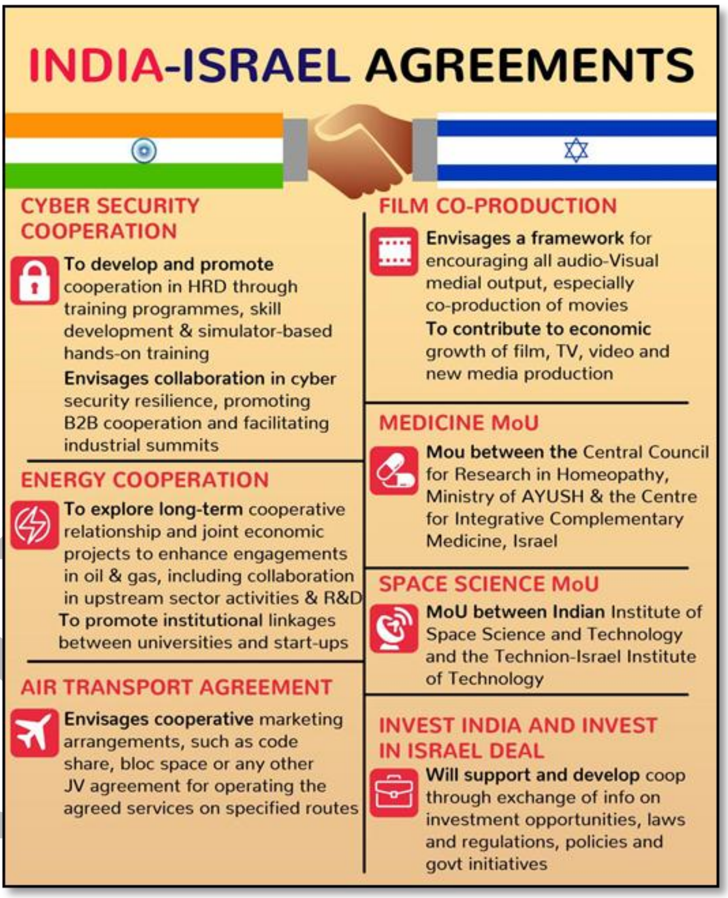

पृष्ठभूमि

- भारत और इजराइल दोनों ही देशों ने **ब्रिटेन से** कुछ महीनों के अन्तराल में ही स्वतंत्रता प्राप्त की थी। परन्तु लगभग चार दशकों तक ये दोनों एक-दूसरे की विपरीत दिशा में आगे बढ़ते रहे। एक ओर भारत ने NAM के एक नेता के रूप में अरब जगत और सोवियत संघ के साथ अच्छे संबंध बनाए,वहीं दूसरी ओर इजराइल ने अमेरिका और पश्चिमी यूरोप के देशों के साथ घनिष्ठ संबंध स्थापित किये।
- यद्यपि भारत ने 1980 के दशक के अंत तक सार्वजनिक रूप से इजराइल से दूरी बनाए रखी, परन्तु विगत वर्षों में दोनों देशों के मध्य व्यापक द्विपक्षीय गतिविधियां संपन्न हुईं।
- 1992 से द्विपक्षीय संबंधों का स्तर लगातार बढ़ा है। रक्षा एवं कृषि क्षेत्र इन द्विपक्षीय संबंधों के प्रमुख स्तम्भ हैं।
- हाल ही में, दोनों देशों के राजनयिक संबंधों की स्थापना को 25 वर्ष पूरे हुए हैं। पिछले 15 वर्षों में एरियल शेरोन (2003 में) के बाद किसी इजरायली प्रधानमंत्री की यह **दूसरी यात्रा** है।

भारत-इजरायल संबंध:

- **आर्थिक और वाणिज्यिक संबंध-** पिछले 25 वर्षों में दोनों देशों के मध्य द्विपक्षीय व्यापार 200 मिलियन डॉलर से बढ़कर 4 बिलियन डॉलर (रक्षा क्षेत्र को छोड़कर) हो गया है। इसके परिणामस्वरूप भारत इजराइल का 10वां सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार बन गया है।
  - **भारत द्वारा इजराइल को** कीमती पत्थरों एवं धातुओं, रासायनिक उत्पादों, टेक्सटाइल एंड टेक्सटाइल आर्टिकल्स, पौधों व वनस्पति उत्पादों तथा खनिज उत्पादों का **निर्यात किया जाता** है।
  - **भारत द्वारा इजराइल से** कीमती पत्थरों एवं धातुओं, रसायन (मुख्यतः पोटाश) और खनिज उत्पादों, बेस मेटल्स एवं मशीनरी तथा परिवहन उपकरणों का **आयात** किया जाता है।
- **कृषि:** दोनों देशों के मध्य कृषि क्षेत्र में सहयोग देने के लिए एक द्विपक्षीय समझौता (**भारत-इजरायल कृषि परियोजना**) हस्ताक्षरित किया गया।
  - **द्विपक्षीय एक्शन प्लान (2015-18)** का उद्देश्य डेयरी और जल जैसे नए क्षेत्रों में सहयोग का विस्तार करना है।
  - भारत को बागवानी के मशीनीकरण, संरक्षित कृषि, बाग और कैनोपी प्रबंधन, नर्सरी प्रबंधन जैसे क्षेत्रों में इजराइली विशेषज्ञता और प्रौद्योगिकियों का लाभ हुआ है। हरियाणा और महाराष्ट्र जैसे राज्यों को सूक्ष्म सिंचाई एवं फसल कटाई के बाद के प्रबंधन में भी लाभ मिला है।
  - भारत में अब **इजराइली ड्रिप-इरीगेशन टेक्नोलॉजी** और उत्पादों को व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है।

- **रक्षा क्षेत्र एवं सुरक्षा:**
  - रूस और अमेरिका के बाद इजराइल भारत को हथियारों की आपूर्ति करने वाला तीसरा सबसे बड़ा देश है।
  - भारत द्वारा इजराइल से महत्वपूर्ण रक्षा प्रौद्योगिकियों का आयात किया जाता है I दोनों देशों के सशस्त्र बलों और रक्षा कर्मियों के मध्य परस्पर नियमित संपर्क बना रहता है।
- **विज्ञान और प्रौद्योगिकी:** दोनों देशों के मध्य **विज्ञान और प्रौद्योगिकी** के विभिन्न क्षेत्रों में कई प्रकार के समझौता ज्ञापनों (MoUs) पर हस्ताक्षर हुए (जैसे- अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी) हैं।
  - जनवरी 2014 में, भारत और इजराइल ने भारत-इजराइल सहयोग निधि (कोऑपरेशन फण्ड) को स्थापित करने के लिए गहन चर्चा की। इसका उद्देश्य संयुक्त वैज्ञानिक और तकनीकी सहयोग के माध्यम से नवाचारों को बढ़ावा देना है।

संबंधों का डी-हायफनेशन

डी-हायफनेशन का अर्थ है दो संस्थाओं को डिलिंक करना और उन्हें एक-दूसरे से स्वतंत्र रूप में देखना।

- अब इजरायल के साथ भारत के संबंध, फिलीस्तीनियों के साथ भारत के संबंधों से स्वतंत्र तथा अपने अलग-अलग आधारों पर विकसित होंगे।
- इससे **भारत के राष्ट्रीय हितों** को प्रभावी ढंग से संबोधित करने और **नए बाजारों** तथा प्रौद्योगिकियों तक विविधतापूर्ण पहुंच के अवसरों को बल मिलेगा।
- शीत-युद्ध के दौरान हायफनेशन एक अनिवार्यता थी, लेकिन बाद के दिनों में अरब जगत के रुष्ट होने के डर से भारत द्वारा इस दृष्टिकोण को आगे बढ़ाया जाता रहा।
- हालांकि, अरब जगत में अशांति के कारण वे एक मजबूत विदेश नीति को आधार प्रदान करने में असमर्थ रहे, जिससे भारत को इजराइल के साथ अपने संबंधों को आगे बढ़ाने में आसानी हुई।

सहयोग के क्षेत्र:

- **इजराइल की लचीली निर्यात नीति** तकनीकी हस्तांतरण की भारतीय मांगों को पूरा करती है, जो सरकारों के समग्र विकास एजेंडे का एक महत्वपूर्ण भाग है।
- **इजराइल की तकनीकी क्षमता** अपशिष्ट प्रबंधन और पुनर्संसाधन (रीप्रॉसेसिंग), अलवणीकरण, कृषि, अपशिष्ट जल पुनर्चक्रण (रीसाइक्लिंग), स्वास्थ्य, जैव प्रौद्योगिकी और नैनोटेक्नोलॉजी जैसे क्षेत्रों में काफी बेहतर है।
- रूसी अर्थव्यवस्था एवं उसके रक्षा उद्योग में अनेक कमियाँ विद्यमान हैं तथा अमेरिका और यूरोप द्वारा **भारत को रक्षा हथियारों की आपूर्ति** (NPT पर भारत के हस्ताक्षर करने से इंकार करने को देखते हुए) पर संदेह बना हुआ है। इस कारण इजराइल के महत्त्व में वृद्धि हुई है, क्योंकि भारत और इजराइल दोनों ही परमाणु शक्ति संपन्न देशों ने NPT पर हस्ताक्षर नहीं किए हैं।
- **भारत-इजरायल के मध्य आतंकवादरोधी सहयोग** काफी मजबूत है और आतंकवाद पर एक संयुक्त कार्य समूह के माध्यम से पिछले कुछ वर्षों में यह निरंतर बढ़ा है। इस क्षेत्र में खुफिया जानकारी पर सहयोग इस साझेदारी का सबसे महत्वपूर्ण तत्व रहा है।
- **अमेरिका और इजरायल के मध्य घनिष्ठ संबंधों** से भारत को लाभ मिल सकता है।
- पर्यटन भी द्विपक्षीय संबंधों का एक महत्वपूर्ण पक्ष है। प्रत्येक वर्ष 30-35 हजार इजराइली व्यापारिक पर्यटन और अन्य उद्देश्यों के लिए भारत की यात्रा पर आते हैं और लगभग 40,000 भारतीय तीर्थ यात्रा के लिए प्रत्येक वर्ष इजराइल की यात्रा पर जाते हैं।

मतभेद

- **ईरान के संदर्भ में मतभेद -** जहां एक ओर इजराइल, ईरान को अपने अस्तित्व पर एक खतरा मानता है, वहीं दूसरी तरफ भारत के साथ ईरान के ऐतिहासिक संबंध हैं। भारत, ईरान को अफगानिस्तान और मध्य एशिया में प्रवेश के लिए चाबहार बंदरगाह के माध्यम से एक वैकल्पिक मार्ग की प्राप्ति और ऊर्जा की आपूर्ति पर सहयोग प्राप्त करने के लिए महत्वपूर्ण मानता है।
- **अरब जगत के संदर्भ में भिन्न दृष्टिकोण -** इजराइल के अरब जगत के साथ अंतर्निहित मतभेद हैं जबकि भारत के वहाँ महत्वपूर्ण हित विद्यमान हैं। संयुक्त राष्ट्र में भारत द्वारा किया गया मतदान येरुशलम पर अमेरिका के कदम के विरुद्ध है, जो अन्तर्निहित वास्तविकताओं की एक झलक है।
- **चीन पर पक्ष -** एशिया में चीन, इजराइल का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार है तथा चीन के इजराइल के साथ मजबूत प्रौद्योगिकी और निवेश संबंध विद्यमान हैं।
- **पाकिस्तान के संदर्भ में,** इजराइल के हित इसी में निहित हैं कि वह संबंधों की संभावना में लचीलापन रखे, जबकि भारत और पाकिस्तान के बीच गंभीर तनाव विद्यमान हैं।
- **प्रौद्योगिकी हस्तांतरण के संदर्भ में मतभेद-** भारत और इजराइल के मध्य प्रौद्योगिकी हस्तांतरण, एंड-यूजर एग्रीमेंट और प्रस्तावित मुक्त व्यापार समझौते से सम्बंधित मुद्दों पर मतभेद विद्यमान हैं। इसका कारण भारत द्वारा 'मेक इन इंडिया' की नीति पर अधिक ध्यान दिया जाना है।
- भारतीय घरेलू उद्योग की चिंताओं के कारण मुक्त व्यापार समझौते (FTA) लंबित हैं।

VISION IAS

निष्कर्ष

- भारत और इजराइल के मध्य द्विपक्षीय संबंध एशिया और मध्य-पूर्व में तेजी से विकसित हो रही भू-राजनीतिक वास्तविकताओं के आधार पर संचालित होंगे। ऐसे में इजराइल को एशियाई फलक पर अपनी प्रतिक्रिया पर विचार करना होगा।
- इसके बावजूद भारत-इजराइल के मध्य संबंधों की व्यापकता और गहनता चीन-इजरायल संबंधों जैसी नहीं है, जो मुख्य रूप से व्यापार और वाणिज्य से संचालित हैं। भारत को इस तथ्य को ध्यान में रखना चाहिए कि आने वाले वर्षों में चीन का ही प्रभाव बढ़ेगा। अतः भारत-इजराइल संबंधों में आर्थिक और व्यापारिक संबंधों को प्राथमिकता दी जानी चाहिए।

2.5. भारत-म्यांमार

(India-Myanmar)

सुर्ख़ियों में क्यों?

सरकार ने भारत और म्यांमार के मध्य स्थलीय मार्ग से सीमा पार करने (Land Border Crossing) संबंधी समझौते को स्वीकृति प्रदान की है।

भारत-म्यांमार संबंध

- **क्षेत्रीय/उप-क्षेत्रीय संदर्भ में द्विपक्षीय सहयोग:** ASEAN, BIMSTEC और मेकांग-गंगा सहयोग आदि संगठनों में म्यांमार की सदस्यता ने द्विपक्षीय संबंधों को एक क्षेत्रीय/उप-क्षेत्रीय आयाम प्रदान किया है। यह भारत की ***'एक्ट ईस्ट'*** नीति को भी अतिरिक्त महत्व प्रदान करता है।
    - म्यांमार ने कई अंतर्राष्ट्रीय संगठनों में भारत के पक्ष का समर्थन किया है तथा भारत ने भी म्यांमार के एक पर्यवेक्षक देश के रूप में *सार्क (SAARC)* से जुड़ने का समर्थन किया है।
- **वाणिज्यिक सहयोग -** भारत, म्यांमार का **पांचवां सबसे बड़ा व्यापारिक** भागीदार देश है।
    - वर्तमान में भारत, म्यांमार में तेल और गैस क्षेत्र में वृहद रूप में निवेश करने के साथ **दसवां** सबसे बड़ा निवेशक है।
- **विकासात्मक सहयोग:** भारत ने कालादान मल्टीमॉडल ट्रांजिट ट्रांसपोर्ट परियोजना, त्रिपक्षीय राजमार्ग परियोजना, री-टि दिम रोड (Rhi-Tiddim road), बैली पुलों (Bailey Bridges) की आपूर्ति आदि परियोजनाओं हेतु अनुदान के रूप में सहायता प्रदान की है।
- **रक्षा एवं सुरक्षा सहयोग -** दोनों देशों के मध्य सीमा सहयोग, प्रशिक्षण, थल सेना, वायु सेना और नौ सेना स्टाफ वार्ता से संबंधित विभिन्न समझौता ज्ञापनों (MoUs) पर हस्ताक्षर किए गए हैं।
- **आपदा-राहत सहायता :** प्राकृतिक आपदाओं के बाद मानवीय राहत कार्यों में म्यांमार की सहायता हेतु भारत ने प्रभावी ढंग से त्वरित प्रतिक्रिया दी है। साथ ही भारत ने राहत और पुनर्निर्माण कार्य के लिए भी वित्तीय सहायता प्रदान की है।

समझौते का महत्व

भौगोलिक दृष्टि से भारत के चार राज्य (अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम) म्यांमार के साथ सीमा साझा करते हैं, जो दोनों राष्ट्रों के लिए समझौते को निम्नलिखित सन्दर्भ में महत्वपूर्ण बनाते हैं-

- यह दोनों देशों के सीमावर्ती क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के मौजूदा मुक्त आवागमन के अधिकारों को और अधिक सुगम बनाएगा। साथ ही यह **विनियमन और सामंजस्य** की सुविधा प्रदान कर लोगों के मध्य अंतःक्रिया एवं संपर्क को में वृद्धि करेगा।
- यह **वैध पासपोर्ट और वीजा के आधार** पर लोगों के आवागमन को सुविधाजनक बनाने में भी सहायक होगा। इससे दोनों देशों के मध्य आर्थिक और सामाजिक अंतःक्रिया में वृद्धि होगी।
- यह पूर्वोत्तर क्षेत्रों में व्यापार एवं अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए भारत को म्यांमार के साथ अपने भौगोलिक संबंधों का लाभ उठाने में सक्षम बनाएगा।
- उपरोक्त समझौता, सीमा पर रहने वाले वृहद **आदिवासी समुदायों के पारंपरिक अधिकारों** की सुरक्षा करेगा, जो स्थलीय सीमा पर मुक्त आवागमन करते हैं।

भारत के लिए म्यांमार का महत्व

- म्यांमार द्वारा भारत और आसियान के मध्य एक सेतु के रूप में कार्य करने की संभावना है। यह भारत की ***'एक्ट ईस्ट पॉलिसी'*** और ***'गुड नेबरहुड पालिसी'*** के सन्दर्भ में महत्वपूर्ण भूमिका निभायेगा।
- म्यांमार के साथ बेहतर संबंध भारत के लिए अति महत्वपूर्ण बन गए हैं क्योंकि इस क्षेत्र में चीन के अधिकार-क्षेत्र में धीरे-धीरे वृद्धि हो रही है।
- म्यांमार के साथ भारत की परियोजनाओं (जैसा कि ऊपर उल्लेखित है) को पूरा करना भी भारत को एक उत्तरदायी क्षेत्रीय शक्ति के रूप में स्थापित करेगा, जिससे इसकी विश्वसनीयता में सुधार होगा।
- सुरक्षा एवं रणनीतिक साझेदारी के संदर्भ में, म्यांमार के यांगून और दवेई सहित कई गहरे समुद्री बंदरगाह, पश्चिम में चाबहार बंदरगाह के समान ही भारत के लिए महत्वपूर्ण हो सकते हैं।

VISION IAS

2.6. पोलर सिल्क रोड

(Polar Silk Road)

सुर्ख़ियों में क्यों?

- हाल ही में, चीन ने अपने पहले आधिकारिक **'आर्कटिक पॉलिसी व्हाइट पेपर'** को जारी किया, जिसमें पोलर सिल्क रोड के लिए इसकी महत्वाकांक्षा को रेखांकित किया गया है।

नीति के महत्वपूर्ण पहलू

- आर्कटिक जलमार्गों का विकास, जिनके अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए महत्वपूर्ण परिवहन मार्ग बनने की संभावना है। इसे **"पोलर सिल्क रोड"** के रूप में जाना जाता है।
    - इसे **"बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव"** (एशिया, अफ्रीका, यूरोप और अब लैटिन अमेरिका जैसे देशों में विस्तृत व्यापार और बुनियादी ढांचा रणनीति) के विस्तार के रूप में देखा जा रहा है।
- चीन का उद्देश्य आर्कटिक क्षेत्र में तेल, गैस, खनिज और अन्य अजैविक संसाधनों का अन्वेषण एवं दोहन करना है क्योंकि इस क्षेत्र में भूतापीय, पवन एवं अन्य स्वच्छ ऊर्जा संसाधनों की प्रचुरता है।
- चीन इस क्षेत्र में मत्स्य पालन और अन्य जैविक संसाधनों के उपयोग और इसके संरक्षण में भाग लेगा, क्योंकि भविष्य में आर्कटिक क्षेत्र में मत्स्य पालन के नए क्षेत्र मिलने की सम्भावना है।
- चीन इस क्षेत्र में पर्यटन (उभरते हुए उद्योग) को विकसित करने हेतु आर्कटिक देशों के साथ अपने उद्यमों को समर्थन एवं प्रोत्साहन प्रदान करेगा।

चिंताएं

चीन, **आर्कटिक काउंसिल** का सदस्य नहीं है, जो इस क्षेत्र के मामलों को नियंत्रित करती है। परन्तु फिर भी इस क्षेत्र में चीन के बढ़ते प्रभाव के कारण आर्कटिक राज्यों के दीर्घकालिक सामरिक उद्देश्यों पर चिंताएं उत्पन्न हुई हैं, जिसमें सैन्य तैनाती की सम्भावनायें भी शामिल हैं।

आर्कटिक काउंसिल

- इसे 1966 में,आर्कटिक राज्यों के बीच सहयोग, समन्वय और संपर्क को बढ़ावा देने वाले एक अंतरसरकारी मंच के रूप में स्थापित किया गया था।
- आर्कटिक काउंसिल एक उच्च स्तरीय अंतरसरकारी मंच है, जो आर्कटिक क्षेत्र में रहने वाले लोगों और आर्कटिक सरकारों के मुद्दों का समाधान करता है।
- **सदस्य:** कनाडा, किंगडम ऑफ़ डेनमार्क, फिनलैंड, आइसलैंड, नॉर्वे, रूस, स्वीडन और संयुक्त राज्य अमेरिका इसके सदस्य हैं।
- कुछ अन्य देशों साथ **भारत और चीन** को इसमें पर्यवेक्षक का दर्जा प्राप्त है।

2.7. ईरानी नागरिकों द्वारा विरोध प्रदर्शन

(Iranian Protests)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, ईरान के कई शहरों में ईरानी नागरिकों द्वारा बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन किया गया।

विरोध प्रदर्शन के कारण

आर्थिक

- ईरान की अर्थव्यवस्था मुख्यतः तेल निर्यात पर निर्भर है। यह अपनी अर्थव्यवस्था में विविधता लाने में और उद्यमशीलता को बढ़ावा देने में सक्षम नहीं है। इस कारण बेरोजगारी तथा मुद्रास्फीति में वृद्धि और प्रति व्यक्ति आय में गिरावट निरंतर जारी है।

राजनीतिक

- ईरान में एक जटिल शासन तंत्र है और इसके शासन तंत्र के कुछ ही भागों में निर्वाचन (जिनमें विधायिका और राष्ट्रपति का पद सम्मिलित है) होता है। यहाँ मूलभूत प्रधिकारिता सर्वोच्च नेता खामेनेई के पास है, जो एक अनिर्वाचित धार्मिक गुरु हैं।
- **अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता तथा विरोध प्रदर्शन से सम्बंधित मूल अधिकारों** को और अधिक नियंत्रित किया जा रहा है तथा उन उम्मीदवारों को, जो विरोध प्रदर्शन में संलग्न रहे हैं, सार्वजानिक पद को धारण करने से वंचित किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त राजनीतिक अपारदर्शिता और भ्रष्टाचार के कई मामले सामने आए हैं।
- रूढ़िवादी इस्लामी शासन के स्थान पर लोग (विशेष रूप से युवा वर्ग) आधुनिक जीवन शैली, अधिक स्वतंत्रता और अवसरों की ओर देख रहे हैं।
- सीरिया और यमन में ईरान द्वारा अत्यधिक सैन्य खर्च करने के कारण स्पष्ट रूप से एक असंतोष दिखाई देता है, क्योंकि ईरान स्वंय घरेलू आर्थिक संकट का सामना कर रहा है।

VISION IAS

भारत और ईरान

विभिन्न कारणों से ईरान को भारत की विदेश नीति में एक महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है:

- **भू-राजनीतिक कारण:** अफगानिस्तान तथा अन्य मध्य एशियाई देशों तक पहुंच, समुद्री मार्ग से होने वाले संचार को सुरक्षित करना, आतंकवाद का सामना करना तथा शिया-सुन्नी और अरब-इजरायल संघर्षों के बीच मध्य पूर्व में संतुलन बनाए रखना।
- **आर्थिक:** ईरान, भारत को ऊर्जा का निर्यात करने वाला तीसरा सबसे बड़ा देश है। भारत अपनी महत्त्वाकांक्षी ईरान-पाकिस्तान-इंडिया गैस पाइपलाइन के निर्माण हेतु प्रयासरत है तथा यह फर्ज़ाद-बी गैस फील्ड में निवेश भी कर रहा है. इसके साथ ही भारत ईरान के चाबहार बंदरगाह का विकास भी कर रहा है जो आर्थिक और भू-राजनैतिक दृष्टिकोण से अत्यधिक महत्त्वपूर्ण है
- **सांस्कृतिक:** भारत और ईरान के मध्य ऐतिहासिक सांस्कृतिक संबंध है। भारत में दूसरी सबसे बड़ी शिया जनसंख्या निवास करती है, जिसका उपयोग लोगों के बीच बेहतर संपर्क (people to people contacts) के लिए किया जा सकता है।

2.8. अमेरिका की विशेष निगरानी सूची

(US Special Watch List)

सुर्ख़ियों में क्यों?

- हाल ही में अमेरिका द्वारा पाकिस्तान को **'विशेष निगरानी सूची (स्पेशल वाच लिस्ट)'** में शामिल किया गया तथा इसे प्राप्त होने वाली 1.15 अरब डॉलर की सैन्य सहायता रोक दी गयी।
- अमेरिका ने 10 देशों को 'कन्ट्रीज ऑफ पर्टिकुलर कंसर्न' (CPC) के रूप में पुनर्नामित करने की भी घोषणा की है।

भारत के लिए निहितार्थ

- इससे भारत के पक्ष की पुष्टि हुई है कि पाकिस्तान अपनी भूमि पर आतंकवाद को आश्रय देता है। यह भारत को यह की सुविधा प्रदान करेगा कि वह पाकिस्तान द्वारा आतंकवाद को गैरपरम्परागत युद्ध के एक उपकरण के रूप में प्रयोग करने के लिए उसे अंतर्राष्ट्रीय मंचो पर अलग-थलग कर सके।
- अमेरिका द्वारा उत्पन्न शून्यता को चीन द्वारा भरा जा सकता है। यह चिंता का विषय है क्योंकि चीन ने पहले से ही **ग्वादर पोर्ट** और POK क्षेत्र से होकर गुजरने वाले **चीन-पाकिस्तान आर्थिक गलियारा** (CPEC) जैसी परियोजनाओं के विकास में अधिक निवेश करना प्रारंभ कर दिया है।
- हालांकि अमेरिका द्वारा पाकिस्तान को दी जाने वाली सैन्य सहायता पर लगायी जाने वाली रोक का भारत द्वारा अधिक सकारात्मक निहितार्थ के रूप आकलन नही किया जाना चाहिए। इस पर पूर्णतया रोक लगाने के बजाय इसे कुछ समय के लिए रोका गया है ताकि पाकिस्तान को आतंकवाद के विरुद्ध कार्रवाई करने के लिए प्रेरित किया जा सके। इसके साथ ही यह सिर्फ पाकिस्तान की पश्चिमी सीमा पर बढ़ते आतंकवाद को संबोधित कर रहा है। पाकिस्तान की पूर्वी सीमा पर कार्यरत लश्कर-ए-तय्यबा तथा जैश-ए-मोहम्मद जैसे भारत विरोधी आतंकी समूहों को लेकर इसका दृष्टिकोण अब तक स्पष्ट नहीं है।

विशेष निगरानी सूची (special watch list) के विषय में :

- यह उन देशों के लिए है, जो धार्मिक स्वतंत्रता के गंभीर उल्लंघनों में शामिल हों या उसे नजरअंदाज करते हों, परन्तु कन्ट्रीज ऑफ पर्टिकुलर कंसर्न(countries of particular concern: CPC) के स्तर पर न हों।

CPC के विषय में

- **अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम, 1998** के प्रावधानों के अनुसार किसी देश को CPC की सूची में तब रखा जाता है, जब वे धार्मिक स्वतंत्रता के व्यवस्थित, निरंतर और गंभीर उल्लंघनों में या तो शामिल होते हैं या इन्हें सहन करते हैं।
- इस सूची में म्यांमार ,चीन, इरीट्रिया, उत्तर कोरिया, सऊदी अरब, ईरान, सूडान, ताज़िकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और उज्बेकिस्तान शामिल हैं।

2.9. नेशनल नॉलेज नेटवर्क

(National Knowledge Network)

सुर्ख़ियों में क्यों ?

भारत ने पाकिस्तान को सार्क सदस्य देशों की उस सूची से बाहर कर दिया है जिनको यह अपने नेशनल नॉलेज नेटवर्क (National Knowledge Network: NKN) से जोड़ना चाहता है।

NKN के विषय में

- इसे 2010 में प्रारंभ किया गया। राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र (NATIONAL INFORMATICS CENTER: NIC) इसकी कार्यान्वयन एजेंसी है।
- इसका उद्देश्य ज्ञान को साझा करने और सहयोगात्मक अनुसंधान की सुविधा के लिए एक उच्च गति डेटा संचार नेटवर्क के साथ उच्चतर शिक्षा और शोध के सभी संस्थानों को आपस में जोड़ना है।

- NKN अभियांत्रिकी, विज्ञान, चिकित्सा आदि जैसे विशिष्ट क्षेत्रों में उच्च दूरस्थ शिक्षा को सुगम बनाएगा। साथ ही यह ई-गवर्नेंस के लिए अल्ट्रा हाई स्पीड बैकबोन को भी सुगम बनाएगा।
- यह देश में वर्तमान ज्ञान अंतराल (knowledge gap) को कम करेगा तथा ज्ञान आधारित समाज के निर्माण और आर्थिक गतिविधियों में सक्षम बनाएगा।
- यह विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय शैक्षणिक नेटवर्कों जैसे TIEN4 (Trans information European Network) और CERN (European Organization for Nuclear Research) जैसे संगठनों के शोधकर्ताओं के बीच सहयोग को सुगम बनाता है।

2.10. रायसीना डायलॉग

(Raisina Dialogue)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू द्वारा **नई दिल्ली में रायसीना डायलॉग के तीसरे संस्करण** का उद्घाटन किया गया।

रायसीना डायलॉग के विषय में

- यह वैश्विक समुदाय के समक्ष सर्वाधिक चुनौतीपूर्ण मुद्दों को संबोधित करने हेतु एक बहुपक्षीय सम्मेलन है जिसका आयोजन वार्षिक रूप से 2016 से नई दिल्ली में किया जा रहा है। यह **भू-राजनीति एवं भू-आर्थिक** विषयों पर भारत के एक प्रमुख सम्मेलन के रूप में उभरा है।
- बहुपक्षीय सम्मेलन होने के नाते यह नीति, व्यापार, मीडिया, सिविल सोसाइटी, रक्षा तथा विदेश नीति इत्यादि मामलों में वैश्विक नेताओं को एक साथ लाता है।
- इस सम्मेलन की मेजबानी एक स्वतंत्र थिंक-टैंक **आब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन** द्वारा **विदेश मंत्रालय** के साथ मिलकर की गई।
- इस वर्ष का विषय **'मैनेजिंग डिस्रप्टिव ट्रांजीशन: आइडिया, इन्स्टिट्यूशन एंड इडियम्स'** (Managing Disruptive Transitions: Ideas, Institutions and Idioms) है।

3. अर्थव्यवस्था

(ECONOMY)

3.1. बैंकिंग क्षेत्रक सुधार हेतु रोडमैप

(Banking Reforms Roadmap)

सुर्खियों में क्यों?

- हाल ही में भारत सरकार द्वारा अक्टूबर, 2017 में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों (PSBs) हेतु घोषित की गई बैंक पुनर्पूंजीकरण योजना के विवरण को सार्वजनिक किया गया।
- इसके साथ ही सुधार एजेंडे की एक व्यापक संरचना **"उत्तरदायी तथा अनुक्रियाशील PSBs(Responsive and Responsible PSBs)"** निर्मित की गयी है। इससे इस पूँजी का प्रभावी उपयोग सुनिश्चित किया जा सकेगा ताकि तीव्र आर्थिक संवृद्धि प्राप्त की जा सके।

सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों का पुनर्पूंजीकरण

अक्टूबर 2017 में, सरकार ने PSBs में 2 लाख 11 हजार करोड़ रुपये की पूंजी के निवेश की प्रतिबद्धता व्यक्त की। इस प्रतिबद्धता को पूरा करने हेतु, सरकार ने तीन पद्धतियों के माध्यम से लगभग 1 लाख करोड़ रुपये की पूंजी के निवेश का निर्णय लिया:

- **सकल बजटीय सहायता (GBS): 8,139 करोड़ रुपये**
- **पुनर्पूंजीकरण बांड: 80,000 करोड़ रुपये**
- **बाजार से लिए जाने वाले उधार: 10,312 करोड़ रुपये**

सरकार ने पूंजी निवेश हेतु बैंको को दो श्रेणियों नॉन-PCA बैंकों और PCA बैंकों में विभाजित किया है।

'त्वरित सुधारात्मक कार्रवाई' (Prompt Corrective Action: PCA) फ्रेमवर्क:

- PCA फ्रेमवर्क एक पर्यवेक्षी उपकरण है, जिसमें पूर्व चेतावनी अभ्यास के रूप में बैंकों के कुछ निष्पादन संकेतकों की निगरानी करना सम्मिलित है।
- इसका उद्देश्य बैंकों को अपनी वित्तीय स्थिति को पुनर्स्थापित करने के लिए समयबद्ध ढंग से, सुधारात्मक उपाय अपनाने की सुविधा प्रदान करना है। ध्यातव्य है कि इन सुधारात्मक उपायों में भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा निर्धारित उपाय भी सम्मिलित हैं।
- यह फ्रेमवर्क रिज़र्व बैंक को ऐसे बैंकों पर ध्यान केंद्रित करने का अवसर भी प्रदान करता है। इस हेतु RBI इन क्षेत्रों में प्रबंधन के साथ घनिष्ठता से संलग्न होकर कार्य करेगा।

बैंकिंग क्षेत्रक सुधार हेतु रोडमैप

इस सुधार एजेंडे का लक्ष्य EASE (Enhanced Access and Service Excellence) (अर्थात् संवर्धित पहुंच एवं सेवा उत्कृष्टता) प्राप्ति का है। EASE छः अलग-अलग थीमों पर आधारित है। इन थीम्स पर PSBs के प्रदर्शन के आधार पर हीं इनका पूंजीकरण किया जाएगा।

थीम 1: ग्राहक के प्रति अनुक्रियाशीलता (Customer Responsiveness)

- निम्नलिखित उपायों के द्वारा ग्राहकों को संवर्धित पहुंच एवं सेवा उत्कृष्टता (EASE) प्रदान करना:
  - डिजिटल बैंकिंग को बढ़ावा देना,
  - धीरे-धीरे भौतिक शाखाओं तक जाने की आवश्यकताएँ समाप्त करना,
  - प्रपत्रों का सरलीकरण,
  - एक ही स्थान (one-stop) पर ग्राहकों को बैंकिंग-प्लस सेवाओं (बीमा व निवेश) सहित वित्तीय सेवाओं की पहुँच उपलब्ध करवाना,
  - मिलनसार बैंक कर्मियों वाला सुखद परिवेश, तथा
  - मूलभूत ग्राहक सुविधाएं प्रदान करना।
- शिकायतकर्ताओं से फीडबैक प्राप्ति के माध्यम से उन्हें 'रियल-टाइम कंप्लेन स्टेटस ट्रैकिंग' हेतु सक्षम बनाकर शिकायत निवारण में EASE प्रदान करना। इससे निवारण की गुणवत्ता की जांच की जा सकेगी एवं सामान्य शिकायतों की पुनरावृत्ति रोकने हेतु विश्लेषण करने के साथ-साथ प्रभावी कदम उठाए जा सकेंगे।
- आवश्यक कार्यों हेतु बैंक जाने की आवश्यकता को कम करने के लिए डोरस्टेप बैंकिंग, डेडिकेटेड काउंटर्स या सेवाओं में वरीयता, डिजिटलीकरण तथा सक्रिय सेवाओं के माध्यम से **वरिष्ठ नागरिकों और दिव्यांगो के लिए EASE प्रदान करना।**
- ग्राहक के प्रति बैंक के उत्तरदायित्व और सभी EASE प्रतिमानों पर निष्पादन के मापन हेतु **ग्राहक EASE हेतु वार्षिक EASE रैंकिंग सूचकांक जारी करना।**

थीम 2: उत्तरदायित्वपूर्ण बैंकिंग

- **साफ-सुथरी ऋण व्यवस्था(clean lending) और विवेकपूर्ण परिसंपत्ति प्रबंधन-** इसके लिए निम्नलिखित उपाय किये जाएँगे:
  - चिह्नित तनावग्रस्त परिसंपत्तियों की पुन:प्राप्ति (recovery) पर केन्द्रित प्रयासों हेतु स्ट्रेस्ड एसेट्स मैनेजमेंट वर्टीकल (SAMV) का निर्माण,
  - पारदर्शी एवं प्रभावी पोस्ट-सैंक्शन फॉलो-अप के लिए विशेषीकृत निगरानी वाली एजेंसियों के साथ संपर्क,
  - कंसोर्टियम लोन में प्रभावशाली समन्वय हेतु संस्था-दक्ष कार्यप्रणालियाँ आरंभ करना,
  - ऋण स्वीकृत होने पूर्व व पश्चात की भूमिकाओं एवं उत्तरदायित्वों का कठोर पृथक्करण, एवं
  - विभेदीकृत बैंकिंग रणनीतियां आदि।
- **वित्तीय स्थिरता को प्रोत्साहन-** इसके लिए वृद्धिशील एवं अविवेकपूर्ण ऋण को नियंत्रित करना होगा जिसके निम्नलिखित उपाय हैं:
  - अग्रसक्रिय, गतिशील एवं व्यवस्थित जोखिम प्रबंधन,
  - गैर-केंद्रीय परिसंपत्तियों के विक्रय से प्राप्ति योग्य मूल्य का मौद्रिकीकरण, और
  - विदेशी परिचालनों का तार्किकीकरण।
- **परिणामों को सुनिश्चित करने हेतु शासन में सुधार -** इसमें सम्मिलित हैं:
  - बोर्ड द्वारा अनुमोदित रणनीतिक दृष्टिकोण एवं व्यवसाय केंद्रित योजना का पालन करना,
  - बोर्ड द्वारा बैंक के पूर्णकालिक निदेशकों के प्रदर्शन का मूल्यांकन; तथा
  - बोर्डों को सुदृढ़ बनाना एवं उनका सशक्तिकरण।

थीम 3: क्रेडिट ऑफ-टेक (ऋण बढ़ोत्तरी)

- **ऋणकर्ता के लिए EASE तथा ऋण का अग्रसक्रिय वितरण-**
  - ऋणों के लिए ऑनलाइन आवेदन सुविधा के माध्यम से ,
  - गैर-खुदरा ऋण मूल्यांकन प्रक्रिया का डिजिटलीकरण के माध्यम से,
  - उद्योग आधारित बाजार खंडों के लिए विभेदित उत्पादों और सेवाओं के विकास के माध्यम से।

थीम 4: उद्यमी-मित्र के रूप में PSBs

- बिल कटौती में तीव्रता लाने के लिए **TReDS** मंच पर सभी बैंकों के पंजीकरण द्वारा **MSMEs** को बिल वसूली में **EASE सुविधा प्रदान करना**।
- MSMEs के वित्तपोषण में EASE सुविधा प्रदान करने के लिए
  - GST-पंजीकृत MSMEs हेतु वर्धित कार्यशील पूंजी प्रदान करने के लिए बोर्ड-अनुमोदित नीति,
  - समूह-आधारित वित्तपोषण और फिनटेक के माध्यम से MSME के वित्तपोषण को सक्षम बनाना, तथा
  - MSME संबंधी ऋण प्रस्तावों की समयबद्ध और स्वचालित प्रोसेसिंग जैसे उपायों को अपनाया जाना।
- प्रत्येक MSME-विशेषीकृत शाखा में शीर्ष **20 MSME** खातों के लिए **सिंगल पॉइंट MSME रिलेशनशिप ऑफिसर की नियुक्ति।**
- सभी **SMA-1/2 MSME** खातों की पहचान करने के बाद **तनावग्रस्त MSME के लिए पुनरूद्धार ढांचा (Revival Framework)।**

थीम 5: वित्तीय समावेशन और डिजिटलीकरण को मजबूत बनाना: माइक्रो-इंश्योरेंस, डिजिटलीकरण

- प्रत्येक गांव के **5 किलोमीटर** के भीतर बैंकिंग आउटलेट्स की स्थापना, शाखाहीन बैंकिंग के लिए बैंक मित्रों की सहायता से सेवाएं प्रदान करना एवं अल्पसेवित जिलों में मोबाइल ATM की स्थापना के द्वारा **घर के निकट बैंकिंग के माध्यम से EASE सुविधा प्रदान करना।**
- प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना और प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के अंतर्गत कवरेज क्षेत्र का व्यापक पैमाने पर विस्तार कर **सूक्ष्म बीमा (माइक्रो-इंश्योरेंस) द्वारा सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना।**
- प्रधानमंत्री जन धन योजना के सभी खाताधारकों को RuPay डेबिट कार्ड जारी करके, सभी सक्रिय चालू एवं बचत खातों को आधार से जोड़ कर एवं बड़े पैमाने पर आधार-सक्षम पॉइंट ऑफ़ सेल भुगतान का विस्तार करके **डिजिटल भुगतानों के माध्यम से EASE की सुविधा प्रदान करना।**
- **साइबर धोखाधड़ी के विरूद्ध ग्राहक सुरक्षा प्रदान करना।** इसके लिए निम्नलिखित उपाय किये जा सकते हैं:
  - इलेक्ट्रॉनिक लेन देनों में अनधिकृत डेबिट (आहरण) के विरूद्ध ग्राहक द्वारा अधिसूचना दिए जाने के 10 दिनों के भीतर रिफंड सुनिश्चित करना,
  - ग्राहक सुरक्षा के लिए रियल-टाइम चेतावनी,
  - एप्लिकेशन और इंटरनेट-आधारित जनोपयोगी सेवाओं के लिए नि:शुल्क ग्राहक-स्तर की सुरक्षा अपडेट; इत्यादि।

VISION IAS

थीम 6: परिणाम सुनिश्चित करना: अभिशासन/मानव संसाधन (HR)

- निष्पादन प्रबंधन प्रणाली (PMS) के माध्यम से पहचाने गए शीर्ष-निष्पादकों को पुरस्कृत करके, जॉब फैमिलीज़ के माध्यम से विशेषज्ञता और सभी अधिकारियों के लिए अनिवार्य वार्षिक भूमिका-आधारित ई-लर्निंग कार्यक्रम बनाकर एक ब्रांड PSB के लिए कर्मियों का विकास करना।

3.2. कृषि क्षेत्र में NPAs में तीव्र वृद्धि

(Agricultural NPAs Spike)

सुर्खियों में क्यों?

- RBI के आंकड़ों के अनुसार, कृषि क्षेत्र में गैर निष्पादित परिसंपत्तियां (NPAs) 2016 में 48,800 करोड़ रुपये की तुलना में 23 % बढ़कर 2017 में 60,200 करोड़ रुपये हो गयी हैं।

- **कृषि ऋण, प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रक उधारी का एक भाग है।** इसमें किसानों के लिए अल्पावधि फसली ऋण और मध्यम अवधि के या दीर्घकालिक ऋण सम्मिलित हैं।
- अल्पावधि फसल ऋण मूल रूप से किसानों द्वारा छह महीने या अधिकतम एक वर्ष के लिए ली गयी उधारी होती है। इसके द्वारा किसानों को फसल कटाई से पहले और बाद में धन जुटाने में सहायता प्राप्त होती है।
- **कृषि क्षेत्र में NPA की गणना**
    - सामान्यतः **90** दिनों से अधिक दिनों तक बकाये मूलधन या ब्याज को **NPA** माना जाता है। हालांकि, यह परिभाषा कृषि ऋणों पर लागू नहीं होता है।
    - अल्पावधि के लिए दिए गए ऋण को **NPA (कृषि NPAs)** माना जाता है, यदि मूलधन या उस पर ब्याज की किश्त दो फसली मौसमों के लिए बकाया रहती है। दीर्घकालिक फसलों के लिए, यह अवधि एक फसली मौसम की है। दीर्घकालिक फसलों से आशय उन फसलों से है, जिनका फसली मौसम एक वर्ष से अधिक होता है।

महत्वपूर्ण आंकड़े

- मार्च 2017 में, कृषि क्षेत्र का बैड लोन कुल बैंकिंग क्षेत्र के NPA का 8.3% था। हालांकि यह गैर-प्राथमिक क्षेत्र की 76.7% NPA की तुलना में काफ़ी कम है।
- गैर-प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र में जिन्होंने उधार लिया वहाँ कुल ऋण 20.83% डिफ़ॉल्ट (न अदा करना) हो गया जबकि किसानों के जो ऋण लिया उसमें केवल 6% ही डिफ़ॉल्ट हुआ।

क्या कृषि ऋण माफी, कृषि NPAs की समस्या को हल करने का एक व्यवहार्य विकल्प है?

कई अर्थशास्त्री कृषि ऋण माफी को आर्थिक व्यवस्था के लिए एक अनुपयुक्त और लोकप्रियता प्राप्ति हेतु किया गया उपाय मानते हैं। इसका भारत में पहली बार उपयोग **1990** के दशक में किया गया था और **2009-10** में सूखा पड़ने के पश्चात् इसे पुनः एक महत्त्वपूर्ण उपाय के रूप में अपनाया जा रहा है।

- कृषि ऋण माफी का उधार देने वाले संस्थानों की बैलेंस शीट और साथ ही राज्यों के वित्त पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है।
- इससे ऋण व्यवस्था प्रभावित होती है। साथ ही भविष्य के उधारकर्ता पुनर्भुगतान करने के लिए हतोत्साहित होते हैं जिससे नैतिक जोखिम की समस्या उत्पन्न होती है।
- इससे ऋण का प्रवाह भी प्रभावित हो सकता है क्योंकि बैंक उन क्षेत्रों को ऋण देने के जोखिम से बच रहे हैं जो ऐसी योजनाओं के दायरे में आते हैं।
- इसका एक दुष्परिणाम यह होता है कि इससे सरकारी ऋण में वृद्धि होती है और सरकारी बांड पर प्राप्त होने वाला प्रतिफल भी प्रभावित होता है। सरकारी ऋण में वृद्धि होने के कारण दूसरों के लिए ऋण लागत बढ़ जाती है। इससे क्राउडिंग आउट की स्थिति भी पैदा होती है।

कृषि क्षेत्र में बढ़ते NPAs के कारण

- **मानसून पर निर्भरता- 2014 और 2015 में लगातार सूखा पड़ने से कृषि उत्पादन अत्यधिक प्रभावित हुआ था।** हालांकि इसके बाद **2016** में मानसून सामान्य रहा, परन्तु **2017** में पुन: मानसून असामान्य रहा। इसके परिणामस्वरूप फसलों को क्षति हुई।
- **ग्रामीणों के तनाव में वृद्धि -** हाल के सरकारी आंकड़े स्पष्ट करते हैं कि ग्रामीण मजदूरी में कमी, कीमतों में उतार-चढ़ाव और फसल बुवाई में गिरावट आई है। अखिल भारतीय औसत वार्षिक ग्रामीण मजदूरी वृद्धि दर जुलाई और अक्टूबर के मध्य **6.8** से गिर कर **4.9%** रह गई। गैर-कृषि व्यवसायों की तुलना में कृषि क्षेत्र में यह गिरावट तीव्र है।
- **जोतों का घटता आकार-** जोतों के घटते आकार के कारण निरंतर क्षति हुई है और किसान अर्थव्यवस्था के विभिन्न स्तरों पर होने लाभों को प्राप्त करने में असमर्थ रहे हैं।
- **कृषि ऋण माफी के निहितार्थ -** ऋण माफी की अपेक्षा के कारण किसान ऋणों का भुगतान न करने के लिए प्रेरित होते हैं। इसके अतिरिक्त, इसका यह दूरगामी प्रभाव भी होता है, कि अलग-अलग राज्यों के किसान ऋण माफी की मांग करते हैं।
- **गैर-कृषि प्रयोजनों के लिए ऋण राशि का उपयोग करना-** किसान, **किसान क्रेडिट कार्ड** जैसे चैनलों के माध्यम से ऋण लेकर इसका उपयोग उपभोग सहित अन्य गैर-कृषि गतिविधियों के लिए करते हैं।

VISION IAS

- **कृषि वस्तुओं की वैश्विक कीमतों में कमी-** इसके परिणामस्वरूप देश से कृषि निर्यात अपेक्षाकृत अप्रतिस्पर्धी बन गया है, जबकि किसानों के समक्ष बढ़ते आयात का जोखिम उत्पन्न हो गया है।

आगे की राह

- फसल गहनता में वृद्धि करने हेतु सिंचाई का विस्तार, सिंचाई तक पहुंच में सुधार, बीज प्रतिस्थापन दर में वृद्धि और उर्वरकों का संतुलित उपयोग प्रोत्साहित किया जाना चाहिए।
- दक्ष कृषि, संसाधनों के संरक्षण को संभव बनाने वाली सूक्ष्म कृषि (प्रिसिज़न फार्मिंग) और संबंधित नई प्रौद्योगिकियों को अपनाना चाहिए। ऐसी पहलों में राष्ट्रीय कृषि विकास योजना जैसी योजनाएं महत्त्वपूर्ण योगदान दे सकती हैं।
- अनौपचारिक काश्तकारी की समस्या के समाधान करने के लिए भूमि को पट्टे पर देने (leasing) हेतु एक बेहतर कानून की आवश्यकता है।
- ग्रामीण संकट और कृषि मूल्य में कमी संबंधी समस्या को हल करने के लिए कृषि संबंधी और गैर-कृषि गतिविधियों को प्रोत्साहित करना।
- M. S स्वामीनाथन समिति की अनुशंसाओं के आधार पर, प्राकृतिक आपदाओं से राहत प्रदान करने के लिए कृषि जोखिम कोष की स्थापना करना।
- ऋणों के डिफ़ॉल्ट को कम करने के लिए बैंकों द्वारा जोखिम का बेहतर मूल्यांकन।

ग्रामीणों के तनाव की समस्या को हल करने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कुछ कदम

- PMAY-G के अंतर्गत 2017-18 में 51 लाख पक्के घरों का निर्माण। इससे कृषि असंतोष कम करने में भी सहायता मिलेगी।
- स्वच्छ भारत मिशन-ग्रामीण योजना के माध्यम से शौचालयों के निर्माण के लिए लाभार्थियों को अतिरिक्त मौद्रिक सहायता और MGNREGA के अंतर्गत 90 दिन की मजदूरी प्रदान करना।
- विशेष रूप से PMAY-G के लाभार्थियों के लिए निर्देशित नि:शुल्क LPG और बिजली कनेक्शन के साथ प्रधानमंत्री "उज्जवला" और "सुविधा" योजनाओं के समन्वय की मांग की जा रही है।

3.3. किसानों की आय दोगुना करने पर समिति की रिपोर्ट

(Report of the Committee on Doubling Farmers' Income)

सुर्खियों में क्यों?

हाल ही में, **अशोक दलवई समिति** ने अपनी रिपोर्ट में किसानों की आय दोगुनी करने पर अनेक प्रमुख सुधारों को प्रस्तावित किया है। इसका शीर्षक 'स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स एंड गवर्नेंस फ्रेमवर्क' है।

रिपोर्ट की प्रमुख अनुशंसाएं

- **संस्थागत व्यवस्था में सुधार/केन्द्रीय कृषि मंत्रालय का पुनरुद्धार:** यह कार्य निम्नलिखित उपायों के माध्यम से किया जा सकता है:
  - एग्री लॉजिस्टिक्स, पूंजी निर्माण के लिए निवेश, प्राथमिक प्रसंस्करण आदि जैसे नए पहलुओं पर ध्यान केंद्रित करने हेतु मंत्रालय के कुछ डिवीजनों का पुनर्गठन करना।
  - जिला, राज्य और राष्ट्रीय स्तर की समितियों के माध्यम से त्रिस्तरीय योजना एवं समीक्षा तंत्र की स्थापना करना।
  - एक राष्ट्रीय स्तर की नीति एवं योजना समिति (national level policy and planning committee) की स्थापना करना। यह किसानों की आय दोगुना करने हेतु नीतिगत ढाँचे तथा इसकी प्रगति, व्यापार नीति, बजटीय आवंटन और किसानों के कल्याण की स्थिति की समीक्षा करेगी।
- किसानों, पट्टेदार किसानों और बटाईदारों को सम्मिलित करने के लिए **'किसान' की परिभाषा** को उदार/व्यापक बनाया जाना चाहिए। साथ ही किसान की पहचान करने और उन्हें सरकार की कृषि संबंधी सहायता प्रणाली का लाभ प्राप्त करने के योग्य बनाने के लिए ऑनलाइन और वार्षिक रूप से प्रमाणित डेटाबेस का निर्माण करना चाहिए।
- **मॉडल कृषि भूमि पट्टेदारी अधिनियम, 2016 के तहत, मॉडल अनुबंध कृषि अधिनियम के प्रारूप के निर्माण द्वारा लैंडपूलिंग को प्रोत्साहन जैसे भूमि सुधार अपनाना।** साथ ही किसान उत्पादक संगठनों और भूमि अभिलेखों (रिकॉर्ड) के व्यापक डिजिटलीकरण को प्रोत्साहित करना।
- **उत्पादन जोखिम और बाजार की अनिश्चितता कम करना:** इसके निम्नलिखित उपाय हैं:
  - बाज़ार प्रवृत्तियों संबंधी बुद्धिमत्ता का दायित्व लेने तथा कीमत व आपूर्ति का पूर्वानुमान करने के लिए **विपणन और निरीक्षण निदेशालय** का पुनर्गठन,
  - अत्यधिक सूखा-प्रवण जिलों के लिए व्यापक सूखा-प्रतिरोधी ढांचे का निर्माण,
  - किसानों की 'पोस्ट हार्वेस्ट' प्रबंधन क्षमता में सुधार, तथा
  - अनुमान एवं संसाधन उपयोग दक्षता में सुधार करने हेतु प्रौद्योगिकियों का नियोजन।
- **व्यापार व्यवस्था में सुधार-** निम्नलिखित के माध्यम से व्यापार व्यवस्था में सुधार करना:
  - कीमतों में होने वाले उतार-चढ़ाव में सुधार करने हेतु पूर्वनिर्धारित कारकों (ट्रिगर्स) के अनुसार आयात का समायोजन, तथा
  - कृषिगत वृद्धि एवं अंतर्राष्ट्रीय मांग तक स्थिर पहुँच संभव बनाने के लिए निर्यात को प्रोत्साहन।

VISION IAS

- **कृषि नीतियों को उदार और सरल बनाने के लिए:**
  - किसानों को उचित गुणवत्ता एवं युक्तिसंगत कीमतों पर आगतों के अधिक से अधिक विकल्प सुनिश्चित करना,
  - बीज श्रृंखला को उदार/व्यापक बनाना,
  - उर्वरक क्षेत्रक की नीतियों का पुनर्निरीक्षण करना,
  - कीटनाशकों से संबंधित विनियमों को तर्कसंगत बनाना,
  - निजी क्षेत्र के प्रतिभागियों को आकर्षित करने के लिए उत्पादन क्षेत्र का वातावरण उदार/अनुकूल बनाना,
  - कृषि बाजार की संरचना का आधुनिकीकरण, और
  - मॉडल कृषि उत्पाद और पशुधन विपणन अधिनियम 2017 का अधिनियमन।
- कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय में निवेश और उद्यमों के लिए समर्पित विभाग स्थापित करके **अवसंरचना संबंधी बाधाएं दूर करना।**
- **जलवायु परिवर्तन से निपटना:** कठोर निगरानी, प्रतिकूल प्रभाव कम करने के लिए प्रौद्योगिकियों का नियोजन तथा किसानों को कार्यप्रणाली एवं आदतों में संभावित परिवर्तनों और फसल प्रणाली, फसल चयन एवं पशुधन देखभाल में परिवर्तन लाने के लिए तैयार किया जाना चाहिए।
- ग्राम पंचायत को कृषि विकास के लिए उत्तरदायी बनाकर और ग्राम पंचायत स्तर पर ग्राम स्तरीय कार्य योजना तैयार करके **जमीनी स्तर की भागीदारी में सुधार लाना।**
- कृषि आय का मापन, **रियल टाइम** प्रदर्शन की निगरानी करने और कृषिगत वस्तुओं के एक समूह के लिए मांग एवं मूल्य के पूर्वानुमान में सहायता करने के लिए सहायक उपकरणों में सुधार लाया जाना चाहिए। इसका उपयोग वार्षिक कृषि व्यवसाय की सुगमता का सर्वेक्षण करने के लिए भी किया जा सकता है।

3.4. प्राइस डेफिशियेंसी पेमेंट (मूल्य अन्तराल भुगतान) योजना

(Price Deficiency Payment (PDP) Scheme)

सुर्खियों में क्यों?

विभिन्न राज्य सरकारों ने किसानों को होने वाले नुकसान की भरपाई करने के लिए **प्राइस डेफिशियेंसी पेमेंट** (मूल्य अन्तराल भुगतान) (Price Deficiency Payment: PDP) योजनाएं प्रारंभ की हैं।

PDP योजना के संबंध में

- इसके अंतर्गत, सरकार द्वारा उत्पादकों को दी जाने वाली सहायता में बाजार में किया जाने वाला प्रत्यक्ष हस्तक्षेप सम्मिलित नहीं है। इसके बजाय बाजार को सामान्य आपूर्ति और मांग शक्तियों के आधार पर कीमतें निर्धारित करने की अनुमति दी गई है। इसके तहत सरकार केवल MSP और बाजार-निर्धारित कीमत के मध्य अंतर की राशि का भुगतान करती है।
- NITI आयोग ने भी अपने तीन वर्षीय एजेंडे में फसलों की न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) आधारित खरीद में विद्यमान अंतराल को दूर करने के लिए यह प्रणाली सुझाई है।

विभिन्न राज्यों की PDP योजनाएं

- **मध्य प्रदेश की भावान्तर भुगतान योजना:** इसमें आठ खरीफ फसलें- सोयाबीन, तिल, मक्का, उड़द, तूर, मूंग, मूंगफली तथा रामतिल सम्मिलित हैं।
- **हरियाणा सरकार** ने 4 सब्जियों- आलू, प्याज, टमाटर एवं फूलगोभी के लिए कुछ इसी तरह की योजना की घोषणा की है।
- कर्नाटक सरकार अपने यहाँ के दुग्ध किसानों को डेयरियों द्वारा भुगतान की जा रही कीमत के अतिरिक्त 5 रुपये प्रति लीटर प्रोत्साहन दे रही है।

लाभ

- यह योजना MSP पर वस्तुओं की भौतिक खरीद का विकल्प प्रदान करती है।
- यह योजना यह सुनिश्चित करने में अधिक प्रभावकारी हो सकती है कि फसल प्रतिरूप का निर्धारण MSP के अंतर्गत सुनिश्चित खरीद वाली फसलों के पक्ष में न हों तथा फसल प्रतिरूप ऐसा बना रहे जिससे उपभोक्ताओं के आवश्यकताओं की पूर्ति आसान हो सके।
- किसानों को औसत बिक्री मूल्य और MSP के बीच अंतर से प्राप्त राशि सीधे बैंक खाते में प्राप्त होती है। इससे हैंडलिंग और भंडारण की लागत समाप्त हो जाती है। इस प्रकार, इसके द्वारा भारत को खाद्य सब्सिडी बिल पर नियंत्रण रखने और WTO के सब्सिडी प्रतिबंधों का पालन करने में सहायता मिल सकती है।

समस्याएं

- **गैर-पंजीकृत किसानों पर लागू न होना-** उदाहरण के लिए मध्यप्रदेश में जो किसान, पोर्टल पर पंजीकृत नहीं हैं, वे बिना क्षतिपूर्ति के भारी नुकसान पर अपने उत्पाद बेच रहे हैं।
- **कम क्षतिपूर्ति-** चूंकि कीमतें सरकार द्वारा तय की जाती है, अतः कभी-कभी प्रदत्त क्षतिपूर्ति उत्पादन की पूरी लागत भी कवर नहीं कर पाती है; उदाहरण: हरियाणा।

VISION IAS

* **कम कवरेज-** हालांकि इस योजना में समस्त उत्पादन को कवर करने की क्षमता विद्यमान है, तथापि इस योजना से लाभान्वित होने वाले उत्पादों का वास्तविक प्रतिशत कम था। उदाहरण के लिए मध्य प्रदेश में केवल **32%** उडद और **18%** सोयाबीन उत्पादन कवर किया गया।
* इसमें उपज और उस फसल के लिए राज्य में औसत बिक्री मूल्य आदि की गणना करने के संदर्भ में सरकारी अधिकारियों द्वारा **अत्यधिक सूक्ष्म प्रबंधन सम्मिलित है।**

तेलंगाना की इनपुट सपोर्ट स्कीम

* **उद्देश्य:** किसानों को खरीफ और रबी मौसमों के लिए 4,000 रुपये प्रति एकड़ देकर उन्हें साहूकारों से ऋण लेने से राहत प्रदान करना। यह माना गया है कि किसान इस धन का उपयोग बीज, उर्वरक, मशीनरी और भाड़े पर श्रम जैसी आगतों की खरीद के लिए करेंगे।
* इसके लिए किसान को उसके कृषिगत क्षेत्र और फसल का पंजीकरण कराने की आवश्यकता नहीं है।
* किसान अपनी इच्छानुसार फसल उगाने और उसे किसी भी मंडी में बेचने के लिए स्वतंत्र है। यह मॉडल फसल-तटस्थ, अपेक्षाकृत अधिक न्यायसंगत एवं अधिक पारदर्शी है तथा किसानों को चयन की स्वतंत्रता प्रदान करता है।
* संयोग से, चीन में भी ऐसी ही एक योजना है: चीन प्रति एकड़ आधार पर सकल आगत सब्सिडी सहायता देता है। यह योजना बाजार को विकृत नहीं करती है और अपनाये जाने योग्य है।

3.5. FSSAI पर CAG की रिपोर्ट

(CAG Report on FSSAI)

सुर्खियों में क्यों?

हाल ही में CAG ने FSSAI की परफॉरमेंस ऑडिट (निष्पादन लेखांकन) रिपोर्ट जारी की।

खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 का अधिनियमन निम्नलिखित प्रयोजनों के लिए किया गया था:

* देश में खाद्य सुरक्षा से संबंधित विविध कानूनों को समेकित करना।
* सिंगल पॉइंट रेफरेंस सिस्टम स्थापित करना।
* **भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (FSSAI)** की स्थापना करना। यह प्राधिकरण खाद्य पदार्थों के लिए मानक तय करने तथा उनके निर्माण, भंडारण और वितरण आदि को विनियमित करता है।
* स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय (MoHFW), FSSAI के कार्यान्वयन के लिए प्रशासनिक मंत्रालय है।
* राज्य खाद्य सुरक्षा प्राधिकरण के साथ-साथ FSSAI, इस अधिनियम के तहत प्रासंगिक आवश्यकताओं की निगरानी एवं उनके प्रवर्तन हेतु उत्तरदायी है।
* यह अधिनियम खाद्य सुरक्षा के कुशल कार्यान्वयन के लिए राज्य स्तर पर खाद्य सुरक्षा आयुक्त एवं स्थानीय खाद्य सुरक्षा अधिकारियों की नियुक्ति का प्रावधान करता है।
* यह खाद्य फर्मों के लिए अपने उत्पादों को सुरक्षित सिद्ध करने का वैज्ञानिक प्रमाण प्रस्तुत करना अनिवार्य बनाता है।
* यह अधिनियम किसी कृषक, मछुआरे, कृषि संचालनों, फसलों, पशुधन, मत्स्यन,कृषि में प्रयुक्त एवं उत्पादित की गईं आपूर्तियों तथा कृषक/मछुआरे द्वारा प्रारंभिक उत्पादन स्तर पर उत्पादित फसलों के उत्पादों पर लागू नहीं होता है।

इस रिपोर्ट की मुख्य विशेषताएं

* **उचित दिशानिर्देशों का अभाव:** स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय और FSSAI द्वारा अभी तक खाद्य अधिनियम के अनुसार विभिन्न प्रक्रियाओं को नियंत्रित करने वाले विनियमों, दिशा-निर्देशों और कार्यप्रणालियों का निर्माण करना शेष है।
* **निम्नस्तरीय निगरानी:** FSSAI, **प्रोडक्ट अप्रूवल सिस्टम** के तहत जारी लाइसेंसों की निगरानी करने और उन्हें निरस्त करने में विफल रहा है। 2015 में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रोडक्ट अप्रूवल सिस्टम को गैर-कानूनी घोषित कर दिया गया था। FSSAI की इन लाइसेंसों की निगरानी करने और उन्हें निरस्त करने में विफलता के कारण बाजार में आज भी असुरक्षित खाद्य पदार्थों की भरमार है।
* **स्वेच्छाचारी कार्यशैली:** FSSAI द्वारा खाद्य व्यापार संचालकों को पूर्ण दस्तावेज़ों के बिना लाइसेंस जारी किए गए। इसकी जोखिम आधारित निरीक्षणों के लिए कोई अभिलिखित नीतियाँ या प्रक्रियाएँ भी नहीं हैं। इसके कारण नवीन निर्माण विधियों वाले 800 से अधिक ऐसे प्रसंस्कृत खाद्यों को बिक्री की अनुमति प्राप्त है जिनकी सुरक्षा का आकलन भी नहीं किया गया है।
* **डेटा का अभाव:** FSSAI के पास देश में खाद्य व्यवसायों से सम्बंधित कोई डेटाबेस उपलब्ध नहीं है क्योंकि FSSAI एवं राज्य खाद्य सुरक्षा प्राधिकरणों ने अधिनियम के प्रवर्तन और प्रशासन के लिए कोई सर्वेक्षण नहीं किए हैं।
* **मानव संसाधन की कमी**: खाद्य सुरक्षा उपायों को नकारात्मक रूप से प्रभावित करने वाले राज्यों में लाइसेंसिंग और प्रवर्तन अधिकारियों की भारी कमी है। रिपोर्ट में इस तथ्य पर भी ध्यान दिया गया है कि **अनुबंधित कर्मचारी** सामान्य दैनन्दिन कार्यों का निष्पादन करते हैं। यह प्रवृत्ति अनुबंधित कर्मचारियों की निर्धारित अवधि के विशिष्ट कार्य करने हेतु की गई नियुक्ति के उद्देश्य को विफल करती है।
* **निम्नस्तरीय परीक्षण प्रयोगशालाएँ**: गुणवत्तापूर्ण उपकरणों की कमी एवं प्रशिक्षित मानव संसाधन की कमी के कारण प्रयोगशालाओं के परीक्षण की गुणवत्ता विश्वसनीय नहीं होती है। FSSAI एवं राज्य खाद्य सुरक्षा प्राधिकरणों ने जिन 72 राज्य खाद्य प्रयोगशालाओं में

VISION IAS

परीक्षण के लिए खाद्य नमूने भेजे उनमें से 65 को **राष्ट्रीय परीक्षण और अंशशोधन प्रयोगशाला प्रत्यायन बोर्ड (National Accreditation Board for Testing and Calibration Laboratories: NABL)** की आधिकारिक मान्यता प्राप्त नहीं है।

- यह लाइसेंस के नवीनीकरण के मामले में विनियमों का पालन करने में और गैर-अनुपालन हेतु अधिरोपित अर्थदंड की राशि संग्रहित करने में भी विफल रहा है।
- यह देश में असुरक्षित खाद्य पदार्थों के आयात को नियंत्रित करने में भी विफल रहा है। .

NABL के सम्बन्ध में

- यह **भारतीय गुणवत्ता परिषद (Quality Council of India)** का एक संघटक है।
- **उद्देश्य:** NABL अंतर्राष्ट्रीय मानकों ISO / IEC 17025 एवं ISO 15189 के अनुसार परीक्षण और अंशांकन प्रयोगशालाओं के आकलन और मान्यता प्रदान करने का कार्य करता है।
- NABL को मुख्यत: सरकार, उद्योग संघों और उद्योगों को परीक्षण और अंशशोधन प्रयोगशालाओं की गुणवत्ता और तकनीकी क्षमता का आकलन किसी तीसरे पक्ष से करवाने की एक योजना उपलब्ध कराने के उद्देश्य के साथ स्थापित किया गया है; अर्थात् अनुरूपता आकलन निकाय (कन्फॉर्मिटी असेस्मन्ट बॉडी) के रूप में।
- तीसरे पक्ष द्वारा चिकित्सा और अंशांकन प्रयोगशालाओं (मेडिकल एंड कैलिब्रेशन लेबोरेटरीज), प्रवीणता परीक्षण प्रदाताओं (प्रोफिसिएंसी टेस्टिंग प्रोवाइडरस) और संदर्भ सामग्री उत्पादकों (रेफ़रेन्स मटेरियल प्रडूसर) सहित परीक्षण की तकनीकी क्षमता का मूल्यांकन किया जाता है।
- भारत सरकार ने NABL को परीक्षण और अंशशोधन प्रयोगशालाओं के एकमात्र प्रत्यायन निकाय के रूप में अधिकृत किया है।

आगे की राह

- FSSAI पर CAG की अनुशंसाएँ
  - इसे ऐसे क्षेत्रों पर विनियमन की अधिसूचना को शीघ्र जारी करना चाहिए जिन्हें खाद्य अधिनियम में निर्दिष्ट किया गया है, किंतु अभी भी कवर नहीं किया गया है।
  - यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि जारी किए गए सभी लाइसेंसों की समीक्षा एवं उनका अनुमोदन स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय (MoHFW) द्वारा किया जाए।
  - खाद्य आधारित संगठनों के व्यापक और विश्वसनीय डाटाबेस को सुनिश्चित करने एवं अधिनियम के बेहतर प्रवर्तन और प्रशासन को सुनिश्चित करने के लिए खाद्य व्यावसायिक गतिविधि का सर्वेक्षण करना।
  - MoHFW द्वारा प्रयोगशाला के उपकरण और कार्यक्षमता के विषय में सभी राज्य खाद्य प्रयोगशालाओं की आधिकारिक मान्यता को सुनिश्चित किया जाना चाहिए।
  - रिक्त पदों को भरने के लिए भर्ती के विनियमों का निर्माण किया जाना चाहिए।
- **सर्वोत्तम प्रणालियों को अपनाना:** विश्व के अन्य भागों में समान प्रकार के कानूनों के न्यूनतम मानदण्डों को बेंचमार्क बनाते हुए खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की समीक्षा करना।
- खाद्य क्षेत्रक में निवेश हेतु सक्षम विनियामक परिवेश प्रदान करने के लिए "एक राष्ट्र, एक खाद्य कानून" को मार्गदर्शक दर्शन होना चाहिए।

3.6. जैविक खाद्य पदार्थ

(Organic Food)

सुर्खियों में क्यों?

हाल ही में FSSAI ने देश में जैविक खाद्य पदार्थ पर विनियमन जारी किए।

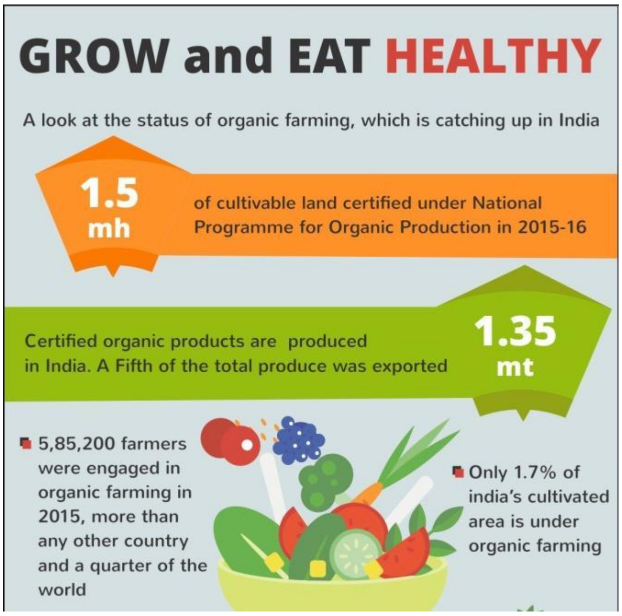

इस दिशा-निर्देश के प्रावधान

- **परिभाषा:** FSSAI ने निम्नलिखित परिभाषाएँ दी हैं:
  - **जैविक कृषि:** यह रसायनों, उर्वरकों, कीटनाशकों और संश्लेषित हार्मोनों या आनुवंशिक रूप से संशोधित जीवों जैसे संश्लेषित बाह्य आगतों(synthetic external inputs) के उपयोग के बिना, कृषि उत्पादन के एक पारिस्थितिक तंत्र के निर्माण हेतु फार्म डिज़ाइन और प्रबंधन की प्रणाली है।
  - **जैविक कृषि उपज:** जैविक कृषि से प्राप्त उपज।
  - **जैविक खाद्य पदार्थ:** जैविक उत्पादन के निर्दिष्ट मानकों के अनुरूप उत्पादित खाद्य उत्पाद।
- जुलाई, 2018 से **जैविक खाद्य पदार्थों की अनिवार्य लेबलिंग**। इस लेबलिंग द्वारा उत्पाद की जैविक स्थिति से सम्बंधित पूर्ण और सटीक जानकारी संप्रेषित की जानी चाहिए।

* विनियमन के गैर-अनुपालन पर **अर्थदण्ड** आरोपित किए जाएँगे।
* **अनुमोदन प्राधिकरण:** जैविक खाद्य उत्पादों को निम्नलिखित द्वारा प्रदत्त प्रमाणन चिह्न या गुणवत्ता आश्वासन चिह्न वहन करना चाहिए:
    * राष्ट्रीय जैविक उत्पादन कार्यक्रम (NPOP),
    * सहभागिता गारंटी प्रणाली-भारत (PGS-India),
    * FSSAI द्वारा प्रदत्त स्वैच्छिक लोगो (Voluntary logo) जो उत्पाद को 'जैविक(आर्गेनिक)' के रूप में चिह्नित करता है।

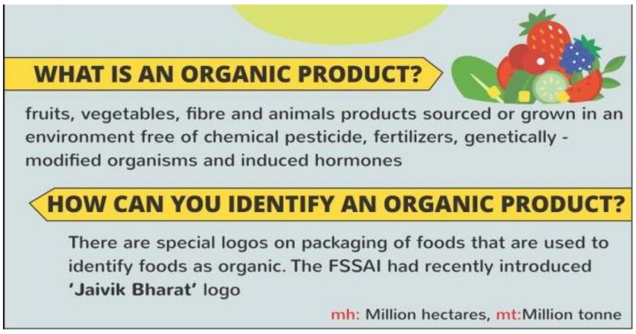

महत्व

* यह जैविक बाजार क्षेत्रक में व्याप्त धोखाधड़ी और कदाचार को रोकने में सहायता करेगा, जहाँ अजैविक उत्पादों को जैविक के रूप में बेचा जाता है।
* **वृद्धि के लिए प्रोत्साहन: इंडियन काउंसिल फॉर रिसर्च ऑन इंटरनेशनल इकनोमिक रिलेशन्स (ICRIER)** द्वारा 2017 में किए गए एक अध्ययन में यह पाया गया कि यदि आवश्यक प्रोत्साहन प्रदान करने वाली उचित नीतियों से समर्थन किया गया तो आगामी पांच वर्षों में जैविक खाद्य बाजार में 20% की वृद्धि होने की संभावना है।
* **उपभोक्ताओं को सशक्त बनाना**: उपभोक्ता अब जैविक खाद्य उत्पादों की प्रामाणिकता की जांच कर सकते हैं।
* **किसानों का सशक्तीकरण:** जैविक प्रमाणन किसानों को उनकी उपज के लिए प्रीमियम अर्जित करने में भी सहायता प्रदान करेगा।
* उचित दिशा-निर्देश **जैविक उत्पाद को वैश्विक मूल्य श्रृंखला (global value chain) से एकीकृत करने** और साथ ही घरेलू बाजार को और गहन बनाने भी सहायता करेंगे।
* **स्वास्थ्य लाभ:** जैविक खाद्य की बढ़ती खपत उपभोक्ताओं को अकार्बनिक कृषि में प्रयुक्त किए जाने वाले कीटनाशकों, उर्वरकों और वृद्धि हार्मोनों के प्रभाव से सुरक्षित करेगी।

निहित मुद्दे

* दो प्रमाणन प्रणालियों से सम्बंधित मुद्दे: दोनों प्रमाणीकरण प्रणालियों के मध्य कोई संबंद्धता नहीं है। (इंफ़ोग्राफ़िक देखिए)।
* सहभागिता गारंटी प्रणाली (PGS) परिवर्तनकारी प्रभाव उत्पन्न करने में भी विफल रहती है। इसका कारण उपभोक्ताओं द्वारा इसके स्व-प्रमाणन चरित्र पर विश्वास न करना है।
* **खुदरा क्षेत्र के बड़े अभिकर्ता** जैविक उत्पादन को बढ़ावा देने में कम **रुचि लेते** हैं क्योंकि उत्पाद के स्रोत को प्रमाणित करने में बहुत समय लग जाता है।
* महंगा उत्पाद– जैविक उत्पाद, बाजार में उपलब्ध अन्य विकल्पों की तुलना में महंगा होता है।

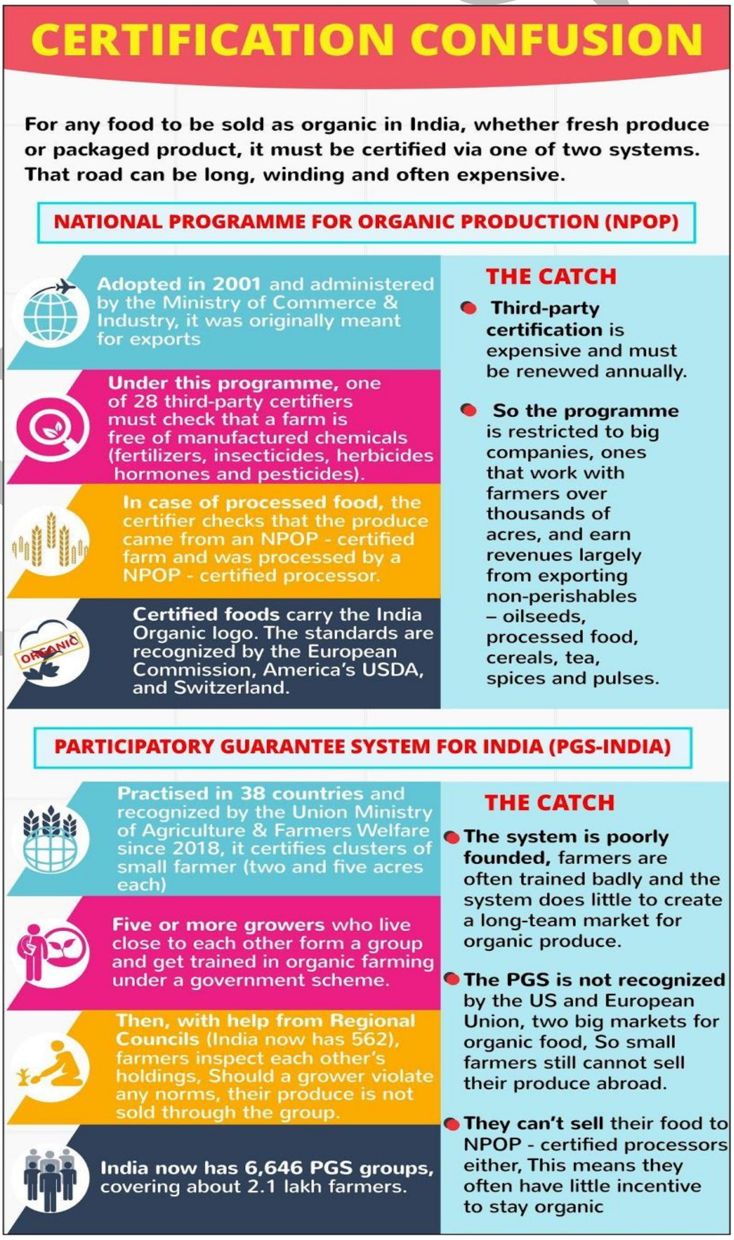

आगे की राह

* प्रक्रिया और प्रशासनिक लागत को सुसंगत बनाने के लिए **एकल नोडल एजेंसी** गठित की जा सकती है।
* वैश्विक मानकों का पालन करते हुए जैविक उत्पाद के लिए **लघु और सीमांत उत्पादकों को एकीकृत करने की प्रक्रिया** के परिणामस्वरूप कृषि व्यवसायों हेतु अवसरों में वृद्धि होगी।
* जैविक खाद्य पदार्थों की उपलब्धता और प्रतिस्पर्धात्मकता में वृद्धि करने के लिए कोल्ड स्टोरेज, परिवहन आदि **अवसंरचना का विकास किया जाना चाहिए।**

3.7. राष्ट्रीय मोटा अनाज वर्ष

(National Year of Millets)

सुर्ख़ियों में क्यों?

- हाल ही में, सरकार द्वारा कृषि आधारित उद्योग एवं खाद्यान्नों के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए 2018 को 'राष्ट्रीय मोटा अनाज वर्ष' (National Year of Millets) के रूप में मनाये जाने की स्वीकृति दी गयी है।

पृष्ठभूमि

- भारत, मोटे अनाजों का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। इसके बाद अफ्रीकी देशों, नाइजीरिया और नाइजर का स्थान आता है।
- भारत में लगभग 60 मिलियन एकड़ भूमि में मोटे अनाज की कृषि की जाती है।

मोटे अनाजों के चार आयामी लाभ

- **कृषि और खाद्य सुरक्षा परिप्रेक्ष्य**
  - एक कुशल जड़ तंत्र के कारण अन्य फसलों की तुलना में इन्हें कम जल की आवश्यकता होती है।
  - मोटे अनाज अपनी लघु विकास अवधि के कारण खाद्य मांग की पूर्ति करने में सहायक होते हैं।
  - ये रोगों एवं कीटों से कम प्रभावित होते हैं। इस प्रकार इनके लिए कीटनाशकों की आवश्यकता न्यूनतम होती है।
  - मिश्रित कृषि प्रणालियों में इनका खाद्य एवं चारे के रूप में उपयोग किया जाता है।
  - ये विभिन्न प्रकार की महत्वपूर्ण फसलों के साथ उगाये जा सकते हैं।
  - बढ़ते तापमान और जलवायु परिवर्तन को दृष्टि में रखते हुए ये प्रमुख फसल-विकल्प हो सकते हैं।
- **सांस्कृतिक एवं निर्धनता परिप्रेक्ष्य**
  - ये परंपरागत रूप से आदिवासियों की कृषि प्रणालियों से संबद्ध हैं। जैसे कि कर्नाटक रागी हब्बा (महोत्सव)।
  - इनके लिए उच्च मशीनीकरण की आवश्यकता नहीं होती है और ये सूखा प्रतिरोधी फसलें हैं।
  - कम इनपुट लागत के साथ अधिक उत्पादन प्रदान करते हैं।
- **पोषण परिप्रेक्ष्य**
  - मोटे अनाजों में विटामिन, कैल्शियम, आयरन, पोटेशियम, मैग्नीशियम, जिंक प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं और इनका GI (ग्लाइसीमिक इंडेक्स) निम्न होता है। इस प्रकार ये भारत में कुपोषण और भुखमरी की समस्या को कम कर सकते हैं।
  - ये उच्च मधुमेहग्रस्त एवं ग्लूटेन इनटॉलेरेंट व्यक्तियों के लिए लाभदायक हैं।
- **पर्यावरणीय परिप्रेक्ष्य**
  - इसमें कार्बन प्रच्छादन एवं जलवायु अनुकूलन में सहयोग करने की क्षमता होती है।
  - इनकी कृषि के दौरान मुख्य रूप से कार्बनिक उर्वरकों का उपयोग किया जाता है। फलस्वरूप इनसे रासायनिक उर्वरकों से सम्बंधित आर्थिक और पर्यावरणीय दोनों प्रकार की लागतों में कमी होती है।

मोटे अनाजों के विषय में

- मोटे अनाज छोटे बीज वाली घासों के समूह हैं। ये अनाज फसल/खाद्यान्नों के रूप में विकसित होते हैं।
- इसमें ज्वार, रागी, कोर्रा, अरके (arke), समा, बाजरा, चेना/बर्र (Chena/Barr) और सवां सम्मिलित होते हैं।
- **कृषि-जलवायु-दशा:** ये पूर्णतः सूखी चिकनी बलुई मृदाओं एवं शुष्क और अर्द्ध शुष्क क्षेत्रों जैसे कि राजस्थान, कर्नाटक, मध्य प्रदेश आदि में भली प्रकार से विकसित होते हैं।

मोटे अनाजों के लिए सरकार की पहल

- **इंटीग्रेटेड सिरीअल्ज़ डेवलपमेंट प्रोग्राम्स इन कॉर्स सिरीअल्ज़ बेस्ड क्रॉपिंग सिस्टम एरियाज** (ICDP-CC)।
- **इनिशिएटिव फॉर न्यूट्रीशनल सिक्योरिटी थ्रू इंटेंसिव मिलेट्स प्रमोशन (INSIMP)-** इसका उद्देश्य 0.5 मिलियन हेक्टेयर क्षेत्र को मोटे अनाजों की कृषि के अंतर्गत लाना, हाइब्रिड बीज की आपूर्ति करना एवं संयुक्त मोटा अनाज प्रसंस्करण इकाइयों की स्थापना करना है।
- **सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत विस्तार-** राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 के अंतर्गत मोटे अनाजों को सार्वजनिक वितरण प्रणाली के समूह (PDS basket) में सम्मिलित किया गया है।

चुनौतियाँ

- **प्रतिकूल कृषि नीति** - कृषि ऋण, सब्सिडी एवं सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) चावल, गेहूं जैसी फसलों के लिए अनुकूल हैं। इससे मोटे अनाजों की कृषि हतोत्साहित होती है।
- **कुछ विशेष मोटे अनाजों पर ध्यान केन्द्रित किया जाना:** अधिकतर राज्य आमतौर पर ज्वार, बाजरा और रागी पर ध्यान केंद्रित करते हैं। साथ ही इन योजनाओं पर अमल करते समय मोटे-अनाजों की छोटी किस्मों को सम्मिलित नहीं किया जाता है।
- **आहार की आदतें:** बढ़ते शहरीकरण और औद्योगीकरण के कारण चावल व गेहूं की खपत में वृद्धि हो रही है।

- **जागरूकता का अभाव:** मोटे अनाजों के सामाजिक-आर्थिक और पोषण संबंधी लाभों के विषय में जागरूकता का अभाव इनकी मांग और आपूर्ति को विरूपित कर देता है। इसके अतिरिक्त, मोटे अनाजों को **'निर्धन लोगों का भोजन'** माने जाने की प्रवृत्ति के कारण इनकी खपत और भी कम हो जाती है।

आगे की राह

- **इंटीग्रेटेड मिलेट डेवलपमेंट स्ट्रेटेजी:** मृदा स्वास्थ्य, बीज उपलब्धता, मशीनीकरण और जागरूकता में विस्तार आदि को समाविष्ट करने वाली समग्र उत्पादन-वितरण की रणनीति समय की मांग है।
- **नीतिगत कार्रवाई –** किसानों को मोटे अनाजों की कृषि हेतु प्रोत्साहित करने के लिए, सरकार को मोटे अनाजों की व्यापक श्रेणियों को मध्यान्ह भोजन एवं सार्वजनिक वितरण के अंतर्गत सम्मिलित कर इनकी मांग सृजित करनी चाहिए।
- **स्वनिर्धारित दृष्टिकोण (कस्टमाइज़्ड अप्रोच):** मोटे अनाजों की फसल प्रणालियाँ विविध प्रकार के वर्षा-सिंचित पारिस्थितिक तंत्रों का भाग हैं। इस प्रकार, उन्हें आवश्यकतानुसार-निर्मित एवं स्थान-विशिष्ट दृष्टिकोण की आवश्यकता होती है।
- **पिछड़े और आदिवासी क्षेत्रों के लिए विशेष पहल:** मांग-आपूर्ति अंतरालों को पाटने एवं जमीनी स्तर के शोध की आवश्यकता है।

3.8. कपास पर पिंक बॉलवर्म का संक्रमण

(Pink Bollworm Attack on Cotton)

सुर्खियों में क्यों?

- पिंक बॉलवर्म (PBW) के संक्रमण के कारण देश के विभिन्न भागों में कपास-रोपण प्रभावित हुआ है।

तथ्य

- मार्च 2017 में इंटरनेशनल कॉटन एडवाइजरी कमिटी द्वारा प्रकाशित एक रिपोर्ट के अनुसार, भारत विश्व का **सबसे बड़ा कपास उत्पादक और दूसरा सबसे बड़ा निर्यातक देश** है।
- गुजरात भारत में सबसे बड़ा कपास उत्पादक है। इसके बाद महाराष्ट्र का स्थान आता है।

विस्तृत जानकारी

- इसने महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक व गुजरात में कपास की फसलों को प्रभावित किया है।
- महाराष्ट्र सबसे अधिक प्रभावित होने वाले राज्यों में से एक है, क्योंकि पिछले वर्षों में प्राप्त लाभ से प्रोत्साहित होकर किसानों ने 42 लाख हेक्टेयर से भी अधिक भूमि पर कपास की बुआई की थी।
- दूसरी ओर, गुजरात में अपेक्षाकृत कम नुकसान दर्ज किया गया क्योंकि किसानों, सरकारी एजेंसियों और बीज कंपनियों द्वारा किए गए बेहतर फसल प्रबंधन के कारण यहाँ संक्रमण बाद के चरणों में पहुंचा।
- उत्पादन में गिरावट के परिणामस्वरूप स्थानीय मूल्यों में वृद्धि और भारत से निर्यात में कमी हो सकती है।

पिंक बॉलवर्म के संक्रमण के कारण

- **फसल चक्रण की अनुपस्थिति** कीटों के प्रजनन को प्रोत्साहित करती है। बड़ी संकर प्रजातियाँ, हजार से अधिक किस्में तथा फूल एवं फल देने की विभिन्न अवधियाँ आदि अलग-अलग कीटों के लिए निरंतर खाद्य उपलब्धता सुनिश्चित करते हैं।
- **बीजों की गुणवत्ता:** इसके अतिरिक्त, इस वर्ष शाकनाशी-सहनशील संकर फसलें (herbicide-tolerant hybrids) भी बोई गईं, जिनकी कृषि की अनुमति नहीं है। साथ ही बीज कंपनियों द्वारा नॉन-बीटी कॉटन को बीटी के रूप में बेचने के मामले भी देखे गए हैं।
- **फसल की दीर्घावधि** (>120 दिन) और इसकी निरंतर कृषि के कारण पिंक बॉलवर्म में बीटी कॉटन के प्रति प्रतिरोधकता का विकास।
- किसान, बीटी कॉटन रोपने के साथ-साथ संक्रमण रोकने संबंधी जानकारी के अभाव में या इसे नज़रअंदाज़ कर **मानक प्रोटोकॉल का पालन नहीं करते हैं।**

सरकार की पहल: प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना

यह योजना 2016 में आरंभ की गई थी। यह एक उपज आधारित बीमा योजना है। इसने **राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना (NAIS) एवं संशोधित राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना (MNAIS)** का स्थान लिया।

यह प्राकृतिक आग, तड़ित, चक्रवात, बाढ़, भूस्खलन, कीट/रोग आदि अनिरोध्य आपदाओं के कारण उपज में होने वाले नुकसान को कवर करती है।

समाधान

- **'रिफ्यूजिया' फसल:** मुख्य बीटी कॉटन के आसपास के क्षेत्र में नॉन-बीटी कॉटन का 'रिफ्यूजिया' के रूप में रोपण। नॉन-बीटी कॉटन PBW के आहार के रूप में कार्य कर सकता है एवं PBW में बीटी के विषाक्त पदार्थों (toxins) के प्रति प्रतिरोध को विकसित होने से रोक सकता है। बीटी बीज के साथ ही इसकी भी आपूर्ति करके इस व्यवस्था को लागू किया जा सकता है।
- **वास्तविक बीटी कॉटन का प्रयोग:** बीटी कॉटन की शुद्धता की पुष्टि करने वाली R&D सुविधाओं से लैस कंपनियों द्वारा अनुशंसित संकर/किस्मों की ही आपूर्ति की जानी चाहिए।

VISION IAS

- कपास के अगले मौसम में पिंक बॉलवर्म संक्रमण को रोकने के लिए **कृषि-पूर्व उपायों को अपनाना।** इन उपायों में कम अवधि में तैयार होने वाली किस्मों का चयन, बीज को 6-8 घंटे के लिए धूप में सुखाना, एसिड डेलिंटेड बीजों (अम्ल के प्रयोग से रेशों को हटाया जाना) की बुआई, दो बार गहन जोताई आदि सम्मिलित हैं।
- **फसल के बाद के उपाय** जैसे कपास गोदाम के पास मौसम के बाद के कीट-पतंगों को आकर्षित करने के लिए फेरोमोन ट्रैप, पौधों पर शेष बचे हरे रंग के गोलों की मवेशी चराई की अनुमति, फसल के तत्काल बाद कपास के ठूंठों (stubbles) का नाश, किसानों को शिक्षित करना, उचित वैज्ञानिक विधियों को बढ़ावा देना आदि अपनाये जाने चाहिए।

3.9. लैंड होर्डिंग की समस्या

(The Problem of Land Hoarding)

सुर्खियों में क्यों?

हाल ही की एक रिपोर्ट के अनुसार, केंद्र सरकार को यह ज्ञात नहीं है कि वह कितनी संपत्ति का स्वामित्व धारण करती है, जिसके कारण लैंड होर्डिंग की समस्या उत्पन्न होती है।

विवरण

- सरकारी भूमि सूचना प्रणाली (GLIS) द्वारा प्रदत्त जानकारी के अनुसार, विभिन्न केन्द्रीय मंत्रालयों ने मात्र 13,50,500 हेक्टेयर भूमि का स्वामित्व स्वीकार किया है जबकि, विभिन्न आधिकारिक सूत्रों के अनुसार, सही आंकड़ा इससे कई गुना अधिक है।
- इस तथ्य से स्थिति और भी गंभीर हो जाती है कि सरकारी भूमि का एक बड़ा भाग अप्रयुक्त है।

प्रभाव

- **उत्पादक उपयोग का अभावः** अप्रयुक्त भूमि का एक बड़ा भाग प्रमुख शहरों के मुख्य क्षेत्रों में उच्च-मूल्य वाली संपत्ति है। डेटाबेस के अभाव के परिणामस्वरुप इनका विकास तथा उपयोग नहीं किया जा सकता है। इस प्रकार ऐसी भूमियों पर अतिक्रमण की आशंका बनी रहती है।
- **कृत्रिम अभाव एवं उच्च मूल्यः** इससे कृत्रिम अभाव उत्पन्न हुआ है, जो शहरी अचल परिसंपत्तियों (रीयल एस्टेट) के मूल्य में वृद्धि के प्रमुख कारणों में से एक है। इससे आवास अवहनीय एवं महंगे हो जाते हैं तथा औद्योगिक एवं विकास परियोजनाओं की प्रतिस्पर्धात्मकता में कमी आती है।
- **इस भूमि के आवंटन में भ्रष्टाचार:** आदर्श सहकारी आवास सोसाइटी, श्रीनगर एयरफील्ड परियोजना और कांडला पोर्ट ट्रस्ट से जुड़े घोटाले आदि सरकारी भूमि के दुरुपयोग एवं भ्रष्टाचार के उदाहरण हैं।
- **स्वामित्व के अपर्याप्त रिकॉर्डः** उदाहरण के लिए, 13 प्रमुख बंदरगाह अपनी अधिग्रहित भूमि के 45% भाग के स्वामित्व विलेख (title deeds) प्रस्तुत करने में विफल रहे हैं। इससे अवैध कब्जाधारकों को बेदखल करना कठिन हो जाता है और ऐसी भूमि पर अतिक्रमण बढ़ता जाता है।
- **निजी डेवलपर्स/SEZ द्वारा एकत्रित भूमि:** विशेष आर्थिक क्षेत्र पर CAG द्वारा प्रस्तुत एक अन्य रिपोर्ट के अनुसार इन क्षेत्रों के लिए सरकार द्वारा अधिग्रहित कुल भूमि का 31,886 हेक्टेयर या 53% भाग अप्रयुक्त भूमि है जिसे इसके मूल मालिकों द्वारा अधिक उत्पादक उपयोग में लिया जा सकता था।

सुझाव

- **अधिग्रहीत भूमि के उपयोग का ब्यौराः** सरकार द्वारा लोगों को मुआवजे देकर अधिग्रहित की गयी भूमि के उपयोग के विषय में लोगों को जानने का अधिकार है। उदाहरण के लिए - ब्रिटेन में, सरकार ने सभी परिसंपत्तियों के लिए स्वामित्व, स्थान और अभीष्ट उपयोग का विवरण प्रदान करने का वचन दिया है। इसके अतिरिक्त नागरिकों को 'प्रतियोगिता के अधिकार' के अंतर्गत भूमि के आधिकारिक उपयोग के लिए प्रतिस्पर्धा एवं अन्य विकल्पों का सुझाव देने के लिए आमंत्रित किया जाता है।
- **भूमि संसाधनों और उपयोग प्रतिरूप की विस्तृत सूचीः** भूमि उपयोग प्रतिरूप की प्रभावी पहचान सुनिश्चित करने के लिए भूमि संसाधनों एवं उनके उपयोग प्रतिरूप की एक विस्तृत सूची बनाई जानी चाहिए। इसके अंतर्गत प्रत्येक संपत्ति के स्थान, इसके क्षेत्रफल, कानूनी स्वामित्व तथा वर्तमान एवं नियोजित उपयोग आदि के विषय में पूर्ण जानकारी दी जानी चाहिए।
- **अधिशेष भूमि का उपयोगः** जल एवं अपशिष्ट निपटान, आवास व परिवहन परियोजनाओं जैसी सेवाओं की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए अधिशेष भूमि का उपयोग किया जाना चाहिए। इसके अतिरिक्त भविष्य में उपयोग के लिए पहचानी गई भूमि को आवश्यकता होने पर पारदर्शी बोली प्रक्रिया के माध्यम से किराए पर दिया जाना चाहिए।

सरकारी भूमि सूचना प्रणाली (GLIS)

- यह अपने प्रकार का प्रथम केंद्रीकृत डेटाबेस है। इसे इलेक्ट्रॉनिक्स व सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा तैयार किया जाता है और प्रधान मंत्री कार्यालय (PMO) द्वारा इसकी निगरानी की जाती है।
- यह कुल क्षेत्र, भौगोलिक स्थिति-निर्धारक मानचित्रों एवं स्वामित्व अधिकारों आदि का रिकॉर्ड रखता है।
- पोर्टल के अनुसार, सभी केंद्रीय मंत्रालयों में रेल मंत्रालय सर्वाधिक भूमि का स्वामित्व धारण करता है। रक्षा मंत्रालय, सरकारी भूमि धारण के एक वृहद भाग का स्वामित्व धारण करता है परन्तु सुरक्षा संबंधी चिंताओं का हवाला देते हुए इसने केवल आंशिक विवरण ही दिए हैं।

VISION IAS

3.10. फ्लोर स्पेस इंडेक्स

(Floor Space Index)

सुर्ख़ियों में क्यों?

आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा हमारे शहरों की इमारतों की ऊंचाई बढ़ाने के लिए अपेक्षाकृत ऊँचे फ्लोर स्पेस इंडेक्स (FSI) पर विचार करने हेतु एक समिति गठित की गयी है।

पृष्ठभूमि

- भारतीय शहरों में FSI सामान्यतः 1.50 है। तीव्र शहरीकरण की आवश्यकताओं को देखते हुए यह मान अपेक्षाकृत निम्न है। भारत में FSI, एक भवन के कुल फर्श क्षेत्र (फ्लोर एरिया) और उस भूमि के क्षेत्रफल जिस पर इसका निर्माण किया गया है, का अनुपात होता है। FSI को विश्व में अन्य सभी स्थानों पर FAR (फ्लोर-एरिया रेश्यो) कहते हैं।
- अधिकतर शहरों में FSI कम है क्योंकि उनका विकास क्षैतिज रूप से हुआ है। इसके कारण शहरों पर वहां की लाखों की आबादी को समायोजित करने के लिए भूमि की मांग बहुत अधिक है। 2011 की जनगणना के अनुसार, 377 मिलियन (37.7 करोड़) लोग शहरी क्षेत्रों में निवास करते थे। मैकेंजी रिपोर्ट 2010 के अनुसार, 2030 तक यह संख्या बढ़कर लगभग 590 मिलियन (59 करोड़) तक पहुंच जाएगी।

शहरों के ऊर्ध्वाधर विकास के लाभ

- **अचल परिसंपत्ति (रियल एस्टेट) की कम लागत:** चूंकि रियल एस्टेट में भूमि लागत का भाग कम हो जाता है।
- **जन परिवहन को सुगम बनाना:** चूंकि अधिक घनत्व शहरों के ऊर्ध्वाधर विकास को अधिक व्यवहार्य और सस्ता बनाता है। परिणामस्वरूप, निजी कारों पर, जो कि अधिकतर शहरों में सड़कों पर जाम की स्थिति उत्पन्न करती हैं, अत्यधिक निर्भरता में कमी आती है।
- **योजनाबद्ध शहरी विकास को प्रोत्साहन:** उदाहरण के लिए, प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के अंतर्गत कम लागत पर आवास की मांग को पूरा करने के लिए शहरी क्षेत्रों में भूमि की उपलब्धता में वृद्धि करना महत्वपूर्ण है।

FSI बढ़ोत्तरी के दोष

- **अवसंरचना की कमी:** अवसंरचना, विशेष रूप से परिवहन क्षेत्रक में सुधार लाए बिना, FSI के अधिक उर्ध्वगामी संशोधन से बढ़ती भीड़ से निपटना काफी कठिन होगा तथा इससे और अधिक समस्याएं उत्पन्न होंगी।
- **उच्च रखरखाव लागत:** उच्च FSI गगनचुंबी इमारतों के निर्माण को अनुमति प्रदान करेगा, जहां भवन के दिन-प्रतिदिन प्रबंधन के लिए उच्च लागत की आवश्यकता होती है। यह संपन्न लोगों का घर होगा और किफायती आवासों की कमियों को दूर करने में सक्षम नही होगा।
- **एक ही योजना, सभी के लिए:** प्रत्येक शहर एक-दुसरे से भिन्न होते हैं, अत: यह आवश्यक नहीं है कि जो योजना एक शहर पर लागू होती है, वह अन्य शहर के लिए भी सही हो। इस प्रकार, केंद्र द्वारा एक व्यापक अति महत्वपूर्ण राष्ट्रीय सिफारिश देने के बजाय प्रत्येक शहर को स्वयं यह निश्चित करना होगा कि वे किस तरह से विकास कर सकते हैं।

3.11. समावेशी विकास सूचकांक

(Inclusive Development Index)

सुर्ख़ियों में क्यों?

विश्व आर्थिक मंच के समावेशी विकास सूचकांक (Inclusive Development Index) में 74 उभरती अर्थव्यवस्थाओं में भारत का 62वां स्थान है।

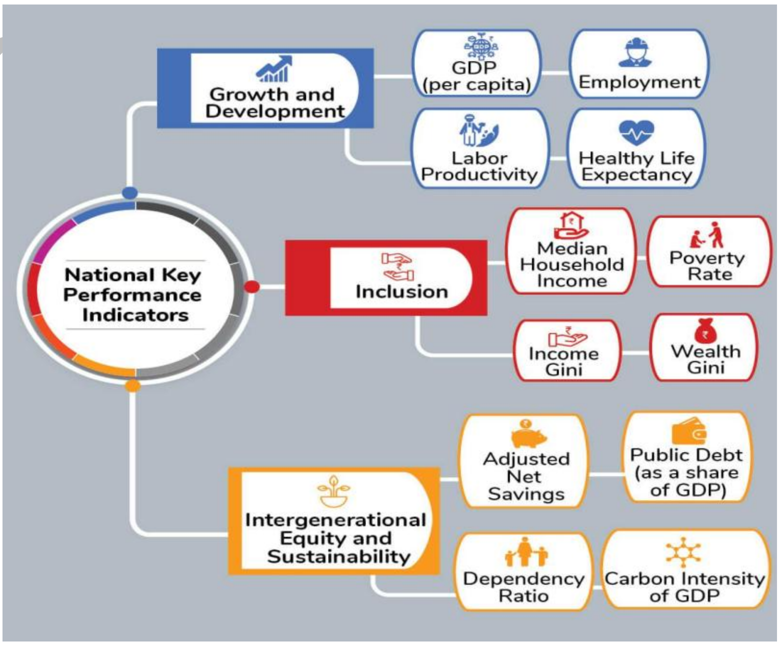

समावेशी विकास सूचकांक (IDI) 2018 के सम्बन्ध में

- 2018 के सूचकांक में GDP के अतिरिक्त आर्थिक प्रगति के अन्य ग्यारह आयामों पर 103 अर्थव्यवस्थाओं की प्रगति को मापा गया है।
- 2018 का सूचकांक "जीवन स्तर, पर्यावरणीय संधारणीयता और भविष्य में ऋणग्रस्तता से भावी पीढ़ियों का संरक्षण" पर भी विचार करता है।
- सूचकांक, **GDP के लिए एक विकल्प** प्रस्तुत करता है क्योंकि GDP वस्तुओं एवं सेवाओं के वर्तमान उत्पादन को मापता है, न कि व्यापक सामाजिक-आर्थिक प्रगति में उनसे होने वाले योगदान के परिमाण को। औसत घरेलू आय, रोज़गार के अवसर, आर्थिक सुरक्षा एवं जीवन की गुणवत्ता आदि सामाजिक-आर्थिक प्रगति के प्रमुख मापक हैं।

ऑक्सफाम रिपोर्ट में उल्लिखित असमानता से संबंधित तथ्य

- ऑक्सफाम की **'रिवार्ड वर्क, नॉट वेल्थ'** नामक रिपोर्ट के अनुसार भारत में 1% सर्वाधिक अमीर लोगों ने 2017 में 73% धन अर्जित किया जबकि निम्न संपत्ति वाले 67 करोड़ भारतीयों की संपत्ति में केवल 1% की वृद्धि देखी गयी।
- वैश्विक स्तर पर सबसे अमीर 1% लोगों की वैश्विक संपत्ति में 82% वृद्धि, जबकि निम्न संपत्ति वाली आधी जनसंख्या की संपत्ति में 0% की वृद्धि देखी गयी।
- इसने अरबपतियों में लैंगिक असमानता का भी उल्लेख किया। इसके अनुसार विश्व में 10 में से 9 अरबपति पुरुष हैं।

कुछ प्रमुख अवलोकन

- **लिथुआनिया** को विश्व की सर्वाधिक समावेशी उभरती अर्थव्यवस्था का स्थान दिया गया है, जबकि **नॉर्वे** उन्नत अर्थव्यवस्था सूची में सबसे ऊपर है।
- समाजिक-आर्थिक प्रगति को व्यापक बनाने के लिए नीति-निर्माताओं के प्रयासों के कारण, वैश्विक स्तर पर 103 अर्थव्यवस्थाओं में से 64% के IDI स्कोर में गत पांच वर्षों में सुधार दर्ज किया गया है।
- **BRICS देशों का प्रदर्शन** मिला-जुला है। इसमें चीन (26) का स्थान ब्राज़ील (37), भारत (62) और दक्षिण अफ्रीका (69) से आगे है जबकि रूस को 19वां स्थान प्राप्त हुआ है।
- **सामाजिक-राजनीतिक प्रभाव**: जीवन मानकों में धीमी प्रगति और बढ़ती असमानता ने कई उन्नत एवं उभरती अर्थव्यवस्थाओं में राजनीतिक ध्रुवीकरण और सामाजिक सामंजस्य के विघटन में योगदान दिया है।
- WEF ने यह भी कहा कि समृद्ध एवं निर्धन देश समान रूप से भावी पीढ़ियों की रक्षा के लिए संघर्ष कर रहें हैं और इस बात के लिए सचेत किया है कि उच्च विकास, युवा पीढ़ियों में व्याप्त निराशाओं आदि सामाजिक कुंठाओं के लिए राम-बाण नहीं होगा।

भारत का प्रदर्शन

- 74 उभरती अर्थव्यवस्थाओं में से 62वें स्थान के साथ भारत सुधार की ओर अग्रसर है। तीन आधारों में से भारत ने समावेशन, संवृद्धि एवं विकास और अंतर-पीढ़ीगत समानता पर बेहतर स्थान प्राप्त किया है।
- यद्यपि गत पाँच वर्षों में भारत में निर्धनता में कमी आयी है, तथापि 10 में से 6 व्यक्ति अभी भी 3.20 डॉलर प्रतिदिन से भी कम में जीवन निर्वाह करते हैं। अतः इस आयाम में भारत को पर्याप्त सुधार की आवश्यकता है।

3.12. वर्ल्ड एम्प्लॉयमेंट एंड सोशल आउटलुक 2018

(World Employment And Social Outlook 2018)

सुर्ख़ियों में क्यों?

- हाल ही में, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ने **वर्ल्ड एम्प्लॉयमेंट एंड सोशल आउटलुक ट्रेंड्स - 2018** पर रिपोर्ट जारी की।

अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन (ILO)

- **इसकी स्थापना 1919 में की गई** थी। यह संगठन 1946 में संयुक्त राष्ट्र से संबद्ध प्रथम विशेषीकृत एजेंसी बना।
- इसमें भारत सहित कुल 187 सदस्य सम्मिलित हैं।
- यह **त्रिपक्षीय शासी संरचना वाला** संयुक्त राष्ट्र का **एकमात्र** ऐसा संगठन है जो श्रमिकों, नियोक्ताओं और सरकार का प्रतिनिधित्व करता है।
- यह श्रम मानकों को निर्धारित करता है तथा सभी महिलाओं एवं पुरुषों के लिए उचित कार्य को बढ़ावा देने हेतु नीतियों और कार्यक्रमों संबंधी योजनाओं का निर्माण करता है।

रिपोर्ट में वैश्विक रुझानों की मुख्य विशेषताएं

- **वैश्विक बेरोजगारी दर**– 2018 में इसके 5.5% पर (2017 में 5.6%) आने की संभावना है। हालाँकि, श्रम बाज़ार में प्रवेश करने वाले लोगों की बढ़ती संख्या के चलते, वैश्विक रोजगार 190 मिलियन से अधिक होंगे।
- **वल्नरेबल एम्प्लॉयमेंट**: रोजगार के सुभेद्य प्रारूपों (स्वनियोजित श्रमिक एवं पारिवारिक श्रमिकों के सहयोग से संचालित) में कार्यरत श्रमिकों की संख्या में 2018 और 2019 में 17 मिलियन प्रतिवर्ष की वृद्धि होने की संभावना है।
- **कार्यशील गरीबी**: कार्यशील गरीबी (वर्किंग पावर्टी) को कम करने में वैश्विक प्रगति निराशाजनक रही है। 2018 में कार्यशील गरीबी के 114 मिलियन से अधिक या सभी नियोजित लोगों के 40% से अधिक होने की संभावना है।
- **श्रम बाज़ार में असमानता**: महिलाओं को क्षेत्रक, व्यवसाय और रोजगार संबंधों के प्रकारों के सन्दर्भ में अलगाव का सामना करना पड़ता है। इसी प्रकार, युवा बेरोजगारी की वैश्विक दर 13% है।
- **सेवा क्षेत्रक में संरचनात्मक परिवर्तन**: सेवा क्षेत्रक के अंतर्गत रोजगार में वृद्धि हो रही है। जबकि विनिर्माण क्षेत्र में रोजगार दर में निरंतर गिरावट हो रही है, जो "अपरिपक्व वि-औद्योगीकरण" के जारी रुझान की पुष्टि करता है।

- **वृद्धोन्मुखी जनसँख्या**: वैश्विक स्तर पर, 65 वर्ष या उससे अधिक आयु वाले लोगों की संख्या 2017 के 9.3 प्रतिशत से बढ़कर 2030 में कुल आबादी का 11.7 प्रतिशत हो जाएगी। इसके परिणामस्वरूप, श्रम बल के विकास की धीमी गति पूंजी-श्रम अनुपात को अस्थिर कर सकती है और वृद्ध आबादी को सहायता देने हेतु सरकार के वित्तीय दायित्वों में वृद्धि हो सकती है।

भारत के सन्दर्भ में रुझान

- भारत में 2017 में बेरोजगारी के, 17.8 मिलियन के पूर्वानुमान से बढ़कर 18.3 मिलियन तक होने का अनुमान है।
- भारत में लगभग सभी विनिर्माण उद्योगों में अनौपचारिक रोजगार में वृद्धि हुई है। इसका कारण यह है कि श्रम बाज़ार में कठोरता बहुत अधिक है जिसके चलते आधुनिक विनिर्माण में रोजगार के अवसरों के सृजन में भी अवरोध उत्पन्न हुआ है।
- विगत कुछ दशकों में सशक्त रोजगार सृजन करने वाली कुछ ICT-गहन सेवाओं में भी मुख्यत: निचले व कम मूल्य वाली सेवाओं में रोजगार में वृद्धि देखने को मिली है जिसकी प्रकृति प्रायः अनौपचारिक एवं सुभेद्य होती है।

3.13. वैश्विक प्रतिभा प्रतिस्पर्धा सूचकांक

(Global Talent Competitiveness Index)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, INSEAD द्वारा एडिको ग्रुप और टाटा कम्युनिकेशंस के सहयोग से वैश्विक प्रतिभा प्रतिस्पर्धा सूचकांक (ग्लोबल टैलेंट कम्पेटिटिवेनेस्स इंडेक्स: GTCI) जारी किया गया है।

डाइवर्सिटी फॉर कॉम्पेटिटिवनेस

विविधता को भिन्न-भिन्न व्यक्तित्वों, ज्ञान-कोषों(knowledge sets), अनुभवों और समस्या-समाधान दृष्टिकोण से युक्त व्यक्तियों के मध्य सहयोग के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। यह रिपोर्ट तीन प्रकार की विविधता की ओर इंगित करती है:

- **संज्ञानात्मक विविधता (Cognitive diversity)**– ज्ञान, अनुभव और दृष्टिकोण या समस्याओं से निपटने हेतु उपाय जिसका परिणाम नवाचार और उत्कृष्ट प्रदर्शन होता है।
- **समरूप विविधता (Identity diversity)**–इसमें प्रत्यक्ष जनसांख्यिकीय वर्गीकरण जैसे कि लिंग, जातीयता, धार्मिक विश्वास, लैंगिक प्राथमिकता, राष्ट्रीयता और आयु सम्मिलित हैं।
- **प्राथमिकता/वरीयता संबंधी विविधता (Preference diversity)**–यह व्यक्तियों, संगठनों, शहरों और राष्ट्रों में विद्यमान मूल हितों और मान्यताओं में अंतर को संदर्भित करती है।

वर्तमान अर्थव्यवस्था में, व्यवधान सामान्य हैं क्योंकि व्यवसाय परिवेश अस्थिर, अनिश्चित, जटिल और अस्पष्ट होता है। अतः, प्रतिस्पर्धी रहने के लिए दक्षता, समस्या-समाधान योग्यता और नवाचार की आवश्यकता होती है।

इससे स्पष्ट होता है कि विकास एवं प्रतिस्पर्धात्मकता के संचालन हेतु केवल प्रतिभा पर्याप्त नहीं है, प्रतिभा में विविधता का होना महत्वपूर्ण है। उदाहरण के लिए, अमेरिका में लैंगिक और नैतिक विविधताओं वाली फर्मों में उच्च बिक्री होती है, अधिक ग्राहक होते हैं और इन फर्मों को सापेक्षिक रूप से अत्यधिक लाभ होता है।

GTCI से संबंधित अन्य महत्वपूर्ण तथ्य

यह एक वार्षिक मानदंड निर्धारक रिपोर्ट है। यह **प्रतिभा को आकर्षित करने, विकसित करने एवं बनाए रखने की क्षमताओं** के आधार पर 119 देशों और 90 शहरों का मूल्यांकन करती है एवं उन्हें रैंक प्रदान करती है। इसे 2013 में आरंभ किया गया था और वर्तमान रिपोर्ट इसका पांचवां संस्करण है।

- GTCI, 2018 रिपोर्ट की थीम है- **डाइवर्सिटी फॉर कॉम्पेटिटिवनेस**।
- इसे एक **इनपुट-आउटपुट मॉडल** के आधार पर विकसित किया गया है। यह मॉडल राष्ट्र द्वारा प्रतिभाओं के विकास एवं सृजन (इनपुट) हेतु किए गए प्रयास और परिणामस्वरूप उनके लिए उपलब्ध कौशल (आउटपुट) का संयुक्त मूल्यांकन करता है।

GTCI के महत्वपूर्ण निष्कर्ष

- इस सूची में 25 में से 15 स्थानों पर विकसित और उच्च आय वाले यूरोपीय देशों का वर्चस्व रहा है। सूची में स्विट्ज़रलैंड शीर्ष पर और उसके बाद सिंगापुर और संयुक्त राज्य अमेरिका का स्थान है।
- शीर्ष देशों की **सामान्य विशेषताएं** हैं– रोजगार-योग्यता पर आधारित शैक्षणिक प्रणाली, नम्य(flexible) नियामक एवं व्यापार परिदृश्य, लोचशील व सामाजिक संरक्षण से युक्त रोजगार नीतियां और बाहरी एवं आंतरिक स्पष्टता।
- शहरों के संदर्भ में, ज़्यूरिख (स्विट्ज़रलैंड), स्टॉकहोम (स्वीडन) और ओस्लो (नॉर्वे) को GTCI में शीर्ष तीन स्थान प्राप्त हुए है।
- **उभरते बाज़ारों में धीमे विकास** के बावजूद, ब्रिक्स देशों ने काफी हद तक अच्छा प्रदर्शन किया है। ब्राजील को 73 वां, रूस को 53वां, चीन को 43 वां और दक्षिण अफ्रीका को 63वां स्थान प्राप्त हुआ है। हालाँकि, भारत सबसे ख़राब प्रदर्शन करने वाला ब्रिक्स देश रहा है, परन्तु इसकी रैंकिंग में सुधार (92वें से 81वां) हुआ है।

VISION IAS

- भारत को औपचारिक शिक्षा (67), आजीवन अध्ययन (37) और सामान्य ज्ञान कौशल (63) में औसत अंक प्राप्त हुए हैं।
- परन्तु भारत ब्रेन ड्रेन (प्रतिभा पलायन) के गंभीर जोख़िम का सामना कर रहा है। जैसा कि रिपोर्ट में स्पष्ट किया गया है कि भारत प्रतिभावान डायस्पोरा (98वां स्थान) को आकर्षित करने और स्वयं की प्रतिभाओं को बनाये रखने (99वां स्थान) में असमर्थ रहा है।

इनपुट पिलर्स -

- **आकर्षित करना (Attract)**: इस घटक को विदेशी मूल्यवान संसाधनों को आकर्षित करने के संबंध में देखा जा सकता है। जबकि आंतरिक आकर्षण को वंचित एवं कमज़ोर वर्गों जैसे समूहों के लिए टैलेंट पूल में प्रवेश करने में आने वाली बाधाओं को समाप्त करने पर केन्द्रित होना चाहिए।
- **विकास करना (Grow)**: यह घटक शिक्षा पर केन्द्रित है और बड़े पैमाने पर प्रशिक्षुता, प्रशिक्षण एवं निरंतर शिक्षा के साथ–साथ अनुभव और विकास के अवसरों तक पहुँच को शामिल करता है।
- **प्रतिधारित करना(retain)**: किसी देश में नियामक प्रावधान, बाज़ार, व्यापार और श्रम परिदृश्य; प्रतिभा के आकर्षण एवं विकास को सुगम बनाते हैं या इसमें बाधा उत्पन्न करते हैं और इस प्रकार प्रतिभा को बनाये रखते हैं।
- **सक्षम करना(Enable)**: उपरोक्त सभी स्तंभों को एक साथ GTCI के सक्षम(enable) स्तंभ के भाग के रूप में वर्गीकृत किया जाता है।

3.14. वैश्विक विनिर्माण सूचकांक

(Global Manufacturing Index)

- विश्व आर्थिक मंच ने अपना **वैश्विक विनिर्माण सूचकांक** जारी किया जिसमें भारत को 30वां स्थान प्राप्त हुआ है।
- भारत के विनिर्माण क्षेत्र में पिछले तीन दशकों में औसतन 7 प्रतिशत प्रतिवर्ष से अधिक की वृद्धि हुई है और भारत की GDP में इसका हिस्सा 16-20% रहा है।
- भारत में मांग कारक (जहाँ इसे शीर्ष 5 में स्थान दिया गया है) को छोड़कर उत्पादन के सभी कारकों में सुधार की संभावनाएं है।
- रिपोर्ट में, 2017 में **अवसंरचना में 59 अरब डॉलर के निवेश** की घोषणा के साथ भारत को वैश्विक विनिर्माण का केंद्र बनाने के लिए और एक अधिक अंतर्संबंधित अर्थव्यवस्था के विकास के लिए **'मेक इन इंडिया'** पहल का उल्लेख किया गया।
- श्रम बल में महिलाओं की भागीदारी, व्यापार शुल्क, नियामक दक्षता और संधारणीय संसाधनों के मामलों में भारत की रैंकिंग निम्न स्तर पर है (90वें या इससे भी कम)।
- रिपोर्ट में **मानव पूँजी और संधारणीय संसाधनों** को भारत के लिए **दो प्रमुख चुनौतियों** के रूप में सूचीबद्ध किया गया।

अन्य महत्वपूर्ण देशों की तुलना में भारत का प्रदर्शन

- सूचकांक में जापान, प्रथम स्थान पर है।
- चीन 'अग्रणी' देशों' की सूची में जबकि ब्राज़ील और दक्षिण अफ्रीका 'विकासोन्मुख' देशों की सूची में शामिल हैं।
- ब्रिक्स देशों में रूस 35वें, ब्राज़ील 41वें और दक्षिण अफ्रीका 45वें स्थान पर है।
- भारत अपने पड़ोसियों श्रीलंका (66वें), पाकिस्तान (74वें) और बांग्लादेश (80वें) से बेहतर स्थान पर है।
- भारत को हंगरी, मेक्सिको, फिलीपींस, रूस, थाईलैंड और तुर्की के साथ-साथ 'लीगेसी' सूची में शामिल है।

रिपोर्ट के अनुसार 100 देशों का चार प्रमुख समूहों में वर्गीकरण:

- **अग्रणी (Leading)** (वर्तमान में सुदृढ़ आधार, भविष्य के लिए तैयारी का उच्च स्तर)
- **उच्च क्षमता (High Potential)** (वर्तमान में सीमित आधार, भविष्य के लिए उच्च क्षमता)
- **लीगेसी (Legacy)** (वर्तमान में सुदृढ़ आधार, भविष्य के लिए जोख़िम की ओर)
- **विकासोन्मुख (Nascent)** (वर्तमान में सीमित आधार, भविष्य की तैयारी का निम्न स्तर)

3.15. भारत में इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण

(Electronics Manufacturing In India)

सुर्ख़ियों में क्यों?

भारत का इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण, बढ़ती मांग को पूरा करने में असमर्थ सिद्ध हो रहा है। इसके परिणामस्वरूप आयात बिल में वृद्धि हो रही है तथा लाखों लोगों के लिये रोजगार के अवसर भी कम हुए हैं।

इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग या इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम डिजाइन एंड मैन्युफैक्चरिंग (ESDM) क्या है?

इलेक्ट्रॉनिक्स सेक्टर या इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम डिजाइन एंड मैन्युफैक्चरिंग (ESDM) उद्योग, उद्योगों और उपभोक्ताओं के लिए कम्प्यूटर, टेलीविजन और सर्किट बोर्डों जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरणों का उत्पादन करते हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स सेक्टर के उद्योगों में निम्नलिखित खंड सम्मलित हैं:

- **इलेक्ट्रॉनिक उत्पाद बाजार**

VISION IAS

- **इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण सेवाएं (EMS) बाजार**
- **पुर्जा (कॉम्पोनेन्ट) बाजार**
- **सेमीकन्डक्टर डिजाइन बाजार**

वर्ष 2017 में 81% की भागीदारी के साथ इलेक्ट्रॉनिक उत्पाद बाजार का ESDM उद्योग पर प्रभुत्व रहा जबकि 2014 से 2020 के बीच पुर्जा और इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण सेवा (EMS) बाजारों में उच्च वृद्धि की संभावना है।

बाजार का आकार

- देश में इलेक्ट्रॉनिक्स हार्डवेयर की मांग वर्ष 2015 के 75 बिलियन डालर से बढ़कर वर्ष 2020 में 400 बिलियन डॉलर तक होने का अनुमान है। अनुमानित उत्पादन वर्ष 2020 में 104 बिलियन डॉलर तक पहुंच जाएगा तथा मांग और उत्पादन के बीच का अंतर 296 बिलियन डॉलर होगा।
- 2015 में वैश्विक इलेक्ट्रॉनिक्स बाजार में भारत की भागीदारी 1.6% के निम्न स्तर पर थी, जिसका वर्तमान मूल्य 1.75 ट्रिलियन डालर है।

ESDM उद्योग का SWOT विश्लेषण

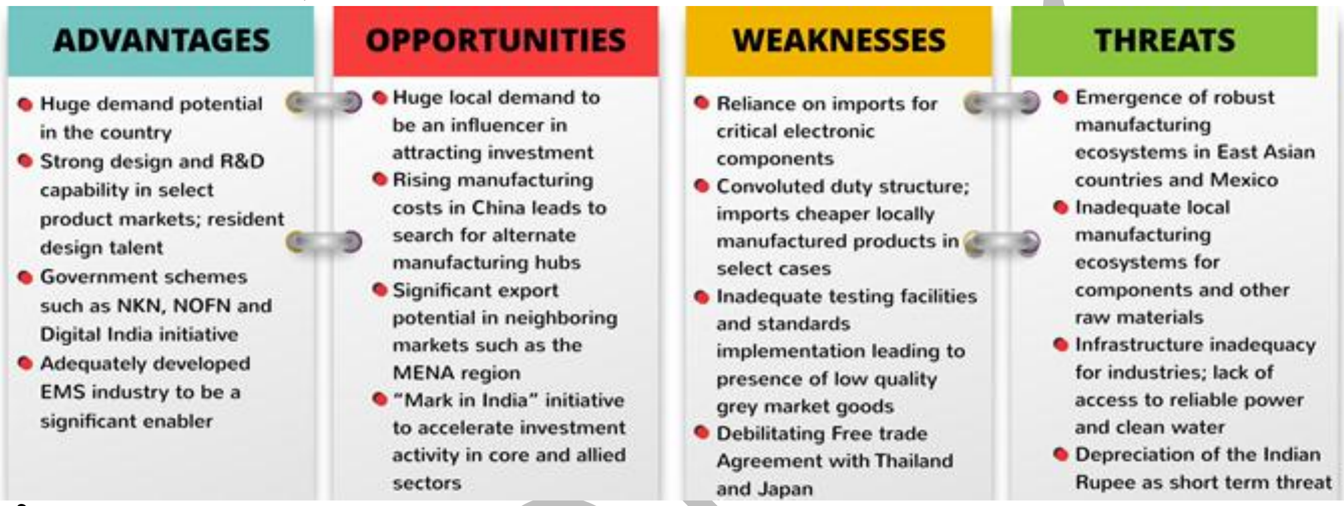

नवीनतम रुझान

- देश में इलेक्ट्रॉनिक्स की कुल मांग में से उत्पादों का 50-60% और पुर्जों का 70-80% आयात होता है। यदि स्थिति में परिवर्तन नहीं होता है तो 2020 तक इलेक्ट्रोनिक आयात पर व्यय तेल के आयात पर होने वाले व्यय से भी अधिक हो जाएगा।
- भारत सरकार की व्यापार-अनुकूल नीतियों, स्थिर राजनीतिक नेतृत्व और विश्व की कुछ अर्थव्यवस्थाओं में उथल-पुथल आदि ने भारत में निवेश के लिए अनुकूल परिवेश सृजित किया है। इससे घरेलू विनिर्माण में वृद्धि हुई है।

निर्यात में भारत की भागीदारी में कमी के कारण:

- **इलेक्ट्रॉनिक वस्तुओं के लिए इन्वर्टेड कर संरचना:** स्थानीय पुर्जा (कॉम्पोनेन्ट) आपूर्तिकर्ताओं के सीमित आधार के कारण निर्माता इनके आयात पर निर्भर हैं।
- इलेक्ट्रॉनिक्स में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) का कुल प्रवाह 1% से भी कम है तथा कठोर श्रम कानूनों, भूमि अधिग्रहण में विलम्ब और अनिश्चित कर व्यवस्था ने निवेशकों को हतोत्साहित किया है।
- ईज ऑफ डूइंग बिज़नस रैंकिंग के अनुसार, सीमा पार व्यापार की प्रक्रियाएं भारतीय उत्पादकों को कम प्रतिस्पर्धी बनाती हैं। अनुपालन की उच्च लागत के कारण ईज ऑफ डूइंग बिज़नेस रिपोर्ट की सीमा पार व्यापार श्रेणी में भारत का 146वां स्थान है।

राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स नीति (NPE) 2012

विजन: देश की आवश्यकताओं और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सेवाओं के लिए वैश्विक रूप से प्रतिस्पर्धी इलेक्ट्रॉनिक डिजाइन और विनिर्माण उद्योग का सृजन करना।

NPE के 2020 के लिये लक्ष्य

- 2020 तक लगभग 400 बिलियन डॉलर का कारोबार करना।
- 100 बिलियन डॉलर का निवेश।
- 2020 तक 28 मिलियन रोजगार प्रदान करना।
- 55 बिलियन डॉलर के चिप डिजाइन और एम्बेडेड सॉफ्टवेयर उद्योग का कारोबार करना और इस सेक्टर से 80 बिलियन डॉलर का निर्यात करना।
- 200 से अधिक इलेक्ट्रॉनिक्स क्लस्टरों की स्थापना करना।
- इस सेक्टर में 2020 तक वार्षिक 2500 PhDs प्राप्त करने हेतु उच्च स्तर के मानव संसाधनों का सृजन करना।

सरकार की पहल:

- सरकार ने राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स नीति (NPE) को स्वीकृति दे दी है।
- *मेक इन इण्डिया* अभियान में सरकार ने इलेक्ट्रॉनिकी उद्योग को प्राथमिकता क्षेत्र में सूचीबद्ध किया है।
- **संशोधित विशेष पैकेज योजना (MSIPs),** पूंजीगत व्यय पर 25% (SEZ में 20%) का अनुदान प्रदान करती है।
- **इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर स्कीम** में ग्रीनफील्ड क्लस्टर (इलेक्ट्रॉनिकी विनिर्माण के दृष्टिकोण से अविकसित और अल्प विकसित क्षेत्रों) में अवसरंचना और सहभागी सुविधाओं के विकास हेतु लागत का 50% और ब्राऊनफिल्ड क्लस्टर्स (जहाँ पहले से ही महत्त्वपूर्ण संख्या में EMC उपस्थित हैं) के लिए लागत का 75% प्रदान किया जाता है। वर्तमान में लगभग 30 विनिर्माण क्लस्टर अधिसूचित हैं और भारत सरकार का 2020 तक 200 इलेक्ट्रॉनिकी विनिर्माण क्लस्टर बनाने का लक्ष्य है।
- **सरकारी खरीद में स्वदेश निर्मित वस्तुओं को प्राथमिकता।** खरीद की यह सीमा 30% से कम नहीं होगी।
- इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्र में इलेक्ट्रॉनिक और IP उत्पादन में स्टार्ट-अप को प्रोत्साहित करने के लिए इलेक्ट्रॉनिकी क्षेत्र में शोध और विकास और नवोन्मेष के लिए एक **इलेक्ट्रॉनिक्स विकास निधि** सक्रिय रूप से विचाराधीन है।
- विभाग ने देश में दो सेमीकन्डक्टर वेफर फेब्रिकेशन विनिर्माण सुविधाओं की स्थापना के लिए **अनुमति** प्रदान कर दी है।
- इलेक्ट्रॉनिक्स और IT क्षेत्रक में अधिकतम अनुसन्धान को प्रोत्साहन देने हेतु भारत सरकार देश भर के विश्वविद्यालयों में उद्योग की विशिष्ट आवश्यकताओं पर अनुसन्धान करने वाले Ph.D.-छात्रों का वित्तपोषण करेगी।
- कौशल विकास में सहायता प्रदान करने की योजना के अंतर्गत भारत सरकार, कुशल और अर्द्ध-कुशल श्रमिकों हेतु उद्योग-विशिष्ट कौशल के लिए 75% से 100% प्रशिक्षण की लागत प्रदान करती है।
- परीक्षण प्रयोगशालाओं की अवसरंचनाओं में निवेश के अवसरों को अनिवार्य मानक व्यवस्था के अधीन कार्यान्वित किया गया।
- आंध्रप्रदेश और कर्नाटक सहित कई राज्य सरकारें पहले से ही अपने इलेक्ट्रॉनिक्स नीतियों के अंग के रूप में पूरक प्रोत्साहन की घोषणा कर चुकी हैं। मध्यप्रदेश, आंध्रप्रदेश, पंजाब और केरल द्वारा इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर्स की घोषणा की गयी है।
- इसके अतिरिक्त, ESDM क्षेत्रक में सूक्ष्म, लघु और मध्यम क्षेत्रक के उद्यमों (MSMEs) को मान्यता प्रदान करने और प्रोत्साहित करने के लिए एक राष्ट्रीय योजना की घोषणा की गयी है।

चीन के साथ तुलना

विनिर्माण में चीन की प्रतिस्पर्धात्मकता	विनिर्माण में भारत की प्रतिस्पर्धात्मकता
• चीन में *इकोनोमी ऑफ स्केल* के साथ स्थिर और पर्याप्त आपूर्ति श्रृंखला के कारण पिछले दो दशकों में चीन ने कम लागत और अधिक लाभ वाली इलेक्ट्रॉनिक वस्तुओं का उत्पादन किया है। • इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग में इसके प्रभुत्व का प्रमुख कारण सरकार द्वारा इसे प्रदान की गयी अतुलनीय सहायता, मुख्य रूप से सभी हितधारकों को पूँजी अनुदान और करों में प्रदत्त छूट है। • चीन ने स्वयं को वैश्विक इलेक्ट्रॉनिक दिग्गजों के लिए एक निर्यात गन्तव्य स्थल में परिवर्तित किया है, क्योंकि चीन कम मजदूरी पर योग्य श्रमिकों की आपूर्ति करता है। • चूंकि चीन की अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर मंद हो रही है, इसे मुद्रा अवमूल्यन और श्रमिकों की बढ़ती हुई मजदूरी से जूझना पड़ रहा है, इसलिए 'कम लागत में निर्माण' का इसका टैग अब अपनी चमक खो रहा है। इससे भारत, वियतनाम और मलेशिया जैसी उभरती हुई अर्थव्यवस्थाएं निवेशकों के लिए अधिक आकर्षक बन रही हैं।	• दूसरी ओर भारत की विनिर्माण प्रतिस्पर्धात्मकता का आगे बढ़ना निश्चित है, क्योंकि अर्थव्यवस्था विकास के मार्ग पर प्रशस्त है। • इलेक्ट्रॉनिक्स की विशाल घरेलू मांग स्थानीय अर्थव्यवस्था के विकास की आवश्यकता के लिए महत्त्वपूर्ण संचालक होगी। • बढ़ता हुआ निवेश तथा बढ़ते हुए स्थानीय मूल्य संवर्धन के स्तर में भी कई गुणा वृद्धि होगी, क्योंकि अपेक्षाकृत अधिक OEM अपने उत्पादों को भारत में निर्मित करेंगे। • विदेशी और घरेलू निवेश को आकर्षित करने के लिए विनियामक संरचना को निवेश और व्यवसाय के और अधिक अनुकूल बनाया गया है। • चीन की तुलना में भारत में लगभग 150% कम मजदूरी पर बेहतर डिजाइन क्षमताओं से युक्त प्रतिभाशाली कार्यबल उपलब्ध है। यह भविष्य में विश्व के लिए घरेलू-सह-निर्यात उन्मुखी विनिर्माण गन्तव्य के रूप में इसकी स्थिति को सुदृढ़ करता है।

3.16.गवर्नमेंट ई-मार्केटप्लेस 3.0

(Government E-Marketplace : GeM) 3.0

सुर्खियों में क्यों?

सरकार ने GeM 3.0 लांच करने की घोषणा की है।

इस समाचार के सम्बन्ध में अधिक जानकारी

- 2016 में सरकार के विभिन्न मंत्रालयों और एजेंसियों द्वारा वस्तुओं और सेवाओं की खरीद की सुविधा के लिए एक ऑनलाइन विपणन मंच के रूप में गवर्नमेंट ई-मार्केटप्लेस (GeM) लांच किया गया था। अब तक 17 राज्यों ने GeM को अपनाने के लिए MoU पर हस्ताक्षर किए हैं।
- भारत सरकार द्वारा इसकी परिकल्पना **भारत के राष्ट्रीय खरीद पोर्टल के रूप** में की गयी है।

- इसकी निगरानी प्रधानमन्त्री कार्यालय द्वारा प्रत्यक्ष रूप से की जाती है। एक वर्ष में इस पर 50,000 करोड़ रूपये तक के लेनदेन होने का अनुमान है और अगले चार से पांच वर्षों में इसके 2 लाख करोड़ रूपये तक पहुंचने का लक्ष्य है।
- GeM 3.0 मानकीकृत और बेहतर नामावली प्रबन्धन, सशक्त सर्च इंजन, मूल्य की रियल टाइम में तुलना, उपयोगकर्ताओं की रेटिंग, उन्नत MIS और विश्लेषण प्रदान करेगा।
- केंद्र और राज्य सरकार के संगठनों द्वारा आवश्यक वस्तुओं और सेवाओं की खरीद हेतु कम्पनी अधिनियम के सेक्शन 8 के अंतर्गत GeM के लिए एक **स्पेशल पर्पज़ व्हीकल** (GeM SPV) का भी निर्माण किया गया।
- GeM 2.0 से GeM 3.0 तक संक्रमण हेतु विक्रेताओं/सेवा प्रदाताओं को प्रशिक्षित करने के लिए **नेशनल सेलर्स ऑन-बोर्डिंग कैंपेन** प्रारम्भ किया गया है।
- GeM, विभिन्न चरणों में ई-साइन के कारण प्रक्रिया को और अधिक पारदर्शी, कुशल और पूर्ण सुरक्षा सुविधाओं से युक्त बनाता है। यह सरकारी खरीददारों द्वारा भारत में मेक इन इण्डिया और लघु उद्योगों से क्रय को सुगम बनाता है।

3.17. GST ई-वे बिल

(GST E-Way Bill)

सुर्ख़ियों में क्यों?

- ई-वे बिल का उद्देश्य GST के अंतर्गत वस्तुओं की आवाजाही पर नज़र रखना है। इसे 1 फरवरी, 2018 से अंतरराज्यीय व्यापार हेतु अनिवार्य बनाया जाना था।
- हालाँकि, प्रारंभिक तकनीकी त्रुटियों के कारण ई-वे बिल के निर्माण में आने वाली कठिनाइयों को देखते हुए, सरकार ने वस्तुओं की अंतरराज्यीय एवं राज्यांतरिक आवाजाही दोनों के लिए, ई-वे बिल बनाने के परीक्षण चरण को आगे बढ़ाने का निर्णय लिया है। यह अधिसूचना की तिथि से लागू होगा।

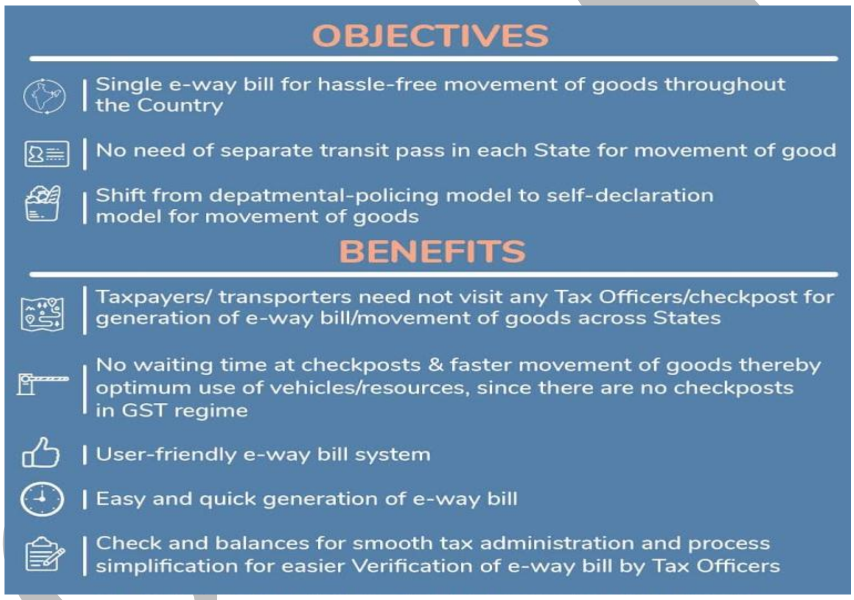

ई-वे बिल क्या है?

- ई-वे बिल एक दस्तावेज़ है। सरकार द्वारा अधिदेशित GST अधिनियम की धारा 68 के अनुसार नए वस्तु एवं सेवा कर (GST) के अंतर्गत 50,000 रुपये से अधिक मूल्य की वस्तुओं को 10 किमी. से बाहर बिक्री के लिए ले जाने वाले वाहन के प्रभारी व्यक्ति द्वारा ई-वे बिल को ले जाना अनिवार्य होता है।
- इसे वस्तुओं को भेजने से पहले पंजीकृत व्यक्तियों या ट्रांसपोर्टरों द्वारा GST कॉमन पोर्टल से जारी किया जाता है।

वैधता

- ई-वे बिल या समेकित ई-वे बिल की वैधता माल को भेजे जाने वाली दूरी पर निर्भर करती है।
- 100 किमी. की दूरी तक इसकी वैधता एक दिन है और तत्पश्चात् प्रत्येक 100 किमी. के लिए इसकी वैधता एक अतिरिक्त दिन है।

छूट

- 50,000 रुपये से कम मूल्य का माल।
- कस्टम क्लियरेंस के लिए अंतर्राष्ट्रीय पत्तनों से पृष्ठप्रदेशीय पत्तनों (हिन्टरलैंड पोर्ट्स) को ले जाया जाने वाला माल।
- केंद्र व राज्य सरकार द्वारा विशिष्ट क्षेत्र के अंतर्गत अंतर-राज्यीय परिवहन।
- यदि माल गैर-मोटर चालित वाहनों द्वारा ले जाया जाता है।
- GST परिषद् द्वारा अनुमोदित 150 से अधिक वस्तुओं की सूची जिसमें पालतू जानवर, फल एवं सब्जियां ताज़ा दूध, खादी, मृद-भांड, मानव रक्त आदि सम्मिलित हैं।

ई-वे बिल से संबधित चुनौतियाँ

- यह सुनिश्चित करना कि प्रत्येक ट्रांसपोर्टर (विशेषकर छोटे शहरों में) जानता हो कि GSTN पोर्टल का उपयोग कैसे करना है।
- **भारत में इन्टरनेट कनेक्टिविटी:** इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि ट्रांसपोर्टर, पारगमन के दौरान, अपनी शिकायतों (यदि कोई हो) को दर्ज कराने के लिए GSTN पोर्टल का उपयोग करने में सक्षम होंगे।
- **RFIDs और RFID रीडर का उपयोग:** प्रमुख चेक पॉइंट्स पर ट्रांसपोर्ट वाहनों के लिए सत्यापन की स्वचालित विधि का विचार बहुत आदर्श प्रतीत होता है, परन्तु इसे सुनिश्चित करना कठिन हो सकता है।

- **ई-वे बिलों की वैधता के लिए सख्त समय सीमा:** वैधता की गणना, तय की जाने वाली दूरी के अनुसार की गयी है और कुछ व्यवसायी इसे अवास्तविक मानते हैं।

ई-वे बिल की अन्य विशेषताएं

- **अवरोधन समय में कमी**: यदि किसी वाहन को 30 मिनट से अधिक समय के लिए रोका जाता है, तो ट्रांसपोर्टर शिकायत दर्ज करा सकता है।
- **GSTR-1 फाइलिंग की सुविधा**: ई-वे बिल जारी करने की प्रक्रिया में प्रस्तुत किए गए विवरणों के आधार पर GST रिटर्न फॉर्म में संबद्ध विवरण स्वत: पूर्ण हो जाते हैं।
- **दोहरी जाँच पर रोक:** कर अधिकारियों को कर चोरी की जांच के लिए पारगमन के दौरान किसी भी स्थान पर ई-वे बिल के संवीक्षण का अधिकार होगा। हालांकि, एक बार सत्यापित हो जाने पर, आवाजाही के दौरान ई-वे बिल की दोबारा जांच नहीं की जाएगी।
- **सरल ट्रैकिंग:** एक विशिष्ट ई-वे बिल नंबर (EBN) के साथ एक QR कोड के माध्यम से।
- **ई-वे बिल को प्राप्त करने के कई तरीके** जैसे लैपटॉप, डेस्कटॉप या फोन पर SMS/Android ऐप/वेब ब्राउज़र के माध्यम से/उपयोग की सुविधा के लिए सुविधा प्रदाता आदि तृतीय पक्ष आधारित सिस्टम के माध्यम से।
- बिल के उत्पन्न होने के 72 घंटों के भीतर **प्रेषिती(consignee) की स्वीकृति की आवश्यकता।**
- **ई-वे बिल को रद्द करने का प्रावधान**: इसके जारी होने के 24 घंटों के भीतर।

आगे की राह

- इंटरनेट कवरेज और ई-साक्षरता जैसे तकनीकी पहलुओं का ध्यान रखना।
- नई व्यवस्था के बारे में उपयोगकर्ताओं को जागरूक करना। व्यापारियों, निर्माताओं, ट्रांसपोर्टरों और अन्य हितधारकों को पर्याप्त प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए।
- सरकार को भी अपरिहार्य विलंब (उदाहरण के लिए प्राकृतिक या मानव-निर्मित आपदाओं के कारण) की स्थिति वाले मामलों में इनकी समाप्ति के लिए नियमों को सूचीबद्ध करना होगा।

3.18. पत्तन विकास के लिए मॉडल रियायत समझौता

(Model Concession Agreement For Port Development)

सुर्खियों में क्यों?

हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सागरमाला कार्यक्रम के अंतर्गत परिकल्पित प्रमुख पत्तनों में सार्वजनिक-निजी भागीदारी परियोजनाओं (PPP) के लिए मॉडल रियायत समझौते (MCA) में परिवर्तनों को स्वीकृति प्रदान की है।

पृष्ठभूमि

- भारत में लगभग 7,500 किमी. लंबा समुद्र तट और लगभग 14,500 किलोमीटर संभावित नौवहन योग्य जलमार्ग हैं।
- पश्चिमी और पूर्वी तट रेखाओं पर स्थित 12 प्रमुख और 200 गौण पत्तन अभी तक भारत के 90% व्यापार के लिए उत्तरदायी रहे हैं।
- भारत में पत्तनों का विकास **समवर्ती सूची** का विषय है। प्रमुख पत्तन, केंद्र सरकार द्वारा प्रमुख पत्तन अधिनियम, 1963 के तहत विनियमित किए जाते हैं तथा गौण पत्तन, राज्य सरकारों द्वारा भारतीय पत्तन अधिनियम 1908 के तहत नियंत्रित किए जाते हैं।
- प्रमुख पत्तनों में PPP परियोजनाएं **राजस्व साझेदारी मॉडल** पर काम करती हैं और **महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण** (TAMP) द्वारा विनियमित होती हैं।

सागरमाला पहल

- यह पोत परिवहन मंत्रालय की एक पहल है और इसके 4 स्तंभ हैं:
  - **पत्तन आधुनिकीकरण** और नए पत्तनों का विकास,
  - रेल गलियारों, माल ढुलाई के अनुकूल एक्सप्रेस वे और अंतर्देशीय जलमार्गों के माध्यम से **पोर्ट कनेक्टिविटी में वृद्धि,**
  - CEZ, SEZ और विनिर्माण संकुलों के माध्यम से **पत्तन-संबद्ध औद्योगिकीकरण** को बढ़ावा देना और
  - **तटीय सामुदायिक विकास**
- ऐसा अनुमान लगाया गया है कि सागरमाला पहल से 2025 तक भारत से व्यापारिक वस्तुओं का निर्यात बढ़कर 110 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो सकता है साथ ही यह लगभग 10 मिलियन नए रोजगार सृजित कर सकता है।

सरकार द्वारा उठाए गए अन्य कदम

- स्वचालित मार्ग के तहत 100% **विदेशी प्रत्यक्ष निवेश (FDI)** की अनुमति,
- आयकर अधिनियम, 1961 के अंतर्गत आयकर प्रोत्साहन की अनुमति,
- प्रमुख पत्तनों और विदेशी पत्तनों, गौण पत्तनों और निजी कंपनियों के बीच **संयुक्त उद्यमों** का निर्माण,
- प्रमुख पत्तन अधिनियम, 1963 को प्रमुख पत्तन प्राधिकरण विधेयक, 2016 से प्रतिस्थापित करने का प्रस्ताव,
- निविदा (बिडिंग) दस्तावेजों का मानकीकरण।

पत्तन विकास क्षेत्रक में PPP से संबंधित मुद्दे

भारत में पत्तन विकास में निजी क्षेत्र की भागीदारी को बाधित करने वाली विभिन्न चुनौतियां निम्नलिखित हैं:

- **अवसंरचना में अपर्याप्तताएं:** वर्तमान पत्तन ख़राब सड़क नेटवर्क, अपर्याप्त कार्गो-हैंडलिंग उपकरण और मशीनरी, अपर्याप्त नौवहन सहायता, अपर्याप्त तलाकर्षण क्षमता और पत्तन विकास के लिए तकनीकी विशेषज्ञता की कमी से ग्रसित हैं।
- **परियोजना जोखिमों को साझा करना:** संभरण (लॉजिस्टिक्स) क्षेत्रक या सरकारी नीतियों से संबंधित जोखिम वर्तमान में पूर्णतया रियायत प्राप्तकर्ता द्वारा उठाए जाते हैं जिस पर तत्काल ध्यान दिया जाना चाहिए।
- **वित्तीय अव्यवहार्यता:** भारत में ग्रीनफील्ड पत्तन परियोजनाएं सामान्यत: दूरदराज के स्थानों पर हैं। वहाँ आधारभूत अवसंरचना के निर्माण के लिये सरकारी सहायता प्रदान किये जाने की आवश्यकता है।
- **बाजार निर्धारित प्रशुल्कों की कमी:** वर्तमान में प्रमुख पत्तनों के लिए प्रशुल्क, महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण (TAMP) द्वारा निर्धारित किए जाते हैं, जिसकी प्रमुख पत्तनों और टर्मिनलों के लिए प्रशुल्क विनियम लागू करने की कोई मानक पद्धति नहीं है।
- **शिकायत निवारण तंत्र की अनुपस्थिति:** वर्तमान MCA में शिकायत निवारण तंत्र का कोई प्रावधान नहीं है। इस प्रकार विभिन्न पक्ष मुकदमेबाजी में फंस जाते हैं जिससे कई मामले वर्षों तक चलते है तथा इसके कारण दक्षता कम होती है।
- **सार्वजनिक क्षेत्र का प्रभुत्व:** सार्वजनिक क्षेत्र ने इस क्षेत्रक में प्रभुत्व बनाए रखा है तथा इसके अत्यधिक विनियमन ने प्रतिस्पर्धा में बाधा डाली है।
- **श्रमिकों से संबंधित मुद्दे:** अधिकांश प्रमुख पत्तन अकुशल और अप्रशिक्षित श्रम से ग्रसित हैं और ऐसे पत्तनों का विकास बार-बार होने वाली श्रमिक हड़तालों, अकुशलता और निम्न श्रम उत्पादकता के कारण अवरूद्ध होता है।

संशोधित MCA के मुख्य प्रावधान

- **निकासी धारा (Exit clause):** यह विकासकर्ता (डेवलपर्स) को समझौते से बाहर निकलने का मार्ग प्रदान करती है। इसके तहत डेवलपर्स, वाणिज्यिक परिचालन की तिथि (COD) से दो वर्ष पूरा होने के बाद अपनी इक्विटी को **100%** तक वापस ले सकते हैं।
- **रॉयल्टी व्यवस्था में परिवर्तन:** डेवलपर्स के लिए रॉयल्टी प्रति मिलियन टन कार्गो हैंडलिंग के आधार पर आरोपित की जाएगी तथा उसको थोक मूल्य सूचकांक से जोड़ा जायेगा। यह व्यवस्था **TAMP** द्वारा प्रशुल्क निर्धारण में मनमानी को कम करेगी।
- **निम्न भूमि प्रभार:** अतिरिक्त भूमि के लिए भूमि का किराया **200%** से घटाकर **120%** कर दिया गया है।
- **शिकायत निवारण के लिए तंत्र:** MCA, विवाद समाधान तंत्र के रूप में *सोसाइटी फॉर अफोर्डेबल रेड्रेसल ऑफ़ डिस्प्यूट्स - पोर्ट्स* (Society for Affordable Redressal of Disputes - Ports: **SRODOD-PORTS**) के गठन की परिकल्पना करता है।
- **क्षमता विस्तार को संभव बनाना:** रियायत प्राप्तकर्ता, उच्च उत्पादकता और लागत को कम करने के लिए उच्च क्षमता वाले उपकरणों, सुविधाओं, तकनीकों के उपयोग और वैल्यू इंजीनियरिंग करने के लिए स्वतंत्र होंगे।
- TAMP दिशानिर्देशों, श्रम कानूनों या पर्यावरणीय कानूनों में परिवर्तन की स्थिति में रियायत प्राप्तकर्ता को क्षतिपूर्ति प्रदान करने का प्रावधान करने के लिए **"कानून में परिवर्तन (Change in Law)"** की नई परिभाषा।
- पत्तन उपयोगकर्ताओं के लिए शिकायत पोर्टल और परियोजना की आवधिक स्थिति रिपोर्ट रखने के लिए निगरानी व्यवस्था भी प्रारंभ की गई है।

निहितार्थ

- संशोधित मॉडल रियायत समझौता, पत्तन विकास के लिए **निवेश** को आकर्षित करेगा।
- आसान निकासी मानदंड, पत्तन क्षेत्र में विलय और अधिग्रहण का मार्ग सरल बनाएंगे।
- इसका परिणाम निजी विकासकर्ताओं (डेवलपर्स) द्वारा भौतिक परिसंपत्तियों का बेहतर उपयोग भी होगा क्योंकि वे सभी प्रमाणपत्र प्राप्त करने से पहले परिचालन आरंभ कर सकते हैं।
- इससे MCA के प्रावधान भी प्रमुख पत्तन प्राधिकरण विधेयक, 2016 के अनुरूप हो जाएंगे, जिसमें प्रावधान किया गया है कि रियायत प्राप्तकर्ता बाजार की स्थितियों के आधार पर वास्तविक प्रशुल्क निर्धारित करने के लिए स्वतंत्र होंगे।

3.19. उड़ान 2

(UDAN 2)

सुर्खियों में क्यों?

केंद्र ने क्षेत्रीय कनेक्टिविटी योजना उड़ान के द्वितीय चरण के अंतर्गत 73 अल्पसेवित और असेवित विमानपत्तनों और हेलीपैडों को जोड़ने का निर्णय लिया है।

विवरण

- उड़ान 2 योजना के अंतर्गत अधिकतम संख्या में क्रियाशील होने वाले विमानपत्तनों और हेलीपैड्स वाले राज्यों में उत्तराखंड (15), उत्तर प्रदेश (9), अरुणाचल प्रदेश (8), हिमाचल प्रदेश (6), असम (5) और मणिपुर (5) सम्मिलित हैं।
- यह पहली बार है कि इस योजना के अंतर्गत हेलीकॉप्टर ऑपरेटरों से निविदाएँ प्राप्त हुई थीं।

VISION IAS

- यह योजना प्रति वर्ष लगभग 26.5 लाख सीटें उपलब्ध कराएगी जिसे प्रति उड़ान हवाई किराया अधिकतम 2,500 रूपए/घंटा प्रति सीट रखा जाएगा। इसके अतिरिक्त, हेलिकॉप्टर परिचालन के माध्यम से लगभग 2 लाख RCS (क्षेत्रीय कनेक्टिविटी योजना) सीटें प्रति वर्ष उपलब्ध कराए जाने की आशा है।
- केंद्र ने उड़ान योजना का वित्तपोषण करने के लिए प्रमुख मार्गों पर उड़ान भरने वाली एयरलाइनों से प्रभारित की जाने वाली 5,000 रुपये की क्षेत्रीय वायु कनेक्टिविटी शुल्क (लेवी) में वृद्धि नहीं करने का निर्णय लिया है। अब इसे आंशिक रूप से AAI (भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण) द्वारा भारत सरकार को भुगतान किए जाने वाले लाभांश से वित्त पोषित किया जाएगा।

उड़ान योजना के संबंध में

उड़ान, क्षेत्रीय विमानन बाजार विकसित करने की नवोन्मेषी योजना है। इस योजना का उद्देश्य **"उड़े देश का आम नागरिक"** है।

प्रमुख विशेषताएं

- उड़ान 200 से 800 किमी. के बीच उड़ाने भरने वाली उड़ानों पर लागू होगी, जिसमें पहाड़ी, दूरदराज के इलाकों, द्वीपों और सुरक्षा संवेदनशील क्षेत्रों के लिए कोई निम्न सीमा निर्धारित नहीं की गई है।
- इस योजना के अंतर्गत कुछ संख्या में उड़ान सीटें अर्थात सब्सिडी प्राप्त दरों पर सीटें आरक्षित करने का प्रावधान है और साथ ही कम दूरी की उड़ानों के लिए किराए की सीमा का निर्धारण करना भी सम्मिलित है।
- दो साधनों के माध्यम से इसे प्राप्त किया जाएगा:
  - केन्द्र और राज्य सरकारों और विमानपत्तन ऑपरेटरों से रियायत के रूप में **वित्तीय प्रोत्साहन**, जैसे कर रियायतें, पार्किंग और लैंडिंग शुल्क से छूट।
  - ऐसे विमानपत्तनों से परिचालन प्रारंभ करने के लिए **व्यवहार्यता अंतराल वित्तपोषण (वायबिलिटी गैप फंडिंग; VGF)** ताकि यात्री किराये को कम रखा जा सके। इस तरह की सहायता तीन वर्ष की अवधि के बाद वापस ले ली जाएगी, क्योंकि उस समय तक वायु मार्गों के स्व-संधारणीय हो जाने की संभावना है ।
- इस योजना के अंतर्गत VGF आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु **रीजनल कनेक्टिविटी फंड** (RCF) बनाया जाएगा। राज्यों से 20% योगदान के साथ कुछ घरेलू उड़ानों के लिए प्रति प्रस्थान RCF लेवी आरोपित की जायेगी।
- **संतुलित क्षेत्रीय विकास** के लिए, इस योजना के अंतर्गत देश के पांच भौगोलिक क्षेत्रों अर्थात उत्तर, पश्चिम, दक्षिण, पूर्व और उत्तर-पूर्व में आवंटन समान रूप से वितरित किया जाएगा।
- उड़ान योजना वर्तमान हवाई-पट्टियों और विमानपत्तनों के पुनरुद्धार के माध्यम से देश के असेवित और अल्पसेवित विमानपत्तनों के लिए कनेक्टिविटी प्रदान करने की कल्पना करती है।
- यह योजना 10 वर्षों की अवधि के लिए परिचालनरत रहेगी।

महत्व

- यह योजना वहनीयता, कनेक्टिविटी, वृद्धि और विकास सुनिश्चित करेगी।
- इससे रोजगार सृजन करने में सहायता मिलेगी।
- यह योजना वायु मार्ग से विद्यमान नाशवान माल(existing perishable cargo), शीघ्र टूटने वाली वस्तुओं और उच्च मूल्य वाले निर्यात-उन्मुख उत्पादों को लाने-ले जाने की संभावना को बढ़ाकर अतिरिक्त व्यावसायिक अवसर सृजित करती है।
- राज्य सरकारें छोटे विमानों और हेलीकाप्टरों के प्रचलन के माध्यम से दूरदराज के क्षेत्रों के विकास, व्यापार और वाणिज्य में वृद्धि और पर्यटन विस्तार से लाभान्वित होंगी।

आलोचनाएं

- एयरलाइन्स विलासिता को प्रदर्शित करती हैं तथा भारत जैसे गरीब देश में यह प्राथमिकताओं का गलत चयन प्रतीत होता है जबकि सरकारों और यात्रियों को क्षेत्रीय हवाई मार्गों को जोड़ने के लिए अतिरिक्त सब्सिडी की लागत उठानी पड़ेगी।
- यात्री यातायात के संदर्भ में भारत तीव्रता से बढ़ता विमानन बाजार है। इसलिए, राज्य सब्सिडी का कहीं अन्यत्र उपयोग ज्यादा बेहतर होता।
- यह धारणा गलत प्रतीत होती है कि किसी मार्ग को संधारणीय बनाने के लिए तीन वर्ष पर्याप्त होंगे। क्योंकि इसमें ईंधन लागत में वृद्धि के परिदृश्य का ध्यान नहीं रखा गया है जो वायु परिवहन लागत गतिशीलता में काफी परिवर्तन लाएगी।

VISION IAS

3.20. जल मार्ग विकास परियोजना

(Jal Marg Vikas Project)

सुर्खियों में क्यों?

- हाल ही में, सरकार ने राष्ट्रीय जलमार्ग-1 (NW-1) पर नौवहन योग्य जलमार्ग के विकास के लिए जल मार्ग विकास परियोजना को 5,369 करोड़ रूपए का अनुदान दिया है।

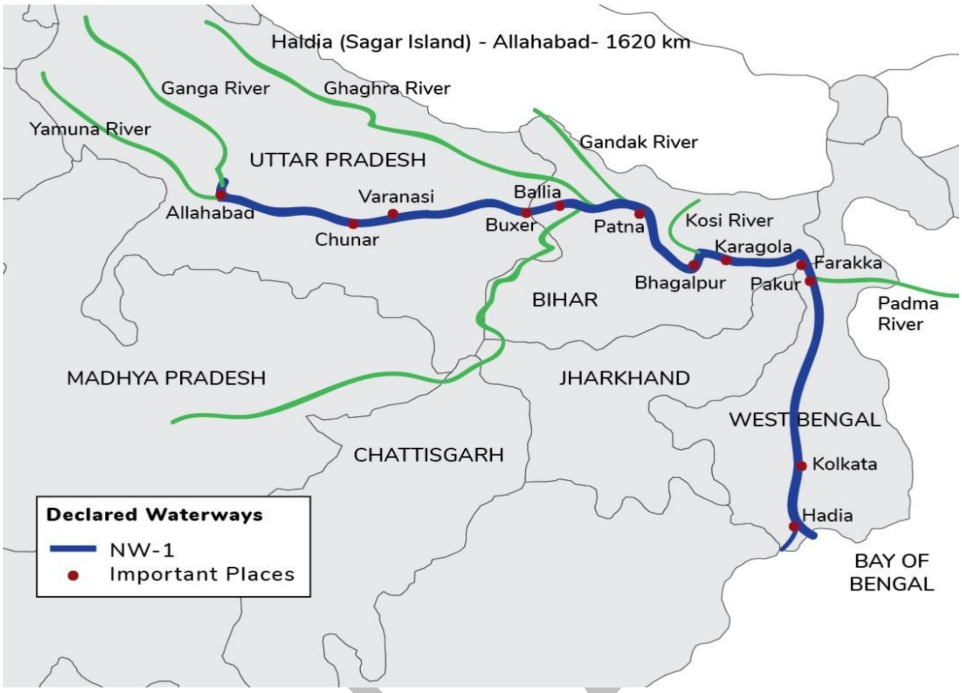

जल मार्ग विकास परियोजना (JMVP)

- यह विश्व बैंक द्वारा (आंशिक रूप से) वित्त पोषित, गंगा नदी पर स्थित एक परियोजना है। इसे अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण द्वारा इलाहाबाद और हल्दिया (NW-1) के बीच विकसित किया जा रहा है।
- इसका उद्देश्य 1500-2000 DWT (डेडवेट टनेज) क्षमता वाले जहाजों का व्यावसायिक नौवहन संभव बनाने के लिए उचित गहराई और चौड़ाई प्राप्त करना है।
- यह रेल और सड़क कनेक्टिविटी के लिए वाराणसी, साहिबगंज और हल्दिया में एक बहु-मॉडल टर्मिनल स्थापित करेगा।
- इस परियोजना में पहली बार भारत **में नदी सूचना प्रणाली** अपनाई गई है। यह एक ऐसी सूचना प्रौद्योगिकी आधारित सूचना प्रणाली है जो जहाजों, लॉक एवं पुलों, टर्मिनलों एवं पत्तनों, नौवहन योग्य जलमार्गों की स्थिति, आपदा निवारण आदि के बीच सूचना विनिमय संभव बनाकर जल आधारित परिवहन श्रृंखला के संसाधन प्रबंधन को बेहतर एवं प्रभावी बनाती है।

3.21. लॉजिस्टिक्स ईज़ अक्रॉस डिफरेंट स्टेट्स

(Logistics Ease Across Different States: LEADS)

सुर्खियों में क्यों?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय द्वारा हाल ही में जारी लॉजिस्टिक्स इंडेक्स (LEADS) में गुजरात ने शीर्ष स्थान प्राप्त प्राप्त किया है। उसके बाद पंजाब और आंध्र प्रदेश का स्थान है।

लॉजिस्टिक्स इज़ अक्रॉस डिफरेंट स्टेट्स (LEADS)

- यह मोटे तौर पर विश्व बैंक के छमाही *लॉजिस्टिक्स परफॉरमेंस इंडेक्स* (LPI) पर आधारित है। इस पर भारत को वर्ष 2016 में 160 देशों के बीच 35वां स्थान प्राप्त हुआ जबकि वर्ष 2014 में भारत को 54वां स्थान ही प्राप्त हुआ था।
- यह आठ मानदंडों जैसे बुनियादी ढांचे, सेवाओं, समयबद्धता, ट्रैक एवं ट्रेस, मूल्य निर्धारण की प्रतिस्पर्धात्मकता, माल की सुरक्षा, पर्यावरण और विनियामक प्रक्रिया पर आधारित एक समग्र सूचकांक है।
- इसका उद्देश्य निवेश, निर्यात और कुल मिलाकर आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए आवश्यक लॉजिस्टिकल सेवाओं की दक्षता के संकेतक के रूप में कार्य करना है।

LEADS द्वारा उजागर हुईं चिंताएँ

- कई अक्षमताओं के कारण भारतीय राज्यों और संघ-राज्य क्षेत्रों का लॉजिस्टिक्स प्रदर्शन कुल मिलाकर "औसत स्तर से नीचे" है।
- अध्ययन में पाया गया कि आपूर्ति श्रृंखला दक्षता तथा *इकॉनमी ऑफ़ स्केल* (अर्थात् अधिक उत्पादन द्वारा लागत में बचत) को अर्जित करना अभी बाकी है। इसका प्रमुख कारण अवसंरचना के बिडिंग स्केल, स्वचालन, मानव पूंजी एवं प्रौद्योगिकी आदि में इष्टतम स्तर से कम निवेश, अपर्याप्त टर्मिनल क्षमता, लास्ट-माइल टर्मिनल कनेक्टिविटी की ख़राब स्थिति एवं सरकारी एजेंसियों द्वारा प्रदान की जाने वाली विनियामक सेवा संबंधी समस्याएं इत्यादि हैं।
- इसमें ऐसे मुद्दों को भी रेखांकित किया गया जो किसी राज्य विशेष पर लागू होते थे। उदाहरण के लिए, श्रमिक संघों ने पश्चिम बंगाल, केरल, महाराष्ट्र और हिमाचल प्रदेश जैसे राज्यों में व्यापार कुशलता के समक्ष बाधाएं उत्पन्न कीं।

नोट: लॉजिस्टिक क्षेत्रक पर और अधिक जानकारी के लिए समसामयिकी- नवंबर, 2017 का संदर्भ लीजिए।

VISION IAS

3.22. प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) नीति में संशोधन

(Amendments In Foreign Direct Investment (FDI) Policy)

सुर्खियों में क्यों?

- हाल ही में, सरकार द्वारा प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) नीति को और अधिक उदारीकृत करने की घोषणा की गई है।

पृष्ठभूमि

- FDI नीति आर्थिक विकास हेतु एक प्रेरक के रूप में कार्य करता है तथा यह देश के आर्थिक विकास के लिए गैर-ऋण वित्त का एक स्रोत भी है।
- सरकार ने निवेशक अनुकूल FDI नीति की घोषणा की है जिसके तहत अधिकतर क्षेत्रकों में स्वचालित मार्ग के तहत 100% FDI की अनुमति दी गयी है।
- पूर्व में, सरकार ने कई क्षेत्रकों जैसे रक्षा, निर्माण, परिसंपत्ति पुनर्निर्माण कंपनियों(Asset reconstruction Companies), बीमा, पेंशन और अन्य वित्तीय सेवाओं आदि में FDI नीति संबंधी सुधार किये है।

FDI नीति में घोषित अन्य संशोधन

- नगर-क्षेत्र में हो रहे निर्माण-कार्य विकास, आवास, बिल्ट-अप अवसंरचना और रियल एस्टेट ब्रोकिंग सेवाओं में स्वचालित मार्ग के तहत 100% FDI की अनुमति।
- विदेशी एयरलाइंस को एयर इंडिया में अनुमोदित मार्ग के अंतर्गत 49% तक का निवेश करने की अनुमति दी गई।
- FIIs/FPIs को प्राथमिक बाजार के माध्यम से विद्युत एक्सचेंजों में निवेश की अनुमति दी गई है जबकि पहले यह अनुमति केवल द्वितीयक बाजारों तक सीमित थी।
- प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) नीति से औषधि और प्रसाधन सामग्री अधिनियम के प्रति संदर्भ को समाप्त कर 'चिकित्सा उपकरणों' की परिभाषा में संशोधन किया गया।

भारत में खुदरा उद्योग

- यह देश के सकल घरेलू उत्पाद के 10% से अधिक एवं रोजगार के लगभग 8% का सृजन करता है।
- भारतीय खुदरा बाजार संगठित खुदरा बाजार एवं असंगठित खुदरा बाजार में विभाजित है। संगठित खुदरा बाजार कुल क्षेत्रक का 9% है और असंगठित खुदरा बाजार, कुल क्षेत्रक के 91% भाग का निर्माण करता है।

एकल ब्रांड खुदरा व्यापार में FDI नीति

- पहले एकल ब्रांड खुदरा व्यापार (SBRT) नीति में स्वचालित मार्ग के अंतर्गत 49% तक तथा 49% से अधिक व 100% तक सरकारी अनुमोदित मार्ग के माध्यम से प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की अनुमति प्रदान की गयी थी।
- वर्तमान में, SBRT को स्वचालित मार्ग के अंतर्गत 100% प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की अनुमति प्रदान की गई है।
- एकल ब्रांड खुदरा व्यापार प्रतिष्ठानों को भारत से 30% की अनिवार्य सोर्सिंग आवश्यकताओं के बदले शुरू के 5 वर्षों (1 अप्रैल 2018 से) के लिए अपने वैश्विक व्यापार/परिचालन हेतु भारत से वस्तुओं की अतिरिक्त सोर्सिंग हेतु अनुमति देने के संबंध में निर्णय लिया गया है।

एकल ब्रांड खुदरा व्यापार में FDI : लाभ और हानियाँ

लाभ	हानियाँ
1. देश को वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला के साथ समेकित करना।	1. स्थानीय स्टोर (दुकानें) बंद हो सकते हैं।
2. अवसंरचना विकास- गोदाम, भंडारण, लॉजिस्टिक्स आदि। इससे अपव्यय कम होगा और कृषि सहित विभिन्न क्षेत्रकों में विकास को बढ़ावा मिलेगा।	2. प्रतियोगिता और वस्तुओं एवं सेवाओं के अत्यंत कम मूल्यों (प्रीडेटरी प्राइसिंग) के कारण छोटे और मध्यम उद्यमों की लाभप्रदता प्रभावित होगी।
3. यह प्रतिस्पर्धा को बढ़ाता है और उपभोक्ताओं के लिए बेहतर मूल्य और गुणवत्ता सुनिश्चित करता है।	3. मूल्यों को कम रखने का भय घरेलू उद्योग को दबाव में ला देगा।
4. भारत में निवेश को बढ़ावा दे सकता है और भारत की *इज ऑफ़ डूइंग बिज़नेस* में सुधार करेगा।	4. कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि बेरोजगारी बढ़ेगी और इससे देश की अर्थव्यवस्था को क्षति पहुंच सकती है।
5. प्रौद्योगिकी हस्तांतरण और ज्ञान साझेदारी (नॉलेज शेयरिंग) और बेहतर प्रबंधकीय कौशल को बढ़ावा दे सकता है।	5. भारत के मेक इन इंडिया कार्यक्रम पर प्रभाव डाल सकता है।
6. रोजगार के अवसरों का सृजन करेगा।	

VISION IAS

3.23. यूनिवर्सल एक्सचेंज

(Universal Exchange)

सुर्खियों में क्यों?

भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (SEBI) ने सैद्धांतिक रूप में वित्तीय एक्सचेंज के कन्वर्जेन्स की अनुमति दे दी है। इससे एक ही एक्सचेंज को इक्विटी, कमोडिटी डेरिवेटिव्स, ऋण और करेंसी उत्पादों में व्यापार करने की अनुमति मिल जाएगी।

विवरण

- यह अनुमति बंबई स्टॉक एक्सचेंज (BSE) एवं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (NSE) को कमोडिटी डेरिवेटिव्स में व्यापार प्रारंभ करने में सक्षम करेगा तथा मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज ऑफ इंडिया (MCX) एवं नेशनल कमोडिटी एंड डेरिवेटिव्स एक्सचेंज (NCDEX) को इक्विटी डेरिवेटिव्स में व्यापार करने में सक्षम करेगा। इस संबंध में विस्तृत दिशा निर्देश जारी किए जाने अभी भी शेष हैं।
- इसके लिये दो-चरण की समयरेखा निर्धारित की गई है। पहले चरण में मध्यवर्ती स्तर पर समेकन किया जाएगा, जबकि दूसरा चरण एक्सचेंज को इक्विटी, इक्विटी डेरिवेटिव्स, कमोडिटी डेरिवेटिव्स, करेंसी डेरिवेटिव्स, इंटरेस्ट रेट फ्यूचर्स एवं अन्य ऋण उत्पादों में व्यापार करने में सक्षम करेगा।

भारत और यूनिवर्सल एक्सचेंज

- संभवत: अपवादस्वरुप, भारत ने वैश्विक मानकों का पालन नहीं किया है और यूनिवर्सल एक्सचेंज की अनुमति प्रदान की है। अभी तक यह सैद्धांतिक निर्णय है तथा कमोडिटी एक्सचेंज को स्टॉक एक्सचेंज का दर्जा देना इस दिशा में पहला कदम था।
- पिछले दो वर्षों से कमोडिटी और इक्विटी के लिए भारत में एक विनियामक है। कानून सभी एक्सचेंजों को स्टॉक एक्सचेंज के रूप में मान्यता प्रदान करता है, चाहे वे कमोडिटी या इक्विटी डेरिवेटिव्स के व्यापार में संलग्न हों। दलालों (ब्रोकर) को यूनिवर्सल लाइसेंस दिए जाते हैं, जिसका अर्थ है कि कमोडिटी एवं इक्विटी में व्यापार करने हेतु वे पृथक कंपनी नहीं रखते। ऐसे परिदृश्य में, सभी एक्सचेंजों को सभी श्रेणियों में व्यापार करने की अनुमति देना तर्कसंगत माना जाता है।
- रूस, दक्षिण कोरिया और ऑस्ट्रेलिया में सभी परिसंपत्ति वर्गों में व्यापार करने के लिए एक ही एक्सचेंज है लेकिन वहाँ एक्सचेंज की कुल प्राप्तियों में कमोडिटी की भागीदारी अत्यंत कम होती है।
- संयुक्त राज्य अमेरिका में इक्विटी और सभी डेरिवेटिव्स (इक्विटी, कमोडिटी और विदेशी मुद्रा सहित) के लिए पृथक विनियामक है लेकिन जहाँ इन कमोडिटी का व्यापार किया जाता है, वे एक्सचेंज भिन्न हैं। साथ ही इक्विटी और कमोडिटी का व्यापार एक ही एक्सचेंज पर नहीं होता हैं।

प्रभाव

- अनुमान है कि इस कदम से सभी श्रेणियों में प्रतिस्पर्धा में वृद्धि होगी। इस प्रकार निम्न प्रसार (लोअर स्प्रेड) एवं एक्सचेंज शुल्कों वाले गहन बाजारों का निर्माण संभव हो सकेगा।
- इसे अधिकाधिक सुविधा भी प्रस्तुत करनी चाहिए, जिसमें व्यापारी एक ही खाते से सभी परिसंपत्ति श्रेणियों में व्यापार करने में सक्षम होंगे।
- इसके फलस्वरूप समेकन (कंसोलिडेशन) भी हो सकता है- यदि एक्सचेंजों के बीच विलय आकर्षक प्रतीत होता है तो क्रॉस होल्डिंग मानदंडों की समीक्षा की जाएगी।
- सिंगापुर और दुबई से प्रतिस्पर्धा करने में भारतीय एक्सचेंजों को सरलता होगी क्योंकि अब वे भी अनेक भागों में प्रस्तुत होंगे।

चुनौतियाँ

- कमोडिटी और इक्विटी के बीच महत्वपूर्ण अंतरों को देखते हुए परिसंपत्ति वर्गों में जोखिम प्रबंधन एक बड़ी चुनौती होगी। इससे निपटने के लिये मार्जिनिंग सिस्टम एवं ट्रेडिंग प्लेटफार्मों की व्यापक समीक्षा और संशोधन की आवश्यकता होगी।
- समग्र रूप से,यह एक प्रगतिशील कदम है लेकिन कार्यान्वयन के तरीके बहुत महत्वपूर्ण होंगे।

3.24. भारत BPO संवर्धन योजना एवं पूर्वोत्तर BPO संवर्धन योजना

(India BPO Promotion Scheme And North East BPO Promotion Scheme)

सुर्खियों में क्यों?

हाल ही में यह रिपोर्ट दर्ज की गयी है कि BPO संवर्धन योजना के अंतर्गत 11,000 लोगों को रोजगार प्राप्त हुआ है जिसमें से 40% महिलाएं हैं।

भारत में BPO क्षेत्रक

- कुशल श्रमशक्ति, उच्च गुणवत्ता एवं न्यून लागत प्रौद्योगिकी जैसे लाभों के कारण वैश्विक BPO उद्योग में भारत की कुल भागीदारी 38% है।
- किन्तु NASSCOM के अनुमान के अनुसार भारतीय BPO क्षेत्रक की वृद्धि दर में कमी आ रही है, तथा यह 2014-15 के 12% से कम होकर 2016-17 में 10% हो गई है।
- अनुमानित दर में कमी आने के कुछ संभावित कारण प्रौद्योगिकी में तेजी से आने वाले परिवर्तन, ब्रेक्ज़िट, वीजा और आव्रजन मानदंडों में परिवर्तन, अमेरिका की संरक्षणवादी नीतियां तथा ऑटोमेशन और रोबोटिक्स में वृद्धि आदि हैं।

VISION IAS

- भारत का BPO क्षेत्रक मुख्य रूप से कुछ टीयर-1 शहरों में केंद्रित है तथा यह क्षेत्रक रियल एस्टेट की बढ़ती लागत एवं कुशल श्रमबल को वेतन प्रदान करने संबंधी समस्याओं का सामना कर रहा है। इससे इसकी संचालन लागत बढ़ रही है और अन्य देशों की तुलना में इसे प्राप्त प्रतिस्पर्धात्मक बढ़त में कमी आ रही है।

भारत BPO संवर्धन योजना (India BPO Promotion Scheme: IBPS)

- इस योजना को देश में BPO/IT-ITES ऑपरेशंस क्षेत्रक को प्रोत्साहित करने के लिए डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के अंतर्गत अनुमति दी गई है।
- IBPS का शुभारम्भ 2014 में 493 करोड़ के परिव्यय के साथ 31 मार्च 2019 तक के लिए किया गया था।
- इस योजना की कार्यान्वयन एजेंसी **सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क ऑफ इंडिया (STPI)** है।
- इस योजना का उद्देश्य **BPO कंपनियों की स्थापना को प्रोत्साहित करना** और **टियर-2 एवं टियर-3** शहरों में उनका विस्तार करना है। साथ ही यह लगभग **1.45** लाख रोजगारों का सृजन करेगी, जो विभिन्न राज्यों के बीच राज्यों की जनसंख्या के अनुपात में वितरित होंगे। इसके अंतर्गत **व्यवहार्यता अंतराल वित्तपोषण** (वायबिलिटी गैप फंडिंग) के माध्यम से **वित्तीय सहायता** प्रदान की जाती है।

योजना की विशेषताएं

- इस योजना में पूंजीगत व्यय और/या परिचालन व्यय के 50% तक की वित्तीय सहायता अथवा व्यावहारिकता अंतर निधीयन (वायबिलीटी गैप फंडिंग) के रूप में प्रति सीट एक लाख रुपये तक का विशेष प्रोत्साहन प्रदान किया जाता है।
- महिलाओं और दिव्यांगजनों के नियोजन हेतु विशेष प्रोत्साहन, लक्ष्य से अधिक रोजगार सृजन करना एवं राज्य के मध्य व्यापक विस्तार।
- स्थानीय उद्यमियों को प्रोत्साहन।
- पहाड़ी क्षेत्रों और **ग्रामीण क्षेत्रों** पर विशेष ध्यान।

महत्व

- यह BPO/IT-ITES ऑपरेशंस की स्थापना के माध्यम से IT-ITES सेवाओं को प्रोत्साहन देकर **रोजगार के अवसरों को सृजित** करेगी।
- यह IT उद्योग के आधार को विस्तारित करने एवं संतुलित क्षेत्रीय विकास सुनिश्चित करने के लिए IT-ITES क्षेत्रक में निवेश को प्रोत्साहित करेगी।
- **टियर-2 एवं टियर-3** शहरों में BPO कम्पनियों की पहुंच का विस्तार करने से कंपनियों को अपने लागत अंतराल (कास्ट आर्बिट्राज) को बनाए रखने में सहायता प्राप्त होगी क्योंकि टीयर 1 शहरों में व्यय बहुत अधिक बढ़ रहे हैं।
- यह योजना महिला सशक्तिकरण के साथ-साथ दिव्यांगजनों पर विशेष ध्यान देकर उनके लिये भी नए अवसरों का सृजन करेगी।

पूर्वोत्तर BPO संवर्धन योजना

- यह योजना केंद्र की फ्लैगशिप योजना 'डिजिटल इंडिया' कार्यक्रम के अंतर्गत 31 मार्च 2019 तक 50 करोड़ के परिव्यय के साथ पूर्वोत्तर में **IT-ITES की 5000** सीटों की स्थापना को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से प्रारम्भ की गई है। इसे भारतीय सॉफ्टवेयर टेक्नॉलोजी पार्क (STPI) द्वारा **कार्यान्वित किया जा रहा है।**
- यह योजना कर्मचारियों को प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए विशेष प्रोत्साहन एवं महिलाओं और दिव्यांगजनों को नियोजित करके, विविधता के समावेशन के लिए प्रोत्साहन प्रदान करती है।

भारतीय सॉफ्टवेयर टेक्नॉलोजी पार्क (STPI)

- यह इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अंतर्गत एक स्वायत्त सोसाइटी है जिसका उद्देश्य भारत को 'IT सुपर पावर' बनाना है।
- इसका उद्देश्य सॉफ्टवेयर एवं IT सक्षम सेवाओं समेत सॉफ्टवेयर सेवाओं के विकास एवं निर्यात को बढ़ावा देना है। साथ ही यह भारतीय सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क तथा अन्य योजनाओं का कार्यान्वयन करके निर्यातकों को वैधानिक एवं अन्य विकास संबंधी सेवाएं प्रदान करने के उद्देश्य से भी कार्य करती है।

3.25. राष्ट्रीय निवेश और अवसंरचना निधि

(National Investment and Infrastructure Fund)

सुर्खियों में क्यों?

राष्ट्रीय निवेश और अवसंरचना निधि (NIIF) ने अपने पहले निवेश प्लेटफॉर्म के सृजन की घोषणा की है।

संबंधित अन्य समाचार

- भारत में बंदरगाहों, टर्मिनलों, परिवहन और लॉजिस्टिक्स व्यवसाय में निवेश हेतु इसे दुबई स्थित बंदरगाह संचालक डीपी वर्ल्ड के साथ भागीदारी से सृजित किया गया है।

VISION IAS

वैकल्पिक निवेश निधि (AIF-Alternative Investment Fund)

- AIF से आशय किसी ट्रस्ट, कंपनी, कॉर्पोरेट निकाय अथवा सीमित देयता भागीदारी आदि ऐसे किसी भी **निजी सामूहिक निवेश फंड** से है जो भारत में किसी भी नियामक एजेंसी के अधिकार क्षेत्र में नहीं आते हैं।
- **सेबी (वैकल्पिक निवेश निधि) विनियम 2012** के विनियमन 2(1)(b) में AIF को परिभाषित किया गया है। इसकी परिभाषा में वेंचर कैपिटल फंड, हेज फंड, प्राइवेट इक्विटी फंड आदि सम्मिलित हैं।

सॉवरेन वेल्थ फंड (Sovereign wealth fund)

- यह किसी देश के कोष से व्युत्पन्न धन है जिसे देश की अर्थव्यवस्था एवं नागरिकों के हित में निवेश के उद्देश्य से अलग रखा जाता है।
- सॉवरेन वेल्थ फंड के लिए धन केंद्रीय बैंक के भंडार से आता है, जो कि बजट व व्यापार अधिशेष के परिणामस्वरूप एवं प्राकृतिक संसाधनों के निर्यात से प्राप्त राजस्व के रूप में जमा होता है।

NIIF के विषय में

- यह **भारत का पहला सॉवरेन वेल्थ फंड है**। इसका उद्देश्य ऊर्जा, परिवहन, आवास, जल, अपशिष्ट प्रबंधन आदि में ग्रीनफील्ड, ब्राउनफील्ड और अवरुद्ध पड़ी परियोजनाओं में निवेश करने वाले घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय निवेशकों को दीर्घकालिक अवसर प्रदान करना है।
- इसे **फंड ऑफ़ फंड्स** के रूप में स्थापित किया गया है। यह सेबी के साथ सेबी (वैकल्पिक निवेश निधि) विनियम, 2012 के अंतर्गत एक **श्रेणी II के वैकल्पिक निवेश कोष** के रूप में पंजीकृत है।
- NIIF की गतिविधियों पर **वित्त मंत्री की अध्यक्षता वाली एक गवर्निंग काउंसिल** द्वारा निगरानी की जाती है।

3.26. IRFC का पहला ग्रीन बॉन्ड

(IRFC'S First Green Bond)

सुर्खियों में क्यों?

- हाल ही में, India INX ने अपने वैश्विक प्रतिभूति बाजार (GSM) में भारतीय रेल वित्त निगम (IRFC) के पहले ग्रीन बॉन्ड को सूचीबद्ध किया है।

IRFC

- यह घरेलू और विदेशी पूंजी बाजार से धन जुटाने के लिए भारतीय रेलवे की एक समर्पित वित्तपोषण शाखा है।
- यह **अनुसूची 'A' का सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम** है। यह RBI द्वारा प्रणालीगत रूप से महत्वपूर्ण (सिस्टमेटिकली इम्पोर्टेन्ट) गैर-जमा प्राप्तकर्ता, गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी व अवसंरचना वित्तीय कंपनी के रूप में पंजीकृत है।

भारतीय अंतरराष्ट्रीय स्टॉक एक्सचेंज (India's International Stock Exchange: India INX)

- यह **बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की एक सहायक कंपनी है** जो गिफ्ट (Gujarat International Financial Tech) सिटी के अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र (IFSC) में भारत का पहला अंतरराष्ट्रीय एक्सचेंज है।
- India INX का वैश्विक प्रतिभूति बाजार (GSM) भारत का पहला ऋण सूचीकरण मंच है जो किसी भी मुद्रा में कोष जुटाने की अनुमति देता है।

संबंधित अन्य समाचार

- सरकार के अनुसार, बुनियादी ढांचे में व्याप्त कमी को दूर करने के लिए अगले 10 वर्षों में भारत को 1.5 ट्रिलियन डॉलर निवेश की आवश्यकता है।
- इससे लेन-देन की लागत कम होगी और सस्ते दर पर धनराशि उपलब्ध हो सकेगी।
- यह गुजरात के **GIFT सिटी** में IFSC में एक एक्सचेंज पर सूचीबद्ध होने वाली पहली ऋण प्रतिभूति है।

ग्रीन बॉन्ड के विषय में

- **परिभाषाः सेबी के अनुसार,** यह 'हरित' परियोजनाओं जैसे नवीकरणीय ऊर्जा, निम्न-कार्बन परिवहन, संधारणीय जल प्रबंधन, जलवायु परिवर्तन अनुकूलन, ऊर्जा दक्षता, स्थायी अपशिष्ट प्रबंधन, जैव विविधता संरक्षण आदि के वित्तपोषण हेतु निवेशकों से धन जुटाने के लिए किसी इकाई द्वारा जारी एक ऋण प्रतिभूति है।
- विश्व स्तर पर ग्रीन बॉन्ड का चलन बढ़ रहा है और 2017 में वैश्विक स्तर पर लगभग 150 बिलियन डॉलर के ग्रीन बांड जारी हुए है।

VISION IAS

- रिन्यू पावर (RENEW POWER), इरेडा (IREDA), ग्रीनको (GREENKO) भारत के कुछ नवीनतम ग्रीन बांड हैं।

महत्व

- **किफ़ायती विकल्प**: वाणिज्यिक बैंकों द्वारा दिए गए ऋणों की तुलना में इनकी ब्याज दर प्रायः कम होती है। अतः ये पूंजी लागत को कम करने में सहायक हैं।
- **ब्रांड को प्रोत्साहन**: यह जारीकर्ता की प्रतिष्ठा को बढ़ाते हैं, क्योंकि यह सतत विकास के प्रति उनकी प्रतिबद्धता प्रदर्शित करने में सहायक हैं।
- **नए निवेशकों तक पहुंच**: यह जारीकर्ता की वैश्विक निवेशकों के ऐसे विशिष्ट समूहों तक पहुँच सुनिश्चित करते हैं जो हरित उद्यमों में निवेश करते हैं।
- **जवाबदेह वित्तीय उपकरण:** अधिकतर निवेशकों और बीमाकर्ताओं ने **ग्रीन बांड सिद्धांतों** पर हस्ताक्षर किए हैं। यह एक विस्तृत दिशानिर्देश है, जो इन निश्चित आय के साधनों के लिए परिभाषाएं और मानक प्रदान करता है एवं प्रक्रिया में पारदर्शिता सुनिश्चित करता है।
- **निवेशक को लाभ**: ग्रीन बांड निवेशक विविधीकरण को संभव बना सकते हैं तथा जोखिम को कम कर सकते हैं क्योंकि धन-वापसी के लिए मात्र जारीकर्ता उत्तरदायी है।
- **संधारणीय विकास लक्ष्यों को प्राप्त करना (SDG):** यह अल्पव्ययी व स्वच्छ ऊर्जा (SDG 7), जलवायु परिवर्तन के विरुद्ध कार्यवाही (SDG 13) आदि जैसे स्थायी और निम्न कार्बन-अर्थव्यवस्था के वित्तपोषण के लिए एक शक्तिशाली साधन है।
- **2030 तक INDC के लक्ष्य** को एवं 2022 तक 175 गीगावाट की नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता प्राप्त करने में सहायता के लिए बड़े निवेश की आवश्यकता है।
- विकास गतिविधियों के वित्तपोषण के लिए ग्रीन बांड प्राप्त करके एवं पर्यावरण व समाज के लिए सकारात्मक प्रतिफल प्राप्त करके **जलवायु परिवर्तन की समस्या का सामना किया जा सकता है।**

चुनौतियां

- **अस्पष्ट परिभाषा:** यह कई बार निवेशकों को निवेश करने से हतोत्साहित करता है क्योंकि उन्हें नहीं पता होता है कि उनका धन कहाँ जा रहा है।
- **तरलता का अभाव:** अपने दीर्घकालिक वित्तीयन वाली प्रकृति के कारण ग्रीन बांड निश्चित आय वाले वैश्विक बाजार के 1.5% से कम हिस्से का प्रतिनिधित्व करते हैं।
- **अन्य मुद्दों** में निम्न उत्पादकता, गलत मूल्य निर्धारण, एक बेहतर निवेश निर्णय लेने के लिए उपलब्ध पर्याप्त जटिल शोध की कमी एवं कुछ ग्रीन बांड जारीकर्ताओं की हवाला इत्यादि को लेकर बेईमान छवि का होना सम्मिलित है।
- **मुद्रा और पूंजी जोखिम**: ऐसे किसी भी भारतीय ग्रीन बॉन्ड, जिसकी रेटिंग AAA से कम हो, में शायद ही कोई निवेशक निवेश करने का जोखिम लेगा।

आगे की राह

- **बेहतर नीतिगत वातावरण का सृजन-** राष्ट्रीय जलवायु और विकास लक्ष्यों को पूरा करने हेतु सुदृढ़ ग्रीन बांड बाजार के माध्यम से भारत अंतरराष्ट्रीय पूंजी को आकर्षित कर सकता है।
- **क्रेडिट रेटिंग में सुधार** से संस्थागत निवेशकों को आकर्षित किया जा सकता है।
- कार्बन फुटप्रिंट को कम करने के लिए भारत सरकार द्वारा उठाए जाने वाले कदम।
  - पर्यावरणीय रूप से संधारणीय परियोजनाओं के वित्तपोषण के लिए ग्रीन बांडों का मानकीकरण,
  - निवेशकों को कर छूट के माध्यम से प्रोत्साहित करना।

ग्रीन बॉन्ड को बढ़ावा देने हेतु पहल

- देश में ग्रीन ऋण बाजारों के निर्माण के लिए भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग महासंघ (फिक्की) (Federation of Indian Chambers of Commerce and Industry) एवं क्लाइमेट बांड्स इनिशिएटिव के द्वारा एक संयुक्त परियोजना के रूप में वर्ष 2017 के अंत में **इंडियन ग्रीन बॉन्ड काउंसिल** की स्थापना की गयी।
- COP-21 में **ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट कोअलिशन (GIIC)** का प्रारम्भ किया गया। इसका उद्देश्य हरित अवसंरचना हेतु वित्त जुटाने के लिए निवेशकों, विकास बैंकों और परामर्शकारों के लिए मंच उपलब्ध कराना है।
- **ग्रीन बांड्स इनिशिएटिव** एक गैर-लाभकारी संगठन है। इसका लक्ष्य ग्रीन बांड बाजार को विकसित करना है।

VISION IAS

4. सुरक्षा

(SECURITY)

4.1. साइबर सुरक्षा

(Cyber Security)

सुर्खियों में क्यों?

साइबर अपराधों में हो रही वृद्धि को देखते हुए, गृह मंत्रालय द्वारा **बुडापेस्ट कन्वेंशन ऑन साइबर क्राइम** पर हस्ताक्षर करने पर विचार किया जा रहा है।

भारत में साइबर सुरक्षा की चुनौतियां

- **डेटा कॉलोनाइजेशन(Data colonization)**: भारत सूचनाओं का निवल निर्यातक (net exporter) देश है; इसके बावजूद अधिकांश डिजिटल सेवा प्रदाताओं के डेटा सर्वर भारत के बाहर स्थित हैं।
- **व्यापक डिजिटल निरक्षरता (Digital illiteracy)**, भारतीय नागरिकों को साइबर धोखाधड़ी, साइबर चोरी आदि के प्रति अतिसंवेदनशील बनाती है।
- **निम्नस्तरीय उपकरण**: भारत में इंटरनेट एक्सेस हेतु प्रयुक्त किए जाने वाले अधिकांश उपकरणों की सुरक्षा अवसंरचना अपर्याप्त हैं। इसके अतिरिक्त, असमान सुरक्षा मानकों वाले विभिन्न प्रकार के उपकरण प्रयोग में लाये जाते हैं जिन्हें **एक समान सुरक्षा प्रोटोकॉल** उपलब्ध कराना कठिन होता है।
- भारत सेलफोन से लेकर बिजली क्षेत्र, रक्षा, बैंकिंग, संचार और अन्य महत्वपूर्ण अवसंरचनाओं में प्रयुक्त होने वाले अधिकांश इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के **आयात पर निर्भर** है। इससे देश के समक्ष संवेदनशील स्थिति उत्पन्न हो गयी है।
- **समुचित अवसंरचना और प्रशिक्षित कर्मचारियों की कमी**: वर्तमान व्यवस्था साइबर अपराध के बढ़ते मामलों से निपटने के लिए अपर्याप्त है और कर्मचारियों की कमी से ग्रसित है।
- **अंडर-रिपोर्टिंग**: जागरूकता की कमी के कारण साइबर अपराध के अधिकांश मामले दर्ज नहीं किये जाते हैं।
- साइबर सुरक्षा में संलग्न विभिन्न एजेंसियों के मध्य **समन्वय का अभाव** है। निजी क्षेत्र साइबर स्पेस का क्षेत्र में एक प्रमुख अभिकर्ता है, परन्तु यह इसकी सुरक्षा में सक्रिय रूप से शामिल नहीं है।

बुडापेस्ट कन्वेंशन ऑन साइबर क्राइम के सम्बन्ध में

- यूरोपीय परिषद का यह कन्वेंशन इस विषय पर एकमात्र बाध्यकारी अंतर्राष्ट्रीय दस्तावेज है।
- यह इंटरनेट और अन्य कंप्यूटर नेटवर्क के माध्यम से किए गए अपराधों पर प्रथम अंतर्राष्ट्रीय संधि है। साथ ही, इसके तहत कॉपीराइट उल्लंघन, कंप्यूटर से संबंधित धोखाधड़ी, चाइल्ड पोर्नोग्राफी और नेटवर्क सुरक्षा के उल्लंघन जैसे मुद्दों के निवारण हेतु आवश्यक प्रावधान शामिल किये गये हैं।
- इसका उद्देश्य उचित कानून अपनाने के साथ-साथ अंतर्राष्ट्रीय पुलिस और न्यायिक सहयोग को प्रोत्साहन द्वारा एक आम आपराधिक नीति तैयार करना है।
- यह साइबर अपराध की जांच करने और किसी भी अपराध के संबंध में अधिक प्रभावी ढंग से ई-एविडेंस प्राप्त करने के लिए प्रक्रियात्मक कानूनी उपकरणों का प्रावधान करता है।
- कंप्यूटर सिस्टम के माध्यम से कार्यान्वित "विदेशी लोगों से भय (Xenophobia) और नस्लवाद पर प्रोटोकॉल" इसका पूरक है।

सरकार द्वारा उठाए गए कदम

- **सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 (2008 में संशोधित)** इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज के साधनों और इलेक्ट्रॉनिक संचार के अन्य साधनों द्वारा किए गए लेन-देन के लिए एक कानूनी ढांचा प्रदान करता है।
- **इंडियन कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम (CERT-IN)**: इसकी स्थापना सक्रिय कार्रवाई और प्रभावी सहयोग के माध्यम से भारत के संचार एवं सूचना सम्बंधी बुनियादी ढांचे की सुरक्षा को सुदृढ़ करने के लिए की गयी। इसके साथ ही विशेष रूप से वित्तीय क्षेत्र के लिए CERT-fin का शुभारम्भ भी किया गया है।
- **राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा नीति (National Cyber Security Policy) 2013** में साइबर सुरक्षा से संबंधित सभी मामलों का समन्वय करने के लिए एक राष्ट्रीय नोडल एजेंसी की स्थापना का प्रावधान किया गया है। इसके अतिरिक्त, विभिन्न स्तरों के खतरों से निपटने के लिए विभिन्न निकाय स्थापित करने का प्रस्ताव रखा गया है।
- एयर कंट्रोल, परमाणु और अंतरिक्ष जैसे रणनीतिक क्षेत्रों में साइबर सुरक्षा से सम्बंधित खतरों का सामना करने के लिए नेशनल क्रिटिकल इन्फॉर्मेशन इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रोटेक्शन सेंटर (NCIIPC) स्थापित किया गया है। यह **राष्ट्रीय तकनीकी अनुसंधान संगठन (NTRO: National Technical Research Organisation)** के तहत कार्य करेगा। NTRO, प्रधान मंत्री कार्यालय में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार द्वारा प्रत्यक्ष रूप से नियंत्रित एक तकनीकी आसूचना संग्रहण एजेंसी है।

- **एक राष्ट्रीय साइबर समन्वय केंद्र (NCCC- National cyber coordination centre)** की स्थापना की जा रही है। इसका उद्देश्य देश में आने वाले इंटरनेट ट्रैफिक को स्कैन करना, रियल टाइम स्थिति संबंधी जानकारी प्रदान करना तथा विभिन्न सुरक्षा एजेंसियों को सतर्क करना है।
- गृह मंत्रालय के अधीन नव गठित साइबर एंड इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी (CIS) विभाग के तहत **इंडियन साइबर क्राइम कोआर्डिनेशन सेंटर (I4C)** और **साइबर वारियर पुलिस फ़ोर्स** की स्थापना की गई है। इसका उद्देश्य साइबर धमकियों, चाइल्ड पोर्नोग्राफी और ऑनलाइन स्टाकिंग जैसे इंटरनेट अपराधों को रोकना है।
- **प्रमाणन प्राधिकरण नियंत्रक (Controller of Certifying Authorities)**: प्रमाणन प्राधिकरण नियंत्रक को प्रमाणन प्राधिकरणों के कार्यों को विनियमित करने और लाइसेंस प्रदान करने के लिए IT अधिनियम के तहत स्थापित किया गया है। प्रमाणन प्राधिकरण (CAs) उपयोगकर्ताओं के इलेक्ट्रॉनिक प्रमाणीकरण के लिए **डिजिटल हस्ताक्षर** प्रमाण पत्र (**digital signature** certificates) जारी करते हैं।
- **डिजिटल आर्मी प्रोग्राम**: यह भारतीय सेना की सेवाओं और प्रक्रियाओं का डिजिटलीकरण करने और इनके लिए स्वचालित क्रियाविधि अपनाने के लिए समर्पित एक क्लाउड है। इसे डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के एक भाग के रूप में प्रारम्भ किया गया है। यह नेशनल क्लाउड इनिशिएटिव, **मेघराज** के समान है।
- **औद्योगिक क्षेत्र की पहल**:NASSCOM ने अपनी साइबर लैब्स के साइबर फोरेंसिक उपकरणों और क्रियाविधियों के उपयोग की हालिया प्रवृतियों को ध्यान में रखते हुए एक उन्नत प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रस्तुत करने की योजना बनाई है।

दो नवीन पहलें

साइबर सुरक्षित भारत पहल

- इस पहल को **इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY)** द्वारा **नेशनल ई-गवर्नेंस डिवीजन (NeGD)** और विभिन्न औद्योगिक साझेदारों के सहयोग से प्रारम्भ किया गया। इसका मुख्य उद्देश्य भारत में साइबर सुरक्षा तंत्र को सशक्त करना है।
- यह अपनी तरह की पहली सार्वजनिक-निजी भागीदारी है और इसे साइबर सुरक्षा में IT उद्योग की विशेषज्ञता का लाभ प्राप्त होगा।
- इसके संस्थापक सहयोगियों में अग्रणी आईटी कंपनियाँ जैसे माइक्रोसॉफ्ट, इंटेल, विप्रो शामिल हैं। इसके ज्ञान भागीदारों (knowledge partners) में Cert-In, NIC, NASSCOM और परामर्श कंपनियां (consultancy firms) यथा डेलॉइट (Deloitte) और ई वाई (EY) शामिल हैं।
- इसे जागरूकता, शिक्षा और सक्षमता के तीन सिद्धांतों पर संचालित किया जाएगा।
- इसका उद्देश्य सभी सरकारी विभागों में साइबर अपराध के सन्दर्भ में जागरूकता का प्रसार करना और मुख्य सूचना सुरक्षा अधिकारियों (CISOs) और महत्वपूर्ण आईटी कर्मचारियों की क्षमता का निर्माण करना है।
- इसके अंतर्गत सर्वोत्तम कार्य प्रणाली पर कार्यशालाओं की श्रृंखला और साइबर सिक्यूरिटी हेल्थ टूल किट से अधिकारियों को साइबर खतरों के प्रबंधन एवं शमन हेतु सक्षम बनाना शामिल होगा।

ग्लोबल सेंटर फॉर साइबर सिक्योरिटी

- इसे विश्व आर्थिक मंच (world economic forum: WEF) द्वारा प्रारम्भ किया गया है। WEF का मुख्यालय जेनेवा में है।
- यह WEF के तहत एक स्वायत्त संगठन के रूप में कार्य करेगा। यह भविष्य के साइबर सुरक्षा परिदृश्यों के लिए प्रयोगशाला और अर्ली वार्निंग थिंक टैंक के रूप में काम करेगा। साथ ही यह एक सुरक्षित एवं सशक्त ग्लोबल साइबर स्पेस के निर्माण में सहायक होगा।
- इसका लक्ष्य सरकारों, व्यवसायों, विशेषज्ञों और कानून प्रवर्तन एजेंसियों के लिए पहली बार एक वैश्विक मंच की स्थापना करना है। साथ ही यह साइबर सुरक्षा की चुनौतियों का सामना करने हेतु सहयोग करने और साइबर सुरक्षा पर उचित एवं त्वरित नियामकीय फ्रेमवर्क के निर्माण के उद्देश्य से कार्य करता है।
- यह बहु-साझेदारी दृष्टिकोण (multi stakeholder approach) के माध्यम से WEF की सरकारी एवं उद्योग सहायता को आधार बनाकर अधिक सुरक्षित साइबर स्पेस का निर्माण करेगा।

4.2. आधार सुरक्षा

(AADHAAR Security)

सुर्ख़ियों में क्यों?

- हाल ही में, आधार डेटा में कथित सेंधमारी के पश्चात भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (UIDAI) ने द्वि-स्तरीय सुरक्षा व्यवस्था प्रारम्भ करने की घोषणा की।

भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (UIDAI)

- यह **आधार अधिनियम, 2016** के प्रावधानों के तहत स्थापित एक सांविधिक प्राधिकरण है।
- यह इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के तत्वावधान में कार्य करता है।
- यह आधार नामांकन, प्रमाणीकरण, इस सन्दर्भ में नीति के विकास, आधार संख्या जारी करने हेतु प्रक्रिया तथा व्यवस्था आदि के लिए

VISION IAS

उत्तरदायी है।

- इसका गठन अंशकालिक आधार पर नियुक्त अध्यक्ष, दो अंशकालिक सदस्य और प्राधिकरण के सदस्य-सचिव के रूप में मुख्य कार्यकारी अधिकारी से मिलकर होता है।

AUAs क्या हैं?

- यह आधार संख्या धारकों को आधार सक्षम सेवाएं प्रदान करने वाली संस्था है। इसके लिए यह प्रमाणीकरण सेवा एजेंसी (ASA- Authentication Service Agency) द्वारा प्राप्त प्रमाणीकरण का उपयोग करती है।
- AUA भारत में पंजीकृत ऐसी कोई भी सरकारी, सार्वजनिक या निजी विधिक संस्था हो सकती है जो UIDAI की आधार प्रमाणीकरण सेवाओं का उपयोग करती है तथा अपनी सेवाओं या व्यावसायिक कार्यों को सक्षम बनाने के लिए प्रमाणन अनुरोध भेजती है।
- ASAs वे संस्थाएं हैं जिनके पास CIDR (Central Identities Data Repository) के साथ सुरक्षित लीज्ड लाइन कनेक्टिविटी है। ये एक या एक से अधिक AUAs की ओर से CIDR को प्रमाणीकरण अनुरोध प्रेषित करती हैं।

प्रस्तावित द्वि-स्तरीय सुरक्षा प्रणाली

- **आभासी IDs (VID)**
  - यह एक 16 अंकों की अस्थायी संख्या (OTP की तरह) है। यह प्रमाणीकरण के लिए आधार संख्या के स्थान पर प्रयुक्त की जा सकती है। इस संख्या को आवश्यकता पड़ने पर **केवल आधार धारक ही उत्पन्न (जनेरेट)** कर सकता है।
  - इसे UIDAI पोर्टल, नामांकन केंद्र, आधार मोबाइल ऐप आदि के माध्यम से उत्पन्न किया जा सकता है।
  - किसी भी निश्चित समय पर किसी भी आधार संख्या के लिए **केवल एक सक्रिय और मान्य VID** होगा।

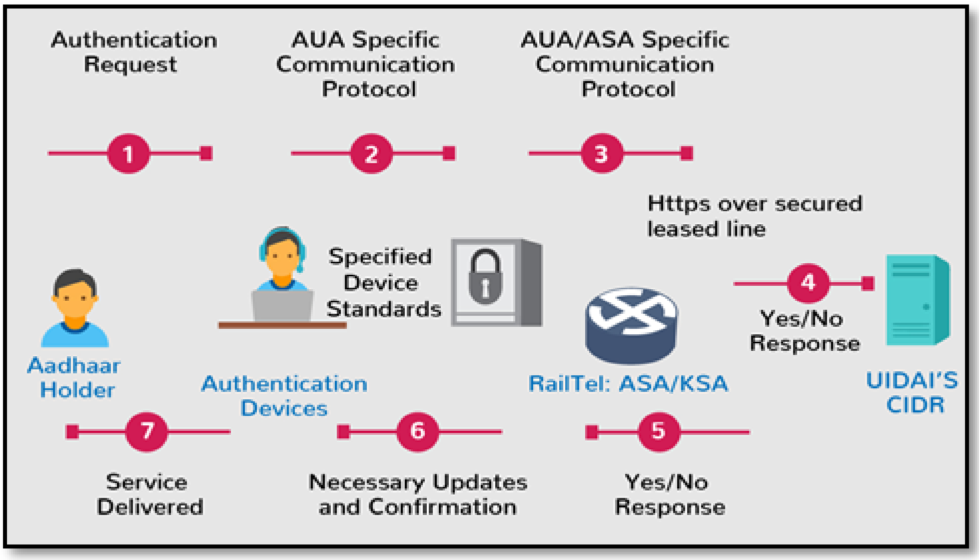

- **सीमित KYC:** इसमें e-KYC प्रमाणीकरण के लिए **एजेंसी-विशिष्ट UID 'टोकन'** दिया जाता है। यह एजेंसियों के कागज़ रहित KYC को जारी रखते हुए उनकी आधार संख्या संचय करने की आवश्यकता को समाप्त कर देता है।
- आधार डेटा की बेहतर सुरक्षा के लिए, सभी प्रमाणीकरण उपयोगकर्ता एजेंसियों (AUAs) को दो श्रेणियों में विभाजित किया जाएगा:
  - **ग्लोबल AUAs:** वे एजेंसियां जिन्हें कानून के अंतर्गत अपनी सेवाओं हेतु आधार संख्या को एकत्र करने की आवश्यकता होती है, ग्लोबल AUAs होती हैं। इन एजेंसियों को किसी व्यक्ति के पूर्ण जनसांख्यिकीय विवरणों के उपयोग के साथ-साथ अपने सिस्टम में आधार संख्याओं को स्टोर करने की सुविधा भी प्राप्त होगी।
  - **लोकल AUAs:** इनकी पहुँच न तो पूर्ण KYC तक होगी और न ही ये अपने सिस्टम में आधार संख्या को स्टोर कर सकते हैं। इसके स्थान पर, इन्हें अपने ग्राहकों की पहचान करने के लिए UIDAI द्वारा जारी एक टोकन नंबर मिलेगा। UID टोकन प्रत्येक विशिष्ट AUA इकाई को प्रत्येक आधार संख्या के लिए प्रदान की गई एक अद्वितीय 72-वर्ण की अल्फ़ान्यूमेरिक श्रृंखला होगी।

4.3. रक्षा क्षेत्र में निजी भागीदारी

(Private Participation In Defence)

सुर्खियों में क्यों?

- हाल ही में, रक्षा अधिग्रहण परिषद (DAC) ने 'मेक II' प्रक्रिया को सरल बनाया है।
- रक्षा मंत्रालय (MOD) ने निजी कंपनियों को सभी आर्मी बेस वर्कशॉप्स (ABW) का संचालन और प्रबंधन करने की अनुमति देने का भी निर्णय लिया है।

मेक II प्रोसीजर, रक्षा खरीद प्रक्रिया (DPP) -2016 के मौजूदा 'मेक प्रोसीजर' में संशोधन करेगा।

- इससे रक्षा मंत्रालय को उद्योगों से प्राप्त स्व-प्रेरित प्रस्तावों को स्वीकार करने और साथ ही नए उद्यमों को भारतीय सशस्त्र बलों के लिए उपकरण विकसित करने की अनुमति प्राप्ति होगी।
- 'मेक II' परियोजनाओं में भाग लेने के लिए न्यूनतम योग्यता मानदंडों में छूट प्रदान की गई है। साथ ही तीन करोड़ से कम लागत वाली परियोजनाएं MSME के लिए आरक्षित रहेंगी।

आर्मी बेस वर्कशॉप्स (ABW)

- ABWs अब "GOCO (Government-Owned Contractor-Managed) मॉडल" के तहत संचालित किए जाएंगे। इस मॉडल में ठेकेदार उपलब्ध सुविधाओं का संचालन और उपयोग करता है एवं सभी प्रकार के कार्यों का प्रबंधन करता है। इसके साथ ही वह आपसी सहमति से निर्धारित लक्ष्यों को पूरा करने के लिए आवश्यक लाइसेंस, प्रमाणीकरण और प्रत्यायन प्राप्त करने के लिए भी उत्तरदायी होता है।
- यह निर्णय डी बी शेकाटकर समिति की सिफारिशों के आधार पर होने वाले व्यापक सैन्य सुधारों का एक भाग है।

निजी भागीदारी की आवश्यकता

रक्षा बजट का प्रभावी उपयोग: वर्तमान में रक्षा बजट का प्रमुख हिस्सा विदेश निर्मित उपकरणों को खरीदने में खर्च किया जाता है, इसके तहत विदेशों द्वारा प्रौद्योगिकी हस्तांतरण नहीं किया जाता है। निजी क्षेत्र की भागीदारी में वृद्धि से स्वदेशी क्षमता निर्माण में वृद्धि होगी और टिकाऊ परिसम्पत्तियों का निर्माण किया जाएगा जिससे आयात निर्भरता कम होगी।

- **अर्थव्यवस्था में वृद्धि**: विनिर्माण क्षेत्रक का एक प्रमुख घटक होने के कारण रक्षा क्षेत्र एक प्रेरक के रूप में कार्य करता है जो उद्यमिता, निवेश और रोजगार को बढ़ावा देगा।
- **खरीद प्रणाली सुव्यवस्थित हो जाएगी**: विदेशी आपूर्तिकर्ताओं पर निर्भरता खरीद में देरी का कारण बनती है और कभी-कभार उनके द्वारा खराब गुणवत्ता उपलब्ध करा दी जाती है। इसके अतिरिक्त स्पेयर पार्ट्स की आपूर्ति में भी समस्याएं हैं।
- **सामरिक स्वायत्तता और आत्मनिर्भरता**: युद्ध जैसी गंभीर परिस्थितियों में सामरिक स्वायत्तता और आत्मनिर्भरता अत्यधिक महत्वपूर्ण हो जाती है। कारगिल युद्ध के दौरान, अमेरिका द्वारा अपनी GPS सुविधा वापस ले लेने के कारण मृतकों की संख्या में वृद्धि हुयी थी।

चुनौतियाँ

- रक्षा खरीद प्रक्रियाओं में क्षमता और अनुभव के आधार पर भारतीय कंपनियों के साथ पक्षपात किया जाता है। निजी कंपनियों को **रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल्स (RFP) के** स्तर पर भी बाहर रखने के लिए प्राय: उनकी अनुभवहीनता को कारण बताया जाता है।
- अधिकांश रक्षा खरीद प्रक्रियाओं में रक्षा क्षेत्र की PSUs और ऑर्डनेंस फैक्ट्रियों के लिए प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष नामांकन, निजी कंपनियों की कठिनाइयाँ बढ़ा देता है।
- अन्य देशों के साथ व्यापक विचार-विमर्श कर बनाई गई रणनीतिक योजनाओं की कमी अक्सर प्रौद्योगिकी हस्तांतरण में बाधा उत्पन्न करती है। अधिकांश सरकारों द्वारा बनाये गए कठोर निर्यात नियंत्रण नियम भी निजी कंपनियों की भागीदारी को प्रतिबंधित करते हैं।
- जटिल **भूमि अधिग्रहण और पर्यावरण अनापत्तियाँ** तथा **बौद्धिक संपदा अधिकारों पर स्पष्टता की कमी के साथ-साथ लाइसेंसिंग में विलंब** आदि निजी क्षेत्र की भागीदारी में बाधा उत्पन्न करते हैं।
- **अपर्याप्त औद्योगिक-शैक्षणिक सहयोग और प्रशिक्षित कर्मचारियों का अभाव** भी रक्षा क्षेत्र में निजी क्षेत्र की भागीदारी के समक्ष विद्यमान प्रमुख चुनौतियां हैं।

सरकार द्वारा उठाए गए कदम

- **रक्षा खरीद प्रक्रिया (DPP) -2016** के अंतर्गत, 'Buy (इंडियन-IDDM)' 'Buy (इंडियन)', Buy & Make (इंडियन)' और 'Make' जैसी अधिग्रहण की श्रेणियों को 'Buy (ग्लोबल)' पर प्राथमिकता दी गई है। IDDM का अर्थ है - स्वदेश विकसित डिज़ाइन और विनिर्माण (Indigenously Designed Developed and Manufactured) जिसमें न्यूनतम 40% स्थानीय सामग्री प्रयुक्त की गई हो।
- रक्षा अधिग्रहण परिषद (DAC) ने सामरिक भागीदारी मॉडल (SPM: Strategic Partnership Model) के व्यापक ढाँचे को मंजूरी दी है। नीति का उद्देश्य भारत में उच्च तकनीक वाले रक्षा उपकरणों के निर्माण में भारतीय निजी क्षेत्र को शामिल करना है।
- 2014 में 'मेक इन इंडिया' की पहल के बाद से, औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग (DIPP) ने विभिन्न रक्षा सामग्रियों के निर्माण के लिए 61 कंपनियों को 81 औद्योगिक लाइसेंस जारी किए हैं।
- प्रत्येक विषय के आधार पर 49% तक विदेशी निवेश स्वचालित मार्ग से और 49% से अधिक विदेशी निवेश को सरकारी मार्ग से अनुमति दी गई है। इसके अतिरिक्त, सरकार रक्षा क्षेत्र में स्वचालित मार्ग के माध्यम से 100 प्रतिशत FDI देने के सम्बन्ध में विचार कर रही है।
- भारतीय निजी क्षेत्र और सार्वजनिक क्षेत्र के मध्य प्रतियोगिता का समान स्तर स्थापित करने के लिए उत्पाद शुल्क/सीमा शुल्क की विसंगतियों को हटा दिया गया है।
- रक्षा उत्पादन में निजी क्षेत्र (विशेष रूप से SME) की भागीदारी को बढ़ावा देने हेतु DPSUs और OFB के लिए आउटसोर्सिंग और वेंडर डेवलपमेंट गाइडलाइन्स तैयार की गई हैं। ये गाइडलाइन्स DPSUs और OFB को उपलब्ध भी करा दी गई हैं।

VISION IAS

4.4. अग्नि-V

(AGNI-V)

सुर्खियों में क्यों?

हाल ही में, भारतीय सेना के सामरिक बल कमान ने स्वदेश निर्मित, परमाणु सक्षम मिसाइल, अग्नि- V का सफल परीक्षण किया।

अग्नि-V के सम्बन्ध में

- यह **इंटिग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट** (कार्यक्रम के तहत विकसित अन्य मिसाइल: पृथ्वी, त्रिशूल, आकाश और नाग) के तहत DRDO द्वारा विकसित एक **इंटरकांटिनेंटल सरफेस टू सरफेस बैलिस्टिक मिसाइल (ICBM)** है।
- वर्तमान में, अमेरिका, चीन, रूस, ब्रिटेन, फ्रांस और इज़राइल के पास ICBMs हैं।
- इसे अत्यधिक सटीक **'रिंग लेज़र गायरो बेस्ड इनर्सिअल नेविगेशन सिस्टम (RINS)'** और **'माइक्रो नेविगेशन सिस्टम (MINS)'** से लैस किया गया है।
- भारत ने दावा किया है कि विश्वसनीय द्वितीय प्रहार क्षमता(second strike capability) या विश्वसनीय न्यूनतम भयादोहन(minimum deterrence) सुनिश्चित करने हेतु अग्नि-V के लिए ***मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टार्गेटेबल रि-एंट्री व्हीकल्स*** (MIRV) पर काम किया जा रहा है। MIRV से आशय एक ऐसी मिसाइल से है जो अलग-अलग लक्ष्यों को भेदने हेतु अनेक हथियार एक साथ ले जाने में सक्षम हो।

4.5. INS करंज

(INS Karanj)

सुर्खियों में क्यों?

भारतीय नौसेना द्वारा हाल ही में स्कॉर्पीन श्रेणी की पनडुब्बी INS करंज का जलावतरण किया गया।

विवरण

- INS करंज, भारतीय नौसेना के प्रोजेक्ट 75 कार्यक्रम के अंतर्गत छह स्कॉर्पीन-क्लास (पारंपरिक डीजल-इलेक्ट्रिक युद्धक पनडुब्बी) पनडुब्बियों में से तीसरी पनडुब्बी है। इसका निर्माण मझगाँव डॉक शिपबिल्डर्स लिमिटेड (MDL) द्वारा किया गया है।
- इनमें से पहली पनडुब्बी INS कलवरी को दिसंबर 2017 में नियुक्त किया गया। दूसरी, INS खांदेरी समुद्री परीक्षणों से गुजर रही है। अन्य तीन पनडुब्बियां वेला, वागीर और वागशीर निर्माण के विभिन्न चरणों में हैं।
- इनके निर्माण में प्रयुक्त तकनीक से 'एडवांस्ड एकॉस्टिक साइलेंसिंग टेक्निक्स', 'लो रेडियेटेड नॉइज़ लेवल' और 'हाइड्रोडायनामिकली ऑप्टीमाइज़्ड शेप' जैसी बेहतर स्टील्थ सुविधायें सुनिश्चित होंगी।
- सटीक निर्देशित हथियारों (टारपीडो और ट्यूब द्वारा प्रक्षेपित एंटी शिप मिसाइल) का उपयोग कर जल की सतह के नीचे या सतह से हमले किए जा सकते हैं।
- स्कॉर्पीन पनडुब्बियां, एंटी-सरफेस (सतह-रोधी) युद्ध, पनडुब्बी-रोधी युद्ध, खुफिया जानकारी एकत्रित करने, माइंस बिछाने और क्षेत्रीय निगरानी जैसे विभिन्न अभियानों का संचालन कर सकती हैं।

5. पर्यावरण

(ENVIRONMENT)

5.1 आपदा प्रतिरोधी अवसंरचना

(Disaster Resilient Infrastructure)

सुर्ख़ियों में क्यों?

- हाल ही में, भारत सरकार द्वारा **संयुक्त राष्ट्र आपदा जोखिम न्यूनीकरण कार्यालय (UNISDR)** के सहयोग से राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (NDMA) के अंतर्गत **आपदा प्रतिरोधी अवसंरचना (DRI)** विषय पर दो दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय कार्यशाला आयोजित की गयी।

पृष्ठभूमि

- **आपदा जोखिम न्यूनीकरण के लिए सेंडाई फ्रेमवर्क (2015-2030)** द्वारा प्रतिरोधी संरचना के निर्माण के लिए **आपदा जोखिम न्यूनीकरण (DRR)** में निवेश तथा पुनर्निर्माण में "बिल्ट बैक बेटर (पुनः बेहतर निर्माण)" की प्राथमिकताओं के रूप में पहचान की गयी है।
- आपदा जोखिम न्यूनीकरण पर एशियाई मंत्रिस्तरीय सम्मेलन (2016) के दौरान भारत सरकार द्वारा **10-सूत्री कार्यसूची** घोषित की गयी। इस 10-सूत्री कार्यसूची का प्रथम बिंदु इस पर केंद्रित है कि 'सभी विकास परियोजनाओं का निर्माण उपयुक्त मानदंडों के आधार पर हो तथा वे लक्षित समुदाय के लिए प्रतिरोधकता विकसित करने में योगदान सुनिश्चित कर सकें।'
- "एक अनुमान के अनुसार आगामी 10 वर्षों में भारत को अवसंरचना क्षेत्र में लगभग 1.5 ट्रिलियन डॉलर के निवेश की आवश्यकता है। यह देश के समक्ष एक चुनौती प्रस्तुत करता है क्योंकि भारत, भूकंप, बाढ़, चक्रवात जैसी अनेक आपदाओं के लिए प्रवण है।
- **SDG लक्ष्य-9** के तहत आपदा प्रतिरोधी अवसंरचना को आर्थिक संवृद्धि और विकास के एक महत्वपूर्ण संचालक के रूप में परिभाषित किया गया है।

- **आपदा न्यूनीकरण के लिए अंतर्राष्ट्रीय रणनीति (ISDR)** के क्रियान्वयन में सहयोग देने के लिए 1999 में एक समर्पित सचिवालय के रूप में **UNISDR को** स्थापित किया गया था।
- **आपदा न्यूनीकरण के लिए अंतर्राष्ट्रीय रणनीति (ISDR)** प्राकृतिक जोखिमों एवं संबंधित तकनीकी और पर्यावरणीय आपदाओं के खतरों और सामाजिक सुभेद्यता को कम करने के लिए की जाने वाली कार्यवाहियों के प्रोत्साहन हेतु संयुक्त राष्ट्र के तहत स्थापित एक वैश्विक फ्रेमवर्क है।

DRI क्या है?

किसी भी प्रकार की प्राकृतिक आपदा से होने वाली गंभीर क्षति को सहन करने में सक्षम अवसंरचना को, आपदा प्रतिरोधी अवसंरचना(Disaster Resilient Infrastructure:DRI) के रूप में जाना जाता है। इसमें संरचनात्मक और गैर-संरचनात्मक उपाय सम्मिलित होते हैं।

- **संरचनात्मक उपायों** में आपदा जोखिम को कम करने के लिए बाढ़ नियंत्रण प्रणाली, सुरक्षात्मक तटबंधों, समुद्री दीवारों और भवनों के पुनर्निर्माण जैसे समायोजनशील(adjusting) इंजीनियरिंग डिजाइन और मानक शामिल हैं।
- **गैर-संरचनात्मक उपाय** जोखिम-संवेदनशील योजना, संस्थागत ढांचे, जोखिम का मानचित्रण, पारिस्थितिकी तंत्र आधारित प्रबंधन और आपदा जोखिम वित्तपोषण को सक्षम करने से संदर्भित है।

DRI की आवश्यकता क्यों?

आपदा की घटनाओं, विशेष रूप से जल-मौसम विज्ञान संबंधी आपदाओं की आवृत्ति एवं तीव्रता में वृद्धि हो रही है। इसने निम्नलिखित कारणों से DRI को अपरिहार्य बना दिया है -

- **आर्थिक क्षति में कमी-** यह प्राकृतिक आपदाओं के कारण राष्ट्रों की सम्पूर्ण व्यवस्था को होने वाली क्षति के बाद आवश्यक पुनर्निर्माण की आर्थिक लागत को कम कर सकता है।
- **मानव जीवन को होने वाली क्षति में कमी-** यह आपदाओं के कारण होने वाली मौतों और प्रभावित लोगों की संख्या को कम करने से संबंधित लक्ष्य को प्राप्त करने में भी सहायता करेगा।
- **आपदा-उपरांत प्रतिक्रिया (post-disaster response)-** समग्र आपदा प्रतिक्रिया को प्रभावी बनाने में सार्वजनिक अवसंरचनात्मक क्षेत्र- ऊर्जा, परिवहन, दूरसंचार भी महत्वपूर्ण हैं। इस प्रकार, इस क्षेत्र में प्रभावी आपदा-उपरांत प्रतिकिया हेतु भी प्रतिरोध महत्वपूर्ण होता है।

उठाए जाने वाले आवश्यक कदम :

मुख्यतः चार व्यापक क्षेत्रों में प्रयास किए जाने की आवश्यकता है, जिनमें शामिल हैं:

- **आपदा जोखिम का मूल्यांकन** - इसके लिए पूर्व में उत्पन्न आपदाओं के प्रतिरूप (जैसे हवा की गति, उच्च बाढ़ स्तर) से सम्बंधित समयबद्ध एवं बेहतर आंकड़ों और संभाव्य जोखिम मूल्यांकन के लिए ऐसे आंकड़ों के विश्लेषण की क्षमता की आवश्यकता होगी। इससे आपदा प्रतिरोधी अवसंरचना में निवेश को सही दिशा मिल सकेगी।
- **डिज़ाइन और क्रियान्वयन के मानक**- नेशनल फ्रेमवर्क फॉर डिज़ाइन एंड कंस्ट्रक्शन स्टैण्डर्ड को प्राकृतिक खतरों के साथ ही उन्नत इंजीनियरिंग प्रौद्योगिकी के संबंध में व्यापक जानकारी को भी प्रदर्शित करना चाहिए।
- **जोखिम को कवर करने के लिए नवीन अवसंरचना एवं तंत्रों का वित्तपोषण**- आपदा जोखिम वित्त पोषण की रणनीति के तहत बजट आरक्षित निधि के साथ-साथ कैटास्ट्राफिक बॉन्ड जैसे आपदा जोखिम हस्तांतरण उपकरण भी शामिल होने चाहिए।
- **आपदा के पश्चात अवसंरचना के पुनर्निर्माण और रिकवरी के लिए** - "बिल्ड बैक बेटर" सिद्धांत का अनुपालन अवसंरचना के संरचनात्मक डिजाइन के साथ-साथ इसके लिए आवश्यक प्रबंधन व्यवस्था हेतु भी किया जाना आवश्यक है।

5.2. भारतीय सुनामी पूर्व चेतावनी प्रणाली

(Indian Tsunami Early Warning System)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में प्राप्त सूचनाओं के अनुसार इंडियन सुनामी अर्ली वार्निंग सिस्टम (ITEWS) भूकंप की रियलटाइम निगरानी के लिए सेन्सर्स की एक विस्तृत प्रणाली स्थापित करने की प्रक्रिया में है।

ITEWS के बारे में

- सुनामी महासागरीय गुरुत्वीय तरंगों का एक तंत्र है, जो समुद्री नितल में बड़े स्तर पर होने वाले विक्षोभ के परिणामस्वरूप उत्पन्न होता है। ये विक्षोभ भूकंप, पनडुब्बी, भूस्खलन अथवा ज्वालामुखी के कारण उत्पन्न हो सकते हैं।
- अंडमान-निकोबार-सुमात्रा द्वीपीय चाप तथा मकरान क्षेपण क्षेत्र (*सबडक्शन जोन)* नामक दो प्रमुख संभाव्य क्षेत्रों से जनित भूकम्पों से उत्पन्न सुनामी से **हिन्द महासागर** के प्रभावित होने की संभावना है।
- सुनामी स्रोत क्षेत्रों की उपस्थिति के कारण महासागरीय आपदाओं के प्रति भारतीय तटरेखा की सुभेद्यता बढ़ जाती है।
- दिसम्बर 2004 के भूकंप तथा सुनामी जैसी घटना की प्रतिक्रिया में, भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना सेवा केन्द्र(INCOIS), हैदराबाद में उन्नत तकनीकी युक्त **इंडियन सुनामी अर्ली वार्निंग सिस्टम** की स्थापना की गयी थी।

ITEWS के घटक

- यह सीस्मिक स्टेशनों, सुनामी बॉयज़ (buoys), नितल दाब मापक, ज्वार गेज तथा एक 24X7 परिचालित चेतावनी केंद्र के रियलटाइम नेटवर्क से निर्मित है। ये समग्र रूप से सुनामी जनित भूकम्पों का पता लगाएंगे तथा उन पर निगरानी रखेंगे।
- INCOIS ने एक **पूर्णतः सुरक्षित उपग्रह-आधारित संचार प्रणाली** की स्थापना की है। इसमें आपातकाल परिचालन केंद्र (*इमरजेंसी ऑपरेशन सिस्टम:* EOCs), एक कंप्यूटर-आधारित भूकंप चेतावनी तथा वेब एक्सेस सिस्टम इत्यादि सम्मिलित हैं। यह सन्देश भेजने तथा 1 किलोमीटर तक सुनाई देने वाली अन्तर्निहित साईरन अलर्ट प्रणाली को चालू करने में सक्षम होगा।
- यह हिन्द महासागर तथा विश्व के अन्य महासागरों के भीतर तथा ऊपर आने वाले रिक्टर स्केल पर 5 से अधिक तीव्रता के भूकंप की स्थिति में, 10 मिनट से भी कम समय में सुनामी की चेतावनी भेजने में सक्षम हैं।
- ऑस्ट्रेलिया और इंडोनेशिया के साथ-साथ ITEWS हिन्द महासागर क्षेत्र के लिए ***रीजनल सुनामी एडवाइजरी सर्विस प्रोवाइडर*** के रूप में कार्य करता है।

5.3 शहरी ऊष्मा द्वीप

(Urban Heat Island)

सुर्ख़ियों में क्यों?

- हाल ही में अमेरिकन जियोफिजिकल यूनियन की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि विश्व भर में (विशेष रूप से दिल्ली के ऊपर) शहरी क्षेत्रों में *फॉग होल्स* देखे गए हैं।

रिपोर्ट से संबंधित अन्य तथ्य

- उपग्रह चित्रों का विश्लेषण दर्शाता है कि प्रत्येक वर्ष सर्दियों में दिसंबर और जनवरी के महीनों में दिल्ली के ऊपर विशाल *फॉग होल्स* का निर्माण हो जाता है।
- प्रत्येक सर्दी, संपूर्ण उत्तर भारत घने कोहरे से आच्छादित हो जाता है परन्तु शहरी ऊष्मा द्वीप नामक परिघटना के कारण सिन्धु-गंगा के मैदान पर नई दिल्ली और अन्य शहरों में कोहरे की इस परत में छिद्र (फॉग होल) उत्पन्न हो रहा है।
- इसका प्रभाव दिल्ली में इतना सशक्त है कि यहाँ आसपास के इलाकों की तुलना में 50 प्रतिशत से कम कोहरा देखा गया है।
- "ऊष्मा द्वीप" से आशय उन क्षेत्रों से है जो आसपास के क्षेत्रों की तुलना में अधिक गर्म होते हैं।

UHI के लिए उत्तरदायी प्रमुख कारक:

- **प्रत्यक्ष प्रदूषण:** ऊष्मा के विभिन्न स्रोतों जैसे-शहरी क्षेत्रों में आगजनी की घटनाएँ, उद्योग, घरों तथा आसपास के क्षेत्रों में पराली दहन।
- **ऊष्मा का अवशोषण:** शहर में ईंटों, भवनों और कंकरीट सामग्रियों के ऊष्मा संरक्षण गुणों द्वारा।
- **शहरी ज्यामिति**: इमारतों की ऊँचाई और अंतराल, शहरी अवसरंचना से प्राप्त और उत्सर्जित विकिरण की मात्रा को प्रभावित करते हैं। कई शहरी क्षेत्रों के भीतर ऊँची इमारतों में सूर्य के प्रकाश के परावर्तन और अवशोषण के लिए कई सतहें होती हैं, जिससे शहरी क्षेत्रों के उष्ण होने की तीव्रता बढ़ जाती है।
- वायुमंडलीय प्रदूषण का बहिर्गामी विकिरण पर **आच्छादन प्रभाव (ब्लेंकेटिंग इफ़ेक्ट)**
- शहरी क्षेत्र में **वनस्पति का अभाव**, छाया और वाष्पोत्सर्जन से होने वाले प्राकृतिक शीतलन प्रभाव को कम करता है।

शहरी क्षेत्रों पर UHI के प्रभाव

- **ऊर्जा की मांग में वृद्धि**: शहरों में गर्मियों के दौरान तापमान बढ़ने से वातानुकूलन के लिए ऊर्जा की मांग में वृद्धि होती है, जो उच्च विद्युत खपत में योगदान देती है।
- **ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन एवं वायु प्रदूषण में वृद्धि**: ऊर्जा की बढ़ती मांग से, जीवाश्म ईंधन और तापीय विद्युत संयंत्रों में ऊर्जा का उत्पादन बढ़ जाता है, जो आसपास के क्षेत्रों में वायु प्रदूषण की वृद्धि को प्रेरित करता है।
- **मानव स्वास्थ्य के लिए असुविधा एवं खतरा:** सामान्य थकावट, ऊष्मा घात, उष्मीय ऐंठन, सिरदर्द और श्वसन समस्याओं के कारण स्वास्थ्य पर प्रभाव पड़ता है।
- **मौसम और जलवायु पर द्वितीयक प्रभाव:** इसमें स्थानीय पवन के पैटर्न, कोहरे एवं मेघों के निर्माण, वर्षण दर एवं आर्द्रता में परिवर्तन शामिल हैं। असामान्य ऊष्मा वायु की तीव्र ऊर्ध्वाधर गति, झंझावात और वर्षा को प्रेरित करती है।
- **पादपों, वन एवं पशुओं पर प्रभाव**: उच्च तापमान पौधों के जीवन में असंतुलन उत्पन्न कर सकता है।

किसी क्षेत्र में UHI प्रभाव का सामना कैसे किया जाए ?

- **हल्के रंग के कंक्रीट और सफेद छतों का उपयोग:** एल्बिडो को बढ़ाने के लिए।
- **हरित छतों का उपयोग:** इसके अंतर्गत किसी भवन की छत को आंशिक रूप से या पूरी तरह से वनस्पति के साथ आच्छादित किया जाता है जो वर्षा जल को अवशोषित करती है तथा शहरी वायु के तापमान को कम करने में तापावरोधन (इन्सुलेशन) प्रदान करती है।
- **हरित भवनों का निर्माण:** इन्हें इस तरीके से बनाया जाना चाहिए जो संसाधन-कुशल एवं पर्यावरण की दृष्टि से धारणीय हो। उदाहरण के लिए: भवन के भीतर सूर्य के प्रकाश का कुशल उपयोग संपूर्ण ऊर्जा उपयोग को कम करता है तथा UHI के प्रभाव में कमी लाता है।
- **शहरों में वृक्षारोपण:** वृक्ष, छाया प्रदान करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करते हैं, ऑक्सीजन और स्वच्छ वायु निष्कासित करते हैं तथा शीतलन प्रभाव उत्पन्न करते हैं।
- **प्रौद्योगिकियों और बुनियादी ढांचे में सुधार**: उत्सर्जन को कम करने के लिए ईंधन दक्षता को प्रोत्साहित करना तथा भारत स्टेज VI जैसे उत्सर्जन मानकों के उच्च मापदंडो का पालन करना।

5.4 कार्बन सिंक

(Carbon Sink)

सुर्ख़ियों में क्यों?

पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, INDC (राष्ट्रीय स्तर पर अभीष्ट निर्धारित योगदान: Intended Nationally Determined Contributions) के अंतर्गत अपनी प्रतिबद्धता को पूरा करने के लिए **भू-दृश्य-आधारित जलग्रहण उपचार योजना** पर कार्य कर रहा है।

पृष्ठभूमि

- **पेरिस जलवायु समझौते** के अनुसार, 2030 तक अतिरिक्त वनों और वृक्षों के माध्यम से 2.5 से 3 बिलियन टन कार्बन-डाइऑक्साइड के समतुल्य अतिरिक्त सिंक का निर्माण करने का संकल्प लिया गया है। यद्यपि, संभव है कि भारत अपने लक्ष्य को पूरा न कर पाए।
- जलवायु परिवर्तन पर अंतर-सरकारी पैनल (IPCC) के अनुसार भारत स्वास्थ्य, आर्थिक विकास और खाद्य सुरक्षा पर जलवायु परिवर्तन के प्रतिकूल प्रभाव के लिए सर्वाधिक सुभेद्य है।
- भारत वन स्थिति रिपोर्ट (ISFR) 2017 के अनुसार कुल वन और वृक्षावरण, कुल भौगोलिक क्षेत्र का 24.4% है, जो कि राष्ट्रीय वन नीति,1988 के तहत 33% होना चाहिए।

कार्बन सिंक एक प्राकृतिक या कृत्रिम भंडार है जो अनिश्चित अवधि के लिए कुछ मात्रा में कार्बन-युक्त रासायनिक अवयवों का भंडारण करता है। कार्बन सिंक द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड (CO2) को निष्कासित करने की प्रकिया, कार्बन प्रच्छादन(carbon sequestration) के रूप में जानी जाती है।

कार्बन प्रच्छादन प्रक्रिया, के माध्यम से ग्रीनहाउस गैसों के संचय को मंद करने के लिए CO2 का वायुमंडल से उद्ग्रहण कर दीर्घकाल तक उसका भंडारण किया जाता है। उदाहरणार्थ: वनारोपण, कार्बन कैप्चर एंड स्टोरेज (CCS)

भारत सरकार द्वारा कार्बन सिंक को बढ़ाने के लिए उठाए गए कदम

- NAPCC के अंतर्गत ग्रीन इंडिया मिशन, 2030 तक 10 मिलियन हेक्टेयर वृक्ष लगाने की योजना का कार्यान्वयन कर रहा है। इससे 2.5 बिलियन टन का कार्बन सिंक निर्मित होगा।
- कैम्पा (CAMPA) फंड: इसका उपयोग वनों के नुकसान की क्षतिपूर्ति, वन पारिस्थितिकी तंत्र के पुनर्निर्माण, वन्यजीव संरक्षण और अवसरंचना के विकास के लिए वनीकरण हेतु किया जाएगा।
- राष्ट्रीय वनीकरण कार्यक्रम: यह निम्नीकृत वन भूमि के वनीकरण के लिए कार्यान्वित किया जा रहा है।
- नगर वन उद्यान योजना: शहर में न्यूनतम 25 हेक्टेयर वनों का विकास किया जाएगा।
- राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन अनुकूलन निधि: जलवायु परिवर्तन के प्रतिकूल प्रभावों के प्रति अनुकूलन की लागत को पूरा करने में राज्य और संघ शासित प्रदेशों की सहायता करना।
- अंतरिक्ष विभाग द्वारा "डेजर्टिफिकेशन एंड लैंड डिग्रेडेशन एटलस ऑफ इंडिया" जारी किया गया। यह वर्तमान भूमि उपयोग और 2005 से 2013 तक विभिन्न राज्यों में भूमि क्षरण की गंभीरता पर विस्तृत जानकारी प्रदान करता है। यह आगामी भविष्य में देश के अंदर भूमि उपयोग के लिए आधार प्रदान करेगा।

- भारत में कार्बन स्टॉक लगभग 7 बिलियन टन है, जो 25.66 बिलियन टन कार्बन डाइऑक्साइड के समतुल्य है।
- कार्बन स्टॉक का 65% संग्रहण मृदा में और 35% संग्रहण वृक्षों में है।
- वैश्विक कार्बन कैप्चर और स्टोरेज (CCS) संस्थान के अनुसार, भारत उन 24 विकासशील देशों में से एक है, जो वर्तमान में CCS की गतिविधियों जैसे-क्षमता विकास, आयोजना और पूर्व-निवेश एवं परियोजना विकास में सलग्न हैं।

जलग्रहण क्षेत्र उपचार योजना(Catchment treatment plan) और इसका महत्व

- जलग्रहण क्षेत्र (वह क्षेत्र जिसमें प्राप्त सम्पूर्ण वर्षा जल एक धारा या कई धाराओं के रूप में प्रवाहित होता है) एक प्राकृतिक कार्बन सिंक के रूप में कार्य कर सकता है। यह मृदा में जैविक कार्बन के रूप में पर्याप्त मात्रा में वायुमंडलीय CO2 का अधिग्रहण करता है।
- जलग्रहण क्षेत्र में निम्नलिखित उपायों द्वारा जल का उपचार किया जा सकता है :
    - वृक्षारोपण अभियान के माध्यम से जैविक हस्तक्षेप और वर्मीकल्चर के माध्यम से मृदा सरंध्रता में वृद्धि आदि। रंध्रयुक्त मृदा, कॉम्पैक्ट मृदा की तुलना में अधिक जल धारण करने में सक्षम होती है।
    - चेक डैम्स, भूमिगत जलाशयों या सीमेंट स्लैब जैसे यांत्रिक साधनों का उपयोग करना जो कि वर्षा जल को मृदा की ओर निर्देशित करने में सक्षम हैं। जलग्रहण क्षेत्र का नियोजित प्रबंधन, मृदा के अपरदन को रोकने, भूजल के पुनर्भरण तथा मृदा में आर्द्रता बनाए रखने द्वारा दावानल को रोकने में सहायता करता है।
    - यह मानव-पशु संघर्ष को कम करेगा क्योंकि इस तरह की योजना वनों में जल, चारे तथा भूजल के पुनर्भरण की उपलब्धता में वृद्धि करेगी।

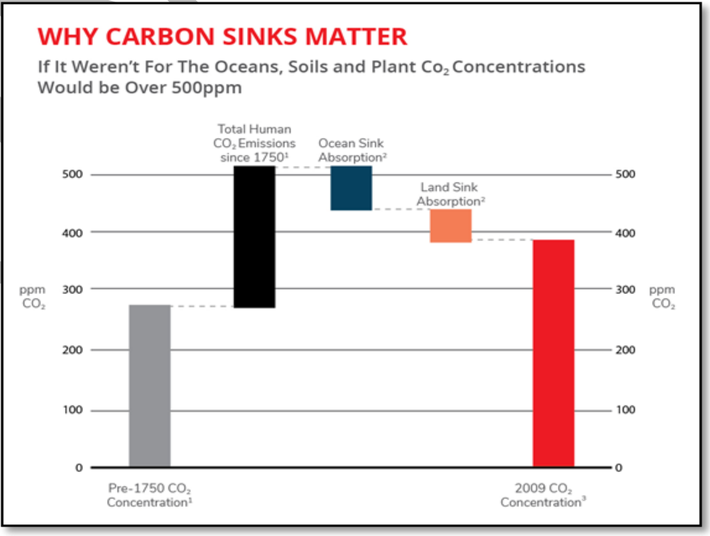

5.5.शहरों हेतु लीडरशिप इन एनर्जी एंड एन्वायरमेंटल डिज़ाइन (LEED)

(LEED for Cities)

सुर्ख़ियों में क्यों?

दिसंबर, 2017 में *लीड फॉर सिटीज* और *लीड फॉर कम्युनिटी* फ्रेमवर्क का एक वर्ष पूर्ण हो गया।

LEED (लीडरशिप इन एनर्जी एंड एनवायरमेंटल डिज़ाइन)

- यह *यू.एस. ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल (USGBC)* द्वारा संचालित एक अंतर्राष्ट्रीय प्रमाणन है, **जो व्यावहारिक हरित भवनों संबंधी समाधानों की पहचान एवं कार्यान्वयन हेतु भवन मालिकों और संचालकों को एक फ्रेमवर्क प्रदान करता है।**
- यह पर्यावरण एवं मानव स्वास्थ्य के **पांच मुख्य क्षेत्रों** के निष्पादन में सुधार हेतु अपने प्रयासों को संकेंद्रित करता है: **ऊर्जा दक्षता, आंतरिक पर्यावरण सम्बन्धी गुणवत्ता, सामग्री चयन, सम्बद्ध स्थान का धारणीय विकास (*सस्टेनेबल साईट डेवलपमेंट*) और जल बचत।**

लीड फॉर सिटीज और लीड फॉर कम्युनिटी फ़्रेमवर्क के बारे में:

- ये दोनों ही कार्यक्रम LEED का विस्तार हैं जिन्हें शहरों, समुदायों, आस-पास के क्षेत्रों, जिलों, कस्बों और बस्तियों (counties) पर लागू करने हेतु डिज़ाइन किया गया है।
- ये ऊर्जा उपयोग, अपशिष्ट प्रबंधन, जल, परिवहन और यहाँ तक कि जीवन की गुणवत्ता के निष्पादन की भी निगरानी करेंगे।
- इन फ्रेमवर्कों के लक्ष्यों के निर्धारण हेतु किसी समुदाय या शहर द्वारा लक्ष्यों का निर्धारण एवं रणनीतियों का क्रियान्वयन करना तथा इन लक्ष्यों को बनाए रखने एवं सहायता प्रदान करने के लिए योजना निर्माण आवश्यक है।
- उसके पश्चात् ये शहर या समुदाय इन लक्ष्यों की ओर प्रगति के मापन और निगरानी हेतु निष्पादन डाटा को साझा करने के लिए एक ऑनलाइन मंच का उपयोग करते हैं। इस प्रकार, ये प्रतिबद्धताओं की अपेक्षा परिणामों पर ध्यान केंद्रित करते हैं।
- प्रमाणीकरण के लिए, इस परियोजना द्वारा पांच श्रेणियों- ऊर्जा, जल, अपशिष्ट, परिवहन तथा शिक्षा, समृद्धि, समानता और स्वास्थ्य एवं सुरक्षा सहित मानवीय अनुभव के महत्वपूर्ण मापकों की निगरानी तथा रिपोर्ट की जाएगी।

5.6. पर्यावरण निष्पादन सूचकांक

(Environmental Performance Index: EPI)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, जारी किए गए पर्यावरण निष्पादन सूचकांक में भारत को 180 देशों में से 177 वां स्थान प्राप्त हुआ।

पर्यावरण निष्पादन सूचकांक

- यह द्विवार्षिक सूचकांक, **विश्व आर्थिक मंच** के सहयोग से **येल और कोलंबिया विश्वविद्यालय** द्वारा संयुक्त रूप से तैयार किया जाता है।
- EPI द्वारा 10 श्रेणियों के 24 निष्पादन संकेतों के आधार पर देशों को रैंक प्रदान की जाती है।
- इसमें स्विट्ज़रलैंड को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है, इसके पश्चात् फ्रांस और डेनमार्क का स्थान है।

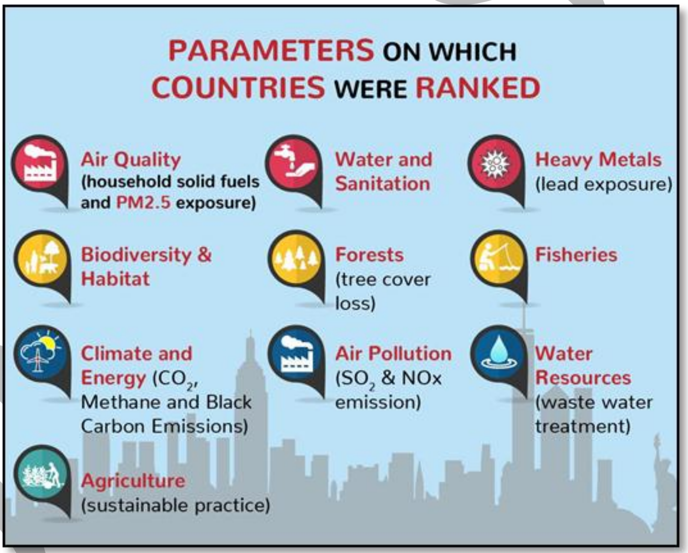

भारत के संदर्भ में 2018 की रिपोर्ट :

- 2016 में 141 की तुलना में भारत की रैंकिंग में 36 अंक की गिरावट दर्ज हुई है।
- चीन (120) और भारत (177) सहित उभरती हुई अर्थव्यवस्थाओं का निम्न स्थान, जनसंख्या दबाव और तीव्र आर्थिक विकास के कारण पर्यावरण पर पड़ने वाले नकारात्मक प्रभाव की ओर संकेत करता है।
- इसके अतिरिक्त, जहाँ तक वायु की गुणवत्ता का प्रश्न है, भारत का 180 देशों में से 178 वां स्थान है। इसकी समग्र निम्न रैंकिंग, पर्यावरणीय स्वास्थ्य नीति के अप्रभावी निष्पादन और गंभीर वायु प्रदूषण के कारण होने वाली मौतों से संबंधित है।

5.7 हिमालयन रिसर्च फेलोशिप स्कीम

(Himalayan Research Fellowships Scheme)

सुर्ख़ियों में क्यों?

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (MoEFCC) द्वारा **हिमालयन रिसर्च फेलोशिप स्कीम** प्रारंभ करने का निर्णय लिया गया है।

योजना के बारे में

- **उद्देश्य:** इस योजना का उद्देश्य **प्रशिक्षित पर्यावरण प्रबंधकों, पर्यावरणविदों और सामाजिक-अर्थशास्त्रियों के एक युवा समूह का निर्माण** करना है। यह समूह हिमालयी पर्यावरण और विकास के भौतिक, जैविक, प्रबंधकीय और मानवीय पहलुओं पर सूचना का सृजन करने में सहायता करेगा।
- **कार्यान्वयन:** इस फेलोशिप स्कीम को भारतीय हिमालय क्षेत्र (IHR) में कार्यरत विभिन्न विश्वविद्यालयों और संस्थानों के माध्यम से क्रियान्वित किया जाएगा और इस क्रम में पूर्वोत्तर राज्यों के संस्थानों को प्राथमिकता दी जाएगी।
- **वित्तपोषण:** इसे **राष्ट्रीय हिमालयी अध्ययन मिशन (NMHS)** के तहत वित्तीय समर्थन प्रदान किया जाएगा। यह फेलोशिप अधिकतम तीन वर्षों की अवधि के लिए प्रदान की जायेगी।

- **प्रमुख क्षेत्र:** NMHS के तहत किसी भी निर्धारित व्यापक विषयगत क्षेत्रों (ब्रॉड थीमेटिक एरियाज़:BTAs) जैसे-झरनों और जलग्रहण क्षेत्र के पुनर्नवीकरण सहित जल संसाधन प्रबंधन, जल-विद्युत विकास, जल प्रेरित आपदाओं का अनुमान और मूल्यांकन तथा आजीविका के विकल्पों के साथ ईको टूरिज्म, संकटग्रस्त प्रजातियों की रिकवरी और कौशल विकास सहित जैव विविधता प्रबंधन इत्यादि पर यह अनुसंधान किया जा सकता है।

हिमालयी पारिस्थितिकी तंत्र के संरक्षण हेतु सरकार द्वारा उठाये गये अन्य प्रमुख कदम;

- जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्य योजना (NAPCC) के तहत **नेशनल मिशन फॉर सस्टेनिंग द हिमालयन इको-सिस्टम (NMHSE)** का आरम्भ किया गया था। इसका उद्देश्य हिमालयी पारिस्थितिकी तंत्र के स्वास्थ्य का निरंतर आकलन करना, और नीति निर्माण निकायों को इस हेतु नीति-निर्माण कार्यों में सक्षम बनाना है।
- केंद्र सरकार ने एक छह वर्षीय परियोजना **सिक्योर हिमालय** का आरम्भ किया है। इस परियोजना का उद्देश्य उच्च हिमालयी पारिस्थितिक तंत्र में स्थानीय और वैश्विक स्तर पर महत्वपूर्ण जैव विविधता, भूमि और वन संसाधनों का संरक्षण सुनिश्चित करना है।
- वनारोपण के माध्यम से कार्बन सिंक विकसित करने और हिमालयी पारिस्थितिकी तंत्र का संरक्षण और स्थायित्व प्रदान करने हेतु वर्ष 2010 में राष्ट्रीय मिशन आरम्भ किया गया।

हिमालयी पारिस्थितिकी तंत्र 3000 किमी से अधिक विस्तार के साथ, विश्व का सर्वाधिक उच्चतम पर्वतीय पारिस्थितिकी तंत्र है। हिमालयी पारिस्थितिकी तंत्र में जैव विविधता अत्यधिक समृद्ध है। यहाँ कुछ वनस्पतियों और जीव प्रजातियों में ओक, रोडोडेंड्रॉन, वॉलनट, जुनिपर, हिम तेंदुए, कस्तूरी हिरण आदि शामिल हैं। हिमालय का एक वृहत् भाग जैव विविधता हॉट स्पॉट के रूप में घोषित किया गया है।

हिमालय पारिस्थितिकी तंत्र को ख़तरा

- **जलवायु परिवर्तन:** तापमान वृद्धि और अप्रत्याशित वर्षा, ताजे जल के प्रवाह में उल्लेखनीय परिवर्तन उत्पन्न करते हैं एवं तापीय असंतुलन उत्पन्न करते हैं। इसका क्षेत्र की विभिन्न वनस्पतियों और जन्तुओं पर अत्यधिक प्रभाव पड़ता है। यहाँ ट्री लाइन में वृद्धि हो रही है अर्थात वृक्ष पहले की अपेक्षा और भी अधिक ऊंचाई पर उगने लगे हैं एवं विलुप्ति की दर में कई गुना वृद्धि हुई है।
- **अतिक्रमण**: बढ़ते जनसंख्या दबाव को कृषि भूमि के विस्तार, लकड़ी, चारे और ईंधन की लकड़ी के लिए वनों के दोहन, अतिचारण के रूप में देखा जा सकता है। उपर्युक्त कारक वनस्पतियों और जन्तुओं के पर्यावास ह्रास में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं।
- **शिकार:** जंतुओं की विभिन्न प्रजातियों का वाणिज्यिक उद्देश्य, अवैध व्यापार, तस्करी, मानव-पशु संघर्ष इत्यादि के लिए शिकार किया जा रहा है। इस क्षेत्र में वन्यजीव संकट उत्पन्न हो रहा है।
- **अवसंरचना विकास**: अर्थव्यवस्था के विकास, शहरीकरण में वृद्धि, ऊर्जा सुरक्षा प्राप्त करने और दूरदराज के क्षेत्रों को जोड़ने से हिमालय क्षेत्र के प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र में वृहत् स्तर पर हस्तक्षेप होता है।
- **अपशिष्ट निपटान:** हिमालयी क्षेत्रों में मानव जनसंख्या, उनके आवास, उद्योगों द्वारा निष्कर्षित अकल्पनीय अजैव-निम्नीकरण अपशिष्ट और विषाक्त पदार्थ बढ़ रहे हैं। ये बाह्य पदार्थ स्थानीय खाद्य श्रृंखला में प्रवेश करते हैं और जैवसंचयन एवं जैव आवर्धन के माध्यम से प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र में पूर्ण रूप से परिवर्तन लाते हैं।
- **राजनीतिक कारण:** उग्रवाद, युद्ध, सैन्य संचालन के कारण वनों और जैव विविधता का ह्रास होता है।

VISION IAS

5.8 शून्य बजट प्राकृतिक कृषि

(Zero Budget Natural Farming)

सुर्खियों में क्यों?

आंध्रप्रदेश सरकार, स्वयं-सहायता समूहों के माध्यम से सूखा-प्रवण क्षेत्रों में किसानों की आजीविका में सुधार करने और जलवायु परिवर्तन से निपटने हेतु शून्य बजट प्राकृतिक कृषि (ZBNF) का समर्थन कर रही है। इस प्रकार का यह पहला कदम है।

शून्य बजट प्राकृतिक कृषि

- यह एक प्राकृतिक कृषि तकनीक है। इसके अंतर्गत रसायनों और क्रेडिटों के उपयोग के बिना अथवा क्रय आगतों पर कोई अतिरिक्त धन व्यय किये बिना कृषि की जाती है।
- ZBNF, फसलों के आस-पास के सभी प्राकृतिक संसाधनों के उपयोग के कारण, उत्पादन की लागत को घटाकर शून्य कर देती है। किसानों द्वारा फसल संरक्षण हेतु केंचुओं, गाय के गोबर, मूत्र, पौधों, मानव मल-मूत्र और अन्य जैविक उर्वरकों का उपयोग किया जाता है।
- इसे **सुभाष पालेकर** द्वारा विकसित किया गया है।

ZBNF की विशेषताएं;

- **अंतर-फसल:** इसके तहत, विभिन्न फसलों के संयोजन को एक साथ उगाया जाता है। इसके फलस्वरूप एक ही फसल द्वारा प्रयुक्त किए जा सकने वाले संसाधनों का उपयोग करके निर्दिष्ट भूमि के भाग पर अधिकतम फसल का उत्पादन किया जाना संभव हो सका है।
  उदाहरण के लिए, किसान मिर्च और टमाटर के साथ संयोजन फसल यथा-बाजरा, अरहर, कँगनी (foxtail millet) अथवा मुख्य फसल के रूप में मूंगफली के साथ बहु फसल को उगा रहे हैं।
- **जैव-उर्वरक का उपयोग और रासायनिक उर्वरक एवं कीटनाशकों का उन्मूलन-** किसानों द्वारा **'जीवामृत'** नामक पद्धति का उपयोग किया जाता है जिसमें वे स्थानीय गाय के गोबर और गोमूत्र से निर्मित उर्वरक का प्रयोग करते हैं।
- **मृदा की आर्द्रता का उपयोगः** सूखा-प्रवण क्षेत्रों के किसान, मृदा की प्राकृतिक आर्द्रता के ह्रास को कम करने, मृदा वातन(soil aeration), मृदा स्वास्थ्य और उर्वरता को बढ़ाने तथा मृदा के अनुकूल सूक्ष्म जलवायु सुनिश्चित करने हेतु **मल्चिंग एवं वाफसा (Waaphasa) पद्धतियों** को अपनाते हैं।
- **कृषि की लागत कम करना :** ZBNF, उर्वरकों और कीटनाशकों जैसी महंगी आगतों पर व्यय को कम करके लागत में कटौती करता है, और किसानों की आय में वृद्धि करता है।
- **समोच्च रेखा एवं मेड़ निर्माण :** वर्षा जल के संरक्षण हेतु इनका प्रयोग करना, क्योंकि यह विभिन्न फसलों के लिए अधिकतम दक्षता को प्रोत्साहित करते हैं।
- सूखे की अवधि के दौरान जल की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए, ZBNF में कृषि तालाबों जैसे **पुनर्भरण योग्य जलाशयों** को भी सम्मिलित किया गया है।
- किसान मृदा में कार्बनिक पदार्थों को बढ़ाने के लिए खेतों में केंचुओं की स्थानीय प्रजातियों की प्रचुरता को बनाये रखते हैं, जो आर्द्रता बनाए रखने के लिए मृदा की क्षमता में वृद्धि करते हैं।

5.9 मंगलजोड़ी इकोटूरिज्म ट्रस्ट

(Mangalajodi Ecotourism Trust)

सुर्ख़ियों में क्यों?

- हाल ही में मंगलजोड़ी इकोटूरिज्म ट्रस्ट (MET) को यूनाइटेड नेशन्स वर्ल्ड टूरिज्म आर्गेनाईजेशन (UNWTO) द्वारा "पर्यटन उद्यम में नवोन्मेष" (इनोवेशन इन टूरिज्म एंटरप्राइज) पुरस्कार से सम्मानित किया गया।

VISION IAS

अन्य सम्बंधित तथ्य

- मंगलजोड़ी ओडिशा की चिलका झील के उत्तरी तटों पर स्थित एक गाँव है। इसके कच्छीय जल में विशेषतः सर्दियों में 3,00,000 से अधिक पक्षियों का निवास होता है।
- यहाँ के समुदाय के समन्वित प्रयासों के कारण वर्ष 2000 से लेकर अब तक इस क्षेत्र में बड़ी संख्या में प्रवासी पक्षियों का पुनर्वास किया जा चुका है।
- MET, RBS फाउंडेशन इंडिया और इंडियन ग्रामीण सर्विसेज द्वारा समर्थित सामुदायिक स्वामित्व और सामुदायिक प्रबंधन के तहत एक वन्यजीव संरक्षण उद्यम है।

UNWTO के सम्बन्ध में अधिक जानकारी

- 1975 में स्थापित इस संयुक्त राष्ट्र एजेंसी का उत्तरदायित्व एक उत्तरदायी, संवहनीय तथा सार्वभौमिक रूप से सुगम्य पर्यटन को प्रोत्साहन प्रदान करना है।
- इसमें 156 देश, 6 प्रदेश तथा 500 से अधिक मान्य सदस्य हैं जो निजी क्षेत्र, शिक्षण संस्थानों, पर्यटन संगठनों तथा स्थानीय पर्यटन प्राधिकारों का प्रतिनिधित्व करते हैं। इसका मुख्यालय मेड्रिड में स्थित है।
- भारत 1975 से ही UNWTO का सदस्य है।
- पर्यटन में नवोन्मेष का UNWTO पुरस्कार नवोन्मेषी पर्यटन उपक्रमों को दिया जाता है जो प्रतिस्पर्धी होने के साथ-साथ संवहनीय भी होते हैं।

इकोटूरिज्म के विषय में

- इसे "प्राकृतिक स्थानों की जिम्मेदारीपूर्ण यात्रा, जिसमे पर्यावरण का संरक्षण, स्थानीय लोगों का सतत कल्याण तथा विवेचना एवं शिक्षा को सम्मिलित किया जाता है" के रूप में परिभाषित किया जाता है।

5.10 सिक्किम द्वारा वृक्षों के साथ सम्बन्ध स्थापित करने की अनुमति

(Sikkim Allows Forging Relationship with Trees)

सुर्ख़ियों में क्यों?

- हाल ही में सिक्किम ने वृक्षों के संरक्षण हेतु उनके साथ सम्बन्ध स्थापित करने की अनुमति दी।

अन्य सम्बंधित तथ्य

- सिक्किम वन वृक्ष (मैत्री एवं सम्मान) नियम, 2017 [*सिक्किम फारेस्ट ट्री (एमिटी एंड रेवरेंस) रूल्स*] नामक अधिसूचना के द्वारा राज्य सरकार ने व्यक्तियों को उनकी निजी भूमि पर लगे वृक्षों के साथ सम्बन्ध स्थापित करने की अनुमति दी है। सार्वजनिक भूमि पर लगे वृक्ष के लिए वन विभाग से अनुमति लेना आवश्यक है।
- ये सम्बन्ध भ्रातृ-रूप हो सकते हैं अर्थात् मितिनी/मिथ सम्बन्ध जिसमें वृक्ष को मिथ/मीत वृक्ष कहा जायेगा।
- कोई व्यक्ति किसी वृक्ष को अपने बच्चे के रूप में गोद ले सकता है, जिसे दत्तक वृक्ष के नाम से जाना जायेगा तथा एक मृत रिश्तेदार की स्मृति में किसी वृक्ष का संरक्षण करने की प्रतिज्ञा करने पर उस वृक्ष को स्मृति वृक्ष कहा जायेगा।
- मिथ/मीत, दत्तक अथवा स्मृति के रूप में पंजीकृत वृक्ष को सरकार की अनुमति के बिना काटा अथवा क्षतिग्रस्त नहीं किया जा सकता है।

5.11 मॉथ की नयी प्रजाति

(New Moth Species)

सुर्ख़ियों में क्यों?

- हाल ही में, अरुणाचल प्रदेश के टाल्ले वन्यजीव अभयारण्य में कीट की नई प्रजाति की खोज की गयी है।

अन्य सम्बंधित तथ्य

- अरुणाचल प्रदेश में इस कीट प्रजाति *(एलसिज्मा)* को प्रथम बार देखा गया है।
- इस कीट का वैज्ञानिक नाम ***एलसिज्मा जिरोएनसिस*** (Elcysma Ziroensis) **है** जिसे सामान्यतया **अपतानी ग्लोरी** (Apatani Glory) कहा जाता है। यह नाम एक स्थानीय जनजाति अपतानी पर दिया गया है।
- यह कीट एक संतति प्रतिवर्ष की दर से प्रजनन करता है।

टाल्ले वन्यजीव अभयारण्य

- यह सुबनसीरी, सिपु तथा पांगे नदियों के लगभग बीच में स्थित है।
- यह क्लाउडेड लेपर्ड (**IUCN स्थिति वल्नरेबल**) के निवासस्थलों में से एक है।
- यहाँ उपोष्णकटिबंधी पर्णपाती वृक्ष, समशीतोष्ण पर्णपाती वृक्ष तथा समशीतोष्ण शंकु वृक्ष पाए जाते हैं।

VISION IAS

अपतानी जनजाति

- ये पूर्वी हिमालय के प्रमुख जातीय समूहों में से एक हैं।
- यह जनजाति विभिन्न त्यौहारों, जटिल हथकरघा डिजाइनों, गन्ना और बांस शिल्प के कौशल, और जीवंत पारंपरिक ग्राम परिषदों, जिन्हें बुलयान कहते हैं, के अलावा अपनी बहुरंगी संस्कृति के लिए जानी जाती है।
- समुदाय ने चावल-मत्स्य कृषि का एक अद्वितीय कौशल विकसित किया है, जिसके तहत खेतों में धान के उत्पादन के साथ मत्स्य पालन भी किया जाता है।
- अपतानी जनजाति सांस्कृतिक भू-दृश्य, 'अत्यधिक उच्च उत्पादकता' और 'पारिस्थितिकी के संरक्षण के अद्वितीय तरीके' के लिए यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों की अस्थायी सूची में शामिल है।

अरुणाचल प्रदेश में अन्य वन्यजीव आरक्षित क्षेत्र

- **वन्यजीव अभयारण्य:** इटानगर, लाओ, मेहरो, दिबांग ईगल नेस्ट अभयारण्य, कमलांग, केन।
- **राष्ट्रीय उद्यान:** नामदफा, मॉलिंग।
- **संरक्षित जैवमंडल:** दिहांग-दिबांग बायोस्फीयर रिजर्व।

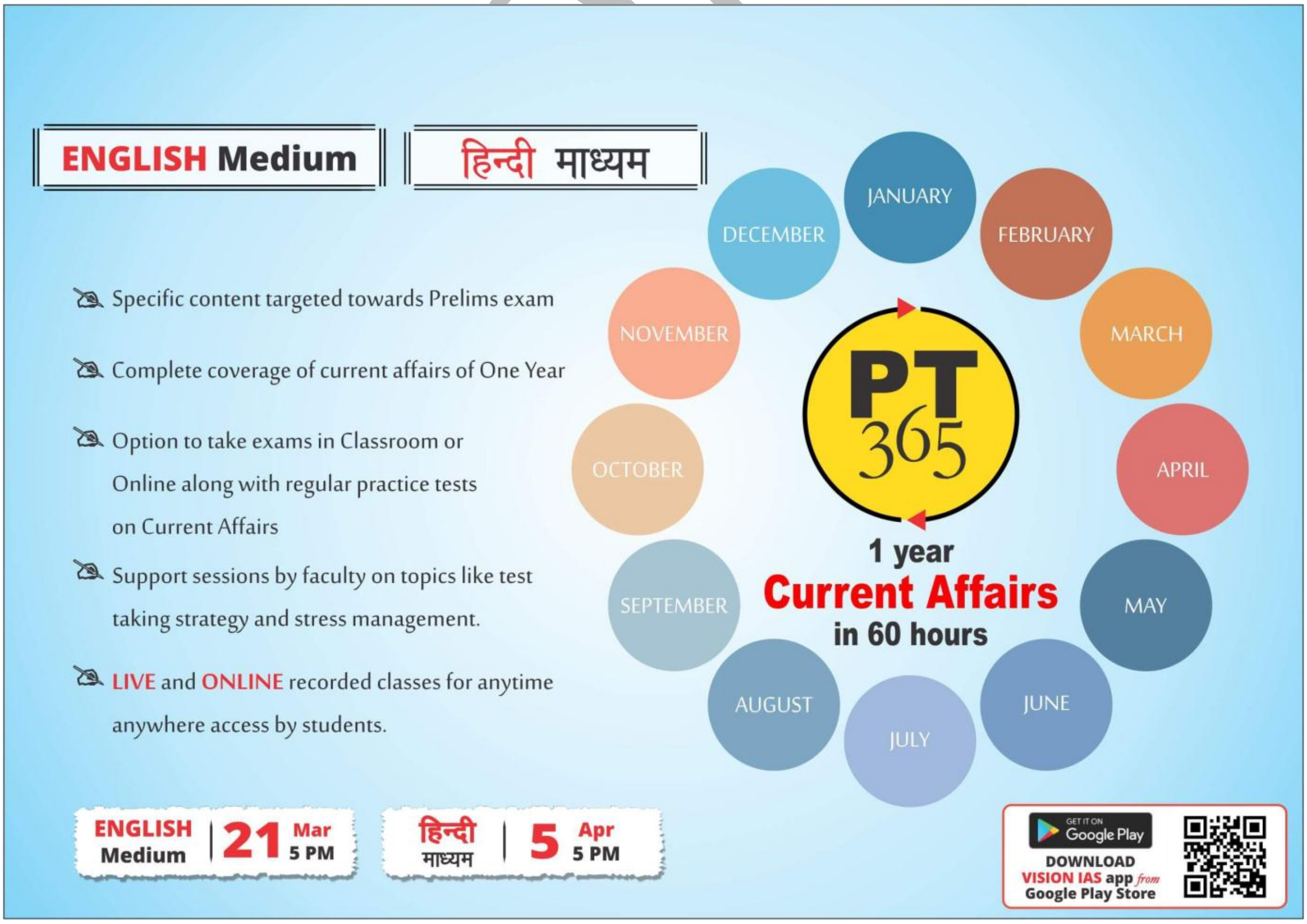

6. विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी

(SCIENCE AND TECHNOLOGY)

6.1. सुपर कंप्यूटर प्रत्यूष तथा मिहिर

(Supercomputers Pratyush and Mihir)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय (MoES) द्वारा भारत के सबसे तेज सुपर कंप्यूटर - प्रत्यूष तथा हाई परफॉरमेंस कंप्यूटर सिस्टम 'मिहिर' का अनावरण किया गया है।

अन्य महत्वपूर्ण तथ्य

- पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय ने एक हाई परफॉरमेंस कंप्यूटिंग (HPC) सिस्टम को अधिगृहित किया है। यह कंप्यूटरों की एक श्रृंखला है जिसे **भारतीय उष्णदेशीय मौसम विज्ञान संस्थान** (IITM), **पुणे** तथा **राष्ट्रीय मध्यम अवधि मौसम पूर्वानुमान केन्द्र, नोएडा** में संयुक्त रूप से स्थापित किया गया है।
- पुणे में स्थित HPC का नाम **प्रत्यूष** है जिसकी क्षमता **4 पेटाफ्लॉप्स** है तथा नोएडा स्थित **मिहिर** नामक HPC की क्षमता **2.8 पेटाफ्लॉप्स** है अर्थात् इनकी कुल क्षमता **6.8 पेटाफ्लॉप्स** है। (पेटाफ्लॉप किसी कंप्यूटर के प्रोसेसर की गति का मापक है जिसे प्रति सेकंड क्वाड्रिलियन फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन के रूप में व्यक्त किया जाता है।)
- यह भारत का प्रथम मल्टी-पेटाफ्लॉप सुपरकंप्यूटर है। जापान, USA तथा यूनाइटेड किंगडम के बाद यह विश्व का चौथा सबसे तेज सुपरकंप्यूटर है, जो कि मौसम तथा जलवायु अनुसन्धान हेतु समर्पित है।
- इसके साथ ही, भारत वर्तमान **365वें** स्थान की रैंकिंग में सुधार करते हुए विश्व के **शीर्ष 30 HPC सुविधाओं की अवसंरचनात्मक रैंकिंग** में सम्मिलित हो जायेगा।
- भारत के अन्य पांच सुपर कंप्यूटर हैं- सहस्र T (क्रे XC40), आदित्य (IBM/ लेनोवो सिस्टम), TIFR कलर बोसॉन (क्रे XC-30), IIT दिल्ली HPC तथा परम युवा 2
- HPC सुविधा के साथ निम्नलिखित सेवाओं में सुधार करने की आवश्यकता है:
  - सम्पूर्ण भारत में ब्लॉक स्तर पर मौसम पूर्वानुमान जिससे **चरम मौसमी घटनाओं** की भविष्यवाणी की जा सके।
  - सक्रिय/विराम मानसून अवधि का **उच्च विभेदन (हाई- रिजोल्यूशन) के साथ पूर्वानुमान।**
  - चक्रवातों के अधिक सटीक तथा सामयिक पूर्वानुमान हेतु हाई-रिजोल्यूशन युक्त मॉडल।
  - समुद्री जल की गुणवत्ता सहित **महासागरीय स्थिति का पूर्वानुमान**।
  - अधिक प्रतिक्रिया समय (रिस्पांस टाइम) के साथ **सुनामी का पूर्वानुमान**।
  - **वायु गुणवत्ता पूर्वानुमान** तथा जलवायु सम्बन्धी आकलन।

6.2. PSLV C40

(PSLV C40)

सुर्ख़ियों में क्यों?

इसरो के **PSLV C40 ने सफलतापूर्वक 31 उपग्रहों को कक्षाओं में स्थापित किया है। इसमें मुख्य पेलोड कार्टोसेट-2s श्रृंखला तथा 28 विदेशी उपग्रहों को दो अलग-अलग कक्षाओं में प्रक्षेपित किया गया है।**

प्रक्षेपण का महत्त्व

- यह ISRO का **100वाँ उपग्रह प्रक्षेपण** है।
- यह इस दृष्टि से भी महत्त्वपूर्ण है कि भारत अपने बैकअप नौवहन उपग्रह IRNSS-1 को PSLV-C39 के द्वारा प्रक्षेपित करने में प्रयास में असफल रहा था।
- ऐसा दूसरी बार हुआ है कि ISRO दो कक्षाओं में उपग्रह प्रक्षेपित करने में सफल रहा। यह "मल्टीपल बर्न टेक्नोलॉजी" के माध्यम से किया गया। इस प्रौद्योगिकी के तहत उपग्रह की ऊंचाई को नियंत्रित करने के लिए रॉकेट के इंजन को पहले बंद किया जाता है और फिर चलाया जाता है।
- यह भारत की एक सफल बहु-उपग्रह प्रक्षेपक के रूप में स्थिति को और अधिक सुदृढ़ करता है।

* हाल ही में सरकार ने एक विशेष लघु उपग्रह प्रक्षेपण यान (SSLV) के विकास के लिए वित्तपोषण की घोषणा की। यह विशेषत: मिनी तथा माइक्रो उपग्रहों का प्रक्षेपण करेगा।

कार्टोसैट-2 श्रृंखला: यह एक भू-पर्यवेक्षण उपग्रह है, जिसके *हाई रिजोल्यूशन सीन स्पेसिफिक स्पॉट इमेजेज़* कार्टोग्राफिक अनुप्रयोग, शहरी तथा ग्रामीण अनुप्रयोग, तटीय भूमि प्रयोग एवं विनियमन, सड़क नेटवर्क की निगरानी, जल वितरण, भूमि प्रयोग का मानचित्रण एवं परिवर्तन पहचान आदि के लिए उपयोगी होंगे। इसके परिणामस्वरूप *लैंड इनफार्मेशन सिस्टम* तथा *जिओग्राफिकल इनफार्मेशन सिस्टम* अनुप्रयोग संभव हो सकेंगे।

6.3. 2018 के लिए NASA अभियान

(NASA Missions for 2018)

प्रमुख परियोजनाएँ

* **पार्कर सोलर प्रोब**
    * इसमें सोलर कोरोना के अन्दर ऊर्जा और ऊष्मा की गतिशीलता संबंधी अध्ययन तथा सौर पवनों एवं सौर ऊर्जावान कणों के त्वरण के कारणों का अन्वेषण किया जाएगा।
    * यह प्रत्यक्ष रूप से सूर्य के वायुमंडल में इसकी सतह से लगभग 4 मिलियन मील की दूरी पर यात्रा करेगा। इस प्रकार यह कोरोना के अध्ययन में सहायता प्रदान करेगा।
* **स्टार-प्लैनेट ऐक्टिविटी रिसर्च क्यूबसैट** (SPARCS)
    * SPARCS एक अंतरिक्ष टेलिस्कोप है जो ***M-ड्वार्फ स्टार्स*** के चारों ओर विद्यमान उच्च-ऊर्जा वातावरण तथा उसमें निवास की संभावनाओं का अध्ययन करेगा।
    * ड्वार्फ स्टार्स का तापमान सामान्यतः निम्न होता हैं तथा उनके आसपास कई निवास योग्य क्षेत्र हो सकते हैं।
    * यह टेलिस्कोप ड्वार्फ स्टार्स द्वारा उत्सर्जित पराबैंगनी प्रकाश का अध्ययन करेगा।

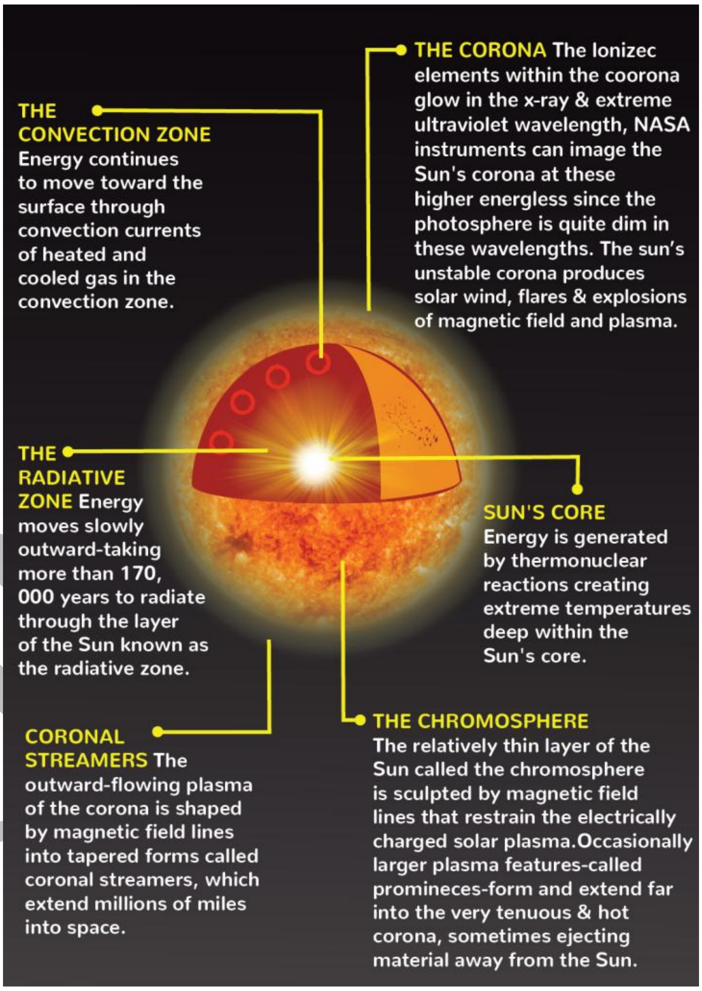

* **GOLD तथा ICON मिशन**
    * ये क्रमशः *ग्लोबल-स्केल ऑब्जरवेशन्स ऑफ द लिंब एंड डिस्क* (GOLD) तथा *आयनोस्फीयर कनेक्शन एक्सप्लोरर* (ICON) को संदर्भित करते हैं।
    * ICON को 560 किलोमीटर ऊपर एक निम्न-भू कक्षा(LEO) में तथा GOLD को पृथ्वी की सतह से 35398 किलोमीटर ऊपर एक भू-स्थैतिक कक्षा (*जियो-स्टेशनरी ऑर्बिट*) में स्थापित किया जाएगा।
    * ये **आयनोस्फीयर क्षेत्र** या पृथ्वी और अंतरिक्ष के बीच सीमा क्षेत्र का अध्ययन करेंगे, जहाँ सूर्य के विकिरण से आवेशित इलेक्ट्रॉन्स तथा आयन्स उपस्थित होते हैं।
    * ये अभियान ऊपरी वायुमंडल में हरिकेन तथा भू-चुम्बकीय तूफानों की प्रतिक्रियास्वरुप होने वाले परिवर्तनों को समझने में सहायता करेंगे।

अन्य परियोजनाएँ

* ***ट्रांजिटिंग एक्सोप्लैनेट सर्वे सैटेलाइट* (TESS) :** यह आकाश के सर्वाधिक चमकीले तारों की नज़दीकी कक्षा में मौजूद एक्सोप्लेनेट का अध्ययन करेगा। TESS ग्रहीय पारगमन के कारण तारों की चमक में होने वाली अस्थायी कमी के लिए 2,00,000 तारों का अध्ययन करेगा।
* ***इनसाइट मार्स लैंडर (InSight Mars lander)***: लाल ग्रह अर्थात मंगल के लिए समर्पित इस परियोजना में मंगल ग्रह के आन्तरिक भागों का अध्ययन तथा मार्सक्वेक्स (मंगल पर भूकंप) का अन्वेषण किया जायेगा।
* **OSIRIS-Rex :** इसे 2016 में प्रक्षेपित किया गया था तथा अगस्त 2018 में यह पृथ्वी के सन्निकट क्षुद्रग्रह बेन्नु (Bennu) पर पहुँचेगा।
* **अगली पीढ़ी के ICESat-2 तथा GRACE उपग्रह:** पृथ्वी पर हिम चादरों, समुद्र तल, और भूमिगत जल भंडार का निरीक्षण करने के लिए।

VISION

भू-चुम्बकीय तूफ़ान (*जियोमैग्नेटिक स्टॉर्म*) : भू-चुम्बकीय तूफ़ान पृथ्वी के चुम्बकीय मंडल (मैग्नेटोस्फीयर) में घटित होने वाले प्रमुख विक्षोभ है जो सौर पवनों तथा पृथ्वी के आसपास के अंतरिक्ष वातावरण के मध्य ऊर्जा के अंतरण के परिणामस्वरूप उत्पन्न होते हैं।
इनके फलस्वरूप आकर्षक औरोरा अथवा ध्रुवीय प्रकाश का निर्माण होता है किन्तु इनके कारण नेविगेशन प्रणालियों जैसे ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाईट सिस्टम (GNSS) बाधित होते हैं एवं विद्युत् ग्रिडों तथा पाइपलाइनों में क्षतिकारक भू-चुम्बकीय प्रेरित विद्युत् धाराएँ (*जियोमैग्नेटिक इंड्यूस्ड करेंट्स)* उत्पन्न हो सकती हैं।

ड्वार्फ स्टार्स
एक ड्वार्फ स्टार या वामन तारे का निर्माण किसी तारे के विकास के अंतिम चरण में होता है। इसका द्रव्यमान सूर्य के द्रव्यमान का 20 गुना तथा चमक 20,000 गुना हो सकता है।
चंद्रशेखर सीमा एक स्थिर वाइट ड्वार्फ स्टार का अधिकतम द्रव्यमान है तथा इस सीमा से अधिक द्रव्यमान होने पर तारा अपने जीवनकाल के अंत में न्यूट्रॉन स्टार या ब्लैक होल में परिवर्तित हो जाता है।

6.4 ब्लू मून

(Blue Moon)

सुर्ख़ियों में क्यों?

31 जनवरी, 2018 को, पृथ्वी के अधिकांश हिस्सों पर दुर्लभ ब्लू मून की घटना देखी गयी।

सम्बन्धित अन्य तथ्य

- यह एक दुर्लभ क्षण था क्योंकि 150 वर्षों से भी अधिक समय के पश्चात् **ब्लू मून, सुपर मून तथा पूर्ण चन्द्र ग्रहण-** तीनों एक ही दिन घटित हुए।
- **ब्लू मून:** जब एक ही कैलेंडर माह में दो पूर्ण चंद्रमा दिखाई देते हैं तब द्वितीयक पूर्ण चंद्रमा को "ब्लू मून" कहा जाता है। इसका प्रथम पूर्ण चंद्रमा 1 जनवरी, 2018 को देखा गया।
- **सुपर मून:** यह उस स्थिति में होता है जब पूर्ण चन्द्र अपनी कक्षा में पृथ्वी के निकटतम बिंदु पर स्थित होता है जिसे उपभू (perigee) भी कहा जाता है। इस स्थिति में चंद्रमा अपभू (apogee) से 30% अधिक चमकीला एवं 14% बड़ा दिखता है।
- **ब्लड मून:** चंद्रमा, ग्रहण के दौरान लाल रंग का दिखाई देता है क्योंकि पृथ्वी की छाया में होने के बाद भी चंद्रमा तक कुछ प्रकाश पहुँचता है। वायुमंडल के महीन कण सौर प्रकाश वर्णक्रम (स्पेक्ट्रम) के नीले घटक को प्रकीर्णित कर देते हैं (इसे रेले प्रकीर्णन कहा जाता है)। ऐसे में हमारे पास दीर्घ तरंगदैर्घ्य वाला लाल प्रकाश ही पहुँचता है।

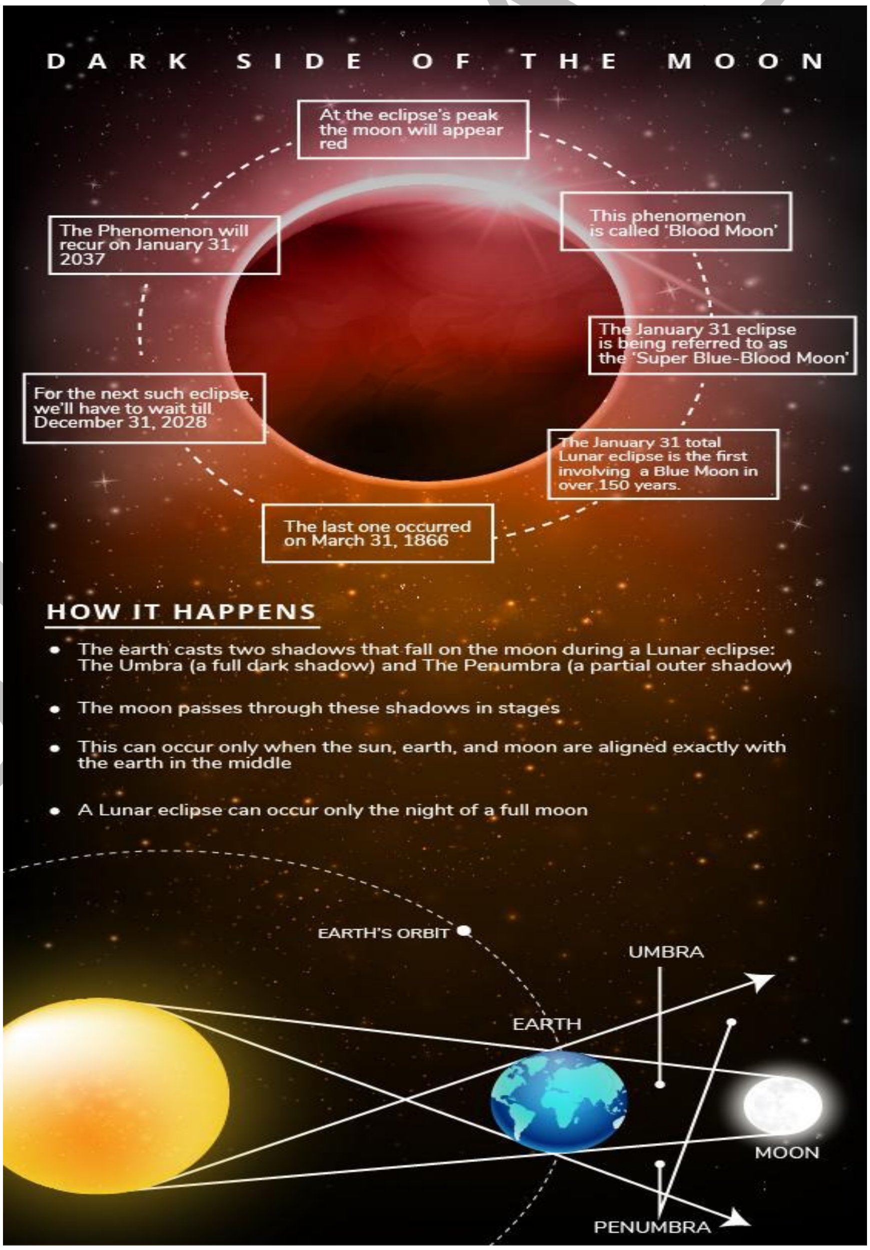

- **चन्द्र ग्रहण** तब होता है जब चंद्रमा पृथ्वी की छाया से होकर गुज़रता है, जिसे उम्ब्रा (umbra) भी कहा जाता है।

6.5. रिमूव डेब्री मिशन

(The Remove debris Mission)

सुर्ख़ियों में क्यों?

यूनिवर्सिटी ऑफ़ सरे, UK ने इस वर्ष अंतरिक्ष मलबे को हटाने के लिए रिमूव डेब्री मिशन आरम्भ करने का निर्णय लिया है।

महत्त्व

- लगभग 7,000 टन सक्रिय अंतरिक्ष मलबा पृथ्वी के चारों ओर घूम रहा है जिसे विघटित होने में अनेक वर्ष लग सकते हैं। यह मलबा पुराने उपग्रहों, अंतरिक्ष-यान तथा प्रयुक्त रॉकटों के अवयवों, घटकों तथा टुकड़ों से मिलकर बना होता है।
- अधिक मलबे, अधिक टकराव का कारण बनते हैं- यह कास्केडिंग इफ़ेक्ट ***केस्लर सिंड्रोम*** के नाम से जाना जाता है। इसके परिणामस्वरूप अंतरिक्ष नौवहन, संचार, मौसम पूर्वानुमान इत्यादि महत्त्वपूर्ण सेवाओं के लिए अनुपयुक्त हो जाता है।
- रिमूव डेब्री सैटेलाइट प्लेटफार्म चार प्रक्रियाओं के द्वारा DebriSATs नामक दो स्पेस डेब्री टारगेट्स को रिलीज़(मुक्त करना), कैप्चर(उद्ग्रहण) तथा डीऑर्बिट (कक्षा से बाहर करना) करेगा।
    - **नेट कैप्चर:** इसमें एक नेट (जाल) का प्रयोग होगा जिसे टारगेट क्यूबसैट पर स्थापित किया जायेगा।
    - **हार्पून कैप्चर:** इसे "प्रतिनिधि उपग्रहों के पैनल पदार्थों" से बने हुए टारगेट प्लेट पर प्रक्षेपित किया जायेगा।
    - **विज़न-बेस्ड नेविगेशन:** कैमरा तथा LiDAR *(लाइट डिटेक्शन एंड रेंजिंग)* का प्रयोग करते हुए यह प्लेटफार्म अन्तरिक्षीय मलबे से सम्बंधित डेटा को एकत्रित करके उन्हें प्रोसेसिंग हेतु ग्राउंड स्टेशन पर भेजेगा।
    - **डी-ओर्बिटिंग प्रोसेस:** पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करते ही अंतरिक्ष यान जल कर नष्ट हो जाएगा, जिससे मलबा शेष नहीं रहेगा।
    - यह मिशन कक्षा में *एक्टिव डेब्री रिमूवल* (ADR) जैसी महत्वपूर्ण प्रौद्योगिकियों का प्रदर्शन करेगा, जिनका भविष्य के अभियानों के लिए भी महत्त्व होगा।

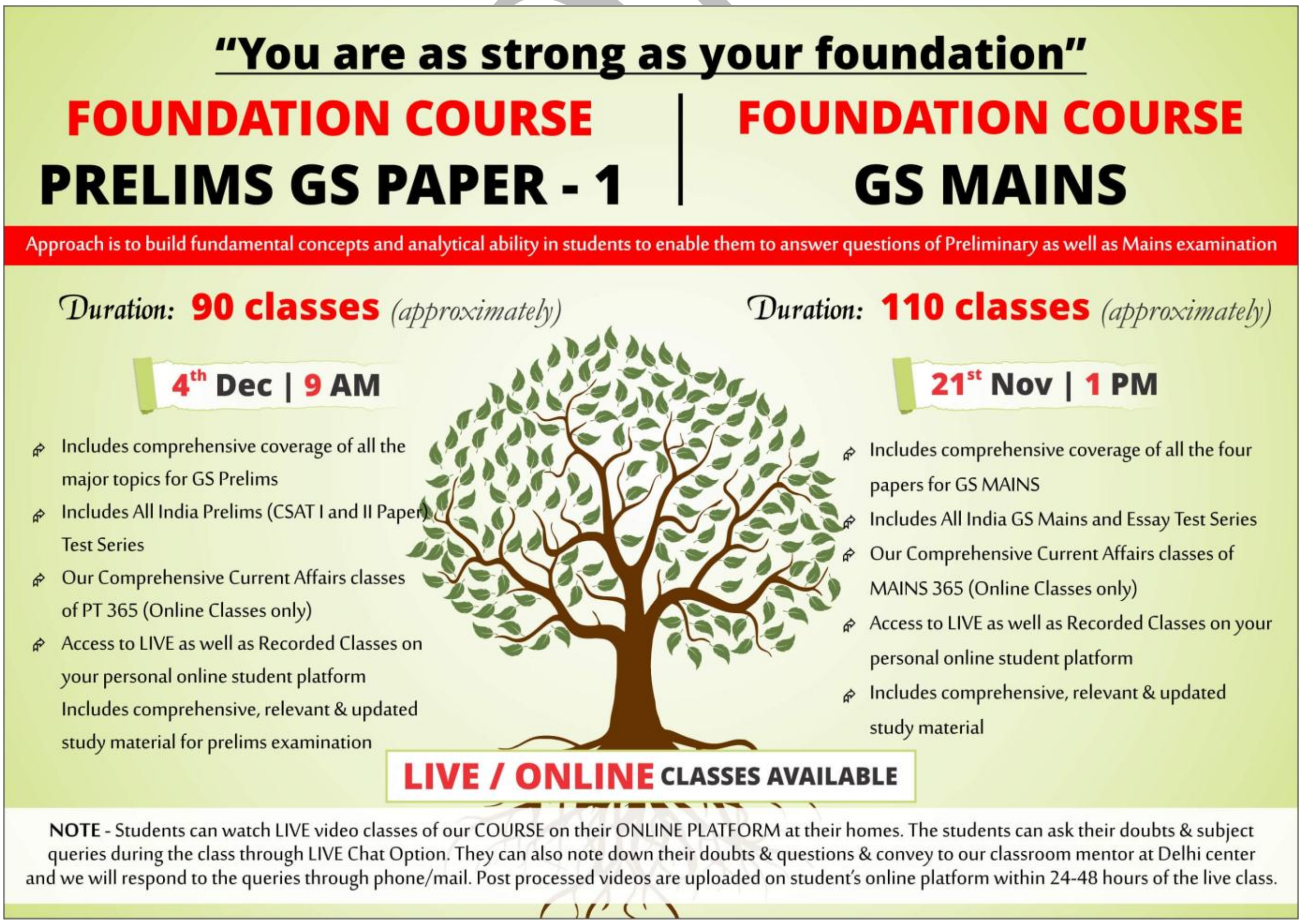

7. सामाजिक मुद्दे

(SOCIAL)

7.1. सामाजिक संरक्षण (Social Protection)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में **अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन (ILO)** ने वर्ल्ड सोशल प्रोटेक्शन रिपोर्ट 2017-19 जारी की।

सामाजिक संरक्षण के संबंध में

- सामाजिक संरक्षण या सामाजिक सुरक्षा एक **मानवाधिकार** है। सामाजिक संरक्षण से आशय जीवन चक्र के दौरान निर्धनता निवारण एवं सुभेद्यता कम करने हेतु निर्मित की गई नीतियों तथा कार्यक्रमों के समूह से है।
- इसके अंतर्गत बच्चों और परिवारों, मातृत्व, बेरोजगारी, रोजगार के दौरान क्षति, रुग्णता, वृद्धावस्था, विकलांगता एवं किसी दुर्घटना में बचे व्यक्तियों के लिए लाभ तथा स्वास्थ्य सुरक्षा सम्मिलित है।
- **सामाजिक संरक्षण प्रणाली** के तहत **उपरोक्त सभी नीतिगत क्षेत्रों को सम्बोधित किया जाता है।** इसके लिए सामाजिक सहायता सहित अंशदायी योजनाओं (सामाजिक बीमा) तथा गैर-अंशदायी कर-वित्त लाभों को सम्मिलित कर समन्वित प्रयास किये जाते हैं।
- इसके अतिरिक्त, **दो मुख्य विशेषताएँ**, सामाजिक सुरक्षा को अन्य सामाजिक व्यवस्थाओं से पृथक करती हैं-
    - इसके तहत लाभार्थियों को बिना किसी समकालिक पारस्परिक दायित्व(simultaneous reciprocal obligation) के लाभ प्रदान किया जाता है।
    - यह जीवन बीमा अनुबंध की भांति बीमित व्यक्ति तथा प्रदाता के मध्य व्यक्तिगत अनुबंध पर आधारित नहीं है।
- **ILO सोशल प्रोटेक्शन फ्लोर्स रिकमेन्डेशन न. 202** को 2012 में अपनाया गया था, जो यह निर्धारित करता है कि सदस्य देशों को नेशनल सोशल प्रोटेक्शन फ्लोर्स को स्थापित करना एवं बनाए रखना चाहिए। नेशनल सोशल प्रोटेक्शन फ्लोर्स, "राष्ट्रीय स्तर पर परिभाषित बुनियादी सामाजिक सुरक्षा की गारंटी देने वाले समूह हैं जो गरीबी, सुभेद्यता तथा सामाजिक बहिष्कार को रोकने या कम करने के उद्देश्य से संरक्षण को सुनिश्चित करते हैं।"

रिपोर्ट के मुख्य बिंदु

- विश्व के अनेक भागों में सामाजिक संरक्षण के विस्तार में महत्वपूर्ण प्रगति के बावजूद, विश्व जनसंख्या के केवल 45 प्रतिशत भाग को ही प्रभावी रूप से कम से कम एक 'सामाजिक संरक्षण लाभ' प्राप्त हुआ है।
- विश्व जनसंख्या का केवल 29 प्रतिशत भाग ही ऐसी व्यापक सामाजिक सुरक्षा प्रणाली में सम्मिलित है जिसमें शिशु और परिवार लाभ से लेकर वृद्धावस्था पेंशन, लाभों की सम्पूर्ण श्रृंखला शामिल हो।

रिपोर्ट से संबंधित अन्य महत्वपूर्ण तथ्य

- सम्पूर्ण विश्व में केवल 35 प्रतिशत बच्चे ही सामाजिक संरक्षण की प्रभावी पहुंच का लाभ उठा रहे हैं।
- नवजात शिशुओं वाली केवल 41.1 प्रतिशत माताओं को **मातृत्व लाभ** प्राप्त हुआ है।
- केवल 21.8 प्रतिशत बेरोजगार कर्मचारियों को ही **बेरोजगारी भत्ता** प्राप्त हुआ है।
- केवल 27.8 प्रतिशत सम्पूर्ण विश्व के दिव्यांग व्यक्तियों को ही **विकलांगता लाभ** प्राप्त हुआ है।
- नगरीय क्षेत्रों की 22 प्रतिशत की तुलना में ग्रामीण क्षेत्रों की 56 प्रतिशत जनसंख्या के पास स्वास्थ्य संबधी सुविधाओं का अभाव है।

- यह रिपोर्ट जीवन-चक्र दृष्टिकोण (लाइफ साइकिल एप्रोच) का अनुसरण करती है, अतः इसमें विभिन्न आयु समूह के लोगों पर ध्यान केन्द्रित किया जाता है। इन लोगों की भिन्न-भिन्न आवश्यकताएं और सुभेद्यताएं होती हैं। रिपोर्ट के केन्द्रीय बिंदु इस प्रकार हैं-
    - बच्चों के अधिकारों को वास्तविक स्वरुप प्रदान करने में नकद अथवा किसी अन्य सहायता के रूप में हस्तांतरण, बच्चों के **सामाजिक संरक्षण** में अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसके माध्यम से बच्चों को गरीबी से बचाने, बाल मृत्यु दर को कम करने, उनके स्वस्थ विकास और कल्याण में योगदान देने, आवश्यक वस्तुओं और सेवाओं तक उनकी पहुंच सनिश्चित करने तथा बाल श्रम की समाप्ति के द्वारा उनके अधिकारों की रक्षा करने जैसे महत्वपूर्ण कार्य किये जा सकते हैं।
    - **कामकाजी पुरुषों और महिलाओं हेतु सामाजिक संरक्षण-** यह मातृत्व सुरक्षा, बेरोजगारी भत्ता, रोजगार क्षति से संरक्षण तथा विकलांगता लाभ के माध्यम से आय सुरक्षा सुनिश्चित करने में सहायता करता है।
        - ये योजनाएं निर्बाध आय एवं समग्र मांग, मानवीय पूँजी में वृद्धि तथा उचित एवं उत्पादक रोजगार को प्रोत्साहित करने में योगदान देती हैं।
    - **वृद्ध पुरुषों एवं महिलाओं हेतु सामाजिक संरक्षण -** वृद्ध व्यक्ति व्यक्तिगत प्रयासों तथा आय के अविश्वसनीय स्रोतों के माध्यम से संरक्षण तंत्र तक पहुंचने में सामान्यतः अक्षम हैं। इसका अर्थ यह है कि विश्व जनसंख्या का केवल कुछ ही भाग वृद्धावस्था के समय अपना ध्यान रखने समर्थ है। अतः वृद्धावस्था हेतु सामाजिक संरक्षण महत्त्वपूर्ण हो जाता है।
    - **सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज को प्राप्त करना-** वैधानिक स्वास्थ्य कवरेज, पर्याप्त सार्वजनिक निधि तथा गुणवत्तापूर्ण सेवाएं प्रदान करने हेतु बेहतर कार्यशील परिस्थितियों में कार्यरत स्वास्थ्य कर्मचारियों की समुचित आपूर्ति प्रदान करने वाले एक सक्षम फ्रेमवर्क का निर्माण करना। यह फ्रेमवर्क जनसंख्या की स्वास्थ्य स्थिति में वृद्धि तथा मृत्यु दर को कम करने में सक्षम होता है।
- यह रिपोर्ट सामाजिक संरक्षण नीतियों के लिए **विभिन्न चुनौतियों** जैसे- जनांकिकीय परिवर्तनों से निपटना, भविष्य के कार्यों एवं सामाजिक संरक्षण पर डिजिटलाईजेशन का प्रभाव, 2008 के दौरान सम्पूर्ण विश्व में प्रारम्भ किए गए विभिन्न कठोर उपाय इत्यादि की पहचान करती है।
- यह रिपोर्ट कुछ निश्चित अवसर भी प्रदान करती है तथा व्यापक सामाजिक सुरक्षा प्राप्त करने हेतु सुझाव देती हैं। यथा-
    - सामाजिक संरक्षण के लिए राजकोषीय सहायता में वृद्धि तथा संसाधनों का विकास करने हेतु निम्नलिखित उपाए अपनाये जा सकते हैं:
        - सार्वजनिक व्यय का पुन: आवंटन
        - कर राजस्व में वृद्धि
        - सामाजिक सुरक्षा कवरेज तथा अंशदायी राजस्व का विस्तार करना
        - अनुदान और अंतरण के लिए समर्थन जुटाना
        - अवैध वित्तीय प्रवाह को समाप्त करना
        - राजकोषीय एवं केन्द्रीय बैंक के विदेशी मुद्रा भंडार का उपयोग करना।
    - समावेशी सामाजिक संरक्षण प्रणाली को प्रोत्साहित करना।
    - प्रवासी गतिविधियों की बढ़ती तीव्रता को देखते हुए उन्हें सामाजिक संरक्षण प्रदान करना।

7.2. उच्च शिक्षा पर अखिल भारतीय सर्वेक्षण

(All India Survey on Higher Education: AISHE)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में केन्द्रीय मानव संसाधन मंत्रालय द्वारा वर्ष 2016-17 के लिए उच्च शिक्षा पर 8वां अखिल भारतीय सर्वेक्षण जारी किया गया।

उच्च शिक्षा पर अखिल भारतीय सर्वेक्षण (AISHE) 2016-17

- AISHE मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा संचालित एक वेब-आधारित अखिल भारतीय वार्षिक सर्वेक्षण है, जो देश के सभी उच्च शिक्षण संस्थानों को सम्मिलित करता है।
- इसके आँकड़े शिक्षक, छात्र नामांकन, कार्यक्रम, परीक्षा परिणाम, शैक्षिक वित्त, अवसंरचना आदि विभिन्न मापदण्डों के आधार पर एकत्रित किए गए हैं।

भारत में उच्च शिक्षा

- भारत का उच्च शिक्षा क्षेत्र विश्व में सबसे व्यापक है। हालांकि, यह अभी भी संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन, थाईलैंड आदि देशों से पीछे है।
- शिक्षा प्रणाली के वृहद आकार के बावजूद भारत के शीर्ष विश्वविद्यालय विश्व रैंकिंग सूची में विशेष स्थान प्राप्त करने में असफल रहे हैं।

चुनौतियाँ:

- भारतीय शिक्षा प्रणाली की एक बड़ी समस्या यह है कि इसमें रोजगार क्षमता एवं कौशल विकास के स्थान पर रटने पर अधिक ध्यान केन्द्रित किया जाता है।
- उच्च शिक्षा प्रणाली को अनेक निकायों द्वारा विनियमित किया जाता हैं, अतः विश्वविद्यालयों की स्वायत्तता में कमी हो रही है।

 ©Vision IAS

- धन के अभाव तथा मुख्यतः रैखिक मॉडल पर आधारित होने के कारण इसमें विशेषज्ञता पर बहुत कम ध्यान दिया जा रहा हैं।
- सामाजिक विज्ञान पर अत्यधिक बल (कला पाठ्यक्रमों में भी प्रवेश का उच्च स्तर देखा गया है, जैसे कि स्नातक शिक्षा प्राप्त करने में यह 38 प्रतिशत है)।
- निजी क्षेत्र का वर्चस्व तथा क्षेत्रीय एवं प्रादेशिक स्तर पर विषम विकास।

सरकारी पहल:

- प्रमुख शिक्षण संस्थाओं में अवसंरचनात्मक विकास में सुधार करने हेतु **उच्च शिक्षा वित्तीयन एजेंसी (HEFA)** की स्थापना को स्वीकृति प्रदान की गई है।
- हाल ही में सरकार ने तकनीकी नवाचारों के क्रेडिट्स को शामिल करने हेतु स्नातक कार्यक्रमों की क्रेडिट संख्या में कमी की है।
- सरकार द्वारा माध्यमिक एवं उच्च शिक्षा के लिए अव्यपगत(non-lapsable) **माध्यमिक और उच्चतर शिक्षा कोष** के निर्माण हेतु अनुमति प्रदान की गई है।
- **शिक्षा पर नई दिल्ली घोषणा** को स्वीकृति प्रदान करना SDG-4 को प्राप्त करने तथा शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार करने हेतु भारत की प्रतिबद्धता को व्यक्त करता है।

AISHE के मुख्य निष्कर्ष

- **संस्थान:** महाविद्यालयी घनत्व (प्रति लाख पात्र आबादी पर महाविद्यालयों की संख्या) में एक क्षेत्रीय असमानता विद्यमान है। यथा यह घनत्व अखिल भारतीय औसत 28 की तुलना में बिहार में 7 तथा तेलंगाना में 59 है।
- **नामांकन:** उच्च शिक्षा में कुल नामांकन 2012-13 की तुलना में 18.3% की समग्र वृद्धि के साथ 35.7 मिलियन होने का अनुमान लगाया गया है।
- **सकल नामांकन अनुपात (GER):** भारत में उच्च शिक्षा का GER 25.2% है, जो यह दर्शाता है कि पात्र जनसंख्या का उच्च प्रतिशत अभी भी महाविद्यालयी शिक्षा से बाहर है (18-23 आयु समूह हेतु गणना)।
  - पुरुष जनसंख्या के लिए GER 26% (2012-13 में 22.7%) तथा महिलाओं के लिए 24.5% (2012-13 में 20.1%) है।
- **लैंगिक समानता सूचकांक (GPI-Gender Parity Index):** सभी वर्गों के लिए **GPI** (महिलाओं और पुरुषों के समानुपातिक प्रतिनिधित्व का अनुपात) में अत्यंत कम वृद्धि हुई है। यह 2012-13 के 0.89 से लेकर 2016-17 में 0.94 हो गया है।
- **छात्र-शिक्षक अनुपात (PTR):** विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों में यह अनुपात 22 है, जो 2012-13 में 21 था तथा तब से स्थिर बना हुआ है।
- **विदेशी छात्र नामांकन:** यह 2012-13 के 34,774 से बढ़कर 2016-17 में 47,575 हो गया है। इसमें महिला छात्रों की तुलना में पुरुष छात्रों की संख्या में वृद्धि अधिक रही।
- विश्वविद्यालयों में छात्र नामांकन में **उत्तर प्रदेश** शीर्ष स्थान पर है तथा इसके पश्चात् क्रमशः **महाराष्ट्र** और **तमिलनाडु** का स्थान आता है।

निष्कर्ष

भारत का **2020 तक 30% GER** प्राप्त करने का लक्ष्य है। यद्यपि लक्ष्य तक पहुंचने के लिए सरकार द्वारा विभिन्न सुधार कार्यक्रमों को लागू किये जाने की आवश्यकता है। जैसे -

- अध्यापन में सुधार, पाठ्यक्रम का आधुनिकीकरण, संस्थाओं की रैंकिंग तथा आधुनिक प्रौद्योगिकी को सम्मिलित कर अवसंरचना के सुधार द्वारा उच्च शिक्षा की गुणवत्ता में वृद्धि करना।
- GER में सुधार हेतु पहला कदम विशेष रूप से माध्यमिक स्तर पर स्कूल ड्रॉप आउट को नियंत्रित करने हेतु उठाया जाना चाहिए। दृष्टव्य है कि यह दर 2014 में 27% थी।
- यद्यपि देश में छात्र-शिक्षक अनुपात स्थिर बना हुआ है, तथापि संयुक्त राज्य अमेरिका (12.5:1), चीन (19.5:1) तथा ब्राज़ील (19:1) आदि देशों से तुलना करें तो इसमें सुधार करने की आवश्यकता है।
- विदेशी विश्वविद्यालयों को प्रवेश की अनुमति प्रदान करना तथा उन्हें अकादमिक एवं वित्तीय स्वायत्तता प्रदान करना।
- विनियामक निकायों जैसे कि विश्विद्यालय अनुदान आयोग (UGC) के प्रभुत्व में कमी तथा विनियामक प्रणाली में सुधार करना।
- छात्रों को बहु-विषयक पाठ्यक्रम उपलब्ध करवाने हेतु विश्व स्तर के शैक्षणिक संस्थानों अर्थात् **प्रतिष्ठित संस्थानों (Institutions of eminence)** का विकास करना।

VISION IAS

7.3. 'असर' वार्षिक रिपोर्ट

(ASER Annual Report)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में गैर-सरकारी संगठन **'प्रथम'** द्वारा **एनुअल स्टेटस ऑफ़ एजुकेशन रिपोर्ट (Annual Status of Education Report: ASER): 2017** जारी की गई।

रिपोर्ट के बारे में

- इसे 2005 से भारत के सभी **ग्रामीण जिलों** में सम्पादित किया जा रहा है।
- यह विद्यालय आधारित सर्वेक्षण के बजाय एक **पारिवारिक सर्वेक्षण** है, जो सभी बच्चों को शामिल करता है। उदाहरण के लिए इसमें वे भी शामिल हैं जो कभी विद्यालय नहीं गये या विद्यालय छोड़ (drop out) चुके हैं।
- 2006 से **'असर'** ने 5 से 16 आयु समूह पर ध्यान केन्द्रित किया है। यद्यपि, इस वर्ष **14 से 18 आयु समूह के युवाओं** पर ध्यान केन्द्रित करते हुए सर्वेक्षण का विषय **"बियोंड बेसिक्स"** रखा गया तथा प्राथमिक विद्यालय स्तर से आगे कदम बढ़ाया गया।
- यह बच्चों की स्कूली शिक्षा की स्थिति और अपनी पिछली रिपोर्टों में वर्णित बुनियादी रूप से पढ़ने और गणितीय कार्यों को करने की उनकी क्षमता पर रिपोर्ट प्रस्तुत करती है। इस वर्ष **चार कार्यक्षेत्रों - क्रियाकलाप, योग्यता, जागरूकता तथा आकांक्षाओं** को सम्मिलित करते हुए एक व्यापक समुच्चय पर विचार किया गया था।

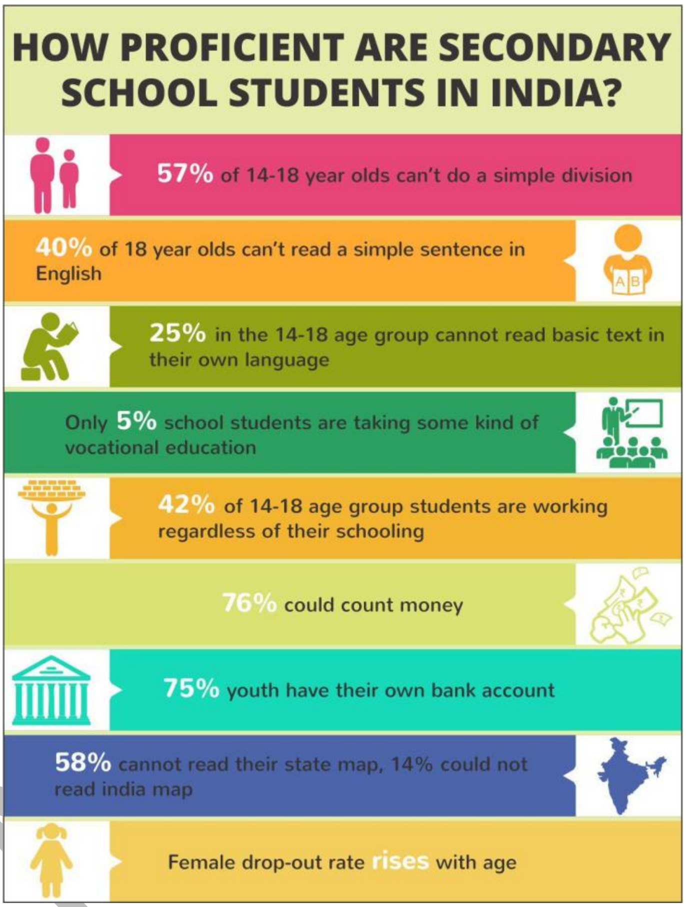

प्रमुख बिंदु

- **सीखने के परिणामों (लर्निंग आउटकम) से संबंधित मुद्दा-** निष्कर्ष दर्शाते हैं कि प्राथमिक शिक्षा के स्तर पर विद्यमान सीखने संबंधी कमियां आगे किशोरावस्था तथा वयस्कता में भी बनी रहती हैं।
- **नामांकन एवं सीखने के परिणामों के मध्य सामंजस्य-** प्राथमिक तथा माध्यमिक शिक्षा में नामांकन में वृद्धि मात्र से सीखने के परिणामों में कोई सुधार नहीं हो सकता है। अपर्याप्त मूलभूत कौशल का अर्थ है कि इन युवाओं में से अनेक रोजगार के योग्य नहीं होंगे।
- **डिजिटल डिवाइड -** मोबाइल, कम्प्यूटर तथा इंटरनेट के साथ ही डिजिटल लेन-देनों की आवृत्ति तक पहुंच में असमानता डिजिटल डिवाइड को दर्शाती है। यह सरकार के डिजिटल इंडिया अभियान को आगे बढ़ाने के लिए प्रासंगिक है।
- **संरचनात्मक मुद्दे-** किसी क्षेत्र में माध्यमिक विद्यालयों की संख्या में कमी भी बीच में विद्यालय छोड़ने का एक कारण हो सकती है। वर्ष 2015-16 के लिए U-DISE के आंकड़ों के अनुसार, ग्रामीण क्षेत्रों में प्रत्येक 100 प्राथमिक विद्यालयों पर माध्यमिक शिक्षा प्रदान करने वाले केवल 14 तथा उच्च माध्यमिक शिक्षा प्रदान करने वाले केवल 6 विद्यालय विद्यमान हैं। अतः इन क्षेत्रों में प्राथमिक विद्यालय के पश्चात आगे शिक्षा प्राप्त करने हेतु छात्रों को काफ़ी दूर तक जाना पड़ता है।
- **अभिनव विचारों का अभाव-** सर्वेक्षण के दौरान छात्र किसी भी व्यवसाय का उल्लेख नहीं कर सके। यह आकांक्षाओं की कमी और कल्पनाशीलता की विफलता को प्रदर्शित करता है।

आगे की राह

- **नीति आयोग की तीन वर्षीय कार्ययोजना** में रेखांकित किया गया है कि भारत को अपने "जनसांख्यिकीय लाभांश" को मूर्तरूप प्रदान हेतु भारतीय शिक्षा प्रणाली में **लर्निंग आउटकम पर ध्यान देने की आवश्यकता है।**
- एक **समयबद्ध कार्यक्रम** आरम्भ किया जाना चाहिए ताकि सभी बच्चों को उनकी आयु के अनुसार उपयुक्त आधारभूत साक्षरता तथा संख्यात्मक कौशल प्राप्त हो सके।
- **मेरिट के आधार पर शिक्षकों की नियुक्ति और मूल्यांकन** को अपनाते हुए लर्निंग आउटकम का गहन मुल्यांकन तथा विद्यालयों को उनके प्रदर्शन के आधार पर पुरस्कार एवं दंड प्रदान कर भारतीय शिक्षा प्रणाली में सुधार किया जा सकता है।
- **प्रौद्योगिकी आधारित अध्ययन मॉडल** को प्रस्तुत करना ताकि माध्यमिक विद्यालय से उत्तीर्ण होने वाले छात्रों के पास इस तकनीक-संचालित विश्व में अपने दैनिक कार्यों को संपन्न करने के लिए पर्याप्त कौशल उपलब्ध हो।
- RTE के तहत **प्राथमिक स्तर पर स्वतः उत्तीर्ण कर दिए जाने से छात्रों की** सीखने और अनुप्रयोग क्षमताओं पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। इस मुद्दे के समाधान तथा छात्रों को माध्यमिक स्तर पर प्रतिस्पर्धा योग्य ज्ञान प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहित करने हेतु एक प्रणाली विकसित की जानी चाहिए।

VISION IAS

- 18 वर्षीय आयु समूह को भी RTE के अधीन होना चाहिए। गारंटीकृत समावेशन (Guaranteed inclusion) 14-18 आयु समूह के बच्चों को सशक्त बनाएगा तथा श्रमबल में शामिल होने के लिए अत्यावश्यक ज्ञान प्राप्त करने में उनकी सहायता करेगा।
- ग्रामीण-आजीविका में आवश्यक सुधार करने हेतु **कृषि क्षेत्र में** सामान्य स्नातक पाठ्यक्रमों के स्थान पर **फाउंडेशनल कोर्सेस** को अपनाया जाना चाहिए। विद्यालयों में व्यावसायिक पाठ्यक्रमों पर भी बल दिया जाना चाहिए।
- धन तथा रुचि के अभाव के कारण बीच में ही विद्यालय छोड़ने की समस्या का समाधान रचनात्मक ढंग से निकालना चाहिए। गतिशीलता में सुधार के लिए बिहार में नि:शुल्क साइकिलों के वितरण जैसी नीतियाँ नामांकन वृद्धि में सफल सिद्ध हुई हैं।

7.4. भारत में प्रजनन दर की प्रवृत्ति

(Fertility Trend in India)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, विभिन्न समुदायों की कुल प्रजनन दर (TFR) में परिवर्तन के संबंध में राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण की चौथे दौर की रिपोर्ट (NFHS-4) प्रकाशित की गई।

कुल प्रजनन दर (TFR) को किसी महिला की प्रजनन अवधि के दौरान (15-49) जन्म लेने वाले बच्चों की औसत संख्या के रूप में परिभाषित किया जाता है।

- यह जन्म दर की तुलना में प्रजनन के स्तर का अधिक प्रत्यक्ष मापक है, क्योंकि यह एक देश में जनसंख्या परिवर्तन की संभावना को दर्शाता है।
- भारत में कुल प्रजनन दर 2005-06 (NFHS-3) के 7 से घटकर 2015-16 (NFHS-4) में 2.2 हो गई है।
- **प्रजनन दर का प्रतिस्थापन स्तर** (Replacement level fertility) प्रजनन का वह स्तर है, जिस पर जनसंख्या पूर्ण रूप से स्वयं को एक पीढ़ी से दूसरी में परिवर्तित करती है।

विवरण:

- **भौगोलिक भिन्नता:** सभी दक्षिणी राज्यों सहित 23 राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों में प्रजनन दर, प्रतिस्थापन दर से नीचे है। जबकि यह केन्द्रीय, पूर्वी तथा उत्तर-पूर्व के कई राज्यों में उच्च है।
    - बिहार 3.41 की दर के साथ शीर्ष स्थान पर है तथा इसके पश्चात क्रमश: मेघालय (3.04) और उत्तर प्रदेश एवं नागालैंड (2.74) का स्थान आता है।
    - ग्रामीण क्षेत्रों में TFR 2.4 है, जबकि नगरीय क्षेत्रों में यह 1.8 है।
    - राज्य सरकारों द्वारा अनुभव की जा रही प्रजनन की लोक स्वास्थ्य संबंधी चुनौती की प्रकृति एवं प्रसार व्यापक रूप से भिन्न है। नगरीय एवं ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में स्थानीय निकायों की भूमिका का निर्धारण करना इस मौजूदा विसंगति से निपटने का सबसे प्रभावशाली तरीका हो सकता है।

परिवार नियोजन हेतु सरकार की योजनाएं

- **मिशन परिवार विकास -** इस योजना को उन सात मुख्य राज्यों में आरम्भ किया गया है जहाँ TFR, 3 या इससे अधिक है। इसका लक्ष्य उच्च प्रजनन दर वाले जिलों में लोगों की गर्भ निरोधकों तथा परिवार नियोजन से संबंधित सेवाओं तक पहुंच सुनिश्चित करना है।
- ASHAs कार्यकर्ताओं द्वारा **गर्भ निरोधकों की होम डिलीवरी करने हेतु योजना:** इस योजना के अंतर्गत ASHAs कार्यकर्त्ता, समुदाय में गर्भ निरोधकों का घर-घर वितरण कर रही हैं।
- **राष्ट्रीय परिवार नियोजन बीमा योजना** (NFPIS) के तहत बंध्याकरण (स्टेरलिज़ैशन) के पश्चात होने वाली मृत्यु, संभावित हानि तथा विफलता की सम्भावनाओं के कारण ग्राहकों का बीमा किया जाता है। इसके अतिरिक्त प्रदाताओं/मान्यता-प्राप्त संस्थाओं को उन संभाव्य घटनाओं में अभियोग के विरुद्ध सुरक्षा प्रदान की जाती है।

- **शिक्षा का प्रभाव:** 12 वर्ष या उससे अधिक उम्र की विद्यालयी शिक्षा प्राप्त महिलाओं में प्रजनन दर 1.7 पाई गई है, जबकि जिन महिलाओं ने विद्यालयी शिक्षा प्राप्त नहीं की हैं, उनमें यह दर 3.1 है।
    - शिक्षा का अभाव महिलाओं को प्रजनन नियंत्रण से रोकता है। इस कारण भारत में मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य समस्या में वृद्धि होती है।
    - शिक्षा का अभाव, कम आयु में गर्भधारण और उच्च प्रसूति दर के साथ संयुक्त रूप से महिलाओं के आर्थिक विकल्पों को सीमित करता है। इस प्रकार यह प्रजनन नियंत्रण को बाधित कर एक दुष्चक्र निर्मित करता है। ज्ञातव्य है कि 44% बेरोजगार महिलाएं जबकि 60% कार्यरत महिलाएं आधुनिक गर्भ निरोधकों का उपयोग कर रही हैं।

VISION IAS

- **गर्भ निरोधकों के उपयोग का विषम प्रारूप:** गर्भ निरोधक की पद्धतियों से संबंधित ज्ञान में वृद्धि होने के बावजूद पुरुषों द्वारा प्रजनन प्रबंधन पर अधिक ध्यान नहीं दिया गया है। गर्भ निरोधक की सबसे लोकप्रिय पद्धति महिला बंध्याकरण (स्टेरलिज़ैशन) है, जिसकी दर 36% है। पुरुष बंध्याकरण की दर केवल 0.3% है।
- **धर्म का प्रभाव:** सांस्कृतिक एवं भौगोलिक कारक तथा विभिन्न राज्यों के विकास का स्तर, TFR को निर्धारित करने वाले सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक हैं। उच्च TFR वाले राज्यों में सभी समूह उच्च TFR स्तर को प्रदर्शित करते हैं जबकि निम्न TFR वाले राज्यों में स्थिति इसके विपरीत है।
- **आय/सम्पत्ति का प्रभाव:** निम्न आय वाले वर्ग में बच्चों की संख्या सर्वाधिक थी (TFR 3.2) जबकि समृद्ध वर्ग में यह सबसे कम (TFR - 1.5) थी।
    - सामाजिक रूप से सबसे अल्प विकसित अनुसूचित जनजातियों में प्रजनन दर सर्वाधिक 2.5 पाई जाती है, इनके पश्चात अनुसूचित जातियों में 2.3 तथा अन्य पिछड़ा वर्ग में 2.2 है। उच्च जातियों में यह दर निम्नतम 1.9 है।

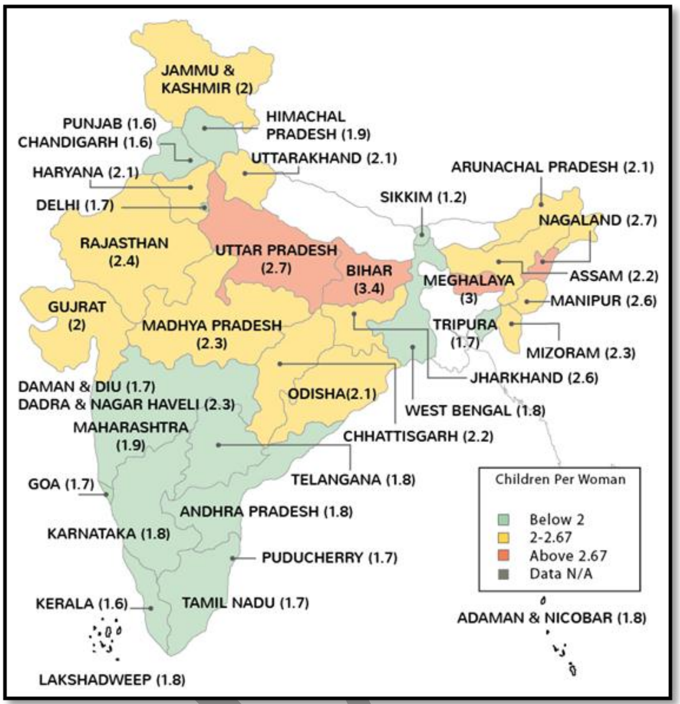

7.5. तम्बाकू उत्पादों पर सचित्र चेतावनी

(Pictorial Warning on Tobacco Products)

सुर्ख़ियों में क्यों?

- सर्वोच्च न्यायालय ने तंबाकू उत्पादों पर सचित्र चेतावनी के आकार को 85% से कम करके 40% करने संबंधी कर्नाटक उच्च न्यायालय के निर्णय पर रोक लगाई है।

सिगरेट और अन्य तम्बाकू उत्पाद (पैकेजिंग और लेबलिंग नियम) संशोधन नियम 2017

- इसके अनुसार स्वास्थ्य संबंधी विशेष चेतावनी को पैकेज के मुख्य प्रदर्शन क्षेत्र के कम से कम 85 प्रतिशत भाग को कवर करना चाहिए।
- इसमें से 60 प्रतिशत क्षेत्र पर सचित्र स्वास्थ्य संबंधी चेतावनी तथा 25 प्रतिशत क्षेत्र पर लिखित स्वास्थ्य संबंधी चेतावनी का प्रदर्शन किया जाना चाहिए।

तंबाकू के उपयोग को नियंत्रित करने के लिए अन्य पहलें

- भारत ने 2004 में WHO **द फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन टोबैको कण्ट्रोल (WHO, FCTC)** की पुष्टि की थी।
- MPOWER - (**तंबाकू की मांग को कम करने हेतु एक पॉलिसी पैकेज**) यह WHO की पहल है, जिसे भारत में क्रियान्वित किया जा रहा है।
- **राष्ट्रीय तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम:** यह तम्बाकू उपयोग के हानिकारक प्रभावों तथा तंबाकू नियंत्रण कानून के संबंध में व्यापक जागरूकता को बढ़ावा देता है।
- समग्र नीति-निर्माण, नियोजन, निगरानी तथा विभिन्न गतिविधियों के मूल्यांकन हेतु **नेशनल टोबैको कण्ट्रोल सेल (NTCC)** को नोडल एजेंसी बनाया गया है।
- **केबल टेलीविजन नेटवर्क (रेगुलेशन) अमेंडमेंट एक्ट 2000:** केबल टेलीविजन सहित राज्य नियंत्रित इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और प्रकाशनों में तम्बाकू विज्ञापनों को प्रतिबंधित कर दिया गया है।
- **सिगरेट और अन्य तम्बाकू उत्पाद (उत्पादन, आपूर्ति और वितरण) अधिनियम 2003:** सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान करने, नाबालिगों को तम्बाकू उत्पादों की बिक्री करना तथा सभी शैक्षणिक संस्थानों के 100 गज के भीतर तम्बाकू उत्पादों की बिक्री पर प्रतिबंध लगाना।
- खाद्य अपमिश्रण रोकथाम अधिनियम द्वारा पान मसाला एवं चबाने वाले तंबाकू के हानिकारक स्वास्थ्य प्रभावों के बारे में वैधानिक चेतावनियां दी गई हैं।
- **उच्च कर:** GST के अंतर्गत, GST की निर्धारित 28% की दर के अलावा तंबाकू से संबंधित उत्पादों पर अतिरिक्त उपकर आरोपित किया गया है।

संबंधित सूचनाएं

- भारत तंबाकू आधारित उत्पादों का **दूसरा सबसे बड़ा** उपभोक्ता और उत्पादक देश है।
- प्रत्येक वर्ष भारत में लगभग दस लाख तंबाकू-संबंधी मौतें होती हैं। तम्बाकू के कारण स्वास्थ्य पर होने वाला व्यय (हेल्थ बर्डन) लगभग 1 लाख करोड़ रुपए है तथा तंबाकू उत्पादों पर लगने वाले उत्पाद शुल्क से सरकार को होने वाली आय हेल्थ बर्डन का केवल 17% ही है।
- आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग द्वारा चबाने योग्य तंबाकू पदार्थों का सबसे अधिक उपभोग किया जाता है।
- ***ग्लोबल यूथ टोबैको सर्वे*** के अनुसार, 2009 में भारत में 13-15 आयु समूह के लगभग 15% बच्चों ने तंबाकू के किसी-न-किसी उत्पाद का उपयोग किया था।
- **ग्लोबल एडल्ट *टोबैको सर्वे*** 2016-17 के अनुसार सिगरेट का प्रयोग करने वालों में से 62% तथा बीड़ी का प्रयोग करने वालों में से 54% लोगों ने पैकेट के मुख्य प्रदर्शन क्षेत्र के 85% पर चित्रित चेतावनियों के कारण धूम्रपान छोड़ने का विचार किया था।
- स्वास्थ्य चेतावनी एवं तंबाकू से होने वाली हानि के संबंध में दिया जाने वाला स्वास्थ्य ज्ञान, धूम्रपान छोड़ चुके लोगों पुनः धूम्रपान करने से तथा युवाओं व वयस्कों को इसका उपभोग और प्रयोग प्रारंभ करने से रोकता है।
- हाल ही में सरकार ने भी सुप्रीम कोर्ट से तंबाकू को "रेस एक्स्ट्रा कमर्शियम" (res extra commercium) के रूप में वर्गीकृत करने के लिए कहा। यह "आउटसाइड कॉमर्स" (outside commerce) का लैटिन रूप है।
- उद्योगों द्वारा **टोबैको लेबलिंग** नियमों को लगातार चुनौती दी गई है। यह कदम सरकार द्वारा तंबाकू कंपनियों को विनियमित करने के उन प्रयासों का भाग है जो उद्योगों से संबंधित कठोर नियमों को चुनौती देना चाहते हैं।

तम्बाकू का प्रभाव

- **स्वास्थ्य पर: जैविक -** यह स्थानिक-अरक्तता संबंधी हृदय रोग (ischemic heart diseases), कैंसर, मधुमेह और चिरकालिक श्वसन रोग जैसे गैर-संचारी रोगों (NCD) का कारण बनता है।
- **मनोवैज्ञानिक**: तम्बाकू उपयोगकर्ताओं में सामान्यत: भावनात्मक स्थिरता की कमी एवं जोखिमकारी व्यवहार पाया जाता है। कुछ मानसिक विकारों के कारण भी तम्बाकू के उपयोग का जोखिम बढ़ जाता है।
- **नवजात पर प्रभाव:** माताओं द्वारा गर्भावस्था के दौरान तम्बाकू का सेवन तथा बाल्यावस्था में बच्चों का अप्रत्यक्ष धूम्रपान (second hand smoke) के संपर्क में आना विभिन्न दशाओं के लिए जोखिम का कारण माना जाता है। यथा- एलर्जी के बढ़ते जोखिम, बचपन में उच्च रक्तचाप, मोटापे के बढ़ने की संभावना, ठिगनापन एवं फेफड़ों की कार्य क्षमता में कमी आदि।
- **सामाजिक और पर्यावरणीय प्रभाव:** माता-पिता का प्रभाव, शिक्षा का निम्न स्तर, रोल मॉडल एवं सांस्कृतिक व्यवहार आदि।
- **धन पर प्रभाव:** 2011 में तंबाकू के उपयोग की कुल लागत GDP की लगभग 12% थी, जो उस वर्ष स्वास्थ्य सेवा (हेल्थकेयर) पर केंद्र व राज्य सरकारों द्वारा किए गए कुल खर्च से अधिक थी। साथ ही यह भारत के GDP का 1.16% थी।

7.6. भारत द्वारा विकसित प्रथम वैक्सीन, WHO के परीक्षणों में सफल

(First India-Designed Vaccine Passed WHO Test)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, भारत द्वारा निर्मित **रोटावैक वैक्सीन** और **टाइपबार टाइफाइड कन्जुगेट वैक्सीन** (Typbar Typhoid Conjugate Vaccine) को WHO द्वारा पूर्व-योग्यता (pre-qualification) प्राप्त हो गयी है।

रोटावैक वैक्सीन

- यह एक निम्न लागत वाली वैक्सीन है जिसे भारत बायोटेक लिमिटेड द्वारा एक *इनोवेटिव PPP मॉडल* के अंतर्गत निर्मित किया गया है। इसे विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय, अमेरिका की सरकारी संस्थानों तथा विभिन्न गैर-सरकारी संगठनों की सहभागिता से विकसित किया गया है।
- इसे 2016 में भारत के **सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम** में शामिल किया गया है।

टाइपबार टाइफाइड कन्जुगेट वैक्सीन (Typbar Typhoid Conjugate Vaccine)

यह विश्व की पहली टाइफाइड वैक्सीन है, जिसे भारत बायोटेक लिमिटेड द्वारा विकसित किया गया है। इसे छह महीने से अधिक आयु के शिशुओं को दिया जा सकता है। यह टाइफाइड ज्वर के विरुद्ध दीर्घकालिक संरक्षण प्रदान करेगी।

पूर्व-योग्यता प्राप्त करने का महत्व

- इससे इन रोगों का सर्वाधिक सामना कर रहे अफ़्रीकी और दक्षिण अमेरिकी विकासशील देशों को शीघ्रता से वैक्सीन उपलब्ध कराई जा सकेगी।
- इससे देश में और अधिक वैक्सीन विकसित करने हेतु विश्वसनीय औद्योगिक, वैज्ञानिक और नियामकीय प्रक्रियाओं को विकसित करने में सहायता मिलेगी।
- इससे संयुक्त राष्ट्र एजेंसियों जैसे UNICEF, पैन-अमेरिकन हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन (PAHO) और GAVI (एक वैक्सीन एलायन्स) आदि के लिए विकासशील देशों की साझेदारी के साथ वैक्सीन खरीदना आवश्यक हो गया है।

VISION IAS

- यह गरीबी, भूख, बेहतर स्वास्थ्य और कल्याण आदि से संबंधित सतत विकास लक्ष्य को प्राप्त करने हेतु प्रयासों को भी बढ़ावा देगा।

सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम (Universal Immunisation Program : UIP):

- इसका उद्देश्य टीकाकरण के माध्यम से बच्चों को जानलेवा बीमारियों से सुरक्षा प्रदान करना है।
- इसका 100% वित्त पोषण केंद्र सरकार द्वारा किया गया है तथा यह सभी बच्चों और गर्भवती महिलाओं को कवर करता है।

उद्देश्य

- टीकाकरण कवरेज में तीव्र वृद्धि करना
- सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार
- स्वास्थ्य सुविधाओं हेतु एक विश्वसनीय कोल्ड स्टोरेज चेन की स्थापना करना
- प्रदर्शन की निगरानी करने हेतु एक जिले-वार प्रणाली आरम्भ करना
- टीका उत्पादन में आत्मनिर्भरता प्राप्त करना

UIP के अंतर्गत टीके

इस कार्यक्रम में वर्तमान में **12 रोगों के लिए टीकाकरण** का प्रावधान हैं - तपेदिक (tuberculosis) डिप्थीरिया (diphtheria), परटूसिस (काली खाँसी-whooping cough), टेटनस (tetanus), पोलियोमाइटिस (poliomyelitis), खसरा (measles), हेपेटाइटिस बी (Hepatitis B), अतिसार (Diarrhoea), जापानी एन्सेफलाइटिस (Japanese Encephalitis), रूबेला (rubella), निमोनिया (Heamophilus Influenza Type B) और न्यूमोकोकल रोग (Pneumococcal Pneumonia and Meningitis)।

मिशन इंद्रधनुष

- इसे स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा वर्ष 2014 में आरंभ किया गया था। यह दो वर्ष की आयु के सभी बच्चों तथा गर्भवती महिलाओं को लक्षित करता है जिन्हें सभी उपलब्ध टीके प्रदान किए जाते हैं।
- मिशन इंद्रधनुष का लक्ष्य **2020** तक उन सभी बच्चों को शामिल करना है जिनका निवारण योग्य बीमारियों से सुरक्षा हेतु टीकाकरण नहीं हुआ हैं या आंशिक रूप से टीकाकरण हुआ है।

हाल ही में राष्ट्रीय तकनीकी सलाहकार समूह (NTAGI) ने सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम के अंतर्गत ह्यूमन पेपिलोमा वायरस वैक्सीन (HPV) को आरंभ करने की अनुमति प्रदान की है।

भारत में HPV से संबंधित कैंसर रोगियों की संख्या विश्व में सर्वाधिक है। यह भारत में महिलाओं की कैंसर से होने वाली मृत्यु का दूसरा प्रमुख कारण है, जिसमें HPV सर्वाइकल कैंसर सबसे सामान्य है।

रोटावायरस

- यह शिशुओं और छोटे बच्चों में डायरिया का सबसे सामान्य कारण है।
- यह सामान्यत: विष्टा-मौखिक मार्ग (faecal-oral route) से संचरित होता है और छोटी आंत की कोशिकाओं को संक्रमित और क्षतिग्रस्त कर देता है तथा गैस्ट्रोएंटेराइटिस (gastroenteritis) का कारण बनता है।

टाइफाइड

- यह रोग साल्मोनेला टाइफी (Salmonella typhi) नामक बैक्टीरिया से फैलता है।
- प्राय: इसका संक्रमण दूषित भोजन एवं पेयजल के माध्यम से फैलता है। यह उन स्थानों पर सर्वाधिक पाया जाता है जहां पर हाथों की स्वच्छता पर कम ध्यान दिया जाता है।

7.7. भारत समय सीमा के भीतर काला अज़ार का उन्मूलन करने में विफल

(India Misses Kala Azar Elimination Deadline)

सुर्ख़ियों में क्यों?

- भारत काला-अज़ार (ब्लैक फीवर या दम-दम फीवर) को अंतिम तिथि (दिसंबर 2017) तक समाप्त करने में विफल रहा है।

पृष्ठभूमि

- 2017 के बजट भाषण में, वित्त मंत्री द्वारा 2017 तक काला अजार के उन्मूलन (प्रति 10,000 में, इससे संबंधित मामलों को एक से भी कम करना) की घोषणा की गई थी। इसे राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2017 में दोहराया गया था।
- 2014 में, सरकार ने विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों के सहयोग से **काला-अजार उन्मूलन कार्यक्रम** प्रारंभ किया था।
- **राष्ट्रीय वेक्टर जनित रोग नियंत्रण कार्यक्रम** जैसे कार्यक्रमों के माध्यम से बीमारी को समाप्त करने के प्रयास किए गए हैं।
- हालांकि, बिहार और झारखंड के 17 जिलों में एन्डेमिक ब्लॉकों (काला-अजार से संक्रमित) की संख्या 61 से बढ़कर 68 हो गई है।

VISION IAS

एन्डेमिक ब्लॉकों की संख्या में वृद्धि के कारण

- एन्डेमिक ब्लॉकों में घर मुख्य रूप से लकड़ी का प्रयोग कर बनाए जाते हैं। अत: इन लकड़ी के ढांचों में रहने वालों के लिए वाहक (वेक्टर) को समाप्त करना कठिन हो जाता है।
- दूसरा, काला-अजार रोगियों के उपचार के बाद भी, यह काला-अजार डर्मल लीशमीनियेसिस (Dermal Leishmaniasis) के रूप में बना रहता है, जो कि भविष्य में काला अज़ार के लिए एक स्रोत बन जाता है।
- कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि एन्डेमिक ब्लॉकों की बढ़ती संख्या का कारण बीमारी में वास्तविक वृद्धि के विपरीत सक्रिय मामलों(Active Cases) का पाया जाना है।
- सैंड फ्लाई के नियंत्रण संबंधी उपायों का असमान कार्यान्वयन, जैसे एन्डेमिक क्षेत्रों में स्थित घरों के अंदर इनडोर छिड़काव भी इस रोग के पूर्ण रूप से समाप्त न होने का एक कारण है।

राष्ट्रीय वेक्टर जनित रोग नियंत्रण कार्यक्रम (NVBDCP)

- यह वेक्टर जनित रोगों की रोकथाम और नियंत्रण के लिए एक अम्ब्रेला कार्यक्रम है, जिसे राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत सम्मिलित किया गया है।
- NVBDCP निदेशालय, वेक्टर जनित रोगों की रोकथाम और नियंत्रण हेतु केंद्रीय नोडल एजेंसी है।
- इसके तहत निम्नलिखित वेक्टर जनित रोगों को लक्षित किया जा रहा है:
    1. मलेरिया (Malaria)
    2. डेंगू (Dengue)
    3. हाथी पाँव (Lymphatic Filariasis)
    4. काला अजार (Kala-azar)
    5. जापानी इन्सेफेलाइटिस (Japanese Encephalitis)
    6. चिकनगुनिया (Chikungunya

WHAT is KALA-AZAR

- A slow progressing indigenous disease
- Caused by protozoan parasite of genus Leishmania
- The parasite primarily infects reticuloendothelial system
  The condition when the parasite invades skin cells, stays and develops and shows dermal lesions is known as Post Kala-Azar Dermal Leishmaniasis
- In India, Leishmania donovani is the only parasite causing the disease
- It is second-largest parasitic killer in world after Malaria.
- India accounts for half the global burden of Kala-azar disease.
- West Bengal, Bihar, Jharkhand and eastern Uttar Pradesh are the endemic districts where the disease is prevalent.

SIGNS & SYMPTOMS

- Recurrent fever
- Loss of appetite
- Weakness
- Spleen enlargement
- Anaemia

TRANSMISSION

- Female sandfly of genus Phlebotomus argentipes is only known vector of kala-azar in India
- Indian kala-azar has a unique epidemiological feature of being anthroponotic

7.8. खाद्य विषाक्तता

(Food Poisoning)

सुर्ख़ियों में क्यों?

- हाल ही में केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के एकीकृत रोग निगरानी कार्यक्रम (IDSP) द्वारा जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार खाद्य विषाक्तता 2017 में दर्ज की गई अति सामान्य समस्याओं में से एक है।

खाद्य विषाक्तता के बारे में

- खाद्य विषाक्तता सम्बन्धी मामलों की संख्या वर्ष 2008 में 50 से बढ़कर 2017 में 242 हो गई है।
- यह दूषित भोजन तथा संक्रामक जीवों जैसे- बैक्टीरिया, वायरस और परजीवी या उनके विषाक्त पदार्थों आदि के कारण होती है।
- ऐसे मामले उन स्थानों पर ज्यादा घटित होते हैं जहां भोजन को एक साथ बड़ी मात्रा में पकाया जाता है, जैसे कि कैंटीन, हॉस्टल और विवाह स्थल आदि।
- 2008 से एक्यूट डायरिया और खाद्य विषाक्तता में वृद्धि हुई है। इसके पश्चात क्रमशः चिकनपॉक्स और खसरा (मीसल्स) हैं।

एकीकृत रोग निगरानी कार्यक्रम (IDSP) के सम्बन्ध में

- यह कार्यक्रम स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के अधीन 2004 में प्रारम्भ किया गया था। यह विश्व बैंक द्वारा सहायता प्राप्त एक **रोग-निगरानी योजना** है।

- यह योजना एक केन्द्रीय रोग निगरानी इकाई के साथ प्रत्येक राज्य में एक राज्य निगरानी इकाई स्थापित करने का प्रयास करती है, जहां डेटा का संग्रहण और विश्लेषण किया जाता है।
- समय पर निवारक कदम उठाने हेतु एक **प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली** स्थापित की गई है।
- महामारी प्रवण रोगों से संबंधित डेटा का संग्रहण IDSP के अंतर्गत **साप्ताहिक आधार** पर किया जाता है।
- जब भी किसी क्षेत्र में रोगों में वृद्धि होती है तब रैपिड रिस्पॉन्स टीमों (RRT) द्वारा इसके निदान और नियंत्रण के लिए जांच की जाती है।
- इस कार्यक्रम के अंतर्गत संचारी और गैर-संचारी रोग सम्मिलित हैं तथा ज़ूनोटिक रोगों (zoonotic diseases) के लिए अंतर-क्षेत्रीय समन्वय पर ध्यान केंद्रित किया गया है।

7.9.अनुसंधान एवं विकास पर भारत का व्यय

(India's Spending on R&D)

पृष्ठभूमि

राष्ट्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी प्रबंधन सूचना प्रणाली (NSTMIS) के एक अध्ययन के मुताबिक भारत के सकल अनुसंधान व्यय में पिछले कुछ वर्षों से लगातार वृद्धि हो रही है।

विवरण

हाल ही में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने देश में युवा वैज्ञानिकों और शोधकर्ताओं को प्रोत्साहित करने के लिए चार नई योजनाओं की घोषणा की है।

घोषित नई योजनाएँ

टीचर एसोसिएटशिप फॉर रिसर्च एक्सीलेंस (TARE) स्कीम

- इसका उद्देश्य राज्य विश्वविद्यालयों, कॉलेजों तथा निजी शैक्षणिक संस्थानों में कार्यरत संकाय सदस्यों (शिक्षकों) की छिपी हुई क्षमताओं को निखारना है जो बेहतर तरीके से प्रशिक्षित होते हैं परन्तु उचित सुविधाओं, वित्तपोषण और मार्गदर्शन के अभाव में अपने शोध को आगे ले जाने में असमर्थ होते हैं।
- इस योजना में संकाय के ऐसे सदस्यों को सुविख्यात सार्वजनिक वित्त पोषित संस्थाओं जैसे IITs, IISc, NITs, CSIR, ICAR आदि से अनुसंधान हेतु जुड़ने की सुविधा प्रदान की जाएगी। इस योजना के अंतर्गत 500 TAs (टीचर एसोसिएट्स) को भी शामिल किया जाएगा।

ओवरसीज विज़िटिंग डॉक्टोरल फेलोशिप (OVDF)

- यह योजना भारतीय छात्रों की अनुसंधान संबंधी अंतर्राष्ट्रीय गतिशीलता को बढ़ाने के लिए प्रारंभ की गयी है। इसके द्वारा वैश्विक स्तर पर प्रशिक्षित मानव संसाधन का एक प्रतिभाशाली पूल सृजित करने की संभावना है।
- इसमें भारतीय संस्थानों में प्रवेश लेने वाले 100 पीएचडी छात्रों को अवसर प्रदान किया जायेगा। ये डॉक्टरेट अनुसंधान के दौरान 12 महीने की अवधि के लिए विदेशी विश्वविद्यालयों में एक्सपोजर और प्रशिक्षण प्राप्त कर सकते हैं।

विशिष्ट अन्वेषक पुरस्कार (Distinguished Investigator Award -DIA)

- इसे साइंस एंड इंजीनियरिंग रिसर्च बोर्ड /डिपार्टमेंट आफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी से संबंधित प्रोजेक्ट्स के प्रिंसिपल इनवेस्टिगेटर्स (PIs) को उल्लेखनीय प्रदर्शन करने वालों को पुरस्कार प्रदान करने हेतु प्रारंभ किया गया है।
- यह वन-टाइम करियर पुरस्कार है, जो विशेष रूप से ऐसे युवा वैज्ञानिकों की आवश्यकताओं की पूर्ति करता है, जिन्हें कोई अन्य प्रतिष्ठित पुरस्कार या फेलोशिप प्राप्त नहीं हुई है।

ऑगमेंटिंग राइटिंग स्किल्स फॉर आर्टिक्युलेटिंग रिसर्च (AWSAR) स्कीम

- इसे युवा पीएचडी विद्वानों द्वारा समाचार-पत्रों, पत्रिकाओं, ब्लॉग, सोशल मीडिया आदि के माध्यम से लोगों में विज्ञान की लोकप्रियता को बढ़ावा देने तथा उन्हें सशक्त बनाने के लिए प्रारंभ किया गया है।
- इस योजना का उद्देश्य देश में विज्ञान को लोकप्रिय बनाने एवं संवाद स्थापित करने तथा जनता में वैज्ञानिक स्वभाव को विकसित कर उनकी विलक्षण क्षमता को निखारना है।

- 2014-15 में भारत द्वारा अपनी GDP का 0.69% R&D पर व्यय किया गया, जबकि सहयोगी ब्रिक्स देशों (ब्राजील, रूस, चीन और दक्षिण अफ्रीका) द्वारा किया गया व्यय क्रमशः 1.24 %, 1.19 %, 2.05 % और 0.73 % था। इसके अतिरिक्त संयुक्त राज्य अमेरिका एवं दक्षिण कोरिया द्वारा क्रमशः 2.8 % और 4.2% व्यय किया गया, जोकि भारत द्वारा किये गए व्यय से तुलनात्मक रूप में बहुत अधिक है।
- सरकार की R&D में भागीदारी के संबंध में, भारत सूची में शीर्ष स्थान पर है परन्तु वहीं उच्च शिक्षण संस्थानों की R&D में भागीदारी की स्थिति निम्न बनी हुई है।

VISION IAS

- R&D पर किये गए कुल व्यय में केंद्र सरकार का 45.1%, निजी क्षेत्र के उद्योगों का 38.1%, राज्य सरकारों का 7.4% तथा उच्च शिक्षण संस्थानों का 3.9% एवं सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योगों का 5.5% योगदान है।
- बहिर्वर्ती अनुसंधान एवं विकास परियोजनाओं {किसी संस्थान के बाहर के व्यक्ति/विशेषज्ञ को संस्थान में रिसर्च करने की सुविधा प्रदान करना (extra mural R&D projects)} में महिलाओं की भागीदारी आश्चर्यजनक रूप से 2000-01 में केवल 13% से बढ़कर 2014-15 में 29% हो गयी है।
- वैश्विक शोध प्रकाशनों में देश की भागीदारी 2000 में 2.2% से बढ़कर 2013 में 3.7% हो गयी। साथ ही प्रति मिलियन जनसँख्या में शोधकर्ताओं की संख्या वर्ष 2000 में 110 से बढ़कर वर्ष 2015 में 218 हो गयी है।

विश्लेषण

- भारत में R&D पर ध्यान न दिए जाने के कारण विपरीत प्रभाव पड़ा है। टाटा जैसी भारतीय घरेलू कंपनियों ने भी टॉप-एंड रिसर्च (top-end research) हेतु भारत में निवेश करने के स्थान पर, विदेशों में स्थित वैश्विक मान्यता प्राप्त संस्थानों जैसे हार्वर्ड और येल आदि में लाखों डॉलर का निवेश किया है।
- गुणवत्तापूर्ण संकाय एवं शोध क्षमता का अभाव भारतीय अनुसंधान को विपरीत दिशा में ले जा रहा है। इसलिए भारत के अग्रणी विश्वविद्यालयों में संकाय विकास कार्यक्रमों को प्रारंभ करने तथा अधिक से अधिक परिणाम-आधारित शोध पर ध्यान केंद्रित करने के लिए पहला कदम एक सार्वजनिक-निजी पहल के रूप में होना चाहिए।
- उद्योगों को अभिनव अनुसंधान हेतु इन्क्यूबेशन केन्द्रों (incubation centres) एवं अनुसंधान पार्क की स्थापना कर भारत में उद्यमशील संस्कृति को विकसित करने में भाग लेना चाहिए।
- इसके अतिरिक्त डार्कमैटर्स, जीनोमिक्स आदि क्षेत्रों में अधिक मिशन-संचालित दृष्टिकोण अपनाने के लिए विज्ञान और गणित में युवा वर्ग को शिक्षित करने हेतु निवेश किया जा सकता है।

7.10. प्रादेशिक सेना (TA) में महिलाओं का प्रवेश

(Women Set to be Inducted in Territorial Army)

सुर्ख़ियों में क्यों?

दिल्ली उच्च न्यायालय ने अपने एक निर्णय में केंद्रीय अधिसूचना को रद्द करते हुए TA इकाइयों में महिलाओं को सम्मिलित करने का मार्ग प्रशस्त कर दिया है।

सम्बंधित तथ्य:

- प्रादेशिक सेना अधिनियम, 1948 की धारा 6 के अंतर्गत प्रादेशिक सेना में नामांकन हेतु पात्रता संबंधी नियमों को परिभाषित किया गया है, जिसे नियमित सेना (regular army) के बाद रक्षा की दूसरी पंक्ति (second line of defence) के रूप में भी जाना जाता है।
- नियमों के अनुसार, TA द्वारा अधिकांशतः पुरुषों को भर्ती किया गया, जिससे सेना की इन्फेंट्री यूनिट्स में महिलाएँ प्रवेश से वंचित हुई हैं।
- संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत दायर एक जनहित याचिका में दिल्ली उच्च न्यायालय के समक्ष दावा पेश किया गया कि महिलाओं को सम्मिलित होने की अनुमति न देना एक "संस्थागत भेदभाव" है तथा यह संविधान की भावना के विरुद्ध भी है।

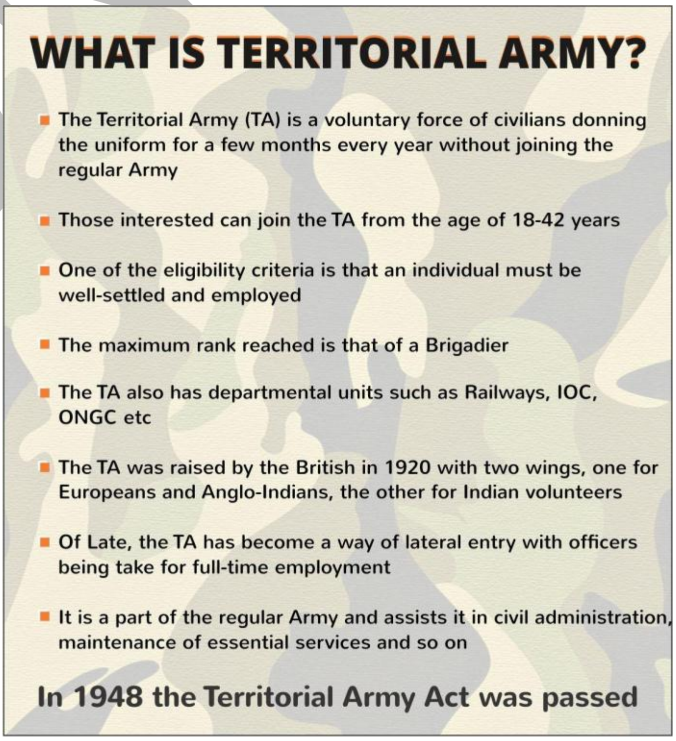

दिल्ली उच्च न्यायालय का अवलोकन

- उच्च न्यायालय के दो न्यायाधीशों की पीठ के अनुसार TA में महिलाओं के नामांकन पर प्रतिबंध की नीति भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14, 15, 16 और 19 (1) (G) के विरुद्ध है।
- न्यायालय ने यह भी माना कि धारा 6 में वर्णित 'किसी भी व्यक्ति' में पुरुष और महिला दोनों शामिल होंगें।

VISION IAS

- गंगा सफाई उद्देश्य हेतु केंद्र सरकार द्वारा एक प्रादेशिक सेना (TA) बटालियन की स्थापना को भी मंजूरी दी गई है।
- यह पहल 'गंगा की सफाई हेतु राष्ट्रीय मिशन' (national mission to clean Ganga) के तहत 2020 तक गंगा को साफ करने के उद्देश्य से की गयी है।
- टास्क फोर्स में भूतपूर्व सैनिक सम्मिलित होंगे तथा इसका मुख्यालय इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश में स्थापित किया जायेगा।
- जल संसाधन मंत्रालय, नदी विकास और गंगा कायाकल्प मंत्रालय द्वारा योजना का वित्त पोषण किया जायेगा।
- नमामी गंगे कार्यक्रम के तहत पर्यावरण संबंधी विशिष्ट परियोजनाओं के संचालन हेतु अभी तक TA के नौ पारिस्थितिक कार्यबल (ecological task force-ETF) बटालियनों का निर्माण किया गया है।
- टास्क फोर्स द्वारा निम्नलिखित कार्य किये जाएंगे:
    - जन-जागरूकता अभियानों का प्रबंधन करना।
    - जैव विविधता के संरक्षण हेतु नदी के संवेदनशील क्षेत्रों की पेट्रोलिंग करना।
    - नदी प्रदूषण के स्तर को निश्चित मानक स्तर तक बनाए रखना।
    - प्रदूषण नियंत्रण उपायों को लागू करवाने में सरकार की सहायता करना।
    - घाटों के प्रबंधन में स्थानीय नागरिक प्रशासन और पुलिस का समर्थन करना।
    - उक्त क्षेत्र में बाढ़ या प्राकृतिक आपदा के समय सहयोग एवं सहायता प्रदान करना।

सुरक्षा बलों में महिलाओं का समावेश

सकारात्मक पक्ष

- योग्यता लिंग विशिष्ट नहीं है-उचित प्रशिक्षण के पश्चात महिला सैनिकों को भी पुरुषों के समान सक्षम पाया गया है। वैसे भी, 21 वीं सदी के युद्ध प्रायः तलवारों और बंदूकों के साथ नहीं लड़े जाते।
- आवेदकों की संख्या बढ़ने से उम्मीदवारों का एक बड़ा और बेहतर समूह प्राप्त हो सकता है।
- प्रभावशीलता- महिलाओं पर पूर्णतः प्रतिबंध, सबसे अधिक सक्षम व्यक्ति को नौकरी के लिए चुनने की कमांडरों की क्षमता को सीमित करता है।

नकारात्मक पक्ष

- युद्ध हेतु महिलाओं की शारीरिक अक्षमता सेना में शामिल होने के विरुद्ध सर्वाधिक सामान्य उदाहरण है।
- सहयोगियों द्वारा दुर्व्यवहार तथा शत्रु द्वारा बंदी बना लिए जाने की स्थितियां इस मुद्दे के सम्बन्ध में एक नैतिक चुनौती उत्पन्न करती हैं।
- पारंपरिक मानसिकता और विश्वास, खासकर रक्षा संबंधी प्रतिष्ठानों में, जहां पुरुषों को महिलाओं के पद और उनके आदेश को स्वीकार करने में आज भी समस्याएं हैं।

रक्षा बलों में महिलाओं की वर्तमान स्थिति:

- भारतीय सेना, भारतीय नौसेना और भारतीय वायु सेना ने विभिन्न विभागों में महिलाओं को अनुमति दी है, परन्तु वर्तमान में भी युद्ध संबंधी भूमिका में उनका प्रवेश प्रतिबंधित है।
- 2015 में भारतीय वायुसेना और भारतीय नौसेना तथा 2017 में भारतीय थल सेना ने विभिन्न पश्चिमी देशों से प्रेरणा लेते हुए महिलाओं को युद्ध संबंधी भूमिका निभाने की अनुमति प्रदान कर दी। इसके अतिरिक्त रक्षा बलों में लैंगिक समानता लाने हेतु प्रयास किया जा रहा है।

7.11. स्त्री स्वाभिमान परियोजना

(Project Stree Swabhiman)

सुर्ख़ियों में क्यों ?

हाल ही में, इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeITY) द्वारा 'स्त्री स्वाभिमान परियोजना' की घोषणा की गयी है।

अन्य संबंधित योजनाएं

मासिक-धर्म स्वच्छता योजना (Menstrual Hygiene Scheme-MHS)

- यह योजना स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम के एक भाग के रूप में कार्यान्वित की जा रही है।
- यह प्राथमिक रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाली किशोर लड़कियों के लिए सब्सिडी युक्त सैनिटरी नैपकिन उपलब्ध करवाती है।
- **उद्देश्य:** 10-19 वर्ष की आयु की 15 मिलियन लड़कियों और 20 राज्यों के 152 जिलों तक योजना की पहुँच स्थापित करने का लक्ष्य रखा गया है।

मासिक-धर्म स्वच्छता प्रबंधन राष्ट्रीय दिशानिर्देश, 2015

- **पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय** द्वारा जारी किया गया।
- इसमें किशोरावस्था की लड़कियों को मासिक धर्म में स्वच्छता प्रबंधन विकल्प और स्कूलों में मासिक धर्म की स्वच्छता प्रबंधन अवसंरचना तथा मासिक धर्म के कचरे का सुरक्षित निपटारा जैसे पहलुओं को शामिल किया गया है।

राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान

- मानव संसाधन विकास मंत्रालय की केन्द्र-प्रायोजित योजना के अंतर्गत, स्कूलों और लड़कियों के हॉस्टल में सेनेटरी पैड प्रदान किए जाते हैं।

VISION IAS

परियोजना के बारे में

- इसका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में किशोरों और महिलाओं को किफायती दर में सेनेटरी उत्पादों तक पहुंच प्रदान करने के लिए एक सस्टेनेबल मॉडल तैयार करना है।
- स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार, भारत की 355 मिलियन महिलाओं में से सिर्फ 12% महिलाएँ सैनिटरी नैपकिन का प्रयोग करती हैं, जबकि शेष महिलाएं अस्वास्थ्यकर विकल्पों का सहारा लेती हैं। इस कारण लगभग 70% महिलाएँ प्रजनन नली सम्बन्धी संक्रमण (reproductive tract infection) जैसी बीमारियों से पीड़ित होती हैं।
- इस परियोजना के तहत, पूरे भारत में सामान्य सेवा केंद्र (common service centers-csc) पर सैनिटरी नैपकिन लघु विनिर्माण इकाइयों (सेमी-ऑटोमेटिक और मैनुअल प्रोसेस उत्पादन इकाई) की स्थापना की जा रही है जोकि विशेष रूप से महिला उद्यमियों द्वारा संचालित होगी।

सामान्य सेवा केंद्र (CSC), ICT सक्षम सार्वजनिक क्षेत्र की उपयोगिता सेवाओं, सामाजिक कल्याण योजनाओं, स्वास्थ्य देखभाल, वित्तीय, शिक्षा और कृषि सेवाओं के वितरण के लिए ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी से युक्त कियोस्क है। इसके अलावा यह देश के ग्रामीण और दूरदराज के इलाकों में नागरिकों को B2C (Business to consumer) सुविधा भी प्रदान करता है।

- उत्पाद स्थानीय ब्रांडों के नाम से बेचा जाएगा और ग्रामीण स्तर के उद्यमियों द्वारा विपणन का कार्य किया जाएगा।
- प्रत्येक सामान्य सेवा केंद्र (common service centers-csc) 8-10 महिलाओं को रोजगार प्रदान करेगा और इस सामाजिक निषिद्धता (social taboo) को दूर करने हेतु समाज की महिलाओं को शिक्षित करेगा।
- इसमें मासिक धर्म के समय स्वच्छता से संबंधित जागरूकता पैदा करने वाले घटक को भी शामिल किया गया है। साथ ही यह भी उम्मीद की जा रही है कि यौवनावस्था में पहुँचने के पश्चात लड़कियों द्वारा बीच में शिक्षा छोड़ने की दर में भी कमी आएगी।

7.12. ऑनलाइन पोर्टल्स 'नारी' और 'ई-संवाद'

(Online Portals 'Nari' And 'E-Samvaad')

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, सरकार द्वारा दो ऑनलाइन पोर्टल- 'नारी' और 'ई-संवाद' का शुभारंभ किया गया है।

नारी (NARI)

- महिला संबंधी विभिन्न योजनाओं / विधानों की जानकारी किसी निश्चित स्थान पर उपलब्ध नहीं होने के कारण जन-सामान्य इसके प्रति जागरूक नहीं हो पाते हैं। इस समस्या के समाधान हेतु सरकार द्वारा 'नारी' पोर्टल लॉन्च किया गया है। जिसकी मदद से एक ही विंडो पर सभी सूचनाओं और सेवाओं को उपलब्ध कराया जाएगा।
- यह राष्ट्रीय ई-गवर्नेन्स योजना के तहत एक मिशन-मोड प्रोजेक्ट है, जिसे राष्ट्रीय सूचना-विज्ञान केन्द्र (NIC), इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा डिजाइन और विकसित किया गया है।

ई-संवाद पोर्टल

- यह गैर-सरकारी संगठनों तथा सिविल सोसाईटी संस्थाओं द्वारा महिला और बाल विकास मंत्रालय के साथ अपनी प्रतिक्रिया, सुझाव, शिकायतें तथा सर्वश्रेष्ठ प्रथाओं (बेस्ट प्रैक्टिसेज) को साझा करने हेतु एक मंच है।
- यह महिलाओं और बच्चों के कल्याण के लिए प्रभावी नीतियों और मानकों के निर्माण में सहायता करेगा।

7.13. PVTGS के लिए आवासीय अधिकार

(Habitat Rights to PVTGs)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, ओडिशा के 13 पर्टिक्यूलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स (PVTGs) में से एक मनकीडिया को अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पारम्परिक वनवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के अंतर्गत सिमलीपाल टाइगर रिजर्व (STR) के भीतर आवासीय अधिकार देने से मना कर दिया गया।

VISION IAS

विवरण

- मनकीडिया एक अधिकारहीन समूह है जो सिमिलीपाल टाइगर रिज़र्व में व्यापक रूप से उपलब्ध सिआली फाइबर द्वारा रस्सी / बैग बनाने पर निर्भर है।
- ओडिशा में, बोंडा, दीदाई, हिल खड़िया तथा पाउदी भुयान जैसी PVTGs को आवासीय अधिकार देने की प्रक्रियाएँ प्रारंभ कर दी गई हैं।
- यदि इसे अनुमोदित कर दिया जाता तो मनकीडिया, आवासीय अधिकार प्राप्त करने वाली प्रथम PVTG होती।
- मनकीडिया को अब उनकी आजीविका हेतु आवश्यक गैर-काष्ठ वन उत्पादों से वंचित कर दिया जाएगा।

अधिकार प्रदान न करने के कारण

- राज्य वन विभाग ने अपनी आपत्ति इस आधार पर दर्ज की है कि आदिवासियों पर जंगली जानवरों द्वारा हमला किया सकता है।
- इसके अलावा, आवासीय अधिकार बाघों एवं अन्य पशुओं के मुक्त आवागमन में बाधाएं उत्पन्न करेंगे।
- जिला स्तरीय समिति (DLC) द्वारा इस बात का समर्थन किया गया है कि PVTG के आवासीय अधिकारों को STR के बफर क्षेत्र तक सीमित रखा जाए।

कदम की आलोचनाएँ

- FRA कार्यकर्ताओं के अनुसार, मनकीडिया जनजाति के लोगों पर वन्य-जीवों द्वारा हमले का सामना किए जाने का कोई लिखित साक्ष्य नहीं है।
- "FRA (वन अधिकार अधिनियम) की धारा 2 (h) के तहत परिभाषित 'आवास' में आरक्षित एवं संरक्षित वनों में विद्यमान आदिम जनजाति समूहों व पूर्व-कृषि समुदायों तथा वन में निवास करने वाली अन्य अनुसूचित जनजातियों के प्रचलित निवास क्षेत्र एवं अन्य निवास क्षेत्र शामिल हैं।"

पर्टिक्यूलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स (PVTGs) के विषय में

- 1973 में, ढेबर आयोग ने उन जनजातीय समूहों के लिए आदिम जनजातीय समूह (PTG) नाम की एक अलग श्रेणी बनाई जो इन समूहों में काफी कम विकसित थे। इन्हें बाद में PVTG नाम दिया गया।
- राज्य / संघ शासित प्रदेश, केंद्र के जनजातीय कार्य मंत्रालय के समक्ष PVTG की पहचान हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत करते हैं।
- **PVTG की कुछ मूलभूत विशेषताएं निम्नलिखित हैं:**
  - अधिकाँश सजातीय समूह
  - एक छोटी जनसंख्या
  - सापेक्षिक भौतिक-पार्थक्य
  - आदिम सामाजिक संस्थाएं
  - लिखित भाषा का अभाव
  - अपेक्षाकृत सरल तकनीक एवं परिवर्तन की धीमी गति
  - उनकी आजीविका भोजन एकत्रण, गैर-काष्ठ वन उत्पादों, शिकार, पशुपालन, स्थानांतरण कृषि तथा शिल्प कार्यों पर निर्भर करती है।

अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पारम्परिक वनवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 क्या हैं?

- यह 2006 में प्रभावी हुआ तथा जनजातीय कार्य मंत्रालय इस अधिनियम हेतु नोडल मंत्रालय है।
- कई पीढ़ियों से वनों में निवास कर रही उन अनुसूचित जनजातियों एवं अन्य पारंपरिक वनवासियों के उन वन अधिकारों को मान्यता देने के लिए इस अधिनियम को लाया गया जिनका कोई लिखित साक्ष्य विद्यमान नहीं है।
- यह न केवल व्यक्तिगत अथवा साझे उपयोग वाली वन भूमि को अपने पास रखने व उस पर निवास करने के अधिकारों को मान्यता देता है बल्कि वन संसाधनों पर उनका नियंत्रण सुनिश्चित करने वाले कई अन्य अधिकार भी उन्हें प्रदान करता है।
- यह अधिनियम ग्राम सभाओं की अनुशंसा पर सरकार द्वारा संचालित स्कूल, डिस्पेंसरी, उचित मूल्य की दुकानों, बिजली एवं दूरसंचार की लाइनों, पानी के टैंक इत्यादि जन सुविधाओं हेतु वन भूमि का उपयोग करने का भी प्रावधान करता है।

VISION IAS

7.14. घुमंतू जनजातियों के लिए राष्ट्रीय आयोग की रिपोर्ट

(Report of National Commission for Nomadic Tribes)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, राष्ट्रीय विमुक्त/घुमन्तू/अर्धघुमन्तू जनजाति आयोग (NCDNT) ने अपनी रिपोर्ट, "वॉइसेज ऑफ़ द डीनोटीफाइड, नोमेडिक एंड सेमी-नोमेडिक ट्राइब्स" प्रस्तुत की।

पृष्ठभूमि

भारत सरकार द्वारा विमुक्त, घुमंतू और अर्ध-घुमंतू जनजातियों' के लिये एक राष्ट्रीय आयोग का गठन किया गया है। इसे निम्नलिखित कार्यों हेतु अधिदेशित किया गया है:

- इन जनजातियों को अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग में सम्मिलित किए जाने की प्रगति का मूल्यांकन करना,
- उनके सघन निवास क्षेत्रों की पहचान करना,
- विकास की प्रगति की समीक्षा करने एवं उनके उत्थान के उचित उपाय सुझाना, तथा
- DNT/ NT की पहचान करना और इनकी राज्य-वार लिस्ट निर्मित करना।

विमुक्त जनजातियां (denotified tribes) कौन सी हैं?

- वे लोग जिन्हें ब्रिटिश शासन के दौरान अपराधी जनजातियों के रूप में अधिसूचित किया गया था तथा स्वतंत्रता के उपरांत 1949-50 की अनंतशयनम अय्यंगर की रिपोर्ट के आधार पर 1952 में विअधिसूचित कर दिया गया, विमुक्त जनजातियों के रूप में जानी जाती रही हैं। ऐसी कई घुमंतू जनजातियाँ भी हैं जो इन DNT समुदायों का भाग थीं।
- "ये समुदाय सर्वाधिक उत्पीड़ित थे" तथापि जातिगत आधार पर इन्हें सामाजिक अस्पृश्यता का सामना नहीं करना पड़ा।

इन जनजातियों के समक्ष समस्याएं:

- इन समुदायों के लोग अभी भी रूढिवादी बने हुए हैं। इनमें से अधिकांश को भूतपूर्व-अपराधी जनजाति की संज्ञा दी गई है।
- ये लोग अलगाव तथा आर्थिक कठिनाइयों का भी सामना करते हैं। इनके अधिकांश पारंपरिक व्यवसायों जैसे साँप का खेल, सड़क पर कलाबाजी करने तथा मदारी का खेल दिखाने इत्यादि को अपराधिक गतिविधि के तौर पर अधिसूचित कर दिया गया है। इससे इनके लिए अपनी आजीविका अर्जित करना और भी कठिन हो गया है।
- अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति / अन्य पिछड़ा वर्ग के अंतर्गत भी कई विमुक्त, घुमंतू और अर्ध-घुमंतू जनजातियां हैं, किंतु इन्हें कहीं भी वर्गीकृत नहीं किया गया है। साथ ही, विभिन्न सामाजिक-आर्थिक लाभों जैसे- शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास या ऐसी ही अन्य सुविधाओं तक इनकी पहुँच नहीं है।
- **इन समूहों की शिकायतों में** भोजन, पेयजल, स्वच्छता, शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास, निम्न स्तरीय बुनियादी ढांचा इत्यादि शामिल हैं। इसके अतिरिक्त, इनमें से अनेक लोग जाति प्रमाण पत्र न प्राप्त होने, राशन कार्ड, मतदाता पहचान-पत्र, आधार कार्ड आदि न होने की भी शिकायत करते हैं।
- विभिन्न राज्यों के बीच इन समुदायों की पहचान करने को लेकर कई विसंगतियां विद्यमान हैं। इन जनजातियों एवं इनकी शिकायतों का समाधान करने वाले प्राधिकरण के विषय में जागरूकता का अभाव है।
- इन सभी समस्याओं के परिणामस्वरूप कई समुदाय जनसंख्या में गिरावट की समस्या से जूझ रहे हैं।

रिपोर्ट की सिफारिशें

- चूंकि इन जनजातियों/ समुदायों से संबंधित जनगणना के मूल आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं, अत: किसी प्रतिष्ठित सामाजिक विज्ञान संस्थान के माध्यम से इनका सामाजिक-आर्थिक सर्वेक्षण करवाए जाने की आवश्यकता है।
- केंद्र को इसमें से DNT-SC, DNT-ST एवं DNT-OBC जैसी अलग श्रेणियां बना देनी चाहिए, जिनके लिए अलग से एक उप-कोटा निर्धारित हो। जहाँ अनुसूचित जातियों व अनुसूचित जनजातियों का उप-श्रेणीकरण जटिल सिद्ध हो सकता है, वहीं अन्य पिछड़ा वर्ग के भीतर यह कार्य तुरंत किया जा सकता है। ऐसा इसलिए क्योंकि केंद्र द्वारा पहले ही जस्टिस रोहिणी कुमार की अध्यक्षता में एक आयोग की स्थापना कर दी गई है जो सदस्य समुदायों के विकास की स्थिति के अनुसार केंद्र की OBC सूची को उप-विभाजित करेगा।
- एक **स्थायी आयोग** का गठन इस उद्देश्य से किया जा सकता है कि वह नियमित आधार पर स्वतंत्र रूप से इन समुदायों/ जनजातियों का ध्यान रख सके।
- विमुक्त जनजातियों को “कलंकमुक्त करने” के उद्देश्य से पैनल ने अनुशंसा की है कि केंद्र **1952 के हैबिचुअल ऑफेंडर एक्ट को निरस्त कर दे।**

VISION IAS

हैबिचुअल ऑफेंडर एक्ट, 1952

इसमें अपराधी जनजातियों पर अपराधी होने का लांछन लगाने की बजाए उनकी निकृष्ट दशाओं को सुधारने के लिए उपयुक्त कदम उठाने की अनुशंसा की गई थी। इसके परिणामस्वरूप 1871 के अपराधी जनजातियाँ अधिनियम को निरस्त कर उसके स्थान पर 1952 में हैबिचुअल ऑफेंडर एक्ट लाया गया।

आगे की राह

इन जनजातियों के उत्थान हेतु कुछ सुझाव निम्नलिखित हैं:

- DNT/NT का एक श्रेणी के अंतर्गत एकीकरण,
- बजट में विशेष DNT/NT आर्थिक योजना,
- आवास सुविधा, कृषि भूमि, आजीविका प्रोत्साहन,
- महिलाओं की शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा सुविधाएं
- पुलिस उत्पीड़न से सुरक्षा, बाल श्रम एवं बंधुआ मजदूरी का उन्मूलन, हैबिचुअल ऑफेंडर एक्ट का उन्मूलन आदि।

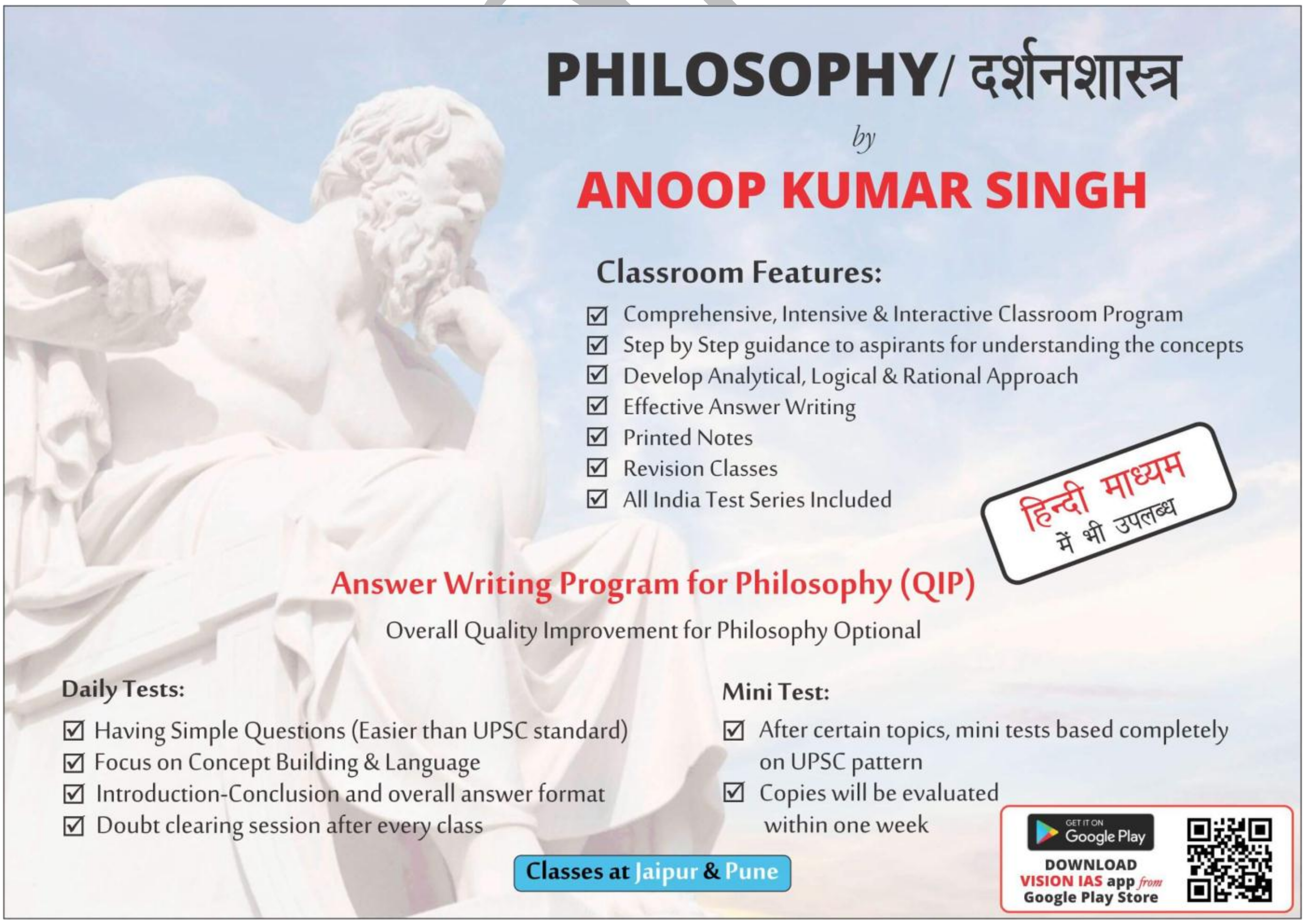

8. संस्कृति

(CULTURE)

8.1. संगराई नृत्य

(Sangrai Dance)

सुर्ख़ियों में क्यों?

- पहली बार त्रिपुरा के पारंपरिक नृत्य संगराई को गणतंत्र दिवस परेड में प्रस्तुत किया गया।

सम्बंधित जानकारी

- महाराष्ट्र ने गणतंत्र दिवस परेड के अवसर पर सर्वश्रेष्ठ झाँकी का पुरस्कार जीता। यह झाँकी छत्रपति शिवाजी महाराज के राज्याभिषेक पर आधारित थी, जिन्होंने शासन संचालन के उद्देश्यों की पूर्ति हेतु अष्टप्रधान मंडल (आठ मंत्रियों की परिषद) का गठन किया था। अष्टप्रधान मंडल में निम्नलिखित शामिल थे:
    - पेशवा (मुख्यमंत्री)
    - अमात्य या मजूमदार (वित्त विभाग)
    - सचिव या शूरुनवीस (पत्राचार विभाग)
    - सुमंत या दबीर (विदेश मंत्री)
    - सेनापति या सर-ए-नौबत (सेना की भर्ती, प्रशिक्षण और अनुशासन)
    - मंत्री या वाकयानवीस (राजा की व्यक्तिगत सुरक्षा)
    - न्यायाधीश (न्याय का प्रशासन)
    - पंडितराव (धर्मार्थ कार्यों की देखभाल)
- हिमाचल प्रदेश की झाँकी में तिब्बती बौद्ध मठ की-गोम्पा (Kye-Gompa) का एक मॉडल दर्शाया गया। यह मठ स्पीति घाटी में स्थित है तथा इसे 11 वीं शताब्दी में स्थापित किया गया था।
- छत्तीसगढ़ की झाँकी में कलाकारों द्वारा कालिदास के मेघदूतम पर आधारित नृत्य का प्रदर्शन किया गया। मेघदूतम एक गीति-काव्य है। यह एक यक्ष की कहानी का वर्णन करता है, जिसे उसके राज्य से निर्वासित कर दिया गया था।

विवरण

- यह नृत्य बंगाली कैलेंडर वर्ष के चैत्र माह (अप्रैल में) में संगराई त्योहार के अवसर पर मोग जनजाति द्वारा किया जाता है। संगराई पर्व नव वर्ष के स्वागत में मनाया जाता है।
- मोग अराकनी वंश (भारत-बर्मा के अराकान क्षेत्र) से सम्बन्धित हैं। इस वंश के लोग भारतीय राज्य त्रिपुरा में रहते हैं।
- मोग समुदाय के लोग बौद्ध हैं और सभी सामाजिक-सांस्कृतिक एवं धार्मिक पक्षों में ये बर्मा के बौद्ध धर्म के साथ घनिष्ठ संबंध रखते हैं। ये लोग मुख्यतः झूम खेती पर निर्भर हैं।
- इनकी भाषा तिब्बती-चीनी परिवार के अंतर्गत आती है जो भाषा के असम-बर्मा खंड से भी जुड़ी हुई है।

8.2 कोरेगाँव की लड़ाई

(Battle of Koregaon)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, कोरेगाँव की लड़ाई की 200 वीं वर्षगांठ पर महाराष्ट्र में हिंसक संघर्ष हुआ।

कोरेगाँव की लड़ाई

- यह आंग्ल-मराठा युद्ध की अंतिम लड़ाई थी, जो 1 जनवरी 1818 को भीमा, कोरेगाँव में मराठा शासक पेशवा बाजी राव द्वितीय और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के सैनिकों के बीच लड़ी गई थी।
- इस युद्ध में महार समुदाय के सैनिकों द्वारा कंपनी का प्रतिनिधित्व किया गया, जिन्होंने सफलतापूर्वक पेशवा के सैनिकों को रोके रखा। इस युद्ध में पेशवा के लगभग 600 सैनिक मारे गए, जिसके बाद पेशवा ने पुणे पर हमला करने की योजना को त्याग दिया।
- अंग्रेजों ने इस विजय की स्मृति में एक टॉवर का निर्माण करवाया और इस पर एक लेख लिखवाया जिसमें, इस जीत को "पूर्व में ब्रिटिश सेना की गौरवपूर्ण विजयों में से एक" कहा गया है।
- महार इसे ऐसे दिन के रूप में मनाते हैं, जब उन्होंने सैन्य गौरव की अपनी पुरानी स्थिति को वापस प्राप्त कर लिया।

- महार एक जातीय समूह है, जो महाराष्ट्र और इसके आस-पास के राज्यों में निवास करता है।
- यद्यपि महार अस्पृश्य थे परन्तु शताब्दियों से ये अपने सैन्य कौशल के लिए जाने जाते थे। शिवाजी की सेना में इनका एक महत्वपूर्ण स्थान था।
- हालांकि पेशवाओं के समय इनके साथ बुरा व्यवहार किया गया और इन्होंने धीरे-धीरे अपने सैन्य गौरव को खो दिया।
- बी.आर. अम्बेडकर ने महारों को एकजुट किया और उन्हें राजनीतिक चेतना तथा अन्य महत्वपूर्ण शैक्षिक सुधारों के लिए प्रेरित किया।

8.3 मेडारम का जातरा

(Medaram's Jatara)

सुर्ख़ियों में क्यों?

- केंद्र सरकार द्वारा इस वर्ष **मेडारम सम्मक्का- सरक्का/सारलम्मा जातरा** को **राष्ट्रीय स्तर का त्यौहार** घोषित किए जाने की संभावना है।

मेडारम, एटुरनगरम वन्यजीव अभयारण्य में एक दूरस्थ स्थान है। यह अभयारण्य दंडकारण्य का एक हिस्सा है, जो दक्कन का सबसे बृहत् उपस्थित (शेष बचा हुआ) वन क्षेत्र है।

महोत्सव के बारे में

- यह प्रत्येक दो वर्ष में **तेलंगाना** के **मेडारम** गाँव में दो देवियों- **सम्मक्का** और उनकी पुत्री **सरक्का** के सम्मान में आयोजित किया जाता है।
- यह महोत्सव इस क्षेत्र के वन में निवास करने वाली कोया जनजाति द्वारा आयोजित किया जाता है। यह गैर-आदिवासियों को आकर्षित करने वाला एशिया का सबसे बड़ा आदिवासी त्यौहार है।

नेशनल टैग का महत्व

- नेशनल टैग मेडारम पर्व को राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्रदान करने के अतिरिक्त इसे केंद्रीय निधि प्राप्त करने के योग्य बना देगा।
- एक बार राष्ट्रीय त्यौहार घोषित किए जाने के बाद जातरा को यूनेस्को के 'मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत' में शामिल करने पर विचार किया जा सकता है।
- केंद्र सरकार ने 2015 में **'वनज'** को राष्ट्रीय उत्सव घोषित किया था, जो नृत्य और संगीत का एक आदिवासी उत्सव है।

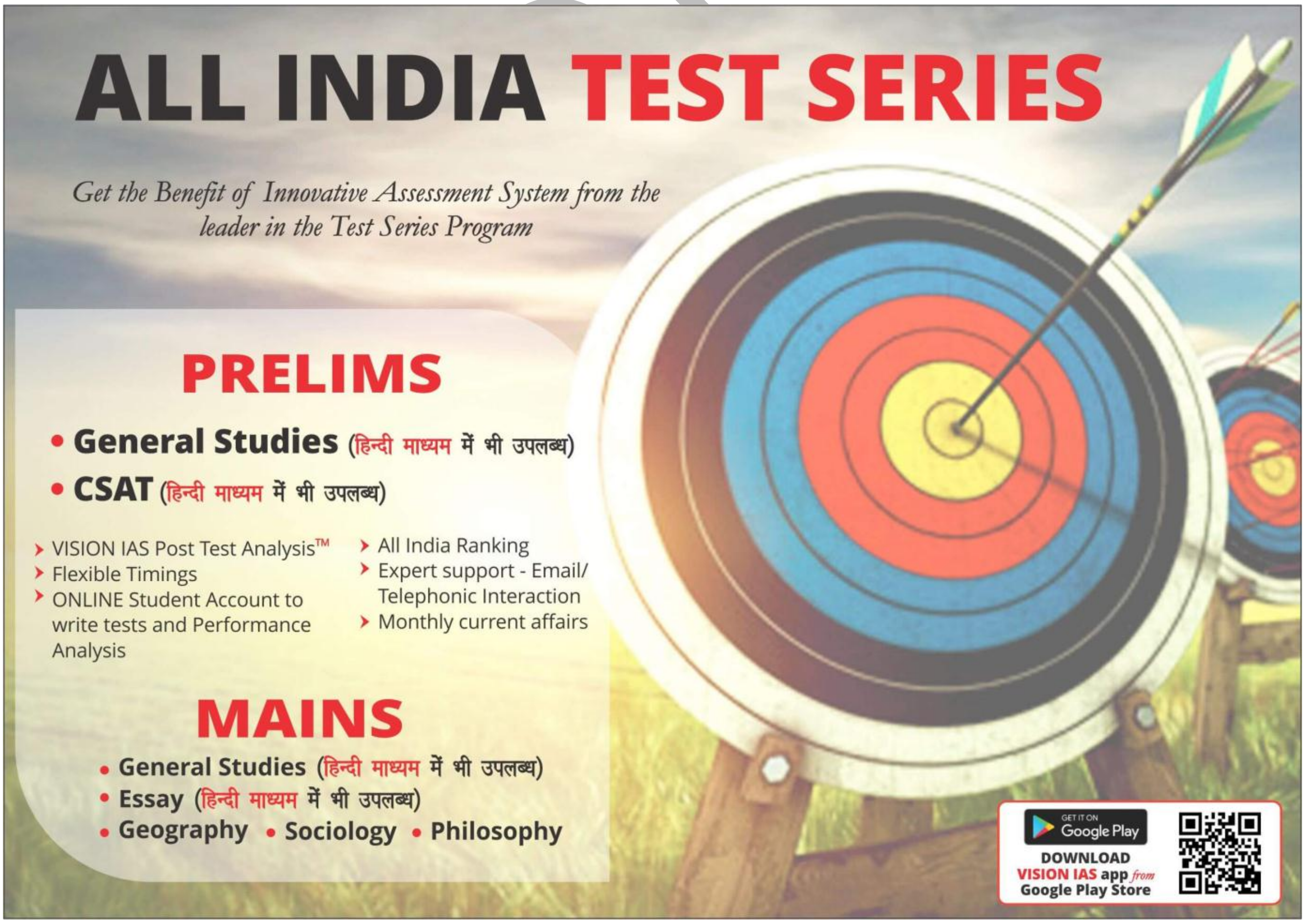

9. नैतिकता

(ETHICS)

9.1 नैतिकता और नैदानिक परीक्षण

(Ethics and Clinical Trials)

हाल ही में, एक गैर सरकारी संगठन (NGO) 'स्वास्थ्य अधिकार मंच' द्वारा प्राप्त एक RTI के जवाब में यह बात सामने आयी कि जनवरी 2005 से सितंबर 2016 के मध्य नैदानिक परीक्षणों के कारण कुल 24,117 लोगों की मृत्यु तथा गंभीर हानिकारक घटनाएँ (SAEs) हुई हैं। इनमें से बहुत कम लोगों को ही मुआवजा प्रदान किया गया है। यह स्थिति भारत में नैदानिक परीक्षण के क्षेत्र में गंभीर संकट को इंगित करती है।

ऐसे परीक्षणों के संचालन के दौरान विभिन्न स्थापित नैतिक सिद्धांतों का पालन किया जाना चाहिए, जैसे -

- **उचित प्रक्रिया के माध्यम से लोगों (subjects) का चयन -** लोगों का चयन इस प्रकार किया जाना चाहिए, जिससे नैदानिक परीक्षणों से संबंधित जोखिम कम हो सके तथा लोगों एवं समाज के लिए लाभों में वृद्धि की जा सके। साथ ही यह भी आवश्यक है कि चयनित लोग उन लोगों के समूह का समुचित प्रतिनिधित्व करते हों जिन्हें उन दवाइयों का उपयोग करना हैं।
- **वैज्ञानिक वैधता (Scientific validity) -** इससे संबंधित अध्ययन को एक स्पष्ट वैज्ञानिक उद्देश्य और स्वीकृत सिद्धांतों, विधियों और विश्वसनीय प्रथाओं के आधार पर डिज़ाइन किया जाना चाहिए।
- **सूचित सहमति (informed consent) -** नैदानिक परीक्षणों हेतु चयनित व्यक्ति को इससे संबंधित उद्देश्य, विधि, जोखिम और लाभ के सम्बन्ध में सूचित किया जाना चाहिए।
- **संभावित और नामांकित व्यक्तियों का सम्मान करना -** इसके अंतर्गत उनकी निजता का सम्मान करना, अपना निर्णय परिवर्तित करने का अधिकार, कुछ नए और असामान्य निष्कर्षों के संबंध में सूचना का अधिकार, अध्ययन आदि के कारण किसी भी प्रकार के दुष्प्रभावों के प्रति उपचार का अधिकार सम्मिलित हैं।
- **अन्य सिद्धांत -** इन सिद्धांतों के अंतर्गत अनुकूल जोखिम-लाभ अनुपात (risk-benefit ratio) और स्वतंत्र समीक्षा सम्मिलित है।

यद्यपि नैदानिक परीक्षणों का उद्देश्य बीमारियों के उपचार, सुरक्षा या रोकथाम हेतु बेहतर उपायों की पहचान कर मानव स्वास्थ्य और कल्याण को बेहतर बनाना है, किन्तु इस प्रक्रिया से विभिन्न नैतिक मुद्दे भी जुड़े हुए हैं:

- **उपयोगितावादी दृष्टिकोण पर बल:** इसके अंतर्गत कुछ लोगों को समाज के व्यापक हित के लिए जोखिमों और जिम्मेदारियों का वहन करना पड़ता है।
- **सूचित सहमति का अभाव:** 2009 में, एक अंतरराष्ट्रीय गैर-सरकारी संगठन ने भारत में 3.6 मिलियन डॉलर के ह्यूमन पेपिलोमा वायरस (HPV) के टीके का परीक्षण आरम्भ किया था। इस के दौरान आंध्र प्रदेश एवं गुजरात में 16,000 आदिवासी लड़कियों पर दो टीकों का परीक्षण किया गया था। यह स्पष्ट रूप से इन लड़कियों के माता-पिता की सूचित सहमति के बिना किया गया था।
- **आचार समिति से संबंधित समस्या (Problem with ethics committee):** वर्तमान में चल रहे दवा परीक्षणों की निगरानी हेतु आचार समितियों का गठन किया गया है। हालांकि, प्रायः यह देखा गया है कि अधिकांश मामलों में आचार समिति का गठन ही नहीं किया जाता है। इन समितियों से संबंधित लोग प्रशिक्षित भी नहीं होते हैं और ये समितियां स्वतंत्र रूप से कार्य भी नहीं करती हैं। इन समितियों में हितों के टकराव से संबंधित मुद्दे भी सम्मिलित हैं।
- **नैतिकता विहीन व्यापार (Commerce without morality) :** फार्मास्युटिकल कंपनियां कपटपूर्ण तरीके से किए गए परीक्षणों के माध्यम से अधिकतम लाभ प्राप्त करना चाहती हैं। ऐसे कई उदाहरण देखे गए हैं जिनमें गलत या अनुपयुक्त परीक्षणों से पीड़ित लोगों को कोई मुआवजा प्रदान नहीं किया गया।
- **भ्रष्टाचार:** भारतीय संसदीय समिति ने परिवार और स्वास्थ्य सेवा पर अपनी 59वीं रिपोर्ट में यह कहा है कि दवा निर्माताओं, नियमाकीय निकायों के कुछ अधिकारियों और कुछ चिकित्सा विशेषज्ञों के मध्य परस्पर कपटपूर्ण संबंध बना हुआ है।
- **पारदर्शिता और जवाबदेही की कमी**: कॉर्पोरेट कंपनियों द्वारा परीक्षणों के परिणामों को रोक दिए जाता हैं। साथ ही जब कभी स्थिति बिगड़ जाती हैं, तब जिन लोगों पर परीक्षण किया जाता है उन पर कोई ध्यान भी नहीं दिया जाता है।

VISION IAS

- **सुभेद्य लोगों का शोषण:** परीक्षण हेतु चयनित लोगों में निम्न आय वाले समूहों का अधिक प्रतिनिधित्व है। इससे स्पष्ट होता है कि व्यक्तियों का चयन वैज्ञानिकता के बजाय उनकी सुभेद्यता एवं धन की आवश्यकता के आधार पर किया जा रहा है। ऐसा देखा गया है कि कभी-कभी लोगों की भागीदारी विवशता और अनिच्छा के कारण भी होती है।

बढ़ती हुई बीमारियों तथा बेहतर एवं प्रभावी दवाओं की बढ़ती आवश्यकताओं के कारण नैदानिक परीक्षण समय की मांग है। यह भी समान रूप से महत्वपूर्ण है कि इस प्रकार के परीक्षणों को बेहतर तरीके से विनियमित किया जाना चाहिए तथा इस संबंध में किसी प्रकार के नीतिगत पहलुओं पर रोगी या परीक्षण के लिए चयनित व्यक्ति को केंद्र में रखकर ही विचार किया जाना चाहिए। इस प्रक्रिया में शामिल सभी कर्मियों को प्रशिक्षित और योग्य होना चाहिए तथा साथ ही उनमें नैतिकता की मजबूत भावना भी होनी चाहिए। इसके अलावा जहाँ एक ओर अध्ययन से संबंधित सभी पहलुओं को सार्वजनिक कर उत्तरदायित्व निर्धारित किये जाने चाहिए, वहीं दूसरी ओर इसमें शामिल व्यक्तियों की गोपनीयता तथा निजता के सिद्धांत को अक्षुण्ण रखा जाना चाहिए।

10. विविध

(MISCELLANEOUS)

10.1 महाराष्ट्र की सार्वजनिक क्लॉउड नीति

(Maharashtra's Public Cloud Policy)

क्लाउड स्टोरेज- क्लाउड स्टोरेज एक सर्विस मॉडल है, जिसमें डेटा को बनाए रखना, प्रबंधित करना, दूरस्थ रूप से बैकअप करना आदि शामिल होता है। आवश्यकता पड़ने पर एक नेटवर्क के माध्यम से यह उपयोगकर्ताओं को उपलब्ध कराया जाता है। (आमतौर पर इंटरनेट के माध्यम से)।

डिजिलॉकर (डिजिटल लॉकर) सर्विस- डिजिलॉकर, सरकार द्वारा प्रारंभ की गई 'डिजिटल इंडिया' पहल का एक भाग है। यह भारतीय नागरिकों को क्लाउड पर अपने कुछ आधिकारिक दस्तावेजों को सुरक्षित रखने में सक्षम बनाता है।

सुर्ख़ियों में क्यों?

महाराष्ट्र, सरकारी विभागों को अपने डेटा संग्रह को क्लाउड पर स्थानांतरित करने के लिए अधिदेश जारी करने वाला पहला राज्य बन गया है।

विवरण

- वर्तमान में सरकारी विभागों में अपनी स्वयं की डेटा स्टोरेज सुविधा है जिसे अब निजी क्षेत्र द्वारा संचालित किया जाएगा।
- इस कार्ययोजना के अंतर्गत, सरकार देश की सीमा के भीतर डेटा संग्रहण को अनिवार्य कर देगी।
- अबाधित बिजली की उपलब्धता, शिक्षा की उपस्थिति और प्रतिभाशाली मानव संसाधन तथा डेटा केंद्रों की संख्या में वृद्धि के माध्यम से राज्य को अधिक निवेश की आशा है।

10.2 ऑपरेशन डिजिटल बोर्ड

(Operation Digital Board)

सुर्ख़ियों में क्यों?

केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड (Central Advisory Board of Education: CABE) के बारे में:

- यह 1935 से शिक्षा के क्षेत्र में केन्द्र और राज्य सरकार के लिए सर्वोच्च एवं सबसे महत्वपूर्ण सलाहकारी निकाय है।
- इसमें विभिन्न हितों का प्रतिनिधित्व करने वाले मनोनीत सदस्यों के साथ ही दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य (सांसद) शामिल होते हैं।

- केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड (CABE) ने हाल ही में, ऑपरेशन डिजिटल बोर्ड की दिशा में कुछ कार्य करने हेतु एक प्रस्ताव पारित किया है।

ऑपरेशन डिजिटल बोर्ड के बारे में

- इसका उद्देश्य कक्षाओं को डिजिटल रूप से सक्षम बनाने हेतु आवश्यक शिक्षण साधन (जैसे स्मार्ट बोर्ड, ऑडियो-विज़ुअल वीडियो जैसी तकनीकों तथा एजुकॉम्प, टाटा क्लास एज जैसे शिक्षा प्रदाताओं आदि) को लागू करके सुरुचिपूर्ण अध्ययन द्वारा शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार करना है।
- इसे केंद्र और राज्य सरकारों की भागीदारी के साथ ही वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद (CSIR) एवं सामुदायिक सहायता से प्रारंभ किया जाएगा।

10.3 स्फूर्ति एप

(SFOORTI App)

- रेल मंत्रालय ने **स्मार्ट फ्रेट ऑपरेशन ऑप्टिमाइजेशन एण्ड रियल टाइम इन्फॉरमेशन** (SFOORTI) एप्लीकेशन लॉन्च किया है।
- यह माल ढुलाई प्रबंधकों को फ्रेट ऑपरेशन इन्फॉरमेशन सिस्टम मैप व्यू (map view) के माध्यम से यातायात प्रवाह की योजना बनाने और अधिकतम माल ढुलाई में सहायता करेगा। फ्रेट ऑपरेशन इन्फॉरमेशन सिस्टम मैप व्यू, एक जिओग्राफिकल इन्फॉर्मेशन सिस्टम (GIS) पर आधारित निगरानी एवं प्रबंधन उपकरण है।

VISION IAS

- इस एप्लिकेशन के माध्यम से सिंगल जिओग्राफिकल इन्फॉर्मेशन सिस्टम (GIS) व्यू में जोन/ डिवीज़न/ सेक्शन स्तर पर सवारी और मालगाड़ी दोनों के परिचालन को ट्रैक किया जा सकता है।

10.4 नीलांबुर सागौन के लिए भौगोलिक संकेतक (GI)

(GI Tag for Nilambur Teak)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, नीलांबुर क्षेत्र में विकसित सागौन को भौगोलिक संकेतक (GI) रजिस्ट्री द्वारा भौगोलिक संकेतक टैग (GI Tag) प्रदान किया गया है।

विवरण

- यह **मालाबार सागौन** अथवा **सागौन का मक्का (प्रमुख धार्मिक स्थल)** के रूप में भी जाना जाता है।
- GI टैग पाने वाली यह पहली वन उपज है।
- यह अपने स्थायित्व, मिट्टी सदृश रंग और बड़े आकार के लिए जाना जाता है।
- इसमें फंफूदी से होने वाले क्षय (fungal decay) के प्रति उच्च प्रतिरोधक क्षमता के साथ एंटीऑक्सिडेंट गुण भी पाया जाता है, जिसके कारण यह बकिंघम पैलेस, मक्का में काबा की इमारत और टाइटैनिक जहाज़ जैसे निर्माण कार्यों के लिए आदर्श है।
- यह अपनी जलरोधी क्षमता तथा तैलीय प्रकृति के लिए भी जाना जाता है।
- भारत में उपलब्ध वृक्षों में सागौन की कार्बन अधिग्रहण क्षमता सर्वोच्च होती है।

10.5 लिवेबिलिटी इंडेक्स

(Liveability Index)

सुर्ख़ियों में क्यों?

- इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट (EIU) द्वारा सम्पूर्ण विश्व के शहरों के लिए एक **वार्षिक लिवेबिलिटी इंडेक्स** जारी किया जाता है।
- वर्तमान में 140 शहरों के लिए जारी EIU की **'ग्लोबल लिवेबिलिटी रैंकिंग'** सूची में केवल दो भारतीय शहर - **मुंबई** और **दिल्ली** शामिल हैं।

- आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय ने विश्व बैंक के निधीयन से **116** शहरों का एक लिवेबिलिटी इंडेक्स जारी करने का निर्णय लिया है।

सूचकांक के बारे में और अधिक जानकारी

- यह गुणवत्तापूर्ण जीवन प्रदान करने की क्षमता के आधार पर 116 शहरों की रैंकिंग जारी करेगा। इन 116 शहरों में 99 स्मार्ट शहर शामिल हैं, जिनकी पूर्व में पहचान की गई थी। इसके अतिरिक्त इसमें राज्यों की राजधानियाँ और 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले शहरों को शामिल किया जाएगा।
- शहर की लिवेबिलिटी (रहने योग्य क्षमता) का निर्धारण करने के लिए विभिन्न पहलुओं के मापन हेतु यह सूचकांक, **79 मापदंडों** का प्रयोग करेगा, जिसमें 57 कोर संकेतकों और 22 सहायक संकेतकों का प्रयोग किया जायेगा।
- सूचकांक में 4 पहलुओं को भिन्न-भिन्न भार (weightage) दिया गया है- **संस्थागत** (25%), **सामाजिक** (25%), **आर्थिक** (5%) और **भौतिक** (45%)।
- IPSOS रिसर्च प्राइवेट लिमिटेड और एथेना इन्फोनॉमिक्स (इंडिया प्राइवेट लिमिटेड) के साथ इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट (EIU), विश्व बैंक निधियन क्षमता निर्माण के तहत शहरी विकास कार्यक्रम के मूल्यांकन हेतु चुने गए हैं ।

VISION IAS

10.6 भारत के प्रथम समाचार पत्र की वर्षगाँठ

(Anniversary of India's First Newspaper)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, भारत के प्रथम समाचार पत्र, बंगाल गजट की **238वीं वर्षगाँठ** मनाई गई।

विवरण

- यह समाचार पत्र 29 जनवरी, 1780 को **जेम्स ऑगस्टस हिक्की** द्वारा प्रारम्भ किया गया था।
- **कलकत्ता** से प्रकाशित यह **अंग्रेजी भाषा** का एक साप्ताहिक-पत्र था। यह एशिया में प्रकाशित प्रथम समाचार-पत्र था, परन्तु इसका प्रकाशन मात्र दो वर्ष बाद ही बंद हो गया।

Copyright © by Vision IAS

All rights reserved. No part of this document may be reproduced, stored in a retrieval system or transmitted in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise, without prior permission of Vision IAS